राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ५] तृतीय विधान सभा के पंचम् सत्र, १९६४ का १६ वां दिवस [संख्या ३८

बुधवार, दिनांक ८ अप्रेल, १९६४

विधान सभा की बैठक म. पू. ८ बजकर ५ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(आबकारी एवं कर, सार्वजनिक निर्माण, पंचायत, उद्योग, विकास, रसद, सहकारिता, विद्युत्, आयुर्वेद एवं वित्त-विभाग)

असल दस्तावेज पर फर्जी इन्द्राज व फीस रजिस्ट्री का गबन

६३६. श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : क्या आबकारी एवं कर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सब-रजिस्ट्रार, हनुमानगढ़ ने दिनांक ८-७-५८ को एक दस्तावेज बयनामा, बनवारीलाल वल्द किशनाराम, काशीराम, रामजीलाल, पिसरान जयमलराम व पिरथीराम वल्द किशनाराम, जाटान नि० बशीर तहसील हनुमानगढ़ की ओर से बहक बलराम, परमेश्वरी व शान्ती मु० ८०,०००) रुपये की मालियत का बआर०ज फीस २१२) रुपये तस्दीक करके उस पर अंकित किया कि "आज दिनांक १० मास १२ सन् ५८ को पुस्तक संख्या १ जिल्द ६ पृष्ठ संख्या ३५७-३५८, क्रम संख्या १,०७० पर पंजीबद्ध किया गया ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त दस्तावेज को तहसील हनुमानगढ़ की पुस्तक संख्या १ जिल्द ६ पृष्ठ संख्या ३५७-३५८ क्रम संख्या १,०७० पर पंजीबद्ध नहीं किया गया और न दिनांक ८-७-५८ को उपरोक्त दस्तावेज की फीस रजिस्ट्री की राशि जो सरकारी रकम थी कहीं जमा कराई गई और तत्कालीन सब-रजिस्ट्रार (पंजीयक अधिकारी) श्री एम० पी० बिस्सा ने दस्तावेज की बाबत पंजीबद्ध किये जाने का इन्द्राज असल दस्तावेज पर फर्जी दर्ज किया और फीस रजिस्ट्री का गबन किया ?

(३) क्या सरकार उपरोक्त मामले की बाबत तत्कालीन पंजीयक. अधिकारी हनुमानगढ़, श्री एम० पी० बिस्सा के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शीघ्रतम करेगी और उपरोक्त दस्तावेज को तहसील हनुमानगढ़ की पुस्तक संख्या १ में दर्ज कराने की समुचित व्यवस्था करेगी ?

Page No. 2

उप-मंत्री, आबकारी एवं कर (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी हां।

(२) यह सही है कि सम्बन्धित पुस्तक में दस्तावेज की नकल नहीं हुई है मगर रजिस्ट्री फीस का गबन नहीं हुआ है।

(३) जी हां, जांच की जा रही है। बाद जांच उचित कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

श्री हरदत्तसिंह : अध्यक्ष महोदय, बात बिलकुल स्पष्ट है। पुस्तक संख्या १ में वह अंकित नहीं है और रजिस्टर में यह दर्ज है। पुस्तक संख्या १ पर नं० १०७० पर अंकित है तो स्पष्ट तौर पर झूठ लिखा गया है और आज तक उस सब-रजिस्ट्रार को निलंबित नहीं किये जाने के क्या कारण है ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, इसमें नवेश्चन इतना ही है कि सर्टीफिकेट आफ रजिस्ट्रेशन डाकुमेन्ट के ऊपर दिया गया है और सर्टीफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में जिस पेज की एन्ट्री के नम्बर हैं उन पेजेज़ पर एन्ट्री नहीं है यह सही है। लेकिन न तो इसमें गबन हुआ है क्योंकि उसी रोज़ चालान के जरिये २१२) रुपये तो रजिस्ट्रेशन की फीस और ३)/रुपये कापी के याने कुल मिलाकर २१५) रुपये ट्रेजरी में जमा हो चुके थे। अब प्रश्न यह रहता है कि उस व्यक्ति ने वहां पर रजिस्टर क्यों नहीं किया। यह तमाम डॉक्युमेन्ट्स पज़ेशन में हैं और मैं उम्मीद करता था कि सदन के शुरू होने के पहले डॉक्युमेन्ट्स मेरे पास आ जायेंगे लेकिन नहीं आये। वे आ जायेंगे तो वेरीफाई कर लेंगे। इन्सपेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन ने इन्सपेक्टर को तहकीकात के लिए भेज दिया है उस डॉक्युमेन्ट का हवाला उन पेजेज़ पर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ऐसा होता है कि जब कोई डॉक्युमेंट रजिस्टर होने के लिए आता है तो उस रजिस्टर के अन्दर जिन पेजेज़ पर कॉपी किया गया है ओरीजिनल डॉक्युमेन्ट लगाकर उनकी कॉपी होती है। सब-रजिस्ट्रार के पास वह दस्तखत होने के लिए आता है तो जो डॉक्युमेंट उन पेजेज़ पर है तो हो सकता है वह दूसरी जगह पर हो गया हो। तो आपका डॉक्युमेन्ट रजिस्टर्ड है इस रजिस्टर के अन्दर। मैं एश्योर करता हूं कि जो भी फॉल्ट पर है उसके खिलाफ एक्शन लिया जायेगा।

श्री हरदत्तसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से, आपके द्वारा, यह, बिलकुल स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि इसको उस रजिस्टर के किसी भी पेज पर अंकित नहीं किया गया। यह इसलिए किया गया कि ८० हजार के दस्तावेज हैं और जब कहीं भी इसकी कॉपी नहीं है तो दस्तावेज के मिसप्लेस होने से यह ८० हजार का खत्म हो जाता है। यह फ्रॉड किया गया है इसलिए मैं आपके द्वारा यह स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि यह किसी भी किताब में नहीं है। तो उस ऑफिसर के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाये। खाली गबन का ही मामला नहीं है, बल्कि फ्रॉड का भी मामला है। जिस पार्टी ने रजिस्टर कराया है उसका मान[illegible] कहीं खो जाता है तो उसको कहीं [illegible] रिलीफ नहीं हो सकती है। इसलिए मैं दो बात मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि एक तो इसकी तलाश करें कि कहीं भी कॉपी की हुई है या नहीं। मैं आपको बताता हूं कि कहीं भी इसकी कॉपी की हुई नहीं मिलेगी। यह सारा का सारा फ्रॉड है। इसलिए कैसा भी अधिकारी हो उसने बहुत

Page No. 3

(श्री हरदत्तसिंह)

गैर–जिम्मेदारी से काम किया है. ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसकी कॉपी लाजिमन होनी चाहिए और उस ऑफिसर को निलम्बित किया जाना चाहिए। आपको स्पष्ट दीखता है कि साफ तौर पर इसमें फ्रॉड है और जानबूझकर गलत किया गया है। इसलिए मैं आपकी मार्फत अध्यक्ष महोदय, प्रार्थना करता हूँ कि इसमें रियायत नहीं होनी चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, इन तमाम की जो एन्ट्री नहीं हुई है तो एन्ट्री के सम्बन्ध में जो कुछ भी एन्क्वायरी हो उस एन्क्वायरी में अत्यन्त आवश्यक है ओरीजिनल डाक्युमेंट जब तक हमारे पास में नहीं हो और जो ओरीजिनल डाक्युमेंट की नकल दी है और उस नकल के ऊपर जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का हवाला है उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं जबकि ओरीजिनल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हों और ओरीजिनल डॉक्यूमेंट नहीं होने की वजह से डेफिनिट नहीं कह सकते कि उस डॉक्युमेंट की दूसरी जगह एन्ट्री हुई या नहीं, एक बात।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता था कि अगर एन्ट्री [illegible] हो और चालान जो पेश किया गया ह[illegible] उसी आदमी के डॉक्युमेंट का है, [illegible] बात। दूसरी बात यह है कि उस[illegible]र जो रजिस्ट्रेशन का हवाला दिय[illegible]रेज का हवाला दिया हुआ है [illegible] पर ओरीजिनल डॉक्युमेंट को [illegible]हीं है, और चालान के जरिये ट्रेज़री में जो रकम ८–७–५८ को २१५) रु० जमा हुए हैं वे इसी सम्बन्ध में है तो निश्चित तौर पर उस आदमी को घाटा नहीं होने वाला है उसको रजिस्टर करेंगे क्योंकि रजिस्ट्रेशन फीस उसने दे दी है। उसकी बैकग्राउन्ड में मैं नहीं जाना चाहता था क्योंकि पहले तहसीलदार वर्क करते थे। उसके बाद में हनुमानगढ़ में ज्यादा वर्क था !

श्री अध्यक्ष : आप सारी जांच करा लें।

श्री परसराम मदेरणा : जांच के सम्बन्ध में निश्चित तौर से मैं जांच करवाऊंगा। एन्टर नहीं होने की वजह से डॉक्युमेंट का किसी प्रकार ऐसा होगा जिससे भविष्य में जाकर कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर अगर उसे डाक्युमेंट के सम्बन्ध में किसी तरह की आवश्यकता पड़े तो वह एवीडेन्स इस तरह से डॉक्युमेंट हो जाय, यह इसमें पोसिबिलिटी रहती है, अदरवाइज डॉक्युमेंट ओरीजिनल आपके पास में है रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट है। एन्टर हो जाना चाहिये था। रजिस्ट्रेशन फीस जमा हो गई है, मगर जमा की हुई रकम के गबन का आप कहते हैं तो ऐसा नहीं हुआ है। इसको एन्क्वायरी की तो जो कोई आफिस डेलिन्क्वेन्ट होगा या क्लार्क होगा कि उसकी नेग्लीजेन्स की वजह से ऐसा हुआ है तो डेफिनिटली एक्शन लिया जायेगा। दूसरी दफा जब सदन मीट होगा उस वक्त मैं इत्तिला कर सकूंगा कि क्या एक्शन लिया है।

श्री हरदत्तसिंह : ओरीजिनल डॉक्युमेंट मेरे पास है। वह मैं आपको पेश कर दूंगा, लेकिन आपने यह फर्माया है कि फरीक को घाटा नहीं होगा तो मान लो कि मेरा ओरीजिनल डॉक्युमेंट गुम हो जाता है

(श्री हरदत्तसिंह)

इसके बाद में क्या रिलीफ था उसको। आप यह बताएं कि ओरीजिनल डॉक्युमेंट रजिस्टर्ड इसीलिए कराया जाता है कि ओरीजिनल डॉक्युमेंट अगर गुम हो जाय तो उसकी कॉपी वहां पर मौजूद है; पृष्ठ संख्या एक पर तो उससे मिल जाती है। अगर यह ओरीजिनल डॉक्युमेंट गुम हो जाय तो यह रजिस्ट्रेशन का मुद्दा ही खत्म हो जाता है और फरीक की घाटा-पूर्ति किसी भी तरह से नहीं कर सकते।

श्री परसराम मदेरणा : डॉक्युमेंट है उसके पास। मैं कह रहा था कि जो व्यक्ति डॉक्युमेंट लेकर आये थे वह उस वक्त मुझको भी मिले थे और वह डॉक्युमेंट भी मैंने देखा है। जब एन्क्वायरी हो तब डॉक्युमेंट एन्क्वायरी ऑफिसर को बता दे ताकि रजिस्टर को देखकर यह मालूम कर सकें कि वेरीफिकेशन हुआ है वह उसी डाक्युमेंट का है या दूसरे डॉक्युमेंट का है। इसलिये मे कह रहा था कि जो ओरीजिनल डॉक्युमेंट है वह किसी तरह से गुम नहीं हुआ है। यह हो सकता है कि यह बहुत बड़ा लेप्स है और इसको तभी मैं कह सकता हूँ कि जिस किसी ने गलती की है उस गलती के लिए एन्क्वायरी करने के बाद जो कुछ कार्यवाही की जानी चाहिए वह करेंगे, जिसने कि गलती की है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य का यह कहना है संभवत: कि आप जांच करायें और जांच चलती रहे तब तक इसको रजिस्टर में दर्ज करा लें ताकि यह त्रुटि पूरी हो जाय और इनकी जो आशंका है वह दूर हो जाय। उस पर भी विचार करें।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने रजिस्ट्रेशन का रजिस्टर जो कि इन्सपेक्टर जनरल के पास में था वह मंगवाया है। वे पहुंचे नहीं हैं अभी। वे आयेंगे और उचित कार्यवाही का ऑर्डर मैं दे दूंगा।

प्रश्न संख्या ६४०

श्री अध्यक्ष : श्री हरलाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६४१

श्री जुगलाल।

(अनुपस्थित)

श्री जुझारसिंह।

चेचट व राणा प्रतापसागर आणविक शक्ति स्टेशन के मध्य सड़क

६४२. श्री जुझारसिंह (चेचट) : Will the Minister for P. W. D. be pleased to state:-

(1) What would be the saving in the Road and the Railmileges if the m[illegible] for Atomic Power Plant at R[illegible]tap Sagar is transported via [illegible]hat and Morak Station instea[illegible]f Gandhisagar and Kota Junct[illegible]pectively ?

(2) W[illegible]e expected saving of cost in Petrol and freight charges be equal to or more than the cost of the construction of a new Road ? If so, does the Government intend

(श्री जुझारसिंह)

to Connect Chechat by Road to the Atomic Power Station site at Rana Pratap Sagar ? If so, by what time ?

उप-मन्त्री सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) कोटा मार्ग को बजाय मोड़क रेलवे स्टेशन वाया चेचट मार्ग से लगभग १२ मील रेल माइलेज तथा ३९ मील रोड माइलेज की बचत होगी। गांधीसागर मार्ग के बारे में इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(२) पेट्रोल तथा भाड़े की बचत के बारे में इस विभाग को जानकारी नहीं है, अतः तुलना करना कठिन है। सड़क निर्माण के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

श्री जुझारसिंह : आपने फर्माया कि ३९ मील तो रेल माइलेज की बचत होती है और १२ मील सड़क से आपकी बचत है तो उसके हिसाब से आप पैसे का अन्दाज लगा सकते हैं और उसी तरह से हैं जो कोटा से सड़क जाती है। उससे जहां तक मेरा ख्याल है जो ग्रेडियेन्ट्स है और हेवी मशीनरी एटोमिक पॉवर स्टेशन के लिए रावतभाटा जायेगी। तो इन्जीनियर्स की, जहां तक मेरी जानकारी है यह रिपोर्ट है कि इन हेवी इन ग्रेडियेन्ट्स पे [illegible]नी हेवी मशीनरी जाने में तकलीफ हो[illegible] ग्रेडियेन्ट को सुधारने के लिये लाखों [illegible] खर्चा होने वाला है। उसके [illegible]खों रुपये लगने वाले हैं। उ[illegible]ला है वह इसके अलावा है भी। इसलिए उस पर भी आपके पास में रिपोर्ट आई हुई है क्या इन्जीनियर्स की ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : सेविंग कितनी होगी इसका अनुमान हम तो नहीं लगा सकते कि पेट्रोल का कितना सेविंग होगा क्योंकि यह मालूम नहीं है कि कितना पेट्रोल खर्च होगा सामान ले जाने में तो आंकड़ा नहीं दे सकते। दूसरा फेट कितना जायगा हमारे पास उसके आंकड़े नहीं हैं। यह तो एटोमिक पॉवर कमीशन ही इस बात को निर्धारित कर सकता है कि कितना सेविंग होगा, लेकिन यह बात जरूर है कि यह ऑल्टरनेटिव रोड आपने प्रपोज की है उसका माइलेज कम होता है।

दूसरी बात यह भी तय करनी है कि जो ग्रेडियेन्ट्स नई सड़क में प्रपोज़ किये हैं मोड़क से उसमें ग्रेडियेन्ट्स कम आते हैं। राजस्थान सरकार ने एटोमिक पॉवर कमीशन को इस बात के लिए लिखा है और बातचीत चल रही है, लेकिन उनका निर्णय आने पर सूचना दी जा सकेगी।

श्री जुझारसिंह : ग्रेडियेन्ट्स को इम्प्रूव करने में इन्जीनियर्स ने जो व्यूज़ दिये हैं तो ग्रेडियेन्ट्स को इम्प्रूव करने में कितनी कोस्ट आयेगी, इसका अन्दाज तो आप फरमा सकते हैं रावतभाटा का।

श्री हरिश्चन्द्र : इसके फीगर्स अभी मेरे पास नहीं हैं। यह मुझे मालूम नहीं हैं कि ग्रेडियेन्ट्स जो एग्जिस्टिंगरोड़ है उस पर ग्रेडियेन्ट्स ज्यादा है और नया लिंक जो प्रपोज़ किया है उसमें ग्रेडियेन्ट्स कम हैं, लेकिन इसका एस्टीमेट जब वे इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे उसके बाद में एस्टीमेट बना लेंगे।

श्री झुंझारसिंह : एटोमिक पॉवर कमीशन ने सर्वे कर लिया है और इसकी जांच भी की है।

श्री हरिश्चन्द्र : उन्होंने हमसे कहा था और उनके पास इन्जीनियर्स भी हैं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा।

प्राइमरी स्कूल के अध्यापक का निलम्बन

६४३ श्रीमती सुमित्रा (झुन्झुनू) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) बुहाना पंचायत समिति, जिला झुन्झुनू के प्राइमरी स्कूल के अध्यापक श्री भगवानसिंह को कौन सी तारीख को निलम्बित किया गया और किस अपराध में ?

(२) उनको चार्जशीट दी गई वह सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें। क्या यह बात सही है कि चार्जशीट दी जाने से पहले ही उन्हें निलम्बित कर दिया गया ?

(३) उनके निलम्बन पर क्या प्रशासनिक समिति की अनुमति ले ली गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) श्री भगवानसिंह अध्यापक को ३१-७-६३ को अनुशासन भंग करने पर निलम्बित किया गया।

(२) चार्जशीट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है। चार्जशीट देने से पूर्व ही संबंधित अध्यापक को निलम्बित कर दिया गया था।

(३) नहीं ली गई।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्रीमती सुमित्रा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या (१) के उत्तर में बताया कि अनुशासन भंग करने के कारण निलंबित किया गया है, लेकिन चार्जशीट दिये बिना ही कर दिया। निलम्बित करने के पहले प्रशासन समिति की अनुमति लेना आवश्यक है वह भी नहीं ली गई है। यह सब गैर-कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : निलम्बित बिना चार्जशीट दिये ही किया जा सकता है। इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। डिस्मिसल और नियुक्तियों के सारे अधिकार पंचायत समितियों को हैं। सरकार पिक्चर में नहीं आती।

श्रीमती सुमित्रा : उसका इतना गम्भीर अपराध नहीं है कि बिना चार्टशीट दिये ही उसको निलम्बित कर दिया जाय।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह सब डिस्मिसल के और सारे अधिकार पंचायत समिति को है। सरकार कहीं पिक्चर में नहीं [illegible]

श्री [illegible] (किशनपोल, जयपुर) : नि[illegible] कितने दिन बाद चार्जशीट दी गई ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : एक हफ्ते बाद।

श्री भैरोंसिंह: क्या सरकार ने निलम्बित करने के सम्बन्ध में कुछ आज्ञाएं प्रसारित कर रखी हैं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : सरकार के इस सम्बन्ध में आज्ञाएं प्रसारित करने का कोई सवाल नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : निलम्बित करने का अधिकार और निलम्बित करने के बाद एन्क्वायरी करने का प्रोसीजर कौन से नियमों में है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : ये सर्विस रूल्स के अनुसार निलम्बित किये जा सकते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या सर्विस रूल्स के अनुसार यह है कि जिस किसी व्यक्ति को सस्पेन्ड किया जाय तो उसके साथ-साथ चार्जशीट नहीं दी जाय ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : चार्जशीट बाद में दी गई है ।

श्री भैरोंसिंह : यही तो सवाल है कि अनुशासन भंग करने के बाद में कितने दिनों बाद अधिकारी को नोटिस दिया गया था ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : नोटिस कब दिया गया, यह जानकारी इस वक्त मेरे पास में नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : यह [illegible] पहले से चल रहा है, इमीजियेटली [illegible] एक्शन लेने की आवश्यकता नहीं [illegible] हालत में यह जरूरी नहीं सम[illegible] मामले में एन्क्वायरी करके चार्जशी[illegible] ।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : पंचायत समिति के मामलों में सरकार पिक्चर में नहीं आती है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : बड़ा वेग चार्ज है अनुशासन भंग का । एन्क्वायरी होकर सस्पेंड किया जाय तो उसमें ज्यादा सतर्कता बरती जा सकती है । बाद में उसको ऐडीशनल चार्ज दिया जा सकता है । यह तो एक ऐसा वेग चार्ज है कि किसी के खिलाफ भी लगाया जा सकता है । सरकार इस बारें में विचार करे कि इस तरह से न करे ।

श्री अध्यक्ष : जांच समाप्त हो गई है, किस स्टेज पर है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : वापिस बहाल कर दिया गया है ।

श्रीमती सुमित्रा : क्या यह बात सही है कि इस अध्यापक को अनुशासन भंग करने के अपराध में एक दफा पहले भी निलम्बित किया गया था जिसकी जांच कलेक्टर ने की थी । कलेक्टर ने जांच रिपोर्ट में बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि कोई अपराध नहीं है और जो कुछ किया गया है वह ज्यादती है और इसी बिना पर वह बहाल हो गया और फिर अनुशासन भंग करने की कार्यवाही में उसको फिर निलम्बित कर दिया गया है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह जानकारी अभी मेरे पास नहीं है कि पहले निलम्बित हुआ कि नहीं हुआ है और क्या कार्यवाही हुई है ।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

भारत सरकार से प्राप्त कोटे का वितरण

६४४. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार से जस्ता, तांबा, सीसा, स्टेनलेस स्टील तथा दूसरी अलोह धातुओं का कितना कितना कोटा मिला तथा किन किन को किस आधार पर वितरित किया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(२) क्या इसके वितरण करने में औद्योगित सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाती है ? यदि हां, तो किस किस को किस आधार पर दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उप–मन्त्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद): १. सरकार को केन्द्रीय सरकार ने गततीन वर्षों में निम्न प्रकार से तांबा, जस्ता, तथा दूसरी अलोह धातुओं का कोटा मिला है ।

श्री अध्यक्ष : सारी सूची पढ़ने के बजाय माननीय सदस्य को एक प्रतिलिपि दे दें ।

श्री चन्दनमल वैद : अध्यक्ष महोदय, सूची बहुत लम्बी चौड़ी है, इसको मैं अपने साथ लाया हूँ । एक सूची माननीय सदस्य को भेज दूंगा । उपरोक्त कोटे का वितरण रीजनल उप–संचालकों की सिफारिशों के आधार पर किया गया है । वितरण सूचियां मेरे पास हैं । माननीय सदस्य जिसकी सूचना चाहें पेश कर सकता हूँ ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सूची टाइप्ड है ?

श्री चन्दनमल वैद : यह साइक्लोस्टाइल्ड है । ऑफिस रेकॉर्ड है जो मेरे पास हैं ।

एक माननीय सदस्य : इनके पास कॉपी नहीं है, आप पूरा जवाब दे दें ।

श्री चन्दमल वैद : एक कॉपी है मेरे पास ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, साइक्लोस्टाइल होती है तो एक कॉपी नहीं होती, सैंकड़ों कॉपियें होती हैं ।

श्री चन्दनमल वैद : यह १९६०–६१ में हुआ है ।

२. औद्योगिक सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाती है और कोटे का अलॉटमेंट तत्सम्बन्धित रीजनल उप–संचालकों की सिफारिश पर दिया जाता है । औद्योगिक सहकारी समितियां जिन जिन को यह कोटा दिया गया है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(भाग १ से सम्बन्धित सूची के लिये कृपया परिशिष्ट २ देखिए व भाग २ से सम्बन्धित सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मा[illegible]चन्द सुराणा (कोलायत) : जो कोटा वि[illegible]गया, कुल १० वर्षों में दिया गया उसक[illegible] परसेन्टेज था ।

श्री[illegible]ल वैद : बहुत थोडा परसेन्ट [illegible]

श्री मानिकचंद सुराणा : कोई एक परसेन्ट या आधा परसेन्ट या चौथाई परसेन्ट जिससे

Page No. 9

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

पता चले कि सहकारी समितियों को आपने कितना कोटा दिया है और आप किस तरह से प्रोत्साहन देते हैं। बहुत सी सहकारी समितियों को कोटा नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष : सहकारी समितियां कितनी हैं यह भी तो पता चले।

श्री मानिकचंद सुराणा : बहुत सी सहकारी समितियें हैं जिनको कोटा नहीं मिला है।

श्री चन्दनमल वैद : कोई भी ऐसी सहकारी समिति नहीं है जिनको कोटा नहीं मिला हो माननीय सदस्य को मालूम हो तो आप बता दें।

श्री मानिकचंद सुराणा : आप सारी सूचियों की एक एक प्रतिलिपि माननीय सदस्य को दे दी जाये ताकि जो भी बात हो उसको देख कर बहस या फिर प्रश्न ला सकें। प्रश्नों का मतलब यह नहीं कि....

श्री अध्यक्ष : संभवतः जो सूचियां आप दे सकते हैं उनकी प्रतिलिपि आप माननीय सदस्य को दे दें।

श्री चन्दनमल वैद : सहकारी समितियों की सूची जिनको कोटा दिया गया सदन की मेज पर रख चुका हूँ।

श्री मुरलीधर व्यास : बाकी की सूचियें।

श्री चन्दनमल वैद : इसमें समय लगेगा। यह बहुत लम्बी चौड़ी है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप उसे टाइप करा कर एक सप्ताह में दे दें।

श्री चन्दनमल वैद : एक सप्ताह में देना संभव नहीं। इसमें काफी टाइम लगेगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : एक महीने में दे दीजिये।

श्री चन्दनमल वैद : एक महीने बाद सदन की मेज पर एक सूची रख दूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

ग्राम सेवक ट्रेनिंग सेन्टर के प्रिंसिपल की उपस्थिति

६४५. श्री माधोलाल खानपुरिया (अटरू) : क्या विकास एवं पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम सेवक ट्रेनिंग सेन्टर कोटा प्रिन्सिपल श्री शरण बिहारी लाल माथुर तारीख २१. ६. ६३ से २६. ६. ६३ तक अपने मुख्यावास कोटा पर उपस्थित नहीं थे ?

२. क्या यह सही है कि रजिस्टर में उपरोक्त तारीखों में भी हस्ताक्षर किये हैं

३. यदि हां, तो अनुपस्थिति के दिनों के लिये भी उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर किस अभिप्राय से किये गये हैं ?

४. ऐसी कार्यवाही करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध सरका

५. यदि नहीं लिया, तो क्यों ?

Page No. 10

उप-मंत्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां।

२. जी हां।

३. स्टाफ की उपस्थिति की चेकिंग की दृष्टि से हस्ताक्षर किये गये हैं।

४. प्रश्न ही नहीं उठता।

५. प्रश्न ही नहीं उठता।

कुमारी उमा माथुर (रामगढ़) : क्या यह सही है कि उन्होंने उस समय अपनी हाजरी लगाई जब वे वहां पर नहीं थे और छुट्टी पर थे।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : वे छुट्टी पर नहीं थे मगर ड्यूटी पर जयपुर गये हुए थे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : क्या यह सही है कि जब वे वहां पर नहीं थे तो वहां पर रजिस्टर में दस्तखत कर सकते है ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : नहीं करना चाहिये।

कुमारी उमा माथुर : नहीं करना चाहिये और कर दिये हैं तो उनके खिलाफ क्या एक्शन आपने लिया है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : भूल से हो गये हैं।

कुमारी उमा माथुर : इनके खिलाफ पहले भी कोई इस प्रकार की शिकायत आई है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : इस समय मेरी जानकारी में नहीं है। जानकारी करके बता सकता हूं।

कुमारी उमा माथुर : क्या यह सरकार ने मान लिया है कि जो जयपुर में रहा है उस समय के उसके दस्तखत गल्ती से किये हैं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जी हां।

कुमारी उमा माथुर : क्या इस तरह लिखित में दिया गया है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह गल्ती है।

श्री माधोलाल खानपुरिया : सरकार के नोटिस में यह केस कब आया ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : प्रश्न पूछा गया तब ही।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या सरकार ने इस बात को चैक किया कि उन्होंने दस्तखत किये वे स्टाफ की उपस्थिति की चैकिंग की दृष्टि से किये थे ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : उसी दृष्टि से किये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने साइन किये हैं वे केवल स्टाफ की उपस्थिति की चैंकिंग की दृष्टि से किये हैं क्या सरकार ने इसको चैक कर लिया है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : उनको जयपुर बुलाया गया था। जब वे जयपुर में

Page No. 11

(श्री भवानीशंकर नन्दवाना)

थे तो उनको हाजरी दिखाने का हक ही पैदा नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ, जयपुर व सरकार के बीच गुड़ के संबन्ध में कॉन्ट्रेक्ट

६४६. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा : क्या रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

१. क्या राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ, जयपुर व राजस्थान सरकार के बीच राजस्थान में उत्तर प्रदेश के गुड़ को बेचने के सम्बन्ध में कोई इकरार हुआ है? अगर हां, तो कब व कितने गुड़ का कोटा दिया? कृपया इकरारनामा सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

२. क्या उक्त कार्य के लिये सरकार ने उक्त संघ को कोई ऋण दिया है? अगर हां, तो कब व कितना तथा क्यों?

३. उक्त संघ ने गुड़ कब २ कहां कहां से किस किस भाव से खरीदा?

४. उक्त संघ ने गुड़ कोटा, बूंदी, झालावाड़ जिले में कहां कहां कितना २ भेजा?

५. क्या यह सत्य है कि गुड़ की वेगन नहीं छुड़ाई गई और आज भी गुड़ वेगन, में पड़ा हुआ है? अगर हां, तो क्यों?

रसद मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : जी नहीं, ऐसा नही कोई इकरार राज्य सरकार एवं क्रय विक्रय सहकारी संघ के बीच नहीं हुआ है।

२. जी नहीं।

३. जब जब सरकार ने संघ को परमिट दिये तब तक यू. पी. की मंडियों; जैसे मेरठ, अलीगढ़, मवाना, मुजफ्फरनगर, हापुड, बडौत, जहांगीराबाद, मथुरा, हाथरस, सियाना आदि मंडियों से बाजार भाव से खरीदा।

४. संघ ने अब तक गुड़ कोटा, बूंदी व झालावाड़ जिलों में निम्नप्रकार से भिजवाया है:—

जिला	स्थान	
कोटा	कोटा	२८६ टन
,,	बारां	५० टन
बूंदी	बूंदी	१७८ टन
		१५३ टन
झालावाड़	भवानी मंडी	४३२ टन
	चौमहला	२५० टन

(५) जी नहीं। यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि क्रय विक्रय संघ को गुड़ पर्चेज करने के लिए यू० पी० से नवम्बर और दिसम्बर माह में परमिट दिया गया था।

श्री नाथूराम मिर्धा : किसको दिया गया?

श्री कृष्णकुमार गोयल : पहले परमिट मिला था वह नवम्बर—दिसम्बर माह में मिल गया था।

श्री नाथूराम मिर्धा : एक्चुअली कौन से महीने में मिला, यह मुझे ख्याल नहीं है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि उन्होंने बेगन्स नहीं छुड़ाये और डेमरेज लगता रहा ? क्या इस प्रकार की शिकायत आपके पास आई है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हो सकता है । कई जगह पर मेरे पास शिकायतें आई हैं कई जगह पर माल नहीं पहुंचा और मार्केटिंग सोसाइटी को माल नहीं भेजा गया ।

श्री भैरोंसिह : क्या आपने क्रय विक्रय के लिए मार्जिन ऑफ प्रोफिट कायम कर रखा है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां ।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : कितना ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे को पूरा याद नहीं है, यह दो या ढाई रुपये प्रति क्विन्टल होगा ।

एक माननीय सदस्य : किन नियमों के आधार पर पार्टी को आपने यह परमिट दिया है और एक्चुअल कोस्ट कैसे तय करते हैं जब आपको यह मालूम नहीं कि कहां कहां पर किस भाव से खरीदा ?

श्री अध्यक्ष : यह सारी बहस की जरूरत नहीं है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जिस दिन ठीक भाव होता है, वे लोग खरीद लेते हैं और उसको बढ़ा कर बेचते है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : नीचे दामों पर गुड़ खरीद लेते हैं और ऊंचे दामों में बेच देते हैं ।

श्री अध्यक्ष : The question not allied.

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि उनकी डिलीवरी नहीं छुड़ाने का कारण यह था कि गुड़ काफी मंहगा था इसलिए मार्केटिंग सोसाइटीज़ ने नहीं छुड़ाया ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : प्रश्न के भाग (३) में जहां गुड़ किस किस भाव से खरीदा गया था, पूछा गया वहां आपने सिर्फ़ यह कह दिया कि बाजार भाव से खरीदा । प्रश्न का यह इन्टेन्शन नहीं है कि बाजार भाव से खरीदा । प्रश्न का मतलब यह है कि आप स्पेसिफिक भाव बतायें जिन जिन भावों पर खरीदा गया और उसकी लिस्ट सदन की मेज पर रखनी चाहिये । इसलिए मैं समझता हूं कि इसका उत्तर नहीं आया है इसलिए यह जबाब अपूर्ण है । सारी चीजें जब तक सामने नहीं हो तो कितना प्रोफिट उन्होंने लिया यह पता नहीं लग सकता ।

श्री अध्यक्ष : इसीलिए माननीय मंत्री कह चुके हैं कि मार्जिन प्रोफिट कितना है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : किस भाव से खरीदा ?

श्री अध्यक्ष : इसका मतलब यह हो सकता है कि रिटेल में ज्यादा में बेचा ।

श्री मानिकचंद सुराणा : इसका मतलब यह है कि उन्होंने अधिक प्रोफिट लिया है।

श्री अध्यक्ष : They are vague. They con ot be answered like this.

श्री मानिकचंद सुराणा : प्रश्न का जबाव भी कम्प्लीट नहीं है। यह कहना काफी नहीं है कि बाजार भाव से खरीदा...

श्री अध्यक्ष : बाजार भाव का मतलब यह था कि कितना मार्जिनल प्रोफिट है।

Then it is not necessary to compile all the Mandies and answer.

माननीय सदस्य बतावें कि आंकड़ों का क्या महत्व है ?

श्री मानिकचंद सुराणा : मंडियो में ५५) रुपये क्विन्टल का भाव हो और उन्होंने ६०) रु० या ६५) रुपयों में लिया हो।

श्री अध्यक्ष : यह कोई एलान करे। यह प्रश्न सीधा ही पूछ लेते।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह प्रश्न तो बाद में उठता है।

श्री अध्यक्ष : बाद में नहीं उठेगा।

It is not necessary. This would entail too much la[illegible]r This is not necessary.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसके बाद ही प्रश्न उठेगा ? इसके लिए जानकारी करना जरूरी है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या यह सही है कि जोधपुर और कोटा में गुड़ तहसील मार्केटिंग सोसाइटी को न देकर प्राइवेट डीलर्स को दिया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह बिल्कुल गलत है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह बिल्कुल सही है। आप अच्छी तरह जानकारी करके जानकारी दीजिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आपके कहने से जानकारी नहीं करता, मैं खुद जानकारी रखता हूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि कोटा के अन्दर....

श्री अध्यक्ष : Order ! Order please !!

(विराम)

(श्री बर्फा)

श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाड़ा) : जोधपुर के लिये जो माननीय सदस्य ने कहा वह सही नहीं है, जोधपुर में लोकल डीलर्स को नहीं दिया गया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मन्त्री महोदय यदि चाहें तो मैं अलग अलग बता दूं कि कितने टन गुड़ प्राइवेट पार्टीज को दिया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : प्राइवेट लोगों को दिया है...

श्री मानिकचन्द सुराणा : फिर कैसे कह रहे हैं कि नहीं दिया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप मेरी बात पूरी तो सुन लीजिये। मैं आपकी पूरी बात सुनता हूं। इतनी जल्दी क्या है? प्राइवेट लोगों को गुड़ दिया है पर उस सूरत में दिया है जब कि कोआॅपरेटिव सोसाइटीज ने लेने से इन्कार कर दिया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यही तो मैं जानना चाहता था, कोआॅपरेटिव सोसाइटीज ने क्यों मना कर दिया ?....

श्री नाथूराम मिर्धा : जहां कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ ने लेने से मना कर दिया वहां पर प्राइवेट पार्टीज़ को दिया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या यह सही है कि जोधपुर में होल सेलर्स लेने को तैयार थे, पर उनको नहीं दिया गया; प्राइवेट पार्टीज को दिया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : क्या मेरे स्टेटमेंट को आप पहले समझ लें। मैंने यह कहा है कि जिस जगह क्रय विक्रय संघ के कोआॅपरेटिव सोसायटीज़ ने माल लेने से इन्कार कर दिया, बिल्टियां नहीं छुड़ाई तो यह अरेंजमेंट मजबूरन करना पड़ा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री नत्थीसिंह !

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) गवर्नमेंट को....

श्री अध्यक्ष : Order please ! श्री नत्थीसिंह !

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, Order please !! Order ! Order !!

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें यह कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ को फाइनेन्सेज़ देने चाहिये थे।

श्री अध्यक्ष : Order! Order please !! यह बहुत अनुचित है। जिन माननीय सदस्यों के प्रश्न पीछे रह जाते हैं वे हमेशा शिकायत करते हैं। अभी बहुत क्वेश्चन्स बाकी हैं। नेक्स्ट।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इसमें बहुत घोटाले हैं।

श्री अध्यक्ष : घोटाले हैं तो घोटाले की तरह उठाइये, प्रश्न को लम्बा करने से कोई हल नहीं निकलता।

श्री नत्थीसिंह !

भरतपुर यूनिट की सहकारी समितियां

६४७. **श्री नत्थीसिंह** (भरतपुर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) भरतपुर यूनिट में अक्टूबर, १९६२ से अब तक कितनी सहकारी समितियों को आॅडिटर द्वारा अपनी रिपोर्ट में 'बी' श्रेणी में [illegible] करने की सिफारिश की गई थी [illegible] सहायक रजिस्ट्रार सरकारी समितियों भरतपुर, ने उन्हें 'सी' श्रेणी में रखा ?

(२) क्या ऐसा करते समय सहायक रजिस्ट्रार द्वारा कोई विशेष कारण

Page No. 15

श्री नत्थीसिंह)

दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? कारणों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या ऑडिटर की सिफारिश के बावजूद समिति को 'बी' से 'सी' श्रेणी करने से पूर्व सहायक रजिस्ट्रार द्वारा समिति को नोटिस देकर उन्हें अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप-मन्त्री, सहकारिता (श्री भीमसिंह) : (१) भरतपुर यूनिट में ऐसी समितियों की संख्या १४ है जिनको ऑडिटर ने 'बी' श्रेणी में सिफारिश करने के पश्चात् सहायक रजिस्ट्रार, भरतपुर ने 'सी' श्रेणी में वर्गीकृत किया।

(२) इन समितियों का वर्गीकरण करते समय विभागीय प्रचलित निर्देशों का पालन कर 'सी' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। चूंकि निरीक्षक (ऑडिट) ने सदस्यों पर कुल मांग का ४० प्रतिशत से अधिक ऋण अवधि पार होते हुए 'बी' श्रेणी में वर्गीकृत करने की सिफारिश की थी जब कि 'सी' श्रेणी के योग्य थीं। विस्तृत कारणों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) प्रचलित विस्तृत निर्देशों के अनुसार वर्गीकरण करने से पूर्व समिति को नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री नत्थीसिंह : ऑडिटर्स ने सिफारिश की थी 'बी' श्रेणी में करने के लिये तो ये एतराजात आपने उठाये वे उन्हें नहीं दिखाये थे क्या ?

श्री भीमसिंह : उनको 'बी' श्रेणी में नहीं करना चाहिये था क्योंकि उनमें ४० परसेंट से ज्यादा ड्यूज थीं, मेम्बर्स डिफॉल्टर्स थे, दूसरी इर्रेगुलेरिटीज थीं, उनकी वजह से 'बी' श्रेणी में नहीं रख कर 'सी' श्रेणी में रखा गया।

श्री नत्थीसिंह : जो कारण ऑडीटर ने 'बी' श्रेणी में रखने के लिये दिये थे उनको डिस्प्यूट किया था तो क्या ऑडीटर्स को पूछा था कि तुमने ये गलत कारण क्यों दिये और क्या सोसाइटीज को इनके बारे में कुछ पूछा गया था ?

श्री भीमसिंह : सोसाइटीज को पूछने की जरूरत नहीं थी। डिफाल्ट्स थे ४० परसेंट से ज्यादा ड्यूज थे इस लिये 'बी' श्रेणी में नहीं रख कर 'सी' श्रेणी में रखा गया।

श्री नत्थीसिंह : मेरा प्रश्न साफ है। जब ऑडीटर ने यह रिपोर्ट की कि इन सोसाइटीज की हालत ऐसी है कि उनको 'बी' श्रेणी में रखा जाय, फिर भी आपका रजिस्ट्रार कहता है कि इनको 'सी' श्रेणी में रखा जाय तो जो कारण ऑडीटर ने 'बी' श्रेणी में रखने के लिये दिये, जिनको रजिस्ट्रार ने डिस्प्यूट किया तो क्या ऑडीटर्स से पूछा गया कि तुमने इस तरह की गलत रिपोर्ट क्यों की ?

श्री भीमसिंह : आडीटर्स की रिपोर्ट में यह दिया हुआ है कि ४० परसेंट से ज्य

Page No. 16

(श्री भीमसिंह)

ड्यूज हैं, ७०-८० परसेंट तक डिफाल्टर्स हैं, बैंकों का ब्याज का पैसा हंड्रेड परसेंट ड्यू पड़ा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

बिजली डिसकनेक्ट करने के मामले में भेद-भाव, बीकानेर

६४८. **श्री मानिकचंद सुराणा** (कोलायत) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) बीकानेर में पिछले छः माह में बिजली के कितने कनेक्शन्स रकम बकाया होने से डिस्कनेक्ट किये गये ?

(ख) क्या यह सही है कि जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन्स उनके खिलाफ रकम बकाया होने के कारण डिस्कनेक्ट किये गये उनके अलावा बहुत से ऐसे उपभोक्ता भी हैं जिनके खिलाफ उक्त उपभोक्ताओं से अधिक रकम बकाया होने के बावजूद भी उनके कनेक्शन नहीं काटे गये हैं ? यदि हां, तो इस प्रकार के भेदभाव का क्या कारण है ?

उप मंत्री, विद्युत (श्री चन्दनमल वैद):

(क) १०१ कनेक्शन।

(ख) जी नहीं। सभी उपभोक्ताओं के साथ समान व्यवहार किया जाता है ऐसे उपभोक्ताओं के अलावा जिनकी बकाय रकम की वसूली विवादास्पद है सभी उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जाते हैं।

श्री मानिकचंद सुराणा : प्रश्न यह है कि जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन्स काटे हैं, जितनी रकम के न चुकाने के कारण डिसकनेक्ट कर दिये गये हैं, तो क्या उनसे ज्यादा रकम वाले डिफॉल्टर्स मौजूद हैं जिनके कनेक्शन नहीं काटे हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : यह दूसरे प्रश्न के उत्तर में बता दिया कि जिनके ड्यूज डिस्प्यूट में नहीं हैं उनके काटे गये हैं।

श्री मानिकचंद सुराणा : ऐसे मामले जो डिस्प्यूट्स में हैं वे कितने होंगे ?

श्री चंदनमल वैद : इसकी सूची तो इस समय मेरे पास मौजूद नहीं है।

श्री रामानंद अग्रवाल (अलवर) : क्या यह सरकार की नीति है कि बकाया रकम के बारे में जब एक बार डिस्प्यूट खड़ा कर दिया जाय तो जब तक वह डिस्प्यूट सेटल नहीं हो जाय तब तक उनके कनेक्शन नहीं काटे जायं।

श्री मानिकचंद सुराणा : इसके साथ ही यह बताया जाय कि क्या एक्ट में इस प्रकार का प्रोविजन है, डिस्प्यूट खड़ा करने के बाद कनेक्शन नहीं काटे जायं चाहे कितनी ही रकम बकाया क्यों न रह जाय ?

श्री चंदनमल वैद : क्या माननीय सदस्य यह चाहेंगे कि रीजनेबल बात को सुना ही नहीं जाय, क्या वे अपने क्षेत्र में इस तरह की नीति करवाना चाहते हैं कि डिस्प्यूट होजाने के बाद भी कनेक्शन्स काट दिये जायं। माननीय सदस्य कोई स्पेसिफिक इन्स्टान्स दें, जांच [illegible] जायगी और यदि कहीं गड़बड़ी हुई [illegible] तो माकूल सजा दी जायगी। पर यह नियम बना लें कि जिसमें भी बकाया हो चाहे उसके सम्बन्ध में डिस्प्यूट भी हो, उनकी रीजनेबल बात को भी नहीं सुना जाय और कनेक्शन अबि-

Page No. 17

चन्दनमल वेद)

ट्रेरीली काट दिया जाय, तो मैं समझता हूं यह उचित नहीं होगा ।

श्री मानिकचंद सुराणा : १०१ कनेक्शन्स काटे गये हैं; बीस-बीस, पच्चीस-पच्चीस रुपयों के लिये काटे गये हैं और जिनमें बड़ी बड़ी रकमें बकाया हैं उनके कनेक्शन्स नहीं काटे गये हैं ?

श्री चन्दनमल वेद : तो क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में जिनके भी ड्यूज हैं उनके कनेक्शन्स काट दिये जांय चाहे उनका डिस्प्यूट ही हो । बिना उनको सुने कनेक्शन्स काट दिये जांय ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : पांच-पांच, दस-दस रुपये जिनमें बकाया हैं उन लोगों के कनेक्शन्स काट देते हैं और जिन लोगों में ५००) रुपये, हजार रुपये बकाया हैं उनके आप कनेक्शन्स नहीं काटते हैं बड़ी बड़ी रकमें जिनमें बकाया है उनके साथ आप रियायत करते हैं, उसी तरह की रियायत इन लोगों के साथ भी करने को तैयार हैं क्या ?

श्री चन्दनमल वेद : इस तरह का चार्ज नहीं लगायें । आप इन्स्टान्स दें, स्पेसिफिक उदाहरण रखें, मैं जानकारी करूंगा और एक्शन लूंगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं स्पेसिफिक इन्स्टान्स देता हूँ । महाराजा जयपुर के खिलाफ कितना अमाउन्ट कितने अर्से से बकाया है ? क्या आपने उनके खिलाफ इस तरह की कार्यवाही की है या करने को तैयार हैं ?

श्री चन्दनमल वेद : क्वेश्चन बीकानेर का है और आप जयपुर का क्वेश्चन पूछ रहे हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सवाल यह है कि बड़े वर्ग के लिये आप इस तरह की रियायत देते हैं, हजारों, लाखों रुपया बकाया है तो भी आप डिस्प्यूटेट का बहाना लेकर आप उनसे वसूल नहीं करना चाहते हैं । कितने ही साल हो गये, आप उनसे कहिये कि पहले पैसे जमा करावें और फिर डिस्प्यूट लड़ते रहें । कितने साल हो गये महाराजा जयपुर को बिजली के रुपये जमा नहीं कराये ?

श्री चन्दनमल वेद : आप प्रश्न पूछिये महाराजा जयपुर के बारे में कि उनमें कितने रुपये बकाया हैं, मैं जानकारी करके जबाब दूंगा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आप सारे राजस्थान में सिद्धान्त को लागू कीजिये ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं जानना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से लिस्ट लें कि जिनके कनेक्शन काटे हैं उनमें कितने रुपये बकाया थे और जिनके डिस्प्यूट होने पर भी कनेक्शन नहीं काटे हैं उनमें कितने रुपये बकाया हैं । यानी जिनके काटे हैं उनमें कितना रुपया बकाया है और जिनके कनेक्शन नहीं काटे उनमें कितनी बकाया है, तो मन्त्रीजी को खुद को सूचना मिलेगी कि कितना डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, छोटे कन्ज्यूमर्स के साथ कोई रियायत नहीं की जाती और बड़े बड़े चाहे पेमेन्ट करें उनका कनेक्शन कंटिन्यू रह जाता है इसलिये

Page No. 18

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

छोटे के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन बरतते हैं वह न बरत कर जो रियायत आप बड़ों को देते हैं वही रियायत छोटे कन्ज्यूमर्स को भी देनी चाहिये, प्रश्न इस बात का है।

श्री चन्दनमल वैद : प्रश्न यह नहीं है............

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यही है, माननीय सदस्य का सुझाव यह है कि आप स्वयं के संतोष के लिये जानकारी करलें कि जिनके काटे हैं उनमें कितनी रकम बकाया थी और जिनके नहीं काटे हैं उनमें कितनी बकाया है।

श्री चन्दनमल वैद : मेरे लिये सारे राजस्थान के बारे में, जैसा कि आपका सुझाव है।

जानकारी करना मुश्किल हो जायगा। आपने बीकानेर के बारे में कहा लेकिन कोई दो चार स्पेसिफिक इन्स्टान्सेज नहीं बताई; अगर स्पेसिफिक इन्सटान्सेज बताते तो मुझे जानकारी करने में आसानी होती।

श्री मानिकचन्द सुराणा : डिस्प्यूटेड केसेज़ कितने हैं, यह मुझे बता दीजिये !

श्री अध्यक्ष : श्री जयलाल।

बिजलीघर निर्माण कार्य राजेन्द्रपुर व गंगधार

९४६. श्री जयलाल (डग) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राजेन्द्रपुर व गंगधार में बिजलीघर बनाने के लिये धन-राशि स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो कब तक यह कार्य पूरा हो जायगा ?

उप-मन्त्री, विद्युत (श्री चन्दनमल वैद) प्रश्न विचाराधीन है।

श्री जयलाल : कब तक विचार हो जायगा ?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, जो सुझाव या निर्देशन आपने दिया था इलेक्ट्रिसिटी डिस्कंटिन्युश्शन के बारे में, मैं नहीं समझ सका कि मन्त्री महोदय ने आपके सुझाव को स्वीकार किया या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न तो आपका था। आप फिर प्रश्न पूछ लीजिए कि कितने डिस्प्यूट्स में कनेक्शन काटे हैं, कितनों में नहीं, आपको पता लग जायगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, दो साल में तो यह जवाब आया है, इसलिए सिर्फ प्रश्न पूछने से ही मतलब हल नहीं होगा। मन्त्री महोदय अपने संतोष के लिये तो पता लगायें।

विद्युत-मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : माननीय सदस्य ने कहा कि मैं खुद और डिप्टी मिनिस्टर चेयरमैन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से बात करें। इस तरह का प्रश्न उठ रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है; छोटों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, बड़ों के नहीं काटे जा रहे हैं इस बारे में हम चेयरमैन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से बात करेंगे।

श्री जयलाल : प्रश्न संख्या ९४६ कब तक विचाराधीन रहेगा ?

Page No. 19

श्री हरिश्चन्द्र : जब तक नहीं हो जायगा ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या इसके लिए धन-राशि स्वीकृत हुई थी ?

श्री हरिश्चन्द्र : जी हां ।

श्री भैरोंसिंह : स्वीकृत हुई उससे पहले कंसीडेशन नहीं किया था क्या ?

श्री हरिश्चन्द्र : पहले भी कंसीडेशन किया था और अब भी कर रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह : धन–राशि वर्क के लिए स्वीकृत हुई थी तो अब कंसीडेशन किस बात का हो रहा है ?

श्री हरिश्चन्द्र : जिन जिन बातों को तय करना होता है उन्हीं का कंसीडेशन हो रहा है ।

श्री भैरोंसिंह : धन–राशि स्वीकृत करने से पहले क्यों नहीं इन बातों पर ध्यान रखा गया ।

श्री हरिश्चन्द्र : रखा गया था, लेकिन सर्कम्सटान्सेज़ चेन्ज हो गये ।

श्री भैरोंसिंह : क्या सर्कम्सटान्सेज़ इस आधार पर चेन्ज हुये कि इससे पोलिटिक्स इन्वोल्व्ड थीं ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह बिल्कुल गलत है ।

श्री भैरोंसिंह : यह बिल्कुल गलत है, तो आपने धन–राशि स्वीकृत की उस समय ध्यान क्यों नहीं दिया ?

श्री हरिश्चन्द्र : सर्कम्सटान्सेज़ चेन्ज हो गये ।

श्री भैरोंसिंह : ये कौन से सर्कम्सटान्सेज़ थे ?

श्री हरिश्चन्द्र : पोलिटिकल नहीं थे ।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : क्या इसलिए बनाने में देरी हो रही है कि डिजल से बिजली मंहगी पड़ती है ?

श्री हरिश्चन्द्र : जी हां ।

श्री भैरोंसिंह : वे सर्कम्सटान्सेज़ कौन से हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : श्री गोविन्दसिंहजी ने सर्कम्सटान्सेज़ पूछे हैं उनको मैंने 'जी हां', कहा है ।

श्री अध्यक्ष : वैद्य श्री गोविन्दसहाय ।

आयुर्वेद कॉलेज, जयपुर

९५० वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि आयुर्वेद कॉलेज, जयपुर में छात्रों की संख्या को देखते हुए कॉलेज भवन में स्थान की कमी है ? यदि हां, तो इसके लिए व्यवस्था कब तक की जायेगी ?

(२) आयुर्वेद कॉलेज में छात्र संख्या कितनी है तथा इसके छात्रावास में कितने छात्रों के रहने की व्यवस्था है ?

(वैद्य श्री गोविन्दसहाय)

(३) क्या सरकार द्वारा संचालित आयुर्वेदिक कॉलेज में शवच्छेदन की व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए प्रतिवर्ष कितने शव दिये जाते हैं और यदि नहीं, तो ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की गई है ?

(४) क्या जयपुर स्थित आयुर्वेदिक कॉलेज के विकास के लिये तथा नये भवन बनाने के लिए कोई धन–राशि स्वीकृत की गई है ?

(५) क्या यह सही है कि भूतपूर्व जयपुर स्टेट के टाइम में आयुर्वेदिक कॉलेज तथा संस्कृत कॉलेज के अध्यापकों का वेतन–स्तर बराबर था ? यदि हां, तो आज दोनों के वेतन-स्तर में असमानता का क्या कारण है ?

(६) क्या यह सही है कि आयुर्वेदिक कॉलेज में अनुसंधान भवन का अभाव है ? यदि हां, तो उसे न बनाने का क्या कारण है ?

उप-मन्त्री, आयुर्वेद (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी नहीं।

(२) जी हां, जयपुर कॉलेज में छात्र संख्या २४१ है, छात्रावास में ४३ छात्रों के रहने की व्यवस्था है।

(३) जी हां, जयपुर कॉलेज में शवच्छेदन गृह बन चुके हैं, किन्तु लाबारिस शव मुश्किल से प्राप्त होने के कारण अग्रिम वर्ष में हरिद्वार आदि स्थानों से मंगाने का निर्णय ले लिया गया है।

(४) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में ही वर्तमान की आवश्यकता के अनुसार आयुर्वेद कॉलेज, जयपुर का नवीन भवन निर्मित हो चुका है, जिसकी लागत दो लाख सत्तरह हजार आठ सौ है।

(५) जी हां, भूतपूर्व जयपुर स्टेट के समय आयुर्वेद कॉलेज तथा संस्कृत कॉलेज के अध्यापकों का वेतन-स्तर बराबर था, सन् १९६१ से वेतन स्तर समानीकरण लागू होने के समय से संस्कृत वालों का वेतन-स्तर बढ़ाया है, परन्तु आयुर्वेद वालों का विचाराधीन रहा।

(६) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठाता।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : मन्त्री महोदय ने यह कहा कि (६) में प्रश्न है वह नहीं उठता वह प्रश्न क्या है जो नहीं उठता ? जरा पढ़कर सुनाने की कृपा करें।

श्री दौलतराम सारण : आपने पूछा है क्या यह सही है कि आयुर्वेद कालेज में अनुसंधान भवन का अभाव हैं ? यदि हां, तो उसे न बनाने का क्या कारण है ? इसके उत्तर में मैंने कहा कि जी नहीं, अभाव नहीं है इसलिये बनाने का सवाल नहीं है।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : नया भवन बनाया है, वह अनुसंधानशाला नहीं है, वह अध्ययन के लिए बनाया है, यह शायद आपने जानकारी नहीं की है। नं० (२) में आपने बताया कि छात्रों की संख्या २४१ है लेकिन छात्रावास ४३ छात्रों के लिए ही है। बाकी विद्यार्थियों के लिए रहने की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है जब कि उनको महंगा मकान लेकर शहर में रहना पड़ता है। और प्रश्न नं० (५) में पूछा था कि संस्कृत

(वैद्य गोविन्दसहाय)

कालेज के अध्यापकों के ग्रेड्स पहले बराबर थे और अब संस्कृत वालों के तो बढ़ा दिये, लेकिन आयुर्वेद वालों के क्यों नही बढ़ाये, इसका कारण क्या है ?

श्री दौलतराम सारण : आपने दो-तीन प्रश्न एक साथ पूछे हैं। एक तो अनुसंधान शाला का भवन पर्याप्त है, इसलिए नया बनाने की आवश्यकता नहीं समझी जाती। (५) में आपने छात्रावास के लिये पूछा मैंने निवेदन किया कि छात्रों की संख्या २४१ है और छात्रावास में ४३ विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था है।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : बाकी के लिए क्यों नहीं है ?

श्री दौलतराम सारण : सामान उपलब्ध है, उन्हीं के हिसाब से व्यवस्था की जा सकती है।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : मेडिकल कॉलेज के छात्रों के लिए ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था की जा सकती हैं तो आयुर्वेद कालेज के छात्रों के लिये क्यों नही की जाती ?

श्री दौलतराम सारण : यह तुलना का प्रश्न नही है, तथ्य का प्रश्न है। पांचवे प्रश्न में आपने पूछा कि संस्कृत वालों का वेतन बढ़ गया और आयुर्वेद वालों का नहीं बढ़ा, इसका क्या कारण है; इसके उत्तर में मैंने निवेदन किया कि सन् १९६१ में वेतन स्तर समानीकरण लागू होने के समय संस्कृत वालों का विचाराधीन रहा।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : क्या सरकार आयुर्वेद वालों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहती ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : वेतन में इतनी असमानता है, आप जवाब क्यों नहीं देने देते ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

अलवर की फर्मों को रसकट गुड़ लाने के परमिट

६५१. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या नागरिक रसद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि अलवर की दो फर्मों श्रीराम शिवकुमार और प्रभुदयाल ओमप्रकाश को २५० टन रसकट गुड़ उत्तर प्रदेश से लाने के परमिट दिये गये हैं ?

(२) क्या यह सही है कि अलवर में क्रय-विक्रय सहकारी संस्था तथा केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार मोजूद हैं तथा गुड के व्यापारियों का सिंडीकेट भी मोजूद है

(३) यदि हां, तो समस्त गुड़ लाने का कार्य इस समय कोनसी संस्था को सौंपा हुआ है ? उसी को यह रसकट गुड़ लाने का कार्य भी क्यों नहीं दिया गया ?

(४) क्या यह भी सही है कि उक्त फर्में जिन्हें परमिट दिया गया है गुड़ का काम नहीं करती हैं ?

खाद्य मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां, यह सही है।

(२) अलवर में सहकारी आढ़त की दूकान तथा सहकारी उपभोक्ता भंडार मौजूद

(श्री नाथूराम मिर्धा)

है । गुड़ के व्यापारियों की सिन्डीकेट है अथवा नहीं, इसकी सूचना जिलाधीश अलवर के कार्यालय में नहीं है ।

(३) गुड़ के आयात का कार्य समस्त राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ के मार्फत किया जाता है (जिन लोगों के पास खांडसारी एवं गुड़ के कार्य करने के लिए लाइसेन्स दिये हुए हैं वे भी इस कार्य को करते हैं) इसलिये कि रसकट का निर्यात भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार गुड़ के साथ न कर अलहदा रसकट के नाम पर करती है ।

(४) जी नहीं, यह सही नहीं है । अलवर के जिलाधीश ने सूचना दी है कि जिन दो फर्मों को रसकट गुड़ के परमिट दिये गये थे उनके पास गुड़ व खांडसारी के लाइसेन्स हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या रसकट गुड़ लाने के लिए क्रय विक्रय संघ या सहकारी दूकान या उपभोक्ता भंडार को परमिशन दी थी कि वे ले आवें ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं सारी बात बता चुका हूँ, रसकट गुड़ के बारे में भारत सरकार ने १० राज्यों को चिट्ठी भेजी कि ३ हजार टन रसकट गुड़ उपलब्ध है । वह चिट्ठी जयपुर में आई थी उस रोज मैं और सचिव दौरे पर थे । असिस्टेन्ट सेक्रेटरी ने यह समझा कि ३ हजार टन गुड़ सारा का सारा राजस्थान के लिये है और यह कहीं लेप्स न हो जाय और क्रय विक्रय संघ ला नहीं रहा था इस लिये उन्होंने गलती से दूसरी फर्म्स को परमिट दे दिये । बाद में गलती मालूम होने पर कुछ कैंसिल किये गये और इन दो आदमियों को २५० टन का परमिट कैंसिल होने से रह गया था लेकिन इनको ६० टन ही मिला है ।

तो उसमें भी यह गलती की वजह से लोगों को प्राइवेट परमिट दे दिये । वैसे प्राइवेट परमिट देने की बात नहीं थी । रसकट का कोटा आता है तो शुगर फेक्ट्री स्वयं लेती है या क्रय विक्रय संघ की मार्फत देते हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप और कमिश्नर टूर पर बाहर गये थे; तो क्या सरकार के ऐसे निर्देश दिए हुए थे, आदेश दिये हुए कि किसी प्राइवेट फर्म को इस तरीके से कोटा दिया जा सकता है । अगर नहीं, तो बगैर ऐसे आदेश के डिप्टी सेक्रेट्री ने परमिट क्यों दिये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जैसा मैंने कहा, चूंकि तीन हजार टन गुड़ का कोटा लेप्स न हो जाय, इसलिए अपनी तरफ से सतर्कता बरत कर पांच-सात पार्टियों को पांच-सात सौ टन का कोटा दिया गया । जैसा मैंने बताया कि गलती से हो गया, वे चिट्ठी का मतलब ठीक से नहीं समझे और बाद में उसको कैंसिल कर दिया । उन के पार्ट में बोनाफाइड मिस्टेक थी और एक विश्वास से उन्होंने काम किया ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि इस प्रकार के परमिट अलवर के व्यापारियों को दिये, अलवर के दो के बजाय चार व्यापारियों को परमिट दिये गये जब कि यह राजस्थान भर के लिए था ? अलवर के ही व्यापारियों को एक हजार टन का परमिट क्यों दिया और उन्हीं को सिलेक्ट करने के क्या आधार थे ?

Page No. 23

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने दो का नहीं कहा। पांच सात पार्टियों को परमिट दिए थे जिनमें दूसरे जिले के भी थे। उनके सामने जो भी अर्जियां थीं उन सब को परमिट दे दिये। वे दे सकते थे या नहीं, इसके लिए मैंने कहा कि उन्होंने गलती की है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्राइवेट फर्म को देने से पहले क्रय विक्रय संघ से पूछा कि वह लेने को तैयार है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पूछने की स्टेज नहीं आयी, उन्होंने तुरन्त काम कर दिया। चिट्ठी मिली तो उन्होंने सोचा कि गुड़ लेप्स न हो जाय और परमिट दे दिया........

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इसमें इन्क्वायरी का प्रश्न है, डिप्टी सेक्रेट्री जिसको देने का अधिकार नहीं था....

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय कह चुके हैं कि जो मिस्टेक है, वह सीरियस मामला नहीं है क्योंकि दिये हुए परमिट कैंसिल कर दिये हैं। There can be bonafide mistake in the administration also,

योजना मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर): शूगर फेक्ट्री को एक हजार टन का कोटा दिया था, वह भी अधिकार में नहीं था, तो यह बोनाफाइड मिस्टेक हो सकती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बावजूद कहने के माल यहां ले आया गया........

श्री मथुरादास माथुर : क्या गजब हो गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : माल आ गया और कोआॅपरेटिव को दे दिया गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उस बीच में खा गये हजारों रुपया। जिस रेट में खरीदा गया उसमें काफी मार्जिन ले लिया गया।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : क्या यह सही है........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इस पर ज्यादा बहस करनी नहीं है। जो इन्फोर्मेशन मांगी गई है, उसका जवाब दे दिया। आप पहले तो चुपचाप बैठे रहे, अब प्रश्न पूछना चाहते हैं।

श्री हरिराम चौहान : क्या इस मामले में जांच हो रही है.......

श्री अध्यक्ष : श्री उदयलाल बरदिया !

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : इस मामले में बहुत ब्लेक हुआ है, इसकी ओर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री नत्थीसिंह : इसकी पूरी तरह से जांच कराई जाय, इसकी जांच होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : Order please ! माननीय सदस्य, जांच क्या [illegible] चाहिए ? जांच का नतीजा आ चुका है, जांच हो गई है।

श्री उदयलाल बरदिया।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : × × × ×

श्री अध्यक्ष : I expunge your remarks. They are most objectionable, I respectfully resubmit.

इस तरह का सवाल क्रय विक्रय संघ का सवाल है नहीं।

× × × × अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

श्री मुटबिहारीलाल गोयल : इस सबके बावजूद परमिट दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : क्रय विक्रय संघ का सवाल नहीं है तो फिर इस पर क्यों बोल रहे हैं ?

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये। × × ×

श्री अध्यक्ष : जो माननीय सदस्य ने कहा है वह प्रोसीडिंग्ज़ से हटाया जाय। बगैर परमिशन के उन्होंने कहा है।

श्री उदयलाल बर्दिया।

वनों में उत्पन्न वस्तुओं से होने वाली आमदनी में पंचायत समितियों का हिस्सा

६५२. श्री उदयलाल वर्दिया (लसाड़िया) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि चरणोट की जमीन में वन उत्पादन जैसे आंवल छाल, गोंद, शहद, सफेद मूसली, पत्ते, तेन्दू आदि वस्तुओं से जो आमद वन विभाग को होती है उसका १।६ हिस्सा पंचायत समितियों को देने का आदेश राज्य सरकार ने वन विभाग को दे दिया है ?

(२) क्या इस आदेश की पालना वन विभाग ने की है ? यदि हां, तो उदयपुर जिले में किन किन पंचायत समितियों को कितनी राशि दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) अब वह आमद कब तक पंचायत समिति को दी जावेगी ?

(४) पंचायत समितियों, जिला उदयपुर की इस प्रकार आमद का कितना रुपया वन विभाग के पास जमा है ?

उप-मंत्री, वन (श्री भवानीशंकर नंदवाना) : (१) जी नहीं। स्वायत्त शासन विभाग आदेश सं० ११ (४५) एल. एम. जी। बी। ५८ दि० २२-११-५८ के द्वारा चरणोट की जमीन पर होने वाली वन पैदावार की आमदनी में से ६$\frac{1}{4}$ प्रतिशत काट कर शेष रकम सम्बन्धित पंचायत को देने के हैं।

(२) जहां तक पैदावार का हिस्सा सम्बन्धित पंचायतों को देने का प्रश्न है सम्बन्धित पंचायतों के सहयोग के बिना हिस्सा राशि वितरण होना सम्भव नहीं है, जब तक पंचायतें वन पैदावार के भूमि का क्षेत्रफल न बतायें तब तक हिस्सा राशि तय करना बहुत कठिन है। इस सम्बन्ध में जिलाधीश महोदय, उदयपुर ने समस्त विकास अधिकारियों को उक्त सूचना अविलम्ब भेजने हेतु दि० ३१-१२-६२ को लिखा है।

(३) प्रश्न (२) में बतलाई गई कठिनाई का निवारण होने पर आमद पंचायतों में वितरण की जावेगी।

(४) प्रश्न संख्या (२) के निर्णय होने पर ही असेसमेंट किया जा सकेगा।

श्री उदयलाल बर्दिया : इसमें डिले क्यों हुई ? प्रति वर्ष ठेका होता है, पंचायत समिति को उससे लाभ होता है और कर्मचारियों की तनख्वाह वगैरह मिल सकती है। तो कुल वन विभाग में रखने का क्या कारण है ?

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मैंने बताया कि समस्त विकास अधिकारियों को कलेक्टर ने लिखा है कि वन पैदावार के भूमि का क्षेत्रफल बतायें जब तक वह मालूम न हो तब तक कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जायगा। यह प्रश्न जंगलात विभाग के सामने है। कलेक्टर ने सब विकास अधिकारियों को लिख दिया है।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : विकास अधिकारियों को कब लिखा गया ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : ३१-१२-६२ को।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : इससे पहले क्या सरकार सोती रही। यह मसला बहुत पुराना है, इसके पहले सरकार क्यों सोती रही। आपने अब आंकड़े मांगे हैं पंचायत समितियों से। यह रकम जल्दी से जल्दी पंचायत समितियों को क्यों नहीं भेजी जाती, इससे पंचायत समितियों को नुकसान हो रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि जल्दी निर्णय लेकर रकम भेजी जाय।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : बहुत सारी पंचायतें, जो वन विभाग ने ठेके दिये हैं, उनको कार्यान्वित नहीं करने दे रही हैं। उसके बारे में क्या कोशिश की है सरकार ने वन विभाग ठेका दे देता है और पंचायत समिति उनको कार्यान्वित नहीं करने दे रही हैं—इसके बारे में क्या स्टेप उठाये हैं।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह अलग प्रश्न है, जानकारी करके बता सकता हूं। गिरवा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, इसके सम्बन्ध में हम खुद जल्दी कर रहे हैं और जल्दी देने की व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री उदयलाल वर्दिया : यह रकम कब तक दिला सकेंगे ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जैसा कि मैंने कहा, वन पैदावर की भूमि का क्षेत्रफल क्या है—इस सम्बन्ध में जानकारी करनी पड़ेगी। ज्यों ही यह प्राप्त हो-जायगी, रकम वितरित कर दी जायगी।

श्री उदयलाल वर्दिया : चरणोट जमीन है उसके आंकड़े फारेस्ट विभाग के पास दो साल पहले दे दिये, क्या यह सही है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जी नहीं। नहीं दिये।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : (बनेड़ा) कानूनी अड़चन यह है कि हरा दरख्त जंगल से काट कर कोई व्यक्तिगत आदमी ले जाय तो उसके खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार रेवेन्यू विभाग को है, उसमें पंचायतों का इन्टरफियरेन्स नहीं हो सकता। ऐसे हरे दरख्त कटते हैं उनको रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सुपुर्द कर दिया जाता है और जो हजारों रुपये की आमद होती है वह पंचायत समितियों की होते हुए भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट उस पैसे को ले लेता है। इस प्रकार से पंचायतों का अधिकार होते हुए भी आज दिन तक इतने वर्ष हो गये, पंचायत समितियों को पैसा रिफन्ड नहीं किया गया है ?

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पत्तिलाल बोहरा।

उदयपुर कपासन सड़क

६५३. श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या उदयपुर से कपासन वाया मावली—फतहनगर सड़क के ऊपर डामर करने के आदेश दिये जा चुके हैं ?

(२) यदि हां, तो अभी तक कार्य पूरा क्यों नहीं किया है ?

(३) सरकार इस कार्य को कब तक पूर्ण करने का इरादा रखती है ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नंदवाना) : (१) यह कार्य योजना में स्वीकृत है।

(२) अर्थाभाव के कारण।

(३) आशा है, चतुर्थ योजना—काल में।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : क्या यह सही है कि इस रूट पर जो काम शुरू किया गया था वह भी बन्द कर दिया गया है।

श्री भवानीशंकर नंदवाना : थोड़ी तीसरी पंचवर्षीय योजना में है और थोड़ी चौथी पंचवर्षीय योजना में है। इस काम के लिये ज्यों ही धन राशि प्राप्त होगी तो काम शुरू किया जायगा।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवां) : यह सड़क बन चुकी है और थोड़ी जगह वापिस टूट चुकी है। इस तरह डामर का पैसा वेस्ट गया है।

श्री भवानीशंकर नंदवाना : ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पतिलाल बोहरा।

श्री जोधसिंह चौहान : मैंने खुद ने सड़क देखी है। डामर का पैसा वेस्ट गया है, सड़क वापिस टूट गई है।

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पतिलाल।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : यह रूट नेशनलाइज रूट में था और जो कि आपने इस रूट को नेशनलाइज करने का विचार बदल दिया है तो क्या इस सड़क को बनाने का विचार बदल दिया है ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : मैंने आपको कहा कि चौथी पंचवर्षीय योजना में पूरा हो जायगा।

श्री संपत्तिलाल बोहरा : दो साल पहले घोषणा कर दी कि रूट नेशनलाइज कर रहे हैं, नेशनलाइज कर रहे हैं इसलिये पक्की डामर रोड होनी चाहिये। उसके आदेश दे दिये, और पक्की डामर रोड बना रहे थे। जब निश्चय ले लिया कि रूट नेशनलाइज नहीं करना है तो काम बन्द कर दिया।

श्री जोधसिंह चौहान : रकम सेंक्शन हो चुकी है वह रकम नहीं लगा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री जोधसिंह।

Page No. 27

सदस्या, पंचायत समिति, गिरवा

६५४. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि गिरवा विकास पंचायत समिति में एक सदस्या ऐसी है जो बुराबड गवर्नमेंट कन्या शाला में पत्रवाहक (चपरासी) का कार्य करके वेतन ले रही है ?

उप-मन्त्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : जी हां।

श्री जोधसिंह चौहान : क्या उसको निलम्बित करेंगे ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : नियमानुसार कार्यवाही करेंगे।

श्री जोधसिंह चौहान : अब तक चपरासी बनीं रही–इसका ज्ञान नहीं था ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : ज्ञान नहीं था, जैसे ही यह बात ध्यान में लाई गई हम उसके ऊपर नियमानुसार कार्यवाही करेंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल (टोंक) : सरकार को इस सम्बन्ध में जानकारी कब हुई ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा तब।

श्री कृष्णकुमार गोयल : उसके बाद क्या कार्यवाही की ?

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनारायण छाछिया।

प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों का तबादला

६५५. श्री शिवनारायण छाछिया (सूरतगढ़) : क्या पंचायत एवं विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि बुहाना विकास खंड के अन्तर्गत आने वाली प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का तबादला कर दिया जाता है जिससे छात्रों को असुविधा होती है ?

(२) क्या इस किस्म के तबादलों को रोकने का प्रबन्ध करने का सरकार विचार रखती है ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त खंड में कई एक अध्यापक निलम्बित कर दिये गये हैं ?

(४) यदि हां, तो निलम्बन के क्या क्या कारण हैं ?

उप-मन्त्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नंदवाना) : (१) जी नहीं।

(२) तबादले नियमानुसार किये जाते हैं।

(३) जी नहीं।

(४) केवल एक अध्यापक को अनुशासन भंग करने के आरोप में निलम्बित किया था।

श्री शिवनारायण छाछिया : सस्पेंड करने के क्या कारण थे ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : अनुशासन भंग करने के कारण निलम्बित कर दिया गया।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा बिजली के सामान की खरीद

६५६. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : Will the Minister for Power be pleased to state :—

1. Is it a fact that purchase order No. CE/CP/Tower/330 dated 6.4.59 for Rs. 28 lacs was placed with M/s Crompton Engineering Company, Madras ?

2. Is it also a fact that under clause 6 (11) of the order cost of nuts, bolts, washers etc, if supplied by the State Electricity Board to the said Company, was to be deducted from the said amount ?

3. Is it a fact that the Board purchased materials worth Rs 2,48,425/-from M/s Guest Keon Williams and others and supplied to the said company ?

4. Is it a fact that the amount of Rs 2,48,425/-was not dedcuted; while making payment to the company. If so, why ? Who is responsible for this overpayment and what action has been taken against him ?

उप-मंत्री विद्युत (श्री चंदनमल वैद) : (१) से (३) जी हां।

(४) कम्पनी के फाइनल बिल में कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार क्रेडिट दे दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस ओवर पेमेन्ट के संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चंदनमल वैद : मैंने कहा न कि ओवर पेमेंट का प्रश्न नहीं उठता। जो पैसे आपने बताए उनका क्रेडिट ले लिया। अभी भी ५० हजार रुपए और भी इस कंपनी को देने हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जो २,४८,४२५ का पेमेंट ज्यादा किया गया....

श्री चंदनमल वैद : नहीं किया गया।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : प्रश्न यह है कि क्या यह सही है कि....

श्री अध्यक्ष : अब तो प्रश्न रहा नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर): यह प्रश्न ही एक्सपंज कर दिया जाय तो अच्छा है, इस तरह के जवाब आते हैं।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि जो एग्रीमेंट हुआ था कि अगर नट, बोल्ट्स, वाशर्स आदि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा सप्लाई किए जाएंगे तो उनकी रकम का भुगतान करने से पहले वह राशि काट ली जायगी ?

श्री चंदनमल वैद : वह काट ली गई है।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : अब काट ली गई है या पहले ?

श्री चंदनमल वैद : पेमेंट करने से पहले।

श्री अध्यक्ष : Don't flog a dead horse.

सहायता के रूप में प्रदत्त धन-राशि पंचायत समिति नीम का थाना

६५७. श्री रामकिशन (वैर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) नीम का थाना पंचायत समिति द्वारा गत २ वर्षों में कितने रुपये की रकम किस किस कार्य के लिए सहायता के रूप में दी गई और उसके कितने काम पूरे हुए ?

(२) क्या इस रकम के खर्चे का पूरा हिसाब पंचायत समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है ? अगर नहीं, तो इसमें किस की गफलत है ?

उप-मंत्री, पंचायत, (श्री भवानीशंकर नंदवाना : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) पूरे कार्यों के हिसाब प्रस्तुत नहीं हुए हैं। यह उन्हीं की गफलत है जिन्होंने हिसाब पेश नहीं किया है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री रामकिशन : सुनाई नहीं दिया।

श्री भवानीशंकर नंदवाना : जिन्होंने हिसाब पेश नहीं किया है उनकी गफलत है।

श्री रामकिशन : इसके खिलाफ क्या कार्यवाही सरकार कर रही है ? दो साल से तो हुआ नहीं।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : रकम वसूल की जा रही है।

श्री रामकिशन : अब वसूल की जा रही है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : केस रेवेन्यू अधिकारियों के पास भेज दिए गए हैं।

श्री अध्यक्ष : सारे केसेज रेवेन्यू अधिकारियों को भेज दिए गए ?

श्री रामकिशन : सुनाई नहीं पड़ा।

श्री अध्यक्ष : जितनी जरूरत होती है उतना तेज बोलते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर): कुछ समझ में नहीं आता।

श्री अध्यक्ष । Next question please

अजमेर स्थित सहायक बिजली इन्सपेक्टर के कार्यालय के कर्मचारियों के वेतन का गबन

६५८. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि अजमेर व कोटा डिवीजन के अजमेर स्थित सहायक बिजली इन्सपेक्टर के कार्यालय में सन् १९६१ में कार्यालय के कर्मचारियों के वेतन लगभग १९००) रु० का गबन होना पाया गया है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

(श्री श्रवणलाल)

(२) इस कार्यालय के कर्मचारियों का सन् १६६१ के किस किस माह का कितना कितना वेतन देना है और उसके भुगतान की क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-मन्त्री विद्युत् (श्री चंदनमल वैद) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या १६६१ के अन्दर इस विभाग के कर्मचारियों को समय पर वेतन मिला है ?

श्री चंदनमल वैद : यह प्रश्न १६६१ का है। मैं १६६१ का जवाब दे रहा हूं। मैंने कहा कि किसी की भी तनख्वाह बाकी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : इस समय नहीं है। १६६१ में जो रेग्यूलरली लोगों को वेजेज मिलने चाहिये थे क्या यह सही है कि रकम किसी एक व्यक्ति के पास रह गई थी और उनको वेतन समय पर नहीं दिया गया?

श्री चन्दनमल वैद : यह कहना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि बिल्कुल समय पर दिया गया। एक दो दिन लेट दिया गया हो लेकिन किसी का पैसा नहीं रह गया है।

श्री भैरोंसिंह : मैं सही कहता हूं, रकम का गबन हुआ, रकम रखली गई। अब मन्त्रीजी कहते हैं कि सही नहीं है। आपको जानकारी किसी बात की है नहीं ..।

श्री चंदनमल वैद : मुझे बहुत खेद है कि वे कह रहे हैं कि मुझे जानकारी नहीं है, मैं जानकारी करके जवाब दे रहा हूँ। एक सीनियर सदस्य होकर यह कहें कि मुझे जानकारी नहीं है, यह बिल्कुल गलत है।

श्री भैरोंसिंह : I can prove कि आपको कोई जानकारी नहीं है। जो आपको लिखकर देते हैं आप खड़े होकर बता देते हैं। I can prove it and there was embazzlement and it was reported to the higher authorities,

श्री चंदनमल वैद : मैं अब भी यह कहना चाहता हूँ कि जो आप कह रहे हैं वह ठीक नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : रकम का कई दिनों तक भुगतान नहीं किया गया, इन्क्वायरी हुई उसके बाद केस को दबाया गया....

श्री चंदनमल वैद : अब भी भुगतान का प्रश्न नहीं उठता। रीकन्सीलियेशन नहीं हुआ १६००) रुपए का। असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इन्सपेक्टर का कहना है कि हमने ऐसा कोई बिल नहीं भेजा। ट्रेजरी ऑफिसर का कहना है कि ऐसे बिल का भुगतान हुआ। सारा केस कलेक्टर के पास गया, कलेक्टर ने जांच करके पुलिस को दिया, पुलिस जांच कर रही है। यह कहना कि असिस्टेंन्ट इलेक्ट्रिकल इन्स्पेक्टर के यहां कोई गबन हुआ यह गलत है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर): गबन का और कोई मधुर नाम दीजिए।

श्री भैरोंसिंह : मुझे खेद है कि आप ऐसी जानकारी देते हैं....

श्री चन्दनमल वैद : आप समझने की कोशिश कीजिए ।

श्री अध्यक्ष : ७८५, श्री तेजाराम गलहोत ।

श्री मानिकचंद सुराणा (कोलायत) : मेरा प्रश्न स्वर्णकारों का है, वह बहुत इम्पोर्टेन्ट है ।

(कोई जवाब नहीं दिया गया।)

स्थगित प्रश्न

(१ .४. ६४)

एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स के मुकदमे

७८५. तेजाराम गहलोत (सोजत) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) पाली जिले में १६५५ से १६६३ तक एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स के कुल कितने मुकदमे फैसल किये गये ? सालवार बताया जावे ।

(२) उक्त फैसल मुकदमों में सालवार कितना रुपया टैक्स असेस किया गया ?

(३) प्रश्न के भाग (१) में दर्ज फैसल-शुदा मुकदमों में कितने मुकदमों में लिमिटेशन के आधार पर अपील्स सू (Sue) की गई व उक्त अपीलों में कितने रुपए के टैक्स का प्रश्न था व उनमें से कितनी अपीलें लिमिटेशन के बाद में असेसमेंट करने की वजह से स्वीकृत की गई जिससे कितने रुपयों के टैक्स खारिज हुए ?

(४) राजस्थान उच्च न्यायालय में कितनी रिट्स लिमिटेशन के बाद में असेसमेंट करने के आधार पर की गई हैं व कितनी राशि के विरुद्ध ?

उप मंत्री, वित्त (श्री परसराम मदेरणा) : (१) पाली जिले में १६५५ से १६६३ तक एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स के निम्नांकित मुकदमे फैसल किये गये :

१६५५–५६	५३ मुकदमें ।
१६५६–५७	३३ मुकदमें
१६५७–५८	४ मुकदमें ।
१६५८–५९	१ मुकदमा
१६५९–६०	६०५ मुकदमें ।
१६६०–६१	३३१३ मुकदमें ।
१६६१–६२	२८२ मुकदमें ।
१६६२–६३	१३५३ मुकदमें ।
१६६३–६४	६६ मुकदमें ।

(जनवरी तक)

(२) उक्त फैसल किये हुए मुकदमों में टैक्स निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया :

	रु	न० पै०
१६५५–५६	४५, १५२)	६६
१६५६–५७	४८, २६२)	२७
१६५७–५८	१०, ३३०)	०६

(श्री परसराम मदेरणा)

१९५८-५९	२०, ६३५)	१२
१९५९-६०	६, ४३०)	६४
१९६०-६१	३६, ५७२)	४५
१९६१-६२	२,७६, २१४)	०६
१९६२-६३	५, ४३, ६२८)	५६
१९६३-६४	२२, ६४८)	४६

(३) ९ मुकदमों में अपील की गई और उनमें ३८,३८० रुपये ६३ न० पै० का प्रश्न था। इनमें से ३ अपीलें स्वीकृत हुई जिससे १७,६५५) रु० २९ न० पै० का टैक्स खारिज हुआ।

(४) ६ रिट्स की गई हैं और ये रुपये १,०८,४४८) ४८ न० पै० की राशि के विरुद्ध हैं।

श्री तेज राम गहलोत : प्रश्न के भाग (३) और (४) में बताया गया कि निर्धारित समय के अन्दर अधिकारियों द्वारा असेसमेंट न किए जाने से ३८३८०) ६३ न० पैसे की असेसमेंट के विरुद्ध अपील की जा चुकी है और १,०८,४४८) ४८ असेसमेंट की राशि के विरुद्ध उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं की गई हैं। क्या मन्त्री महोदय आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि जिन अधिकारियों की नेग्लीजेंस की वजह से लाखों रुपए का टैक्स समय के अंदर असेस नहीं किया गया और जिसकी वजह से सरकार को नुकसान हो रहा है. क्या सरकार उन अधिकारियों से पैसा वसूल करने की कोशिश करेगी?

श्री परसराम मदेरणा : मुझे मालूम नहीं कि इसमें टाइम लिमिट इश्यू इन्वोल्व्ड है या असेसमेंट टाइम पर नहीं हुआ है। उनकी अपील्स के ग्राउन्ड्स को देखने से पता लगेगा कि कौन से ग्राउन्ड पर अपील प्रिफर की है। इसलिए यह कहना कि टाइम पर रियलाइजेशन नहीं हुआ इसलिए केसेज खारिज हुए, खारिज किस पॉइन्ट पर हुए हैं, डिसीजन्स मेरे पास नहीं हैं। जब तक रिलेवेंट ऑब्जर्वेशन्स कोर्ट के नहीं देखूं तब तक कह नहीं सकता।

श्री तेजाराम गहलोत : मेरे प्रश्न नं० (३) और (४) में साफ है कि लिमिटेशन वाले केसेज की ही सूचना मांगी गई है। इसलिए मन्त्री महोदय का यह कहना कि इसमें कौनसो पोइंट इन्वोल्व्ड है उसको मैं देखूं, ठीक नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : लिमिटेशन के पोइंट पर खारिज हुए हैं। लिमिट के स्पेसीफाइड पीरियड के अंदर असेसमेंट के करने में कोई अधिकारी अपनी डयूटीज में कहीं पर पीछे रहा है तो ऐसे डिलिक्वेन्ट ऑफिसर के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी।

श्री अध्यक्ष : श्री जेठमल बरबड़।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : प्रश्न (३) के उत्तर में उन्होंने साफ कहा कि १७ हजार का बिल मंजूर हुआ है। फिर 'अगर' का कहां प्रश्न है? गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया है?

श्री अध्यक्ष : अब एक्शन ले लें तब भी ठीक है।

स्थगित प्रश्न

१-४-६४

Page No. 33

ग्राम पंचायत, चान्डी

७८६. श्री जेठमल बरवड़ (परबतसर) : क्या पंचायत एवं विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि दिनांक ३०-१२-५८ को ग्राम पंचायत चाण्डी पंचायत समिति मकराना का चुनाव हुआ था ?

(२) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत चाण्डी के १० वार्ड पंचों ने मिल कर बिना शपथ ग्रहण किये ही अलग उप-सरपंच श्री मदनसिंह को बनाकर अपनी मर्जी से अलग पंचायत चलाई थी ?

(३) क्या यह सही है कि श्री मदनसिंह ने पंचायत क्षेत्र के लोगों पर जुर्माना किया और जानवरों का फाटक बना कर फाटक में डाले गये मवेशियों को निलाम करके पैसे वसूल किये ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) क्या यह सही है कि इन दोनों पंचायतों का ऑडिट हुआ था ? यदि हां, तो आडिट ने एतराज किया उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उप-मंत्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) जी हां। ऑडिट रिपोर्ट से हिसाबात में गबन पाया गया अतएव मामला पुलिस को सौंपा गया और थाना परबतसर में इसके सम्बन्धित तफतीश जारी है।

श्री जेठमल बरवड़ : क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो रुपया उन्होंने ऐसे तरीके से गलत पंचायत बना कर वसूल किया उसकी वसूली की क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : वह पंचायत में जमा करा दिया है।

श्री जेठमल बरवड़ : यह अफसोस की बात है कि बिना शपथ लिये ही बोर्ड पंच अलग पंचायत बना कर रुपया वसूल कर ले और शिकायत हो, तो जैसा कहा गया कि जमा करा दिया है, तो इस तरह से तो हर एक कोई पंचायत बना लेगा और पैसा वसूल कर लेगा और आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, बड़े अफसोस की बात है !

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह पंचायत उसी समय भंग की गयी थी।

श्री जेठमल बरवड़ : उसने गलत पंचायत चलायी उसके लिए क्या सजा दी ?

श्री अध्यक्ष : वह तो पैरेलल गवर्नमेंट हो गयी।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : रकम जमा करा दो।

श्री अध्यक्ष : इससे काफी नहीं है। आप स्वयं स्वीकार करते हैं, टैक्स वसूल कर लिया और जमा करा दिया जो पैसा था। This is very serious. यह तो क्रिमिनल

(श्री अध्यक्ष)

केस बनता है इसकी आप जांच कराइये और क्रिमिनल केस बनता है, बनाइये। यों तो कोई पंचायत बनाकर बैठ जायगा।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : अध्यक्ष महोदय, कई महीनों तक पंचायत चलायी है इस तरह से। कोई एक्शन नहीं लिया।

श्री जेठमल बरवड़ : लोगों से हजारों रुपया वसूल किया और सरकार जबाब देती है कि रुपया वापिस जमा करा दिया। यों हर एक कोई वसूल कर लेगा और जमा करा देगा।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : १६) रु एक वसूल किया है, २५८) रु० एक वसूल किया है।

श्री अध्यक्ष : वही तो उनका कहना है। आप इसकी जांच करवा लें। कोई घर में भी रख सकता है। पंचायत भंग करने का सवाल कहां हुआ? वह चीज थी ही नहीं।

श्री जेठमल बरवड़ : अध्यक्ष महोदय, जहां दो-चार रुपया भूल से गड़बड़ हो जाय, उसके लिए बड़ा सख्त एक्शन सरकार लेती है और जहां हजारों रुपया इस प्रकार वसूल कर लिया तो कोई कार्यवाही ही नहीं।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : पुलिस में केस दे देंगे

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम।

स्थगित प्रश्न

(२. ४. ६४)

कलेक्शन चार्ज की वसूली, जिला चुरू

८३७. श्री रावतराम (शार्दूलपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों एवं विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत दिये गये ऋणों की वसूली पी. डी. आर. एक्ट के तहत किये जाने पर दस प्रतिशत कलेक्शन चार्ज भी वसूल किया जा रहा है? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत? तत्सम्बन्धी नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(२) अप्रेल १९६० से ३१ मार्च, १९६३ तक चूरू जिले में किन किन आसामियान से पी. डी. आर. एक्ट के तहत उक्त किस्म के ऋणों की वसूलियां की गई और उनसे कितना कितना कलेक्शन चार्ज वसूल किया गया? पूरे विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखे।

उप-मन्त्री, वित्त (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी हां। कलेक्शन चार्जेज़ ५ प्रतिशत से लेकर १० प्रतिशत तक वित्त विभाग के आदेश संख्या नं० डी० ७३६६। एफ (ऐ. ऐ) ५६ दिनांक ३.८.५६ के अनुसार वसूल किये जाते है। प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(दिनांक २ अप्रेल १९६४ के कार्य-विवरण में निर्दिष्ट प्रश्न संख्या ८३७ के सम्बन्ध में सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

Page No. 35

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : पी. डी. आर. के अन्तर्गत वसूली करना आपके नियमों में तो नहीं आता ?

श्री परसराम मदेरणा : नियमों में आता है । क्लेरिफिकेशन के तौर पर इन्स्ट्रक्शन्स दिये थे । रूल्स में है, कलेक्टर और उसके द्वारा ऑथोराइज्ड अधिकारी, एस. डी. ओ भी हैं, पी. डी. आर. के नीचे सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं, उनके लिए क्लेरिफिकेशन के तौर पर और उनका ध्यान रूल्स की ओर आकर्षित करने के लिए फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने एक सर्क्युलर निकाला था ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उन्होंने इस बात को तो नहीं बताया ..

श्री परसराम मदेरणा: The man who has put the question has got a prior right to ask than you, because he has already asked a supplementary.

श्री रामानन्द अग्रवाल : Let him say.

श्री परसराम मदेरणा : दफा २४ पी. डी. आर....

श्री अध्यक्ष : आप बगैर पूछे ही जवाब दे रहे हैं । आपको ज्यादा सूट करता है जवाब देना ।

श्री परसराम मदेरणा : मैं यह समझता हूं कि पी. डी. आर....

श्री अध्यक्ष : Order please ।

विधि मन्त्री और वित्त मन्त्री जी से निवेदन किया था कि वे इसकी जांच करें ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : कलेक्शन चार्जेज वसूल नहीं कर सकते ।

श्री अध्यक्ष : इसीलिए निवेदन किया था कि विधि मन्त्री से मिल कर वित्त मंत्री जांच करें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : वसूल कैसे करते हैं ? १० परसेन्ट कलेक्शन चार्जेज रखे हैं ।

श्री अध्यक्ष : Let us hear the Law Minister...

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री) : He is the Dy. Minister.

श्री अध्यक्ष : सवाल यह है कि आप सब लोग इसको गम्भीरता से सोच लें कि आप एक जनरल ऑर्डर करके सारी वसूली कर सकते हैं या उसकी मंशा यह हो कि इन्डिविजुअल केस दायर किया जाय और उसके अन्तर्गत उसको लिया जाय और यह देखा जाय कि कितना वसूल करेंगे ?

This is a very serious matter which affects thousands of people.

श्री परसराम मदेरणा : मैं पहले कानूनी पोजिशन बता दूं । कानूनी पोजिशन यह है कि पी. डी. आर. एक्ट की धारा २४ के अन्तर्गत इस बात का प्रोविजन है । subject to such limitations, as may be prescribed, the award of cost of incidence in the proceedings under this Act shall be the discretion of the Officer Incharge and he shall have full powers to give what cost shall be paid.....

Page No. 36

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय....

श्री परसराम मदेरणा : ठहरिये पहले।

श्री अध्यक्ष : आप उस पर जायें उसके पहले यह बता दें कि जितना पैसा होता है, लिस्ट दे दी है, उस अफसर ने यह कहा है कि इन्डिविजुअल केस में इतना पैसा होता है, इससे इतना वसूल किया जाय ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष : यही तो है। एडमिनिस्ट्रेटिवली आपने एक लिस्ट बनाली और उसके अनुसार कह दिया कि १० परसेन्ट कलेक्शन चार्ज लगा कर वसूल कर लिये जायं।

श्री परसराम मदेरणा : कानून बिलकुल साफ है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कानून साफ है, कहते हैं.......

श्री रामानन्द अग्रवाल : समझिये इसको पहले।

श्री अध्यक्ष : Order please !

मैंने पूछा है कि जितने केसेज की आपने लिस्ट दी है, are you satisfied with that ?

उन सारे केसेज में आपकी आज्ञा से पैसा नहीं काटा गया बल्कि ऑथोरिटी है उनके इन्डिविजुअल ऑर्डर से पैसा काटा गया।

श्री परसराम मदेरणा : ऑर्डर किसका ?

श्री अध्यक्ष : जो ऑथोरिटी ट्राई करती है उसका। और आपने कोट किया है कि उसको चार्ज करने के पॉवर्स है।

श्री परसराम मदेरणा : फाइनेन्स के किसी ऑफिसर इन्चार्ज को नहीं है, बल्कि पी० डी० आर० के जो इन्चार्ज हैं उनको है।

श्री अध्यक्ष : यही तो मैं पूछ रहा हूं। इतने हजारों केसेज में दिये हैं फैसले। जुडिशियल ऑथोरिटी होती है, वह ट्रायल करती है, फैसला देती है, यह उसको अधिकार है कि कितना खर्चा ले, क्या उसने इन्डिविजुअल केस में इस बात को एक्सर्साइज़ किया है या आपके ऑर्डर के अन्तर्गत होलसोल पैसा, जैसा आपने लिस्ट दी काट लिया है ? आप इसको फिर सोच लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सारा काट लिया है।

श्री परसराम मदेरणा : फुल प्रोसीडिंग्ज़ गो थ्रू होती हैं तो इन्चार्ज ऑफिसर ऑफ दी प्रोसिडिंग्ज को १० परसेन्ट मैग्जिमम कोस्ट वसूल करने का अधिकार है उन तमाम केसेज में, पूरी की पूरी प्रोसिडिंग्ज बहुत लम्बी है........

श्री अध्यक्ष : Order please ! Are you satisfied on that scope...

श्री अध्यक्ष

इन केसेज में जिन केसेज में प्रोसिडिंग्ज़ हुई हैं उन प्रौसीज़ि के इन्डिविजुअल केस में यह कहा गया है कि इतना खर्चे का पैसा दिया गया ?

श्री परसराम मदेरणा : I am satisfied.

और रूल्स में है वह प्रोपरली चार्ज किया गया।

श्री अध्यक्ष : Have the rules been implemented ?

श्री परसराम मदेरणा : That has been realised.

श्री सतीशचंन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि कानून में और नियमों में दस परसेन्ट चार्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है ? कोई नियम नहीं है कि फ्लेट रेट चार्ज नहीं की जा सकती। हर इन्डिविजुवल केस में जितनी कोस्ट ऑफिसर इन्चार्ज असेस करेगा वह जुड़ेगा। आपने तो फ्लेट रेट कर दी है वह गलत है।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न को फिर स्थगित किया जाता है।

श्री परसराम मदेरणा : कानूनी पोजिशन यह है कि कुल डिमान्ड का १० परसेन्ट होगा और सर्टिफिकेट के अन्दर ऑफिसर उसका हवाला देगा कि यह कोस्ट जोड़ कर दी है या नहीं। लेकिन देखने से ऐसा मालूम होता है........

श्री अध्यक्ष : मालूम होने का प्रश्न नहीं है। He wants a definite answer.

श्री परसराम मदेरणा : Then it will take atleast two months, because every case, we will have to study.

श्री रामानन्द अग्रवाल : डिपार्टमेन्ट को इस प्रकार का इन्टरवेंशन, जुडिशियल प्रोसिडिंग्ज़ में इन्टरवेन्शन नहीं करना चाहिए

That amounts to contempt of court.

श्री परसराम मदेरणा : You try to draw the attention of the Hon. member who has asked this.

श्री रामानन्द अग्रवाल : But you have not rights......

श्री अध्यक्ष : We will like to hear the Law Minister on his day.

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय........

C

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (विधि मन्त्री महोदय के सिर हिलाने पर) क्या सिर हिलाया जा रहा है लटके से।

शेष तारांकित प्रश्नोत्तरों के लिए कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजन रेडियो, जयपुर द्वारा रेडियो सैट्स की सप्लाई

२८६. श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(१) क्या राज्य सरकार ने जयपुर में स्थित कुछ रेडियो व्यापारियों को विभिन्न विभागों में माल सप्लाई करने के लिये मान्यता दे रखी है ? यदि हां, तो ऐसे व्यापारियों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) राजन रेडियो मिर्जा इस्माइल रोड, जयपुर को कौन कौन से टाइप के रेडियो किस किस रेट पर सप्लाई करने की स्वीकृति दी हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

(३) क्या सरकार ने मास्टर फोन रेडियो सैट सप्लाई करने की स्वीकृति दी है ? यदि हां, तो किस रेट पर, कितने वाल्व का व कौन सा मोडल ?

(४) क्या यह सही है कि राजन रेडियो ने मास्टर फौन के २१ सैट पंचायत समिति बनेड़ा को सन् १६६३ में सप्लाई किये हैं ? यदि हां, तो किस रेट पर, कौन सा मोडल, कितने वाल्व के ? क्या वह सही है कि इन रेडियो सैट्स के लाइसेन्स व्यापारी ने पंचायत समिति को बनाकर नहीं दिए ?

(५) क्या यह सही है कि पंचायत समिति ने विकास विभाग व जिला विकास अधिकारी व उप-जिला विकास अधिकारी को तथा जिला परिषद को यह सूचना दी कि जो २१ सैट्स सप्लाई किए गये हैं उनमें से एक भी चालू हालत में नहीं है तथा जो कीमत वसूल की गई है वह बाजार भाव से दुगुनी है, अतः व्यापारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावे ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है यदि नहीं, तो क्यों ?

(६) इन रेडियो के लिए दुगुनी रकम वसूल किये जाने में गलती बी० डी० ओ० की है या व्यापारी की है ?

उत्तर

(१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(४) जी हां । रेडियो सैट्स ३६५) रू० की दर से ६ खरीदे गये तथा सात प्रतिशत के हिसाब से बिक्री कर का भुगतान किया गया । इनका मोडल एम ६३ है व ये ६ वाल्व और ३ बैंड्स के हैं । संबंधित फर्म ने कोई लाइसेन्स बना कर नहीं दिया ।

(५) जी हां । विकास अधिकारी ने पंचायत एवं विकास विभाग को लिखा था, उस पर उन्हें यह लिख दिया गया कि रेडियो की खरीद की शर्तों के अनुसार फर्म के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करें । विकास अधिकारी ने अपने पत्र में केवल यही लिखा था कि फर्म ने जो रेडियो सैट्स सप्लाई किये हैं वे ठीक हालत में नहीं हैं तथा उनको जांच कराई जावे ।

Page No. 39

(पंचायत मन्त्री)

(६) जो रेडियो सैट्स खरीदे गये हैं व खरीद से पूर्व प्राप्त होने वाली दरों में से सबसे कम दर पर खरीदे गये हैं।

गंगानगर की पंचायत समितियों का वार्षिक बजट

२६०. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) गंगानगर की पंचायत समितियों में २ अक्टूबर, १९५९ से आज तक प्रत्येक पंचायत समिति का स्वीकृत वर्ष वार बजट क्या है ?

(२) २ अक्टूबर, १९५९ से आज तक उपरोक्त समितियों का कितना बजट प्रत्येक वर्ष काम में आया है तथा कितना लेप्स हुआ ?

उत्तर

(१) सूची संलग्न है

(२) संलग्न सूची में यह सूचना भी अंकित है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिए)

असिस्टेन्ट इन्जीनीयर्स, कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट के पद

२६१. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) असिस्टेन्ट इंजिनियर कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट, राजस्थान में कितने हैं तथा एक असिस्टेन्ट इंजीनियर के पास कितने जिले तथा औसतन कितनी समितियां है ?

(२) क्या यह सही है कि १,५००) रु० से अधिक के सारे निर्माण कार्यों का टैक्नीकल एप्रूवल असिस्टेन्ट इंजीनियर कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट से लेनी पड़ती है और उसके बिना कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सकता ?

(३) क्या यह सही है कि ऐसे असिस्टेन्ट इंजीनियर्स की संख्या बहुत कम है और इस कारण प्राय: पंचायत समितियों के निर्माण कार्य टैक्निकल अनुमोदन के अभाव में पड़े रहते हैं ?

(४) गंगानगर जिले की अलग अलग पंचायत समितियों के १,५०० रु० के ऊपर के कार्यों के १९६१-६२ व १९६२-६३ के आंकडे समिति वार दें तथा यह बतायें कि कितने कार्य टैक्नीकल एप्रूवल के अभाव से पड़े हैं ?

(५) गंगानगर जिले की पंचायत समितियों में अलग २ से ऐसे असिस्टेन्ट इंजीनियर के १९६१-६२ व १९६२-६३ में कितने कितने दौरे हुए हैं ?

उत्तर

(१) कुल २१ सहायक अभियन्ता हैं। उनके मुख्यालय व कार्य-क्षेत्र की सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(२) जी हां।

(३) जी नहीं।

(४) गंगानगर जिले की किसी भी पंचायत समिति में १,५००) रु० के ऊपर का

Page No. 40

(श्री विकास मन्त्री)

कोई भी निर्माण कार्य तकनिकी अनुमोदन के अभाव में अधूरा नहीं पड़ा हुआ है।

(५) सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

गंगानगर जिले में विलेज लेबोरेटरी स्कीम के तहत चुने गये गांव

२६२. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

(१) राजस्थान के कितने गांव विलेज लेबोरेटरी स्कीम के तहत चुने गये हैं? इनमें से कितने गंगानगर जिले में हैं? गंगानगर जिले के ऐसे गांवों के नाम समितिवार देने की कृपा करें?

(२) उपरोक्त गांवों में किन किन जिला स्तर अधिकारियों का कार्य-क्षेत्र है तथा उनका मुख्य कार्य क्या है?

(३) उपरोक्त गांवों में गंगानगर जिला स्तर अधिकारियों द्वारा गत वर्ष तथा चालू वर्ष में कहां कहां कितने दौरे रखे गये तथा क्या क्या कार्य किया गया?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

पंचायत समिति रायसिंहनगर के अधूरे कार्य

२६३. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पंचायत समिति रायसिंहनगर के २ अक्टूबर, १९५९ से आज तक के कितने काम अधूरे पड़े है या ऐसे हैं जिनकी राशि पंचायतों द्वारा समिति से ले ली गई है लेकिन कार्य प्रारम्भ ही नहीं हुआ? सूची वर्षवार एवं कार्यवार सदन की मेज पर रखें।

(२) इन कार्यों को पूरा कराने या उनकी राशि रिकवर करने के लिए उपरोक्त समिति द्वारा क्या किया गया है?

उत्तर

(१) सूची संलग्न है।

(२) संलग्न सूची में यह सूचना भी अंकित है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सोजत पंचायत समिति क्षेत्र

२६४. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सोजत पंचायत समिति क्षेत्र की गांववार निम्न सूचना बताई जावे —

(क) ३० जून, १९५७ तक गांववार कितने पक्के कुए थे?

(ख) ३० जून, १९५७ से ३० जून, १९६३ तक किन २ व्यक्तियों को पक्के कुए नये बनाने हेतु ऋण विकास खंड व पंचायत समिति से दिया गया?

(ग) उक्त ऋण से ३० जून, १९६३ तक किन किन ने पक्के नये कुए बनवाये?

Page No. 41

(श्री तेजाराम गहलोत)

(घ) ३० जून, १९६३ तक कितने पक्के कुए गांववार हैं ?

उत्तर

(१) सूची संलग्न है।

(२) सूची संलग्न है।

(३) संलग्न सूची में यह सूचना भी अंकित है।

(४) संलग्न सूची में यह सूचना भी अंकित है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति अलीगढ़ द्वारा दी गई तकावी व सहायता कार्य

२९५ श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पंचायत समिति अलीगढ़ जिला टोंक द्वारा वर्ष १९६२–६३ में किस २ कार्य के लिये तकावी व सहायता दी गई ? आंकड़ों की प्रतियां सदन की मेज पर रक्खें।

(२) जिस २ कार्य के लिये तकावी व सहायता दी गई थीं क्या वे कार्य निश्चित् अवधि में पूर्ण कराये गये थे ?

उत्तर

(१) सूची संलग्न है।

(२) कार्यों के पूर्ण होने की जांच की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम सेवकों को ट्रेनिंग

२९६. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सरकार के द्वारा ग्राम सेवकों को ट्रेनिंग देकर विकास करने हेतु तैयार किया जाता है ?

(२) यदि हां, तो यह ट्रेनिंग कब से प्रारम्भ की गई और राजस्थान में कुल कितने ट्रेनिंग सेन्टर कहां कहां ग्राम सेवकों को ट्रेनिंग देने हेतु खोले हुए हैं और कुल ट्रेनिंग सेन्टरों का सालाना खर्चा कितना है तथा अब तक कुल कितना खर्च ट्रेनिंग कार्य में किया जा चुका है ?

(३) अब तक कुल कितने ग्राम सेवक ट्रेन्ड किये जा चुके हैं और उनमें से कितने ग्राम सेवकों को नौकरी पर लगा दिया गया है जो कार्य कर रहे तथा कितने ग्राम सेवक ऐसे हैं जिनको ट्रेनिंग देने के पश्चात् भी नौकरी पर नहीं लगाये जा सकने के कारण बेकार बैठे हैं ?

(४) क्या यह सही है कि प्रत्येक ग्राम सेवक से बोन्ड भरवाया जाता है कि वह अन्य जगह पर नौकरी नहीं कर सकता ?

(५) यदि हां, तो फिर इतना खर्चा करने व ट्रेन्ड करने के बाद भी नौकरी पर नहीं लगाने के क्या कारण हैं ?

Page No. 42

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

(६) अब कुल कितने ग्राम सेवकों को सरकार ट्रेनिंग देना आवश्यक समझती है ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ ।)

कामां पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा लिया गया कर्ज

२६७. श्री रामकिशन (वैर) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) पंचायत समिति कामां (भरतपुर) के किस २ सदस्य ने किस २ तारीख में किस २ काम के लिये कितना २ रुपया कर्ज ले रखा है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) यह रुपया कितने वर्षों के लिये दिया गया है और इसकी वसूली के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(३) क्या सरकार ने इस बात की तस्दीक कराई है कि जिस २ काम के लिये पंचायत समिति के सदस्यों ने कर्ज लिया था वास्तव में वे सभी काम हुए हैं या हो रहे हैं ? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी ने कब कब की है ? जांच रिर्पोट सदन के मेज पर रखने का कष्ट करें ?

उत्तर

(१) सूची संलग्न है ।

(२) संलग्न सूची में इसका भी उल्लेख किया हुआ है ।

(३) इस प्रकार की तस्दीक विकास अधिकारी द्वारा की जाती है । राज्य सरकार के पास ऐसी रिपोर्ट नही आती है ।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिए)

पंचायत समिति भादरा के प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का तबादला

२६८. श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

पंचायत समिति भादरा के क्षेत्र के अन्तर्गत चालू प्राइमरी स्कूलों में कुल कितने अध्यापकों का तबादला मार्च, ३१ सन् १९६३ से लेकर जनवरी ३१, सन् ६४ तक किया गया और उनमें से कितने अध्यापकों तबादला दो साल से कम अर्से में किया गया ?

उत्तर

कुल ८१ अध्यापकों का स्थानान्तरण किया गया और इनमें से ६४ अध्यापकों का स्थानान्तरण दो वर्ष से कम की अवधि में किया गया ।

गोविन्दगढ़ पंचायत समिति के विकास कार्य

२६९. श्री भानुप्रसाद कराड़िया (चौमू) : क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) गोविन्दगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में मार्च १९६२ से मार्च १९६३ तक विकास के क्या कार्य किये गये और इन कार्यों में

Page No. 43

(श्री भानुप्रसाद कराड़िया)

राज्य सरकार का कितना कितना खर्चा किस किस कार्य के लिए हुआ है ? अलग अलग कार्य व खर्चे की सूची ग्राम वार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कस्बा सांगानेर में नये मकान बनाने की स्वीकृति

३००. श्री भानुप्रसाद कराड़िया (चौमू) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) कस्बा सांगानेर, जिला जयपुर में मार्च, १९६२ से आज तक कुल कितने नये मकान राज्य सरकार की इजाजत लेकर बनाये गये हैं और कितने बिना इजाजत ?

(२) जो मकान बिना इजाजत बनाये गये हैं उनके संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(३) यहां पर नये मकान बनाने के लिये कौन इजाजत देता है तथा आज तक कितने मकानों की इजाजत दी है और कुल कितने प्रार्थना-पत्र मकान बनाने के लिये इजाजत लेने हेतु आये हैं ?

उत्तर

१. सांगानेर में मकान बनाने के लिये राज्य सरकार की इजाजत की आवश्यकता नहीं है।

२. प्रश्न ही नहीं उठता।

३. पंचायत अधिनियम के अनुसार मकान बनाने की स्वीकृति स्थानीय पंचायत द्वारा दी जाती है। आज तक कुल १० व्यक्तियों ने स्वीकृति प्राप्त कर मकान बनाये हैं तथा कुल २५२ व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र पंचायत में प्राप्त हुए हैं।

कुचामन पंचायत समिति के सरपंचों के विरुद्ध शिकायतों पर हुई कार्यवाही

३०१. श्री हनुमानसिंह चौधरी (नांवा) : क्या पंचायत एवं विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

कुचामन पंचायत समिति के किस किस सरपंच के खिलाफ किस प्रकार की किस अधिकारी के सुपुर्द कब से शिकायत जेर तजवीज है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

पंचायत समिति सपोटरा द्वारा हरिजनों को निर्माण कार्य हेतु दी गई धनराशि

३०२. श्री हरफूल (खन्डार) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

पंचायत समिति सपोटरा ने सन् ६२–६३ और ६३–६४ में निर्माण कार्य के लिये कितनी रकम हरिजनों के लिये स्वीकृत की है और वह पूरी रकम अब तक हरिजनों

(श्री हरफूल)

को मिली है या नहीं ? अगर नहीं, तो क्यों ? और अब तक दी गई रकम का कार्य हुआ है या नहीं ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

जिला सवाई माधोपुर की पंचायत समितियों में शिड्यूल्ड कास्ट के बच्चों को दी गई छात्रवृत्ति

३०३. श्री हरफूल (खन्डार) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) गत तीन वर्षों में जिला सवाई माधोपुर की पंचायत समितियों में शिड्यूल्ड कास्ट के बच्चों के वास्ते छात्रवृत्ति की कितनी धनराशि मिली थी और उसमें से शिड्यूल्ड कास्ट के छात्रों को कितनी छात्रवृत्ति बांटी जा सकी है और किन किन पंचायत समितियों ने कितनी कितनी बांटी है। अगर नहीं बांटी है तो कब तक बांटी जावेगी और अब तक नहीं मिलने का क्या कारण है ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

पांच हजार से अधिक आबादी वाले गांवों को बिजली दिये जाने की सुविधा

३०४. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) कृषि कार्यों के दृष्टिकोण से राज्य में ऐसे कितने ५००० से अधिक आबादी के गांव है जिन्हें कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में अब तक बिजली दी गई ?

(२) ये बिजली किन किन गावों में कितने कुओं पर लगाई गई है जिससे कि सिंचाई होती है ? सूची सदन की मेज पर रखी जाय।

(३) इस योजना के अन्तर्गत बिजली देने के लिए कितने गांव लिए गये थे ? गांवों में बिजली नहीं दी जा सकी उसका क्या कारण है ?

उत्तर

(१) कृषि कार्यों के दृष्टिकोण से ५००० या उससे अधिक आबादी के जिन स्थानों पर तृतीय पंचवर्षीय योजना में बिजली अब तक दी गई है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) प्रत्येक स्थान पर कितने कितने कुओं पर बिजली दी गई है, वह भी उपरोक्त सूची में दिखा दिया गया है।

(३) इस योजना के अन्तर्गत बिजली देने के लिए जो गांव लिए गये थे उनकी सूची संलग्न है। अर्थाभाव तथा आवश्यक सामान उपलब्ध न होने के कारण।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

उद्योग संघ, चित्तौड़गढ़

३०५. श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या जिला चित्तौड़गढ़ में उद्योग संघ एक रजिस्टर्ड संस्था है ? यदि हां, तो

Page No. 45

(श्री चतुर्भुज उपाध्याय)

अब तक उसके कार्यकाल में उद्योग सम्बन्धी क्या क्या प्रगति हुई ?

(२) अब तक उद्योग संघ के कितने सदस्य कब बने और उनकी सदस्य फीस कितनी कहां पर जमा है ?

(३) क्या इसमें लघु उद्योग के व्यक्ति भी सदस्य बनाए गए हैं ? यदि हां, तो कितने ?

(४) चित्तौड़गढ़ जिले में कितने उद्योग सरकारी सहायता से चल रहे हैं और उन्हें कितनी नकद या मेटीरियल के रूप में सरकारी सहायता दी गई है ?

(५) भविष्य में चित्तौड़गढ़ जिले में उद्योग को प्रोत्साहन देने की क्या योजना है ?

उत्तर

(१) चित्तौड़गढ़ जिले का उद्योग सघ रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। इसकी प्रगति के संबंध में इस कार्यालय को कोई सूचना नहीं है ?

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

(४) चित्तौड़गढ़ जिले में लगभग ५२ उद्योग कर्ज के रूप में सरकारी सहायता लेकर चल रहे हैं, इन्हें अब तक २,१५,००८.०० रु० कर्ज के रूप में दिया गया है। १८ लौहारी उद्योग को लोहे की चद्दरें आदि दी जाती हैं और एक प्लास्टिक उद्योग को आयात लाइसेन्स भी दिया गया है।

(५) चित्तौढगढ़ में उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए एक औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया गया है जहां पर लगने वाले उद्योगों को हर प्रकार से सहायता दी जावेगी।

चूरू जिला परियोजना समिति का स्वीकृत बजट

३०६. श्री रावतराम (सादुलपुर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) चूरू जिला परियोजना समिति के लिए सन् १९६३-६४ में सरकार ने कितना बजट किन किन सीगों में मंजूर किया है ? कृपया बजट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(२) चूरू जिला परियोजना समिति कार्यालय में व्यक्तिगत एवं सहकारी समितियों की कितनी लोन प्राप्ति के लिए दरख्वास्तें आई और उनमें से किन २ को लोन दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(१) ग्रामीण औद्योगीकरण परियोजना चूरू के लिए सन् १९६३-६४ में राज्य सरकार द्वारा भिन्न भिन्न सिगों के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) ग्रामीण औद्योगिकरण परियोजना चुरू द्वारा कुल ७७ ऋण आवेदन-पत्र प्राप्त किये गये हैं जिनमें से ५ सहकारी समितियों तथा १९ व्यक्तिगत ऋण आवेदन-पत्रों पर

(श्री उद्योग मन्त्री)

स्वीकृति प्रदान की गई है। इस प्रकार कुल २४ ऋण आवेदन-पत्रों पर स्वीकृति दी गई है। दो सूचियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(सूचियां विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

९.२० म. पू.

जनलेखा व प्राक्कलन समितियों के चुनाओं हेतु नामजद उम्मीदवार

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि जनलेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति (१९६४–६५) के चुनावों हेतु निम्न लिखित उम्मीदवार नामजद किये गये हैं।

जनलेखा समिति (पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी) १९६४–६५

१. श्री अलदाराम	३
२. कुमारी उमा माथुर	१६६
३. श्री कृष्णकुमार गोयल	६१
४. श्री गोकुलचन्द	५०
५. श्री गोकुलप्रसाद शर्मा	५१
६. श्री गोविन्दसिंह	५५
७. श्री चौथमल	२६
८. श्री बालूराम चौधरी	१०
९. श्री मनफूलसिंह	१०५
१०. श्री मान्धातासिंह	१६१
११. श्री मानसिंह महार	१०६
१२. श्री मुरलीधर व्यास	११९
१३. श्री मोहनराज	११३
१४. श्री शीशराम ओला	१५९
१५. श्री हरिदेव जोशी	६०

प्राक्कलन समिति (एस्टीमेट्स कमेटी) १९६४–६५

१. श्री अभयसिंह	२
२. श्री अलदाराम	३
३. श्री उदयलाल वर्दिया	१६८
४. श्री उमरावसिंह ढाबरिया	१७१
५. श्री उम्मेदसिंह	१७०
६. श्री किशनसिंह बाटड़	९०
७. श्री केसरीसिंह	८९
८. श्री गोपीलाल गोठवाल	५२
९. श्रीमती गौरी पूनिया	४७
१०. श्री गंगासिंह	४४
११. श्री जगनसिंह	७३
१२. श्री जोधसिंह चौहान	८१
१३. श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा	८४
१४. श्री तेजाराम गहलौत	१६७
१५. श्री देवेन्द्रकुमार गोयल	३४

(श्री अध्यक्ष)

१६.	श्री नाथूराम	१२७
१७.	श्री भैरवलाल 'कालाबादल'	९८
१८.	श्री मजलिस खां	१०१
१९.	श्री मथुरेशबिहारी माथुर	१०९
२०.	श्री मानधातासिंह	१९१
२१.	श्री मूलचन्द चौधरी	११५
२२.	श्री मोतीलाल चौधरी	११६
२३.	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा	१७६
२४.	श्री रघुनाथ बिश्नोई	१४०
२५.	श्री रविशंकर याज्ञनिक	१४९
२६.	श्री रामकिशन	१४४
२७.	श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल	९३
२८.	श्री विजयपाल कटारा	१७२
२९.	श्री शंकरलाल	१५८
३०.	श्री सांवलियाराम	१५७
३१.	श्री हनुमानसिंह चौधरी	५७
३२.	श्री श्रवणलाल	१५४

जो सदस्य अपना नाम वापस लेना चाहें वे आज सदन में वक्तव्य द्वारा, जिसमें केवल इस तथ्य को ही व्यक्त किया जाना चाहिये, वापस ले सकते हैं।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : नाम वापिस लेने के लिए समय निर्धारित कर दिया जाय क्योंकि काफी सदस्य इस समय सदन में नहीं आये हुये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : एक बजे तक का समय निर्धारित कर दिया जाय, उस समय तक यदि कोई सदस्य अपना नाम वापस लेना चाहें तो ले सकते हैं।

श्री मानसिंह महार : मैं अपना नाम पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी से वापिस लेता हूँ।

श्री शंकरलाल : मैं अपना नाम पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी से वापस लेना चाहता हूँ।

श्री देवेन्द्रकुमार (सहाड़ा–सु०) : मैं भी अपना नाम वापस लेना चाहता हूँ।

श्री मनफूलसिंह (सुजानगढ़) : मैं भी अपना नाम वापस लेना चाहता हूँ।

श्री अलदाराम (सुमेरपुर–सु०) : मैं भी अपना नाम वापस लेता हूँ।

श्री मजलिस खां (कामां) : मैं अपना नाम प्राक्कलन समिति से वापिस लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : बाकी के सदस्य जो सदस्य जो अपना नाम वापिस लेना चाहें एक बजे तक ले सकते हैं।

स्थगन-प्रस्ताव

श्री रामकिशन (वैर) : राणा प्रताप सागर में जो क्रैक हुआ है उसके बारे के मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष : इसके बारे में जानकारी नहीं आई है, Let us ascertain the facts first.

श्री रामकिशन : दूसरा मेरा स्थगन प्रस्ताव नीम का थाना के बारे में हैं जहां से एक औरत को भगा कर ले गये हैं ?

श्री मथुरादास माथुर (योजना मन्त्री) : राणा प्रताप सागर डेम के बारे में जहां तक सवाल है उसके बारे में फैक्ट्स अएसर्टेन करने हैं, उसके बाद दे सकते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : टोंक में मिनीमम वेजेज एक्ट के न लागू करने के बारे में...

श्री अध्यक्ष : आपको इसके बारे में लिखित सूचना दे दी गई है आप उसका उल्लेख न करें।

श्री मुरलीधर व्यास : तब से लेकर भूख हड़ताल चल रही है....

श्री अध्यक्ष : मैंने आपसे निवेदन कर दिया है आप इस बात का उल्लेख न करें।

उप-मन्त्री, गृह ।

श्री निरंजनाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह): अध्यक्ष महोदय, दो स्थगन प्रस्ताव ये उसमें से एक तो एडमिसबिलिटी के पोइन्ट पर रिजेक्ट कर दिया गया था, अतः उस सम्बन्ध में वक्तव्य देने का सवाल नहीं उठता। दूसरा मथुरेशविहारीजी का था, उस संबंध में मैं कल वक्तव्य दे सकूंगा।

श्री अध्यक्ष : मथुरेशबिहारीजी का जो स्थगन–प्रस्ताव था उसके सम्बन्ध में आप कल वक्तव्य देंगे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जी हां।

श्री रामकिशन (वैर) : नीम का थाना से एक औरत को भगाने के बारे में...

श्री मथुरादास माथुर : A policy may be laid down in this respect if the Goverment has to give statment on every criminal case...

श्री मुरलीधर व्यास : मेरे स्थगन-प्रस्ताव में मिनिमम वेजेज एक्ट ..

श्री अध्यक्ष : जिसके बारे में आपको लिखकर सूचना दे दी गई है उसका उल्लेख यहां पर न करें; मैं जिसको उपयुक्त समझता हूँ उसको रिजेक्ट करते हुए भी वक्तव्य देने के लिए अनुमति दे देता, हूँ आप कुछ तो सीमा रखिये।

श्री मुरलीधर व्यास : उसमें स्पष्ट नहीं है....

श्री अध्यक्ष : आप मुझसे मिलिये, मैं आपको समझा सकता हूं। हर चीज को मना करने पर भी आप उल्लेख करते जा रहे हैं, आखिर कुछ सीमा तो होनी चाहिये।

अब खाद्य मन्त्री वक्तव्य देंगे।

राज्य की खाद्यान्न स्थिति पर खाद्य मन्त्री महोदय का वक्तव्य

श्री नाथूराम मिर्धा (खाद्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मुझे कल आपके जरिये निर्देश मिला था कि मैं खास तौर से एक तो जोधपुर के बारे में जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो यह मुद्दा उठाया था

(श्री नाथूराम मिर्धा)

कि वहां की राशन की दूकानों पर अनाज नहीं मिल रहा है, एक तो उस बारे में वक्तव्य देने का निर्देश था।

अध्यक्ष महोदय, मैं कल भी आपकी मार्फत इस बारे में निवेदन कर चुका था, जोधपुर में खाद्यान्नों का स्टॉक पहुँच चुका है और वहां पर वितरण की व्यवस्था ठीक प्रकार से हो गई है। उसके बावजूद भी फिर मुझे कहा गया कि और ज्यादा जानकारी करके कुछ और तथ्य सदन के सामने रखूं। मैंने इस बारे में फोन पर जोधपुर कलेक्टर महोदय से जानकारी की और मुझे उन्होंने बताया कि जोधपुर में उनके पास करीब २॥ हजार टन गेहूं का स्टॉक मौजूद है और रोज करीब १५०० बोरी सप्लाई जोधपुर में सस्ते अनाज की दुकानों पर रोजाना की जा रही है। इसलिए धान के डिस्ट्रिब्यूशन के बारे में शहर में कोई तकलीफ नहीं है। इसके अलावा अलग अलग तहसीलों में सरकार की तरफ से जो सस्ते अनाज की दुकानें हैं वहां पर भी वितरण व्यवस्था ठीक प्रकार से चल रही है, वहां पर भी अनाज का स्टॉक काफी मात्रा में है। किसी भी प्रकार चिन्ता की आवश्यकता नहीं, वितरण व्यवस्था ठीक ढंग से चल रही है। अलबत्ता पिछले पांच-सात दिनों में लोगों में यह शक हो गया था अनाज की कुछ कमी आजायेगी और लोगों में इस प्रकार की चिन्ता व्याप्त हो गई थी, थोड़े दिनों तक हमको स्टॉक नहीं मिल पायगा लेकिन अब हमारे पास काफी मात्रा में स्टॉक है और वितरण व्यवस्था ठीक ढंग से चल रही है इतना कहने से माननीय सदस्यों को सन्तोष हो जाना चाहिये।

दूसरा प्रश्न जो सदन के माननीय सदस्य ने एक स्थगन-प्रस्ताव के रूप में रखा था उसके बारे में भी निर्देश हुआ था उसके बारे में भी मैं सदन के माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्यों को मालूम है कि हमारे राज्य के सामने एक समस्या खड़ी हो रही है। और वह समस्या खड़ी हुई इस बात को लेकर, फूड ग्रेन्स लाइसेंसिंग ऑर्डर, १९६४ को जो हम राजस्थान में लागू करने जा रहे हैं उस ऑर्डर के लागू होने से उसकी कुछ धाराओं के बारे में हमारे राज्य के व्यापारियों ने एक एटीट्यूड अख्तियार किया है और उन्होंने यह कहा है कि इस ऑर्डर के इस रूप में लागू होने से जो कुछ धारायें उनके बारे में लागू करने से व्यापार करने वालों को असुविधायें होंगी। उन्होंने अपना मेमोरेन्डम भी सरकार के सामने रखा है, सरकार को जो उन्होंने दिक्कतें बतायीं, उसके बारे में सरकार ने फिर से गौर किया है और दुबारा गौर करने के बाद मैंने इस सदन की फ्लोर पर दुबारा गौर करके, क्या क्या परिवर्तन किया जाना संभव है उसकी घोषणा सदन में चन्द दिनों पहले की थी। वह ऑर्डर जिसके बारे में मैंने सदन में कहा वापिस बदल कर जो आज नहीं तो कल तक पूरा हो जायगा, जो कुछ परिवर्तन करने होंगे वे सदन और जनता के सामने आज या कल तक सामने आ जायेंगे।

इसके बावजूद भी जो कुछ परिवर्तन करना था वह हमने किया लेकिन राज्य के व्यापारियों का रुख अभी तक उसी प्रकार का चल रहा है, हमारे परिवर्तन करने के बावजूद भी व्यापार करने में वे असमर्थ

Page No. 50

(श्री नाथूराम मिर्धा)

पाते हैं। वे लाइसेन्स लेने के बारे में पर्टीकूलर नहीं है आज इस समय जबकि कई नई फसलें मंडियों में आ रही हैं आज हमारे किसान के सामने एक प्रकार से नई समस्या खड़ी हो गई है कि वह अपने अनाज को किस प्रकार बेच सके। इस प्रश्न पर भी सरकार पहले से विचार कर रही थी अगर यह स्थिति पैदा हो तो उस बारे में क्या इन्तजाम किया जाय। सरकार ने इस बारे में पूरी व्यवस्था करली है, अगर व्यापारी लोग मण्डियों में अनाज के खरीदने और बेचने का काम नहीं करते हैं तो जनता को किसी प्रकार से भी तकलीफ में नहीं पड़ने दिया जायगा। अनाज के खरीदने की व्यवस्था व वितरण की व्यवस्था के लिए सरकार ने अपना इन्तजाम कर लिया है जिससे जनता को कम से कम तकलीफ हो। इसी विचार धारा को सामने रख कर सरकार को मैदान में आना पड़ रहा है। हमको यह व्यवस्था जमाने के लिए कुछ निर्देश और आॅर्डर जारी करने जरूरी हैं जो आज और कल तक जारी देंगे।

वे क्या आॅर्डर होंगे, उनके बारे में जानकारी संक्षेप में मैं सदन के माननीय सदस्यों के और जनता के सामने रखना चाहता हूँ।

इस प्रकार की व्यवस्था सरकार ने इस बारे में की है कि राजस्थान की करीब १३२ मंडियों में, जो आज भी मुख्य रूप से व्यापार की मंडियां हैं और जो राजस्थान के अन्दर रोज मार्केटिंग की सूचनाएं राज्य को देने के लिये साधन हैं उन में और कुछ दूसरी मंडियों में सरकार स्वयं किसानों से अनाज खरीदने जावेगी। सरकार ने यह व्यवस्था की है। इसके लिये कलेक्टर जिला का, उस जिले में खरीद के लिये रेस्पोन्सिबल अफसर होगा और उस जिले के सब बी० डी० ओज० पर्चेजिंग करने की व्यवस्था के अधिकारी अफसर होंगे।

इसके बाद जो अलग अलग मंडियां है उनके अन्दर तहसीलदार पर्चेज आॅफिसर का काम करेगा और जो अनाज किसान की गाडियों में या ऊंटों में जिस तरह से भी जावेगा उसकी किस्म की तफसील में जाने के लिये हमारे एग्रीकल्चर विभाग के जो एक्सटेन्शन आॅफिसर या दूसरे लोग जो गेहूँ की या दूसरे किस्म के अनाज की किस्मों के बारे में ज्ञान रखते हैं वे फैसला करेंगे कि कौनसी किस्म का माल किस रेट पर खरीदा जावे।

अनाज की जो रेटें हैं जिनके आधार पर हम मंडियों से अनाज खरीदेंगे उसकी सूचना सब आम लोगों को होगी और वे रेट क्या होंगी वह मैं अभी सदन के समक्ष रखूंगा।

यह पर्चेज की व्यवस्था पर्चेज आॅफिसर को किस मण्डी में कितनी तादाद में करनी होगी इसके लिये अन्य सरकारी अधिकारियों और व्यक्तियों का सहयोग अगर लेने की आवश्यकता समझी जावेगी, तो वे ले सकेंगे। इसके साथ साथ सरकार ने यह भी कहा है कि सरकार डाइरेक्ट पर्चेज तब करेगी जबकि ऐसा जारी समझेगी और इसके बाद में एजेन्सी बेसिस पर काम करने वाले लोग भी उन मण्डियों में मौजूद होंगे तो एजेन्सी व्यवस्था भी लागू की जा सकेगी।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

यह किस बेसिस पर की जावेगी इसका फैसला सरकार ने कर लिया है। इसमें माल, तुलवाना, भरवाना, गोदामों तक पहुंचाना, बारदाना की व्यवस्था करना आदि में प्रति बोरी के पीछे २) रु० का कमीशन एजेन्सी बेसिस पर काम करने वालों को दिया जावेगा। इसमें बोरी उसकी खुद की होगी। अगर बोरी वह नहीं देगा तो कमीशन एक रुपया होगा। अनाज जबतक स्टोर में पहुंच जावेगा तब तक सारी व्यवस्था का इन्तजाम करने के सिलसिले में एजेन्सी बेसिस पर काम करने वालों के लिये ओपन टेन्डर भी आमन्त्रित किये जावेंगे। तो इसके लिये जो कम से कम में काम करने तक तैयार होगा उनको प्राथमिकता दी जावेगी। तो इस तरह से पर्चेज करने की व्यवस्था करेंगे।

इसके बाद अगर किन्हीं मण्डियों में यह व्यवस्था जमने नहीं पाती है या इस प्रकार के एजेन्ट्स काम करने को तैयार नहीं होते हैं तो सरकार के अधिकारीगण स्वयं इस काम को करने को तैयार होंगे जो एजेन्ट्स के जिम्मे डाला है। इसके बाद निजी गोदाम लेने, उसमें माल को रखने और इसके लिये गोदामों के रिक्विजीशन की आवश्यकता पड़े तो उनका रिक्विजीशन करने आदि के अधिकार कलेक्टर्स को दिये गये हैं ताकि इस काम में दिक्कत न आवे।

इसके साथ साथ, अध्यक्ष महोदय, इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि सरकार जिस समय पर्चेज करने की व्यवस्था करती है उस समय मार्केट में कन्ज्यूमर सीधा पर्चेज करना चाहे खरीदना चाहे, प्रोड्यूसर से तो उसे खरीदने की इजाजत रहेगी। वह खरीद सकता है, उस वक्त डाइरेक्ट प्रोड्यूसर से अगर उस वक्त खरीदना चाहे। थोड़ी देर बाद भी सरकार से खरीदना चाहता है तो सरकार से भी खरीद सकता है, क्योंकि हमारी यह मंशा है कि लोगों की जरूरतों को साथ ही साथ भी मीट करते जावें और लोगों को भी उसी वक्त में जब कि अनाज मण्डियों में आ रहा हो तो खरीदना चाहे तो उसमें दिक्कत नहीं हो, इसकी भी व्यवस्था रहेगी।

अब सेल के क्या भाव होंगे, लोगों को क्या भाव पर देंगे और फिर किस तरह से भाव आगे चलेंगे? सेल के भाव के बारे में आज रात को विचार करके जनता के सामने रख दिये जावेंगे। सरकार उन भावों पर खरीदेगी और बेचेगी।

यह सारी व्यवस्था भी सरकार ने एक दो दिन में करने के बाद जनता के समाने और आपके सामने रख दी जावेगी। कुछ बेअर आउट लाइन्स जिनके बारे में मैं कह रहा था संक्षेप में वे प्राइसेज पर्चेज के बारे में जो सरकार ने रखी हैं, वे इस प्रकार से हैं :

गेहूँ जो सरकार खरीदेगी उसको तीन किस्मों में बांटेगी।

पहली किस्म ३७) ५१ प्रति क्विन्टल।

दूसरी किस्म ४०) १७ नये पैसे प्रति क्विन्टल।

तीसरी किस्म ४३)४६ नये पैसे प्रति क्विन्टल।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

जौ २६) ७८ नये पैसे प्रति क्विन्टल।

ग्राम ३२) १५ नये पैसे प्रति क्विन्टल।

ज्वार २४) ४६ नये पैसे प्रति क्विन्टल

श्री रामकिशन (वीर) : चने की एक ही किस्म की रेट है, किस्मों की अलग अलग नहीं हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी नहीं। एक ही है।

बाजरा २६)५० नये पैसे प्रति क्विन्टल।

मक्का २४) १६ नये पैसे प्रति क्विन्टल।

यह मुख्यतः जो क्रोप्स अभी किसान को बाजार में बेचने के लिए आना पड़ेगा उसके लिए सरकार ने अपनी तरफ से यह दरें निर्धारित की हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सदस्यों को यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि यह जो भाव निश्चित किये हैं इन भावों पर सरकार या सरकार के एजेन्ट्स खरीदने को तैयार रहेंगे। इससे ऊंचा भाव देने वाले लोग जो भी लाइसेन्स लेकर कानून के अन्दर इस काम को कर सकते हों वह इस धान को खरीदना चाहें तो उनकी रेट्स भी खुद तय कर सकते हैं और जिन रेट्स पर किसान उनको देने के लिए तैयार हों और वह लेने के लिए तैयार हों। तो इस तरह से किसानों को बेचने की आजादी है जो कानून के अन्दर इस प्रकार के काम करने के अधिकारी इस राज्य में हों। इसलिए किसानों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि किसान अपना अनाज सरकार को ही बेचेगा और सरकार के सिवाय और कोई नहीं खरीद सकेगा। क्योंकि जैसा पहले मैंने निवेदन किया इस बात की छूट जो कन्ज्यूमर्स हैं और जो डाइरेक्टली किसानों से खरीदना चाहें जिन भावों पर खरीदना चाहें वह खरीद सकते हैं। इसके अलावा बिज़नेस के अन्दर जो कानून के अन्दर रहकर काम करना चाहें उनको भी अपनी मर्जी के मुताबिक किसानों से एग्रीमेन्ट करके—जिन भाव पर खरीदना चाहें वह भी खरीदने की आजादी है। सरकार सिर्फ उसी समय पिक्चर में आती है जिस समय किसान से अनाज खरीदने वाले दूसरे न हों।

इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं और भी जानकारी देना चाहता हूं कि मान लो कि कुछ अर्से के बाद कुछ वाइज़ कौंसिल प्रिवेल करती है और अपने माल को लेकर मार्केट में बेचने आते हैं तो जिन मण्डियों में आयेंगे उसमें करीब ५६ मण्डियां सरकार ने ऐसी छांटी हैं कि जो राजस्थान की मेन प्रोड्यूसिंग मण्डीज़ हैं और सरकार ने जिन मण्डियों के ऊपर इन्तजाम किया है। ऐसी मण्डियों की सूची मैं सदन की मेज पर रख दूंगा और उसको माननीय सदस्य देख सकते हैं। वह जो ५६ मण्डियां होंगी और जो ज्यादा प्रोड्यूसिंग सेन्टर की मण्डियां हैं उनमें यह व्यवस्था नॉर्मल ट्रेड के बाद भी इसलिए चालू रखना चाहेंगे कि मिनिमम प्राईस की गारन्टी किसानों को उनके प्रोड्यूस को मिलती रहेगी। इसलिए वहां हमारी एजेन्सी काम करती रहेगी और यदि किसानों को नीचे भावों के मिलने की बात हो तो सरकार की इन दुकानों पर उनके धान को खरीदने

Page No. 53

(श्री नाथूराम मिर्धा)

की व्यवस्था होगी और वह वहां जाकर बेच सकेंगे।

तो अध्यक्ष महोदय, मैंने संक्षेप में जो व्यवस्था थी उसको सदन के सामने रखा। इसमें मैं यह भी बात जोड़ना चाहता हूं कि जिन मण्डियों पर हमने व्यवस्था की है उन मण्डियों के अन्दर और भी कुछ मंडियों को जोड़ने की जरूरत पड़ेगी या कहीं और ज्यादा मण्डियों में माल आता है और किसानों को दिक्कत हो रही है और उसमें और भी मण्डियों के जोड़ने की आवश्यकता रहेगी तो उसको भी जोड़ा जा सकेगा और हम इसकी कोशिश करेंगे कि कम से कम तकलीफ किसानों को हो, कम से कम तकलीफ कन्ज्यूमर्स को हो और उसके साथ जो हमारे साथ सहयोग करके, कानून के अन्तर्गत काम करना चाहें उनको भी रोजगार करने में तकलीफ न हो, वह भी व्यवस्था हम सारे व्यवस्था के अन्दर शरीक करना चाहते हैं। हम यह चाहते हैं, अध्यक्ष महोदय, कि सरकार की नीति है कि कम से कम डिसलोकेशन हो, कम से कम जनता को तकलीफ हो। इसके अलावा कोई लोग किसी काम को अपने ही रुख के जरिये हमें मजबूरी में डालकर उसका फायदा उठाना चाहें तो उनके ऊपर फिर जबरन कदम उठाना पड़ेगा। मैं सोचता हूँ कि मैंने काफी बेग्रर ग्राउटलाइन के रूप में सदन के सामने रख दिया है और पॉलिसी के आधार पर प्रश्न है उसका विवेचन मैंने सदन के सामने रख दिया है।

श्री विरदाराम फुलवारिया (जालौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो छोटे छोटे गांव हैं....

(अश्रव्य)

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): आवाज नहीं आ रही है।

श्री अध्यक्ष : आपका पूछने का मतलब है कि छोटे गांवों में खरीदने की व्यवस्था कैसे होगी ?

श्री विरदाराम फुलवारिया : सरकार क्या गांव गांव जाकर खरीदेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इम्पोर्टेन्ट मण्डियों पर ही खरीदेगी और किसान को गांव से मण्डियों में आना पड़ेगा ?

श्री विरदाराम फुलवारिया : सस्ता धान फिर कैसे उपलब्ध होगा ?

श्री अध्यक्ष : एक दफा सारी बातें पूछ लें। बार बार खड़े मत हों।

श्री नाथूराम मिर्धा : सस्ते धान के वितरण के लिए जैसा मैंने कहा कि इम्पोर्टेड व्हीट प्लस दीज स्टॉक हैं। इसमें सरकार को कोई एतराज नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि १३२ मण्डियों में हम अपनी खरीद का प्रबन्ध करेंगे। जबकि हमारे राजस्थान में बहुत सी ऐसी तहसीलें हैं जहां से मण्डियां बहुत दूर हैं और कोई कोई मण्डी तो २०–३० मील दूरी पर पड़ती है। वहां पर तहसील हैडक्वार्टर्स हैं। तो यह व्यवस्था नहीं हो सकती कि जहाँ तहसील हैडक्वार्टर हों उन तहसील के पर्चेज ऑफिसर तहसीलदार के द्वारा यह प्रबन्ध हो जाये ?

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

दूसरी बात यह है कि आपने दो तीन रोज पूर्व कहा था कि जो महाजन लोग हैं वह ७ तारीख तक लाइसेन्स नहीं लेंगे तो उनके खिलाफ उचित कदम उठायेंगे। मैं कहता हूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो कि बाड़ी के ऊपर अनाज देते हैं और अनाज बराबर आ रहा है। जैसा आपने कहा था कि ७ तारीख तक लाइसेन्स जारी किये जायेंगे और जो लाइसेन्स नहीं लेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो इसके लिए आपने क्या प्रबंध किया कि जिन लोगों के पास अनाज आने लग गया उन्होंने लाइसेन्स के लिए एप्लाई नहीं किया है और अनाज बेचना शुरू कर दिया है उसके लिए क्या व्यवस्था है ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि अनाज मण्डी में खरीदेंगे। इस समय बाजार के अन्दर जैसे भाव हैं अच्छे गेहूँ के ६० रुपये क्विन्टल और वहां ४५ के आस-पास तक खरीदेंगे ऐसी परिस्थिति में किसान माल नहीं लायेगा क्योंकि मार्केट जो इस समय चल रहा है उसके आधार पर किसान सोचेगा कि इस प्रकार के ऊंचे भाव हैं और जो राज्य सरकार ने भाव निर्धारित किये हैं उनमें और आज की मार्केट रेट में १५–२० रुपये का फर्क है, तो क्या किसान ऐसी हालत में मार्केट में माल नहीं लायेगा। उन परिस्थितियों में सरकार किस प्रकार का प्रबंध करेगी जिससे वह माल मार्केट में आ सके ?

दूसरा प्रश्न यह है कि अगर ऐसी परिस्थिति में आपने इस भाव से खरीदे और उसमें जो रेट फिक्स हो गयी है और आगे जाकर वह कम हो जाती है क्योंकि मार्केट में रेट तो कम ज्यादा होती रहती है, तो क्या सरकार निश्चित रूप से इसी भाव में आखिर तक खरीदती रहेगी इस संबंध में आपकी नीति क्या है, वह स्पष्ट हो जानी चाहिए।

तीसरी बात यह है कि क्या सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस मामले के अन्तर्गत चाहे जो भी हो स्टेट ट्रेडिंग में इसी भाव पर माल खरीदा जायेगा और आगे किस रेट पर बेचा जायेगा। आपने यह नहीं बताया है कि आपके माल खरीदने के बाद में आपका सरकारी खर्च कितना होगा। जो आप खरीदेंगे उसको किस रेट पर बेचेंगे ? यह तीन चीजें स्पष्ट हो जायेंगी तो जो नीति सरकार की है वह भी क्लियर हो जायेगी और उससे सदन के माननीय सदस्यों को भी संतोष होगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो इस संबंध में सदन को सूचना दी है उस सूचना में ऐसा लगता है कि हमारी सरकार राजस्थान के ३२,२४० गांवों के लिए जिनमें मैं ऐसा समझता हूँ कि बहुत कम गांव ऐसे बचे होंगे जिनके अन्दर खेती नहीं होती हो। उन ३२,२४० गावों के अनाज के क्रय विक्रय के लिए सरकार ने १३२ मण्डियों की व्यवस्था की है। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि जो किसान उत्पादन करते हैं वह किसान अपना अनाज उन मण्डियों में ले जाकर बेचेंगे या उन सेन्टर्स के ऊपर ले जाकर बेचेंगे जिनके अन्दर सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था की है। यह सरकारी मण्डियां जिनमें सरकार की तरफ से

(श्री भैरोंसिंह)

व्यवस्था होगी यह सीमित दायरे में दो, तीन या चार मील के दायरे में नहीं हो सकतीं। राजस्थान में मण्डियों का विभाजन देखा जाये तो कई स्थानों पर ऐसी दिक्कत आयेगी कि लोगों को बीस-बीस और तीस-तीस मील के एरिया को कवर करके जहां सरकार की व्यवस्था है वहां ले जाना पड़ेगा। हमने रेट्स निर्धारित किये हैं, अब ट्रान्सपोर्टेशन के चार्जेज बहुत होंगे, ट्रान्सपोर्टेशन के कारण किसान परेशान होगा और इमीजियेट जो रिलीफ मिलनी चाहिए अपने प्रोडक्ट्स पर वह भी किसान को नहीं मिल पायेगी। सरकार ने खरीदने की जो व्यवस्था की है वह इतनी अपर्याप्त है कि किसानों को सरकार राहत देने की बात कह कर यदि उसके उस उत्पादन को अच्छे भावों के ऊपर सहूलियत से नहीं खरीद पाई तो सरकार का यह दृष्टिकोण केवल कागजी रह जायगा कि वह किसान को रिलीफ देने के लिए निर्धारित भावों पर सरकार उसके उत्पादन को खरीदना चाहती है।

उसी प्रकार का एक प्रोब्लम उसके डिस्ट्रीब्यूशन का है। राजस्थान में कैसे होगा डिस्ट्रीब्यूशन, सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है कि सरकार इन्टीरियर में जाने के लिए जितनी दूकानें खोलनी चाहिए वह खोलेगी। इस प्रोब्लम के लिए न तो राजस्थान में सरकारी दूकानें हैं और जो भी सरकारी दूकानें हैं वे अपर्याप्त हैं। उस 'अपर्याप्त' की स्थिति में अनाज खरीदती हैं गांवों में नहीं पहुंचा पाये तो उपभोक्ता के सामने समस्या पैदा होगी। वैसे वह निकट में जाकर नाज खरीद सकता था। अपने काम का हर्जाना किये बिना ही वह निकट में जाकर अनाज खरीद कर ला सकता था अपने बच्चों के लिए। उसके सामने एक बहुत बड़ी भयंकर समस्या सरकार ने खड़ी कर दी है। सरकार यह तय नहीं कर पाई है कि मार्जिन ऑफ प्रोफिट क्या होगा ? सरकार स्टेट ट्रेडिंग के बारे में अपनी पार्टी की नीति को लेकर चले, लेकिन राजस्थान की दो करोड़ जनता, जिसमें ७० पर्सेन्ट किसान हैं तो इनकी व्यवस्था का मतलब यह है कि यदि सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करेगी तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था और पर्चेज करने की व्यवस्था यह व्यवस्था मामूली नहीं है। हमने कई बार एक्सपेरीमेंट्स किये हैं, उन एक्सपेरीमेंट्स में घाटा खाया हैं। जनता को राहत पहुंचाने की स्थिति पैदा नहीं की गई और उसको एक प्रेस्टीज का प्वॉइन्ट बनाकर चूंकि ऑर्डर इश्यू कर दिया है और ट्रेडर ने इस प्रकार की जिद कर ली कि सिक्योरिटी नहीं देना चाहता और उस नाते ट्रेडिंग में शामिल नहीं होना चाहता तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह ट्रेडर की प्रतिष्ठा और सरकार की प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। प्रतिष्ठा सिर्फ इस बात की है कि हम जनता और किसानों को किस प्रकार से राहत पहुँचा सकते हैं। आपकी इस व्यवस्था के कारण आप राहत नहीं पहुँचा सकेंगे, बल्कि राजस्थान जैसी बोर्डर स्टेट के अन्दर पहले से जो लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति है उस स्थिति को चैलेन्ज करने की स्थिति में आ रहे हैं। मैं यह मानकर चलता हूं कि इस समय लोगों के पास में नाज नहीं है और नाज बाजार में आ रहा है तो खरीदने की व्यवस्था नहीं है। गांवों में सेन्टर्स नहीं है, न पर्चेज सेन्टर्स हैं और

(श्री भैरोंसिंह)

न डिस्ट्रीब्यूशन के सेन्टर्स हैं तो लोगों को कन्ज्यूमर्स को नाज नहीं दे सकेंगे। लोग भूखे नहीं रहेंगे और उस स्थिति के अन्दर इस राज्य सरकार के सामने स्टेट ट्रेडिंग से जो लाभ या दूसरे राहत पहुंचाने की स्थिति है वह राहत नहीं पहुंचा सकेंगे, लेकिन जनता के सामने एक प्रकार का संकट पैदा हो गया। इस लिए आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप ने स्टेट ट्रेडिंग का विचार कर लिया यह आपकी मर्जी की बात है, लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यदि किसी प्रकार से भावों के अन्दर भावों के द्वारा व्यापारी मुनाफा नहीं उठा सके, किसान का शोषण नहीं कर सकें, इन दोनों बातों को लेकर जितनी सख्ती कर सकते हैं, जो वाजिब सख्ती है उस सख्ती को करें तो यह सदन आपके साथ होगा। और उस प्रतिष्ठा के प्वॉइन्ट को लेकर जैसा कि सिक्योरिटी का प्रश्न है उस को एक मामूली प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर राजस्थान में इतना बड़ा सरदर्द लेने की चेष्टा करेंगे तो यह सिरदर्द न सरकार को होगा और न व्यापारी को होगा, लेकिन राजस्थान की जनता के लिए बड़ा भारी सिर-दर्द होगा जिसका कोई इलाज नहीं होगा।

इसके अलावा मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आप स्टेट ट्रेडिंग कैसे कर सकेंगे ? पैसा कहां से लायेंगे ? न इतना आपका बजट सरप्लस है कि राजस्थान में पूरे स्टेट ट्रेडिंग के लिए जैसा कि ५ करोड़ से ७ करोड़ की व्यवस्था करनी होगी तो उस ५ करोड़ से ७ करोड़ की व्यवस्था कहां से कर पायेंगे ? वह व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो कहीं से उधार लेंगे तो उसका इन्ट्रेस्ट होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज होंगे और ट्रान्सपोर्ट के चार्जेज होंगे। हमारे पास गांवों में गोडाउन्स नहीं हैं तो किन गोडाउन्स में समान रखेंगे। यदि किराये के लेंगे तो उसका किराया शामिल होगा और फिर जिस भ्रष्ट सरकारी मशीनरी के आधार पर, जिसके मैं नहीं कहता कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने भुवनेश्वर अधिवेशन में स्पष्ट रूप से कहा है कि इस प्रकार की भ्रष्ट मशीनरी से स्टेट ट्रेडिंग नहीं कर सकते, लोगों को रिलीफ नहीं हो सकता है, उसी प्रकार की मशीनरी से लोगों को सस्ते दामों पर, किसानों से अनाज खरीद कर, कम फायदा उठाकर और बिना ज्यादा खर्चा लगाये सस्ता अनाज दे पायेंगे, यह संभव नहीं है। यह हो सकता है कि पार्शियल ट्रेडिंग में शामिल हो जाय भावों को रोकने के लिए बाजार के अन्दर ट्रेडर के रूप में आ जाये या जितनी कीमतों में नाज खरीदना हो मेक्जीमम और मिनिमम प्राइस तय कर दें। इसके बाद में छूट देदें, कन्ज्यूमर को छूट देदें। इस मेग्ज़ीमम और मिनिमम प्राइस के अन्दर क्रय-विक्रय हो सकता है। उस प्राइस के बीच में यदि सरकार के रूल्स को कोई वोयलेट करता है तो ज्यादा से ज्यादा और सख्त से सख्त यदि सरकार कोई कदम उठाती है तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। इस में व्यापारी भी रुष्ट नहीं होगा और कन्ज्यूमर का भी अहित नहीं होगा और खास तौर से किसानों का भी अहित नहीं होगा। आपकी इस नीति ने सारे राजस्थान के किसानों के सामने और राजस्थान के पूरे उपभोक्ताओं के सामने एक ऐसा संकट पैदा किया है जिस प्रकार का संकट आज तक राजस्थान में किसी भी सरकार ने पैदा नहीं किया था। केवल अपनी एक प्रतिष्ठा के प्रश्न को लेकर मैं ऐसा समझता हूँ कि जनता के हित के सामने सरकारी पक्ष की प्रतिष्ठा किसी भी प्रकार से गिरती हो तो

(श्री भैरोंसिंह)

सरकार को उसको स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए। मैं अर्ज करूंगा कि सारे मसले पर पुर्नविचार करें और सदन को कोंन्फीडेन्स में लिया जाय और सदन में उस की पूरी विवेचना की जाय और ऐसा मार्ग ढूंढ़ा जाय जिससे किसानों और उपभोक्ताओं को दोनों को परेशानी से निकाल सकें, वर्ना यह प्रश्न राजस्थान में ऐसा संकट पैदा करेगा कि जिस संकट का निराकरण ऐसी सरकार के बस की चीज नहीं होगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार विचार करेगी कि जो कुछ व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था को सामने रखते हुए इस व्यवस्था में किस तरह से परिवर्तन किया जा सकता है, इसके लिए पुर्नविचार किया जाय।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, यह मामला इस प्रकार का है जिसका सम्बन्ध राजस्थान से तो है ही, लेकिन सदन में बैठे हुए इसका बहुत जल्दी निराकरण नहीं कर सकते, क्योंकि समस्या एक बहुत ही वृहद रूप से हमारे सामने है। मैं समझता हूँ कि व्यापारी मदद नहीं कर रहे हैं तो मजबूरन सरकार को सामने आना पड़ा। उस दृष्टि से मैं सहमत हूं, लेकिन इसके साथ-साथ सरकार ने जो कीमतें निश्चय की हैं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, बात ऐसी है कि जो राज्य सरकार ने अपनी नीति अब स्टेट ट्रेडिंग की घोषित की है तो इसमें किसान वर्ग भी सम्बन्धित है और कन्ज्यूमर भी है, सारी जनता का राजस्थान के ट्रेडर्स का और स्टेट गवर्नमेंट का भी इन्ट्रेस्ट है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सभी माननीय सदस्यों की ऐसी इच्छा होगी कि कल या परसों और संभवतः हाउस ११ तारीख को बैठ जाय और वह संभव नहीं हो तो सत्र को आगे बढ़ाया जाय, जिस दिन भी सरकार को सूट करे, हम इसके लिए तैयार हैं। १०–१० मिनट बोलेंगे तो सारी पार्टीज के सदस्य जितने फेक्ट्स रखने हैं, बजट है, वह नहीं रख सकेंगे। इसके सम्बन्ध में बजट के आंकड़े लेने होंगे और पुरानी स्टेट ट्रेडिंग की जो चीजे हैं वह निकलवानी होंगी ताकि सरकार को सजेशन दे सकेंगे। इस सम्बन्ध में जब भी सरकार की सुविधा हो तो आज शाम को या ११ तारीख को सेटरडे या सन्डे को जिस दिन भी चाहें कम से कम इधर बैठने वाले सभी माननीय सदस्य इस बात के लिए तैयार हैं कि यह मसला इस सदन से जाने के पहले तय हो नहीं तो जनता को कस्बों में परेशानी उठानी पड़ेगी। नतीजा यह होगा कि इसके बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं हो और प्रायोरिटी नहीं होने से सब को समझ में नहीं आएगा। सारे हाउस को कोन्फीडेन्स में नहीं लें तो सारे राजस्थान में जहाँ तक मैं समझता हूँ एक बड़ी विचित्र स्थिति हो जायगी। मंडियों में नाज नहीं आयगा तो नाज कहां खरीदेगा कन्ज्यूमर? एक अराजकता की स्थिति पैदा हो जायगी। इसमें लॉ एण्ड आॅर्डर इन्वोल्व्ड है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके लिए पूरे दिन की बहस के लिए आपकी तरफ से चाहे वह सन्डे हो या जब भी सुविधा हो सरकार को आप निर्देश दें।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूँ कि इस पर पूरी तरह से बहस इस सत्र में काफी हो चुकी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस सेशन में नहीं हुई है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : यह बहुत आवश्यक बात है कि इस प्रश्न पर बहस, अध्यक्ष महोदय, नहीं हुई है। वह फूड-ग्रेन्स लाइसेन्सिग आॅर्डर के सम्बन्ध में हुई है। वह उससे कठिनाई उत्पन्न हुई है उसके सम्बन्ध में हुई है। जहां तक स्टेट ट्रेडींग की पॉलिसी का ताल्लुक है जो डिटेल माननीय मन्त्री महोदय न रखे हैं, मैं निवेदन करूंगा कि १० मिनट में उनके बारे में कुछ कहना और सुनना सम्भव नहीं है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जनसंघ और स्वतन्त्र पार्टी के लोगों की राय इसमें कुछ भिन्न हो सकती है और हम लोगों का दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन माननीय मन्त्री जी ने जिस तरह से इस चीज को रखा है मैं समझता हूँ कि वह स्टेट ट्रेडिंग का परवर्टेड फॉर्म होगा।

यदि इसको क्रियान्वित कर दिया गया तो जो स्टेट ट्रेडिंग की कल्पना है उससे इतना डेमेज हो जायगा कि सौ साल तक भी हम प्रयत्न करेंगे तो उसको ठीक नहीं कर पायेंगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे सामने जो समय रह गया है उसको देखते हुए कम से कम दो घंटे या पूरे दिन इस पर बहस करें।

(१०.०० म० पू०)

श्री अध्यक्ष : स्टेट ट्रेडिंग के सिद्धान्त पर बहस करने का सवाल नहीं है। अभी माननीय मन्त्रीजी ने जो वक्तव्य दिया है वह इस बारे में है कि क्या व्यवस्था की जा रही है। इस पर कहने के लिये कुछ समय दिया गया है और कुछ और दिया जा सकता है। हर पार्टी की तरफ से एक माननीय सदस्य को बोलने का मौका दिया जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अभी सरकार की तरफ से कल और सूचना देने का मंत्रीजी ने कहा है। मैं उचित समझता हूँ कि यदि ज्यादा समय नहीं हो तो १० तारीख को जो गैरसरकारी कार्य के लिये दिवस रखा गया है उसको हटाने को हम एग्री हो सकते हैं, उस दिन यह बहस हो जाय क्योंकि यह अहमियत का प्रश्न है। गवर्नमेंट को और सूचना देनी है वह दे दें, मेग्जिमम प्राइस क्या मुकर्रर कर रहे हैं, क्या निर्देशन निकालना चाहते हैं वह हमें बतावें, हम गवर्नमेन्ट को बताना चाहते हैं कि आप कोई आॅर्डर निकालना चाहते हैं, जैसा कि बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा हम चाहते हैं कि रिआॅर्गेनाइ-जेशन अवश्य हो, लेकिन वह परपज को डिफीट न करे लेकिन सहायक हो। इसलिये यह दृष्टिकोण है कि दो तीन घंटे १० तारीख को रख दीजिये या पूरा दिन ही रख दीजिये We can forgo non-official business.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, रूप रेखा इस योजना की निर्धारित की और जो अनुमान हमें दिलाया वह अधूरी रूप रेखा है। आखिरकार, अध्यक्ष महोदय, हम भी जनता के प्रतिनिधि हैं, हमको भी एक महत्वपूर्ण समस्या के सम्बन्ध में विचार प्रकट करने का अधिकार होना चाहिये। यह एक अधूरी योजना को लेकर मंत्री महोदय हठधर्मी के कारण यदि यह करना चाहते हैं तो उसके सम्बन्ध में सभी माननीय सदस्यों को जनतन्त्र की स्वच्छ परम्परा के सिद्धांत के अनुसार अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिये। मैं विशेष इस सम्बन्ध में विवेचन नहीं करना चाहता लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य ने

Page No. 59

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

निवेदन किया हमारी विभिन्न विचारधारा हैं, यह सम्भव है, स्वाभाविक है। लेकिन यदि १० तारीख को कम से कम सारा दिन इसके लिये एलॉट नहीं किया जाय तो ३ घन्टों की बहस...............

(शोरगुल)

जैसा कि माननीय सदस्य चाहते हैं सारा दिन इसके लिये एलॉट किया जाय तो हमको भी अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलेगा, इस विशाल प्रदेश में विशेष व्यवस्था नहीं करना चाहते हैं, १३२ मंडियों में डाइवर्ट होगा तो क्या होगा, हठधर्मी की पराकाष्टा है, कोई बन्दोबस्त नहीं हो सकता। इस अधूरी सप्लाई और डिमाण्ड की योजना की कोस्ट के सम्बन्ध में कोई अनुमान मंत्री महोदय नहीं दे सकते। मैं समझता हूँ दुर्व्यवस्था होगी। सरकार को वार्निंग देता हूँ कि इससे पैनिक पैदा होगा और बीच-बचाव करके सरकार से निवेदन करता हूं कि गोल्डन मीन्स एडॉप्ट करिये, मर्चेन्ट्स को बुलाकर ऐसा वातावरण उत्पन्न करिये कि सहयोग की भावना से लाभ ले सकें। हठधर्मी को दूर करके। नहीं तो गोल्डन मीन्स, बीच-बचाव द्वारा रास्ता अपनावें तो अच्छा है वर्ना फॉल्स सेन्स ऑफ प्रेस्टिज, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिये। सिद्धान्त का प्रश्न है, खाने-पीने का प्रश्न है। कन्ज्यूमर्स के सम्बन्ध में कोई आवश्यकता से अधिक ले सकता है तो उसकी भी लिमिट होनी चाहिये, भाव निर्धारित करने के लिये मुद्दे होने चाहिये। भाव निर्धारित करने में भावों में फेर-बदल करेंगे उस समय क्या व्यवस्था होगी, इस बारे में मेरे ख्याल से मंत्री महोदय इस स्थिति में नहीं हैं कि पूर्ण रूप से जानकारी दे सकें। लेकिन सदन को अधिकार है और उस अधिकार के अनुसार, अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि दसवीं तारीख को सारे दिन के लिये इस समस्या पर विचार करने के लिये अलॉट किया जायगा तो उचित होगा।

श्री अध्यक्ष : १० तारीख इस पर विचार करने के लिये रख दी जाये।

श्री नाथूराम मिर्धा : यों तो आप वाद-विवाद जितना चाहें करिये........

श्री अध्यक्ष : इससे आपको फायदा होगा। प्रोसीजर की डिफिकल्टी भी सोल्व हो सकेगी।

श्री नाथूराम मिर्धा : प्रोसीजर की डिफिकल्टी में माननीय सदस्य इतने इन्ट्रेस्टेड नहीं हैं जितने हठधर्मी में हैं........

(कुछ माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : रेट्स का प्रश्न ज्यादा गंभीर है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हठधर्मी आपकी है, हमारी नहीं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरी हठधर्मी है या आपकी है...........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप यदि इस तरह करेंगे तो वह हालत होगी जो मुरारजी की हुई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मंत्रीजी को यह मंजूर करना चाहिये। इस प्रश्न को इस ओर से बड़े जोर से रखा गया कि स्टेट को

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इन्टरवेन्शन के लिये आना चाहिये और स्टेट ट्रेडिंग का जो इन्टेन्शन जाहिर किया है सदन के इस ओर बैठने वाले माननीय सदस्य उसका स्वागत करते हैं। हम नहीं चाहते कि फ्री ट्रेड किया जाय और जनता को लूटने दिया जाय। हम यह भी नहीं चाहते कि आप चाहें जैसा पर्पज इससे हल होता है या नहीं उसको आपके सामने न रखें। इसको सुनकर निर्णय करने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप बहस रखें, कितने समय के लिये रखें मुझे इसमें ऐतराज नही हैं। मुझे यह कहना था कि इसको इम्प्लीमेन्ट करने के लिये मैं आपसे छुट्टी लेना चाहता हूं क्योंकि मुझे कहीं और जाना है.......

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : जो रेट फिक्स की है....

श्री अध्यक्ष: रेट का सवाल नहीं है।

१० तारीख को जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा, १० तारीख को जो निर्धारित कार्य है उसके बजाय, जैसी कि माननीय सदस्यों की इच्छा है, खाद्य स्थिति पर बहस होगी।

एक माननीय सदस्य : इस बहस में किसानों को अधिक मौका दिया जाय। कहने के लिए तो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टीवाले किसानों का नाम लेकर चले जाते हैं। इसमें अधिकतर बोलने का मौका किसानों के प्रतिनिधियों को दिया जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: किसान होने का स्वरूप साथ में लेकर आवें, सर्टिफिकेट।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और कर दूं। इस सम्बध में वाद–विवाद–ज्यादा लाभदायक हो सके, इस दृष्टि से निवेदन करूंगा कि गवर्नमेन्ट जो आॅर्डर निकाल रही है....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : उसका प्रारूप हमारे सामने रखें, में फाइनल नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: मैं भी वही निवेदन करना चाहता हूं, आप अंग्रेजी में शायद नहीं समझे। सरकार का जो भी ड्राफ्ट है उसकी प्रतिलिपि सभी माननीय सदस्यों को वाद-विवाद से पूर्व, कल सांयकाल तक मिल जानी चाहिये ताकि सब पूरी तैयारी करके आवें। फूड ग्रेन्स लाइसेन्सिग, आॅर्डर में जो संशोधन किया है वह भी मिल जाय, नया आॅर्डर निकालना चाहते हैं वह भी मुहैया कर दें।

उन्होंने जो बातें रखी हैं उस सम्बन्ध में सरकार कोई स्टेटमेंट या कहना चाहिए सरकार की पाॅलिसी with all possible details इस चीज को सर्क्यूलेट कर दिया जाय, तो मैं समझता हूं कि परसों वाद-विवाद बहुत सीमित, ज्यादा कन्स्ट्रक्टिव और रचनात्मक हो सकेगा और सरकार उस आधार को रखे तो मैं समझता हूं कि सदन ज्यादा अच्छी तरह विचार कर सकेगा। उस दृष्टि से मैं माननीय मंत्री महोदय को, अध्यक्ष महोदय, विश्वास दिलाता हूं कि स्टेट ट्रेडिंग की नीति के खिलाफ हम हो सकते हैं लेकिन इस आॅर्डर के खिलाफ

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कम्युनिस्ट और सोशियलिस्टिस मेम्बर भी हैं जो आपकी नीति का समर्थन करते हैं। मेम्बर्स की इच्छा है कि आपको ऐसे सुझाव दें जिससे राजस्थान में अराजकता की स्थिति पैदा नहीं हो। इसलिए कल तक ये पेपर्स आप सक्यूलेट कर दें।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली): अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो डिटेल्स दें उसमें आप दो बातों का उल्लेख करें-एक तो कीमतें तय करने का आधार क्या है? दूसरे जो कीमतें निर्धारित की हैं, २४.१६ और २४.४६ तो १६ के बजाय आपने २० निर्धारित क्यों नहीं की और ४६ की बजाय आपने ५० क्यों नहीं की?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: बाटा के भाव हैं?

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): बाटा कम्पनी की रेट है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा: यह एक गम्भीर इश्यू है। इस तरह से हिसाब रखने में कितनी मुश्किल होगी। इसको ध्यान में रख कर आप स्पष्टीकरण करें।

श्री रामकिशन: इसमें और जानकारी की जरूरत पड़ेगी, यू. पी. और पंजाब में क्या भाव थे और सरकार की घोषणा के बाद में क्या भाव रहे-इसका नक्शा साथ लगा दिया जाय तो यह अन्दाज लगाया जा सकता है कि किसानों को कितना नुकसान होने वाला है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: जो मंडियां रखी हैं सरकार ने, उसकी लिस्ट दें और साथ में एक मंडी में कितना एरिया आयेगा और वहां किस भाव से बेचेंगे-इसकी लिस्ट दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: अध्यक्ष महोदय, एक इन्फोर्मेशन और आवश्यक है....

श्री अध्यक्ष: परसों क्या बोलेंगे?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: स्टोरेज के सम्बन्ध में बतायें कि कहां कहां सरकारी स्टोर्स हैं और वेअर हाउसेज हैं, वेअर हाउसेज कार्पोरेशन है, उस सम्बन्ध में आंकड़े मिल जायं, १३२ मंडियों के स्टोरेज का सरकार का प्रबन्ध हो उसके आंकड़े सरकार जरूर दे दे।

श्री अध्यक्ष: काफी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: दूसरे, जोन का क्या सिस्टम है?

श्री अध्यक्ष: काफी सुझाव आ गये हैं।

श्री चन्द्रसिंह बर्मा (बिलाडा): मैंने खाद्य मन्त्री से निवेदन किया था कि पीपाड़ में गुड़ आज दिन तक इश्यू नहीं हुआ है कलेक्टर के द्वारा....

श्री अध्यक्ष: राजस्थान की बात हो रही है, आप पीपाड़ ले आये।

श्री नाथूराम मिर्धा: अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कि रिपोर्ट वितरित कर सकें तो वह अच्छा रहेगा।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

तो इतनी जल्दी न रिपोर्ट ग्रा सकत है ग्रौर न दे सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : कुछ तथ्य ग्रा जायं।

श्री नाथूराम मिर्धा : जो जरूरी बातें थीं वह तो मैंने भाषण में कह दीं, की प्राइस फिक्सेशन के बारे में माननीय सदस्य कहेंगे कि हम रिपोर्ट की डिटेल्स की साइक्लोस्टाइल्ड कॉपी दे दें ...

श्री अध्यक्ष : रिपोर्ट तो एक ही होगी।

श्री नाथूराम मिर्धा : तो वह सम्भव नहीं होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक रिपोर्ट दे दीजिये। साइक्लोस्टाइल यहाँ हो जायगी।

श्री अध्यक्ष : यह ग्रापकी खुद की सुविधा के लिए होगा। १३२ मंडियां क्यों रख रहे हैं, इन मंडियों से कितना एरिया कवर हो जाता है, यह सब ग्रापकी सुविधा के लिए है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : नई विज्ञप्तियां निकालने वाले हैं, वह क्या हैं ?

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : जो रेट्स रखी हैं काश्तकारों के लिए वह क्या काफी हैं ? ग्राप काश्तकार होने का दावा करते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : काश्तकारों की भलाई की बात कहने वाले बैठ जायें। ख्वामख्वाह की बात मत कहिये।

एक माननीय सदस्य : कौन ले जायगा पार्टियों को····

श्री रामानन्द अग्रवाल : परसों कहेंगे इस बात को कि यह गवर्नमेंट क्या कर रही है।

श्री नत्थीसिंह : कौन ग्रादमी, क्या यह सब जानते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : ग्रापका फॉर्म भर कर कैंसिल कर दिया है, इसलिए गुस्सा हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जोर से न बोलें, इससे उनके ग्रार्ग्युमेंट को बल नहीं मिलता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह बात माननीय मंत्री पर भी लागू होती है। यह गुस्सा है क्योंकि फॉर्म भर कर कैंसिल कर दिया।

श्री नाथूराम मिर्धा : गुस्सा नहीं हूं। वह फॉर्म भरें या कैंसिल करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ज्यादा फर्क नहीं हैं। ग्राप नत्थू हैं, वह नत्थी हैं।

(१०. १५ म० पू०)

राजस्थान भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक, १९६४ (पुरःस्थापन)

श्री अध्यक्ष : राजस्थान सोइल एण्ड वाटर कन्जर्वेशन बिल, १९६४।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सोइल एण्ड

(श्री नाथूराम मिर्धा)

वाटर कन्जर्वेशन बिल, १९६४ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सोइल एण्ड वाटर कन्जर्वेशन बिल, १९६४ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, १९६४ (पुरः स्थापन)

श्री अध्यक्ष : राजस्थान मोटर व्हीकल्स टैक्सेशन (अमेंडमेंट) बिल, १९६४।

श्री भीमसिंह (उप-मन्त्री, यातायात) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मोटर व्हीकल्स टैक्सेशन (अमेंडमेंट) बिल, १९६४ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मोटर व्हीकल्स टैक्सेशन (अमेंडमेंट) बिल, १९६४ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री भीमसिंह : मैं विधेयक को पुनःस्थापित करता हूँ।

राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, १९६४ (अग्रेत्तर विचार-विमर्श)

श्री अध्यक्ष : राजस्थान टैक्सेशन लॉज़ (अमेंडमेंट) बिल, १९६४ ; इस पर विचार चल रहा है। और कई माननीय सदस्य, जिनके प्रस्ताव थे, वे बोल चुके हैं और जो अभी नहीं बोल पाये हैं व कृपया अब इस पर विचार रखें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : मैं बोल रहा था इस पर।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : माननीय सदस्य कन्टीन्यूड हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : माननीय सदस्य का अधूरा रह गया था।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : इनका पूरा हो गया था।

श्री अध्यक्ष : आप पांच मिनट में वाइन्ड-अप कर दें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर मनोरंजन टैक्स के अन्दर कुल परिवर्तन किये गये हैं, उसके ऊपर मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। एक तरफ तो इन्होंने यह कहा है कि सिनेमा मालिक जिन्हें फ्री टिकट अलाउ करेगा उनको उन पर मनोरंजन कर देना पड़ेगा। और इसी विचार को २० पेज पर उन्होंने कहा है कि उन लोगों को फ्री पास पर मनोरंजन कर से छोड़ दिया जायगा, जिन लोगों के लिए लिखा है-प्रेस प्रतिनिधि हों, बोर्ड ऑफ सेंसर के सदस्य हों अथवा उसकी तालिकाओं

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

के सदस्य, या सरकारी अधिकारी वर्ग जिनका अपने कर्तव्य का अङ्ग होने के नाते मनोरंजन के स्थान पर उपस्थित होना अधिकृत या अपेक्षित हो, या फिल्मों के वितरक या निर्माता अथवा उनके प्रतिनिधि जो मनोरंजन में अपने व्यवसाय के प्रयोजनार्थ उपस्थित हों।

उपाध्यक्ष महोदय, जब एक तरफ कहा कि फ्री पास दिया जाता है उसके ऊपर मनोरंजन कर लगेगा। दूसरी तरफ कहते हैं कि इन लोगों को पिक्चर देखने दिया जायगा और इन पर कोई टैक्स नहीं लिया जायगा। मेरी समझ में नहीं आया कि दोनों बातों में, जो पेज १ और २० पर लिखी गई हैं, समानता कहां है। आप एक तरफ कहते हैं कि फ्री पास पर टैक्स नहीं लगें और दूसरी तरफ कहते हैं कि फ्री पास पर टैक्स लिया जायगा। लोग फ्री पास लेकर बैठते हैं, उसमें निर्माताओं की बात कह दी, सिनेमा ओनर्स की बात कह दी। जिन लोगों को वे फ्री पास देंगे, जिनको फ्री बैठाते हैं उन पर मनोरंजन कर नहीं लेंगे। फिर क्या सवाल है मनोरंजन कर में परिवर्तन करने का। आप प्रेस वालों से मनोरंजन कर नहीं लेना चाहते हैं, इसके अलावा सरकारी अधिकारी जो ओन ड्यूटी हैं, उनसे नहीं लेना चाहते; मैं कहना चाहता हूं कि मेरा चार साल का खुद का अनुभव है, जितने लोग बैठते हैं, वे आपके द्वारा या सरकारी अधिकारियों के द्वारा बिठाये जाते हैं। पुलिस वाले कहते हैं सिनेमा मालिक को तीन आदमियों को बैठा दें। कलेक्टर के पास से टेलीफोन आता है, इतने आदमी आ रहे हैं, इन्हें बैठा देना। आपने कह दिया कि जितने लोग आयेंगे, ऑन ड्यूटी आयेंगे उनको बैठा दें। इसमें कौन समझने आयेगा कि कौन ओन ड्यूटी है और कौन ऐसा बैठाया गया है जो ओन ड्यूटी नहीं है। यह ढिलाई काम करते हैं, इस कानून के अन्दर ज्यादा भ्रष्टाचार फैलाने वाली चीजें हैं। बनिस्पत इस चीज के आप यह कहें कि लोगों से टैक्स वसूल करने की बात कर रहे हैं इसलिए दोनों तरह की बात लिखी गई हैं वह गलत है और इनको दुरुस्त करना चाहिए। आपने जिस पहले पेज पर संशोधन करने की बात कही है, उसको मिटा सकते हैं या जो छूट २० पेज पर दी है, इसको मिटा सकते हैं। दोनों में एक को मिटाये बगैर आपका पर्पज हल नहीं हो सकता।

इसके अलावा क्लॉज ६ के अन्दर यह बात रखी है कि यदि कोई व्यापारी दूकान छोड़ कर दूसरे को बेच देता है और एक व्यापारी एक जगह व्यापार कर रहा है वहां से हट कर चला जाता है। तो जितने टैक्सेज की बकाया रकम उसमें बाकी होगी वह उस आदमी को पे करनी होगी जो दूकान का मालिक बनेगा। मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य को मालूम नहीं है कि मेरे में कोई पैसा लेना है या मेरी लेन–देन है और मैं दूसरे किसी भी आदमी को दूकान बेच देता हूं तो मेरे में जो आपकी बकाया है वह भी दूसरा आदमी कैसे पे करेगा। यह तो आपको देखने की बात है। जब आपने यह कानून में व्यवस्था की है कि कोई आदमी जो इस तरह का धन्धा करता है और अपनी दूकान दूसरे को देना चाहता हैं तो आपको एडवान्स में इन्फोर्मेशन उसको देनी होगी और जब वह आपको इन्फोर्मेशन एडवान्स में देता है तो सरकार की यह ड्यूटी हो जाती है कि वह उसकी चीजों की

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

लिस्ट तैयार करे और उसमें पहले की सरकार की कोई बकाया हो उसको वसूल करने के बाद ही उसको ट्रान्सफर करने की इजाजत दें। वरना आपने अगर इसमें इसी तरह से प्रावधान रखा तो यह बकाया उसको देनी होगी तो व्यापारियों को बहुत नुकसान होने वाला है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सोच समझ कर कार्य करें। यह नहीं होना चाहिये कि आपकी जिद् के कारण व्यापारियों को दुख पहुंचाया जावे और दूकानें बन्द हो जायेंगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि आप सितम्बर से दिसम्बर तक के जनरल मर्चेन्टस हैं और छोटे २ व्यापारी हैं उनकी बिक्री को देखें और उनके हिसाब लगायें तो आपको मालूम होगा कि अक्टूबर में जो बिक्री होती थी उससे दिसम्बर में १० आना ही हुई और अब वह ६ आना नहीं हुई है। इसलिये आप सेल टैक्स की पाबन्दी कर रहे हैं तो इससे आपकी जो आमदनी अभी हो रही है और आपको मिल रही है उससे आधे पैसे भी आपको मिलने वाले नहीं। आज की हालत को देखते हुए मैं यह कहूंगा कि जनरल मर्चेन्ट के पास लोग नहीं जा सकते, क्योंकि पेट भरने को भी पैसा लोगों को नहीं मिलता। इन सारी बातों को आप ध्यान में रखें। इस सम्बन्ध में मैंने कल भी निवेदन किया था और आज भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय। मैं यह नहीं कहता कि इसको बहुत ज्यादा डिले किया जाए। आप सिलेक्ट कमेटी के द्वारा बहुत जल्दी पास करवा कर जल्दी सदन में ले आवें, पर इसमें जितनी कमियें हैं उनके होते हुए जल्दी-जल्दी में इसको पास कर लेना मैं कहूंगा कि यह कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है।

(श्री रामकिशन और श्री रघुनाथ विश्नोई दोनों साथ साथ खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, जो राजस्थान टेक्सेशन...

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, आपके बोलने के बाद मुझे अवसर मिलेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई: अमेन्डमेंट बिल के जरिये रेट ऑफ टैक्सेशन है उन चीजों पर जिनका निर्यात हिन्दुस्तान के बाहर होता है और वे चीजें बाहर जाती हैं उसके रेट ऑफ टैक्सेशन और इन्टर स्टेट सेल टैक्स से भिन्नता है। माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके जरिये माननीय वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि शायद ऐसा तो नहीं हो कि यहां की माइका वगैरा जो बाहर जाती है और जिसका एब्रोड मार्केट बाहर, फोरिन में, रखनी है तो ऐसी हालत में जो टैक्सेज लगाये गये है उससे राजस्थान का ट्रेड है उस पर कोई एडवर्स इफेक्ट तो पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इन्टर स्टेट सेल्स टैक्स २ परसेन्ट ही है और आपने जो पर्चेज टैक्स रखा है वह ६ परसेन्ट है। इसको देखते हुए राजस्थान का ट्रेडर बाहर कोई कोमोडिटी भेजेगा तो उसको ६ परसेन्ट सेल्स टैक्स लगेगा और इन्टर स्टेट सेल्स टैक्स २ परसेन्ट ही है, तो इससे उस पर, ट्रेड पर, एडवर्स इफेक्ट किसी तरह से तो नहीं पड़ेगा। इसका स्पेसिफिक स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता है। राजस्थान

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

पहले ही पिछड़ा हुआ है और मार्केट पर्याप्त नहीं मिले तो ज्यादा दिक्कत हो जावेगी। इसके लिये इसका स्पष्टिकरण हो, इसकी निहायत जरूरत है। वरना इसके बारे में कुछ परिवर्तन होना चाहिये और सेल्स टैक्स में कुछ छूट अवश्य देनी चाहिये।

दूसरा, एमेन्डमेंट के जरिये सेक्शन (२) में एमेन्डमेंट करने का जो आपने प्रावधान रखा है और प्रोविज़न डिलीट करने का था वह अब फिर वापिस रख दिया हैं। इसका बुरा असर किसानों पर बहुत पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहिले माननीय वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत किया था उसके बाद में फाइ-नेन्स बिल विचारार्थ था उस समय एक एमेन्डमेंट था उसके जरिये स्पष्ट घोषणा की थी कि जो काश्तकार प्रोड्यूस करते हैं और उस प्रोड्यूस को चाहे वह कितने ही एमाउन्ट में हो, उस पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा और किसी प्रकार का कन्ट्रोल नहीं होगा। वह किसी तरह से किसी को बेचे उस पर कोई अंकुश नहीं होगा। लेकिन माननीय अध्यक्षजी, अभी जो एमेन्डमेंट किया जा रहा है उससे साफ है कि ५ हजार की या उससे ऊपर की टर्न ओवर होगी उस पर भी काश्तकार को सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की हालत में रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इससे किसान लोगों को बहुत दिक्कत होगी क्योंकि गांवों में बहुत इल्लिट्रेसी है और प्रोड्यूस का टर्न ओवर ज्यादा हो सकता है और जब फाइनेन्स मंत्री ने घोषणा की और कहा था कि काश्तकारों पर किसी प्रकार का नियंत्रण इस सम्बन्ध में रखने का सरकार का इरादा नहीं है तो फिर यह क्यों रखा जाता है। काश्तकार अपनी कैश क्रोप को जिसे वह अपने कुओं पर पंम्पिग सेट लगा कर जिसमें उसका बहुत खर्चा होता है, पैदावार बढ़ाता है, उसे वह अच्छे भावों में बेचने के लिये पास की मंडियों में जाता है, अगर कोई काश्तकार फ्रॉड करे और टैक्स को एवोइड करने के लिये इस प्रकार की कोई कार्यवाही करे तो सरकार की ओर से उस काश्तकार के खिलाफ सीरियस स्टेप लिये जा सकते हैं। ऐसे करप्शन को आपका कोई भी ऑफिसियल या नोन-ऑफिशियल एजेन्सी के द्वारा रोका जा सकता है और पता लगा सकते हैं कि ऐसे काश्तकार ने वास्तव में खेती की है या नहीं, वैसे ही मंडी में जाता है, तो ऐसी हालत में काश्तकार अपनी प्रोड्यूस और प्रोडक्ट है किस तरह से बेचे और अच्छी कीमत पैदा करे तो आपको स्पष्ट मालूम पड़ता है कि काश्त को भी बाहर बेचेगा जब इन्टर स्टेट सेल टैक्स नहीं होगा, इसलिये यह टैक्स उस पर नहीं लगाया जाना चाहिये। इसमें करप्शन को बल मिलता है। अभी अभी बनेड़ा से आनेवाले माननीय सदस्य ने स्पष्ट कहा है कि इससे करप्शन की बहुत गुंजायश रहती है और अगर इसके लिये स्पेसिफाईड रूल्स में कोई प्रोविज़न नहीं तो काश्तकार से इसको वसूल करने का बड़ा खतरा है। इसलिये मैं वित्त मंत्री से काश्तकारों के इन्ट्रेस्ट की ओर से, जैसा वे बराबर कहते हैं कि मेरा भी काश्तकारों में बहुत इन्ट्रेस्ट है, हमेशा उनकी स्पष्ट घोषणा रही है तो मैं इस बारे में इस बार भी उनकी घोषणा चाहता हूँ कि क्लॉज़ २ में उन्होंने डिलीट करने का जो प्रावधान रखा है उसको वापिस ले लिया जावे। पहले था उसमें यह एड क्यों किया जा रहा।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

इसलिये मैं माननीय मन्त्री से यही आग्रह करूंगा कि यह प्रोविज़न है उसको आप प्रेस न करें और अब वापिस ले लिया जावे वर्ना काश्तकारों को बहुत तकलीफ होगी और चूंकि फाइनेन्स बिल पास हो गया है इसके लिये सरकार इसको शीघ्र विद्ड्रॉ कर ले।

माननीय अध्यक्षजी, दूसरा एमेन्डमेंट जुडिशियल प्रोनाउन्समेंट के सिलसिले में रखा है, उसमें एसेसमेंट में डाउट हो जाए तो उसको वापिस किसी भी समय खोला जा सकता है। सरकार के पास कौनसे ऐसे केसेज़ आये हैं। हमें वित्त मन्त्री बतावेंगे कि टैक्सेज़ के पहले एसेसमेंट में कितना टैक्स का लैन्ड का हुआ और बाद में ज्यादा हो, ऐसा कोई केस हो तो उसके बारे में जस्टीफिकेशन हो सकता है। यह क्लॉज़ १२ (१) में आपका अमेन्डमेंट है। क्लॉज़ १२(१) में जूडिशियल प्रोनाउन्समेंट्स के लिये प्रावधान रखा है, उसके सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि अगर केस सबजुडिस हैं, उसके बारे में एसेसमेंट अन्डर प्रोटेस्ट है, फाइनेलिटी ऑफ एसेसमेंट के पहले ही पेमेंट हो जाता है, तो सबजूडिस होने की हालत में ऑलरेडी ऐसा प्रावधान है, उस हालत में ऐसा नया प्रावधान रखने की क्या आवश्यकता है। जजमेंट हो जाय तब तक वेट किया जा सकता है। इसमें सरकार की क्या मंशा है, सरकार की ओर से इसका स्पष्टीकरण होना आवश्यक है। ऐसी कौनसी चीज़ हुई है, ऐसे कौनसे केसेज़ हुए हैं, ऐसी कौनसी परिस्थितियां पैदा हुई हैं, जिनकी वजह से कि केस ओपन करने की आवश्यकता महसूस हुई, इसके बारे में सरकार की ओर से स्पष्टीकरण होना चाहिये।

दूसरे अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १३ में सरकार ने अमेंडमेंट रखा है कि जो एसेसमेंट ऑर्डर है, नोट लाइबल फोर अपील, इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन्स डाली हैं। एसेसमेंट ऑर्डर के सम्बन्ध में किस हालत में बंदिश लगानी चाहिये कि वह अपीलेबल नहीं है। इसमें सरकार की क्या मंशा है। क्या कोई डिलेज़ होती हैं, क्या और कोई परिस्थितियां पैदा हुई हैं जिनकी वजह से यह रेस्ट्रिक्शन्स डाली जा रही हैं? एसेसमेंट गलत हो गया है उस हालत में एसेसमेंट ऑर्डर को अपीलेबल रखा जाय तो इसमें सरकार को क्या खतरा हो सकता है? एसेसटेन्ट होने पर टैक्स पहले ही जमा कर लिया जाता है, उसके बारे में इस प्रकार की रेस्ट्रिक्शन्स लगाने के बारे में सरकार के पास क्या रीज़न्स हैं; इस बारे में स्पष्टीकरण करें। यदि कोई खास रीज़न नहीं है तो एसेसमेंट ऑर्डर को अपीलेबल रखने में सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है, इस बारे में स्पष्टीकरण करें।

क्लॉज़ १६-ए के अन्दर कुछ ऑथेरिटीज़ को रखा है, जो ऑथेरिटीज़ विभाग की हैं, उनको एस. एच. ओज़ की पॉवर्स होंगी। मैं, माननीय अध्यक्षजी, सरकार का ध्यान आपके द्वारा इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि ऐसी विदाउट एनी लिमिट पॉवर देने में, पॉवर्स के मिस्यूज़ करने का खतरा रह सकता है। पहले इन ऑथोरिटीज़ पर अंकुश था, कमिश्नर की आज्ञा प्राप्त करनी पड़ती थी। इस तरह फ्री पॉवर देना उचित नहीं होगा। ए. सी, डिप्टी कमिश्नर वहां रहते हैं, इन्वेस्टिगेशन के पेरेलल पॉवर्स

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

पुलिस को हैं, तो इस तरह की पॉवर्स देने के हैरेसमेंट, मिसयूज ग्रॉफ पॉवर कई खतरे पैदा हो सकते हैं, इज्जतदार ग्रादमियों की इज्जत का सवाल पैदा हो सकता है। तो सीधे उनको इतने बड़े पॉवर्स देना शुरूग्रात में उपयुक्त नहीं होगा। पुलिस के खिलाफ जनता में इतना ग्रसंतोष रहता है, यदि इस प्रकार के विदाउट एनी लिमिट पॉवर्स इनको दिये गये तो कहीं टैक्सेशन डिपार्टमेंट भी पुलिस की तरह जनता के क्रिटिसिज्म का शिकार नहीं बन जाय। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि लोग्रर लेवल पर ग्रपील रखी जाय तो उत्तम होगा। फिली इतनी पॉवर बिगिनिंग में देना ठीक नहीं होगा।

माननीय ग्रध्यक्षजी, क्लॉज २२ में सीज्योर ग्रॉफ डोक्यूमेंट्स का प्रावधान रखने की सरकार की मंशा है। डोक्यूमेंट्स को सीज करने का, जो डुप्लीकेट ग्रकाउन्ट व्यापारी लोग रखते हैं, इससे टैक्सेज की चोरी होती है, उसको रोकने के लिये सरकार जितने भी सख्त प्रोविज़न बनाये, इसमें सदन के किसी माननीय सदस्य को एतराज नहीं होना चाहिये। परन्तु ग्रगर हैरेसमेंट के लिये डोक्यूमेंट्स सीज कर ले, ग्रनलिमिटेड पीरियड तक वे डोक्यूमेंट्स ग्रॉफिस में पड़े रहें तो यह ठीक नहीं होगा। इसके लिये कोई न कोई ग्रवधि ग्रवश्य रखनी चाहिये। यदि इमिजियेटली रिटर्न नहीं कर सकते तो सील लगाकर टाइम लिमिट रखने की ग्रावश्यकता है ताकि उनके डोक्यूमेंट्स ज्यादा समय तक ग्रॉफिस में पड़े नही रहें। इसके लिये कुछ न कुछ लिमिट, तीन महीने, ६ महीने की रखें तो लोगों को हैरेसमेंट नही होगा।

माननीय ग्रध्यक्षजी, इन तथ्यों के साथ राजस्थान टैक्सेशन लॉज ग्रमेंडमेंट बिल के जरिये, मेजर रूप में जो ग्रमेंडमेंट्स किये जा रहे हैं, उनके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार को टैक्सेज से ज्यादा से ज्यादा ग्रामदनी हो, टैक्स इवेजन की भावना जो लोगों में रहती है, उस टैक्स इवेजन की भावना को रोकने के लिये सख्त प्रोविजन बनाकर, सही रूप में सरकार टैक्स रिकवर करे तो इसमें किसी माननीय सदस्य की दो राय नहीं हो सकतीं, पर यह सभी जानते हैं, मन्त्री महोदय भी इस बात को मानेंगे कि लोग्रर स्टेजेज में ज्यादा पॉवर देने की भावना नहीं होनी चाहिये, ग्रंकुश रहना चाहिये, ग्रपील का प्रोविज़न रहना चाहिये, ताकि पॉवर्स का मिसयूज नहीं हो।

एक नया प्रोविज़न एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बारे में रखा है, उसके सम्बन्ध में सरकार का ध्यान एक बार ग्रौर ग्राकर्षित करना चाहूँगा। ग्रापने पहले स्पष्ट घोषणा की थी, उसके विपरीत काश्तकारों के लिये इस प्रकार का जनरल प्रोविज़न रखना, मैं समझता हूँ काश्तकारों के लिये बहुत बड़ा हैरेसमेंट पैदा हो सकता है....

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : ग्रध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : माननीय ग्रध्यक्ष जी, मैं इस सम्बन्ध में माननीय फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से ग्राग्रह करूंगा कि काश्तकारों को उनकी प्रोडक्ट्स बेचने के लिये पूरी स्वतन्त्रता ग्रौर पूरा ग्रधिकार होना चाहिये।

श्री नत्थीसिंह : माननीय ग्रध्यक्ष, कोरम पूरा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : सुन लिया।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : खाद्यान्नों के बारे में इतनी जोरों से बहस की जा रही है तो काश्तकारों को अपनी प्रोडक्ट बेचने में उन्हें स्वतन्त्रता दे कर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये इन्सेन्टिव देना चाहिये, वहां अपनी प्रोड्यूस को जहां भी उसे सहूलियत हो, वहीं बेचे, उसके लिये उसे सहूलियत होनी चाहिये; हां यह जरूर है कि कानून का मिसयूज़ नहीं हो, इसके बारे में गवर्नमेंट स्टेप ले सकती है। कानून के जरिये इस प्रकार का प्रावधान करने से इल्लिटरेट लोगों के लिये बड़ी असुविधा पैदा हो सकती है। इसलिये वित्त मन्त्रीजी को इस प्रकार के अमेंडमेंट को शीघ्र ही वापिस उठा लेना चाहिये।

श्री रामकिशन (वैर) : जो तथ्य सदन के सामने लाये गये हैं, वित्त मन्त्री इतने समझदार हैं कि उन तथ्यों को दुबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं, मैं समझता हूं वे इन्हें एक बार ही में स्वीकार कर लेंगे। केवल, किसानों को डीलर बनाने की बात है, उसकी मैं उन्हें याद दिलाता हूँ और उसे फिर दोहराना चाहता हूँ। हिन्दुस्थान का किसान पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा मुल्क होता तो ऐसा प्रावधान आप यहां बना सकते थे, पर इन अनपढ़ लोगों के लिये यदि सरकार ने सरकारी आदमियों को इस प्रकार की छूट दे दी तो किसानों को उसमें कितनी मुसीबत होगी, सरकारी अधिकारी कितना अनुचित लाभ उठा सकते है, इस चीज को वित्त मन्त्री जी खुद सोच सकते हैं।

तो पहला निवेदन यह है कि जिनका खेती-बाड़ी का धंधा है, ५ हजार, सात हजार की पैदाइश करते है, उनको रजिस्टर्ड डीलर की पाबन्दी से मुक्त कर देना चाहिये। मैं समझता हूं वित्त मंत्री इसे स्वीकार कर लेंगे। दूसरे जो सरकार ने कुछ टैक्स लगाए हैं, वैसे कोई भी सरकार जो देश का निर्माण करना चाहेगी वह टैक्सों के पीछे ...

(गण–पूरक घंटी)

तो अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन कर रहा था कि सरकार जो टैक्स लगाती है उन टैक्सों के पीछे एक भावना तो यह रहती है कि पैसा इकट्ठा करके देश का निर्माण किया जाय, लेकिन कभी कभी अच्छी भावनाओं के भी बुरे परिणाम निकलते हैं। निर्माण के बजाय विनाश की स्थिति पैदा होती है। अभी भी वित्त मंत्री महोदय ने चांदी और सोने पर टैक्स लगाया है, मैं उस संबंध में थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं, वैसे मैं और मेरे दल का कोई भी आदमी यह पसंद नहीं करेगा कि देश में औरतें चांदी और सोने का ज्यादा प्रयोग करें, लेकिन आदतें बनी हुई हैं और उन आदतों को छोड़ने में समय लगता है, इसलिए वित्त मंत्री ने जो कर प्रस्ताव किया है, खास तौर से चांदी के संबंध में, उस पर मेरा एक गंभीर आरोप और ऐतराज है। उसका कारण यह है कि अगर उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश में भी ऐसी रेट्स हों तब तो कोई असर होने वाला नहीं क्योंकि जो पहनना चाहेगा वह खरीदेगा, जिसको भी शौक होगा वह खरीदेगा। लेकिन हमारे राज्यों के चारों तरफ सीमाएं लगी हुई हैं और जिस तरह से टैक्स का प्रस्ताव आया है उससे सरकार की आमदनी बढ़नी चाहिए लेकिन आमदनी बढ़ेगी नहीं, लोग सीमावर्ती राज्यो में जाकर

(श्री रामकिशन)

खरीदेंगे। मैं अभी भरतपुर की बात कहता हूँ। एक साधारण किसान की बात करता हूं। अगर उसको १०० तोला चांदी लेनी है वह भरतपुर में नहीं खरीदेगा, क्योंकि ३०० रुपए कम से कम कीमत होगी, उस पर टैक्स होगा ६ रुपए, इसके बजाय वह मथुरा जायगा, १२ आना पैसा खर्च करेगा। मैं बड़े बड़े व्यापारियों की बात नहीं कहता हूं। उनको नफा हो न हो, चिंता नहीं, लेकिन राजस्व में बड़े घाटे की संभावना हो इसकी मिसाल पिछली बार सरकार को मिली है। जब जब इस तरह के टैक्सेज़ लिए हैं तो बजाय टैक्स बढ़ने के घट जाता है। दिल्ली में खरीद होगी और दूसरे राज्यों से खरीद होगी। इससे न तो राजस्थान सरकार को पैसा मिलेगा और साथ ही साथ जो स्वर्णकार हैं, छोटे छोटे व्यवसायी हैं, वे बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए इस टैक्स को जैसे आस-पास के राज्यों में है उनकी लेबिल पर लाने की कोशिश की जाय। उत्तर प्रदेश, पंजाब, वगैरह में जो टैक्स का रेट है वही आप करिए। उत्तर प्रदेश में आधा परसेंट टैक्स है। मैं व्यापारियों की वकालत नहीं करता, मैं सरकार की आमदनी की बात करता हूं जो आप कम करने जा रहे हैं, उससे लाभ नहीं होगा। मेरे पास नक्शा है जिससे मालूम पड़ेगा कि बिक्रीकर बढ़ने से सरकार की आमदनी बढ़ने के बजाय घट जाती है, क्योंकि जो खरीद का सिलसिला है वह दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाता है। इसलिए इसमें सर्राफों के भरतपुर और जयपुर के नक्शे दिए हुए हैं। १९६१–६२ में जिस दूकानदार ने ९,०००) रु. सेल्स टैक्स दिया, वह १९६३–६४ में सिर्फ ३००) रुपये रह गया। अब जैसे ३,००० तोले की चांदी की सिल्ली है उसकी ९,०००) रुपया ज्यादा कीमत होगी। जयपुर में कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि इस वक्त दिल्ली में ४५) रुपये टैक्स है और आप १८०) रुपये लेना चाहते हैं, कोई १३५) रुपए का घाटा नहीं उठाना चाहेगा। नतीजा यह होगा कि सरकार की आमदनी बढ़ेगी नहीं बल्कि जो यह व्यापार करते हैं और जो थोड़ा बहुत कर देते हैं वे भी और बेरोजगार हो जाएंगे, तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस टैक्स के मामले में सरकार से दुबारा विचार करे।

एक और समस्या खास तौर से मैं अलवर और भरतपुर जिलों की निवेदन करना चहता हूं। अब के साल सर्दी के कारण भरतपुर और अलवर जिलों में जो सरसों पैदा होती है वह करीब करीब खत्म हो गई है। नतीजा क्या होता है कि भरतपुर और अलवर के जो उद्योग चलते है उनके लिए सरसों या तो यू. पी. से पंजाब से आ रहे हैं। वह नुकसान वहां नहीं हो रहा है इसलिए नहीं हुआ है कि वहां कुछ नहरी इलाका है। अभी भी उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्थान और उत्तर प्रदेश की टैक्सों का हिसाब लगाकर, सरसों के मामले में रिबेट दिया है, उसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि वित्त मन्त्री जी उसका अध्ययन करें और देखें कि इधर के उद्योग भी नष्ट न हों और इधर से सरसों उधर भी न जाने लग जाए। एक चीज और मैं व्यक्तिगत मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं। वह व्यक्तिगत इस माने में कि आप टैक्स हर साल बढ़ाते हैं इस इरादे से कि सरकार की हालत सुधरे लेकिन मुश्किल यह है कि जब हम आपको कोई टैक्स की जानकारी देते हैं, जहां टैक्स की चोरी होती है, वह

Page No. 71

(श्री रामकिशन वैद्य)

आप रोकते नहीं हैं, बढ़ती चली जाती है। मैं अभी नीम के थाने गया था। उस इलाके में सेल्स टैक्स की बड़ी चोरी होती है. वहां तीन चार लाख रुपये टैक्स लगने का अनुमान है, एक लाख रुपया एसेस हो चुका है और तीन लाख होने का अंदाजा है। वहां जाने पर जानकारी मिली कि जिसके कागज पकड़े गए थे वे वापस कर दिए गए। मुझे मालूम नहीं कि कारण क्या है। चाहे मेरे दल का भी सदस्य हो, मैं इस चीज को ठीक नहीं मानता। स्टेट इन्कम नहीं घटनी चाहिए। जिस बहादुरी से अपने कागजों को पकड़ा था उससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ी थी और जिस कमजोरी से या ढिलाई से लौटा दिए हैं उससे स्टेट इन्कम गिरी और आपकी प्रतिष्ठा भी।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : यह खबर शायद आपके साथियों ने दी है। बात यह है कि ढ़ाई लाख का एसेसमेंट हो चुका है, आगे चल नहीं सकता क्योंकि उन्होंने अपील रेवेन्यू कोर्ट में कर रखी है इसलिए यह केस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में पड़ा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : ढाई लाख टर्न-ओवर है ?

श्री बालकृष्ण कौल : ढाई लाख का टैक्स है। साल भर के बाद में उनको किताबें वापस की गई हैं।

श्री रामकिशन : मैं कोई ऐसी बात कहने वाला नहीं जिसमें आप तकलीफ में आएं। मैं ऐसी बात कहूंगा जिससे आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि चोरियां रुकें।

श्री बालकृष्ण कौल : आप गलत बयान न करें।

श्री रामकिशन : अगर गलत बयान किया तो क्षमा मांगूंगा, मगर जो ढ़िलाई आपने उस क्षेत्र में दिखाई उससे आपकी जो प्रतिष्ठा बढ़ी थी वह घट गई। मेरी पार्टी तो कहीं घाटे में रहने वाली नहीं है, आप कहीं घाटे में न रह जाएं। जो आपने यह चीज पकड़ी उसकी जानकारी भी मेरी ही पार्टी ने आपको दी। हमारा दृष्टिकोण तो यह है कि गरीब लोगों पर टैक्स न डाला जाय। मुझे यकीन हैं कि इस ढाई लाख वाले मामले में भी कोई लीगल कमजोरी होगी, उसकी वजह से लौटाया है।

श्री बालकृष्ण कौल : कुछ नहीं लौटाया है।

श्री रामकिशन : कागज लौटाए हैं, जैसे आपने कहा है। मेरा निवेदन यह है कि इस तरह के मामले जहां कहीं भी हों, कोई भी टैक्स का चोर हो, चाहे सोशलिस्ट हो, चाहे कांग्रेसी, उनको नहीं छोड़ना चाहिए। मैं समझता हूं कि जो दो–तीन बातें, चांदी, सरसों और किसान के बारे में मैंने रखी हैं उस पर वित्त मन्त्री विचार कर लेंगे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : अब काफी बहस हो गयी है। माननीय सदस्य जानते है कि काफी बिल रह गये है। कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि आज शाम को सिटिंग कर ली जाय।

श्री भैरोंसिंह : कर ली जाय, सुबह करली जाय, शामको कर ली जाय। क्या फर्क पड़ता है।

श्री दलपतसिंह (आबू) : अध्यक्ष महोदय, मेरा अमेन्डमेन्ट है। पांच मिनट बोलना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : कहां है अमेन्डमेन्ट आपका ?

(विराम)

अमेन्डमेन्ट पर तो अभी नहीं आये हैं। खैर पांच मिनट बोल लीजिये।

श्री दलपतसिंह : अध्यक्ष महोदय, ...

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, निवेदन यह करना है कि यह बिल बड़ा इम्पोर्टेन्ट है और जो समय इसके लिए निर्धारित किया है उसमें इसको पास करना बड़ा कठिन होगा। इसकी क्लॉजिज पर काफी अमेन्डमेन्ट्स हैं। यह टैक्सेशन का बिल है, इसलिए भी इस पर काफी माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे इसलिए समय एक्स्टेन्ड, किया जाय।

श्री अध्यक्ष : समय तो काफी एक्स्टेन्ड हो चुका है यह व्यवस्था की जा सकती है कि आज इस बिल को पास कर दिया जाय और दूसरे बिल लिये जाने हैं वे शाम को ले लिये जांय पांच बजे।

श्री भैरोंसिंह : यह नहीं पास हो सकेगा।

श्री अध्यक्ष : दो-एक माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहें तो विचार रख दें। संशोधन पर तो सीमित तरीके से बहस होगी। अभी चाहे तो विचार रख लें।

श्री दलपतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मै निवेदन कर रहा था कि हाउस के सामने अभी राजस्थान टैक्सेशन लॉ हैं, उसके द्वारा वित्त मंत्री महोदय राजस्थान की जनता पर कई तरह के टैक्स लगा रहे हैं। कई टैक्सेज की तरफ और कई क्लॉजेज की तरफ ब जाकर, काश्तकारों पर टैक्स का भार पड रहा है उसके लिए माननीय वित्त मंत्री का आपके द्वारा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

जब बजट शुरू हुआ था, २६ तारीख को यहाँ पर एक प्रश्न उठाया गया था कि राजस्थान के काश्तकार अपनी प्रोडक्ट को राजस्थान से बाहर, दूसरी मंडियों में सेल करने के लिए ले जाते हैं, तो एक क्लॉज के सिलसिले में माननीय उप-वित्त मंत्रीजी ने यहां हाउस में स्पष्ट किया था कि इस क्लॉज के द्वारा कोई भी काश्तकार अपनी चीज को बाहर लेकर जाता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जायगा। जब माननीय सतीशचन्द्रजी ने वापिस पूछा था कि किस क्लाज के द्वारा यह किया जा रहा है तो वित्त मंत्री महोदय ने खड़े होकर कहा था कि कानून बिल्कुल साफ है और राजस्थान का कोई काश्तकार राजस्थान से बाहर अपनी प्रोडक्ट को किसी भी मंडी में सेल के लिए ले जाता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। माननीय अध्यक्ष, आपके रुबरू बहस करने के बाद इसको डिलीट करने का चल रहा है। काश्तकारों की डिफिकल्टीज के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, लेकिन एक प्रश्न के उत्तर में माननीय उप-वित्त मंत्री और माननीय वित्त मंत्री ने

(श्री दलपतसिंह)

क्लीयर कन्फेस किया था हाउस में, राजस्थान के काश्तकार पर कोई अपनी प्रोडक्ट को सेल के लिए राजस्थान से बाहर ले जाता है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, जीरा, कॉटन, सीड, एरन्डी, आदि अपनी प्रोडक्ट को कोई काश्तकार बाहर ले जाता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जब हमारा सेशन होली के त्योहार पर ब्रेक हुआ तो काश्तकारों को जब ये समाचार हमने सुनाये तो काश्तकारों ने बड़ी खुशी के साथ होली खेली। उन्होंने यह देखा कि जिस क्लॉज के इम्प्लीमेन्टशन के कारण उनको बड़ी भारी डिफिक्लटीज़ हो रही थी, सरकार ने विचार बिमर्श करके सरचार्ज में भी सरल तरीका किया था, जीरा जो बाहर जा रहा था उनमें भी सरल तरीका अपनाया, यह भी कहा कि हम अपने नीचे के अधिकारियों को हिदायत कर देंगे किसी भी प्रोडक्ट को काश्तकार बाहर लेजावेगा तो उस पर कोई डिफिकल्टी नहीं होगी और चार्ज नहीं किया जायगा। जब ये समाचार सुनाये कि राजस्थान सरकार ने काश्तकारों की यह डिफिकल्टी देख कर आयन्दा इम्प्लीमेन्टेशन ठीक होगा. वे बहुत खुश हुए। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जब होली से वापिस आते हैं, जिस खुशी के समाचार को वित्त मन्त्री ने सुनाया था कि काश्तकारों पर टैक्स नहीं लगेगा, जिसका हमने हाउस में तालियां पीट पीट कर स्वागत किया था, लेकिन उसी के दर्मियान में एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ कि जब बजट के भाषण पर मैं बोल रहा था और इस पर रिफलेक्शन डालना चाहा तो वित्त मंत्री महोदय ने खड़े होकर कहा कि यह बिल्कुल ठीक बात है और राजस्थान सरकार काश्तकारों के प्रोडक्ट पर एक्सपोर्ट सेल पर कोई टैक्स नहीं लगायेगी। बजट जब पेश होता है तो उसके साथ टैक्सेशन बिल भी प्रिन्ट हो जाता है। ६ तारीख को बजट पेश हुआ, बिल भी प्रिन्ट हो गया और पहले यहाँ पर वित्त मंत्री ने ओन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस यह डिक्लेरेशन किया था, ६ तारीख को बजट के वक्त में भी कि काश्तकारों पर उनकी प्रोडक्टस के सेल के लिए कोई टैक्स नहीं लगायेंगे, लेकिन जब कल इस टैक्सेशन बिल को देखा तो मैं यह देखता हूँ कि जो क्लॉज़ काश्तकारों के लिए अच्छा था उसको डिलीट किया जा रहा है और उसके कारण काश्तकारों पर उनके प्रोडक्टस की सेल पर कोई टैक्स नहीं था उसको वापिस लगाने वाले हैं, यह देख कर बड़ा दुख हुआ। इससे मन पर बड़ा असर हुआ, हाउस की सैन्क्टिटी पर भी बड़ा धक्का लगा है, हाउस के अन्दर जो डिक्लेरेशन किया गया था, जो क्लीयर कन्फेशन था, उसके विपरीत जाना, यह हाउस के ब्रीच ऑफ प्रिविलेज में आता है। मैं चाहूंगा कि वित्त-मंत्री महोदय इसका जवाब दें कि बजट के साथ साथ जब बिल प्रिन्ट हो जाता है, आपने जब यहां हाउस में डिक्लेयर कर दिया ६ तारीख को और १०, ११ तारीख को भी मेरे भाषण के समय क्लीयर किया था कि टैक्स इस प्रकार से वसूल नहीं करेंगे, तो फिर यह क्लॉज किस प्रकार डिलीट होने के लिए आया है। या तो वित्त मंत्री को यह पता ही नहीं था डिस्कशन के वक्त या उन्होंने बिना देखे ही कह दिया या हाउस के अन्दर, क्लीयर कन्फेशन उनके द्वारा करने पर भी डेमोक्रेसी पर ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो गई है कि जिस तरीके से चाहे उसको करवा ले; जैसा चाहे उनको मोड़ दें; हाउस की सेन्क्टिटी को समाप्त करें। माननीय वित्त मंत्री को पता ही नहीं था कि संशोधन रखा

(श्री दलपतसिंह)

हुआ है। काश्तकारों के लिए जो क्लॉज ठीक था उसको किस तरह से डिलीट किया जा रहा है। पहले यह कहा कि एक्सपोर्ट पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, अब उसको वापिस ले रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी एरिया में डिफिकल्टीज होती हैं तो पहले ही उसको हम हाउस में ले आते हैं। हाउस में बहस का कायदा यह है कि रूरल एरिया में ट्रेवल करते हैं और उनको जो डिफिकल्टीज होती हैं उनको मालूम करके यहां हाउस में रखें, जो कान्ति होती है उसको हाउस में रखते हैं और जो टेम्पो बनता है उसका निचोड़ होता है, वह और होता है और उसका इम्प्लीमेन्टेशन नीचे के अधिकारी करते हैं।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : कम से कम आपको यह अवसर तो मिल रहा है कि आप अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप अपने शब्दों से नहीं मुकरते तो यह मौका नहीं मिलता।

श्री दलपतसिंह : आप वित्त मंत्री हैं।

(११.०० म० पू०)

श्री अध्यक्ष : The Minister should not take it so lightly.

श्री भैरोंसिंह : He is not in such a habit.

श्री दलपतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि जो क्लॉज डिलीट करने का नहीं था वह किस वजह से कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, किसी सेक्रेटरी के कहने के वजह से........

श्री बालकृष्ण कौल : Why do you name the Secretary ? I am responsible for everythi g.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : कभी तो आप कहते हैं, यह तो सेक्रेटरीज ने कर दिया और कभी कहते हैं मैं जिम्मेवार हूं।

श्री बालकृष्ण कौल : मैंने ऐसा नहीं कहा।

श्री दलपतसिंह : अध्यक्ष महोदय, हाउस में तारीख ६ को बजट का डिक्लेरेशन होता है और उसके साथ ही बिल भी प्रिन्ट हो जाते हैं। तारीख १० व ११ को जिस समय बजट पर बहस चल रही थी उस समय क्लीअर किया था, फिर भी जब हाउस में आपने सेंक्टिटी दे दी फिर भी आप अगर नहीं करते हैं तो उसका मतलब यह हुआ कि या तो सेक्रेटरीज आपके कहने के मुताबिक नहीं करते या आप कहते हैं उसके अनुसार सेक्रेटरीज नहीं करते। आप देखेंगे हमारे राजस्थान में कपास की मिल नहीं, वैसी हालत में काश्तकार को अपना प्रोडक्शन बाहर भेजना होता है, यहाँ पर रिफाइन्ड स्टेपल वाली मिल नहीं है। आपके इस बिल की वजह से इतना बड़ा धक्का पहुँचा किसानों को अपना माल ले जाने के लिये। लास्ट टाइम दुख हुआ था उस समय हमारी रिक्वेस्ट पर आपने गहराई के साथ विचार करके यह प्रोवीजन रखा था कि राजस्थान से जो माल एक्सपोर्ट करते हैं उनसे किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जायेगा। लेकिन उसको आप निकाल रहे

(श्री दलपतसिंह)

हैं यह आपने जो हाउस में मन्जूर किया था उसके विपरीत है।

मैंने इस सम्बन्ध में खास तौर से बजट के समय रखा था उस समय भी आपने फरमाया था कि यह इसी प्रकार से रहेगा। लेकिन हम देखते है आप इसको डिलीट करने जा रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि काश्तकारों के भले के लिये इसको आप ऐसे का ऐसा रहने दें। ताकि काश्तकारों के सामने जो दिक्कते हैं वह आप रिमूव कर सकें। अध्यक्ष महोदय, हमारा एरिया गुजरात के एरिये से मिला हुआ है। वहां पर जो चीजें एक्सपोर्ट होती हैं उन पर यह लॉ इस प्रकार से इम्पलीमेंट होगा। क्लॉज के बारे में सफाई होने पर भी काश्तकार से ५००), ६००) रुपया लिया गया, फिर मैं आपसे कहता हूँ सेक्रेटरीज़ या डाइरेक्टर जो भी अधिकारी है उन्होंने आपके इस प्रकार तरमीम रखने के बावजूद भी उन्होंने इम्पलीमेंटेशन करने के समय में गलती की। आपने स्वयं ने वह क्लॉज सुनाया था जो सिम्पल था, इतना सिम्पल होने के बाद भी एक-एक ट्रक के ऊपर ५००), ६००) और ९००) रुपया तक लिया गया। इस पर आपने यह भी कहा कि काश्तकारों के लॉ पर इम्पली-मेंटेशन के कारण रोंगफुली जो टैक्स लग गया है उसको हम वापिस लौटा देंगे। अध्यक्ष महोदय, आज हमारा ८० प्रतिशत काश्तकार अनपढ़ है, उससे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह अपने टैक्स को लौटाने के लिये डाइरेक्टर या सेक्रेटरिएट के चक्कर लगायेगा, आपके सामने अपील करेगा। मैं यह चाहता हूँ कि काश्तकारों से सम्बन्धित जितने भी कानून हों, जिस प्रकार से भी लॉ को इम्पलीमेंट करें वह बहुत सिम्पल होना चाहिये, चाहे डाइरेक्ट टैक्स हो, चाहे इनडाईरेक्ट टैक्स हो उनका प्रोसीजर बहुत सिम्पल और उनके समझ में आने वाला होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, इस साल कोल्ड वेव आ जाने से भरतपुर के इलाके में सरसों की फसल को भारी हानि हुई है, इस साल काश्तकारों के लिये बहुत ही खराब मौसम रहा है। आप गेहूँ का प्रोडक्शन देखेंगे तो आप को मालूम हो जायगा। नवरात्रि और दीपावली के बीच थोड़ी सी बरसात होने पर लोगों ने खेतों में बीज डाल दिये। बीज बोने के बाद ऐसी गर्मी पड़ी कि वह बीज चौपट हो जाता है और उसके बाद लोगों को वापिस बीज बिखेरना पड़ता है। उसके बाद कपास की फसल को भारी नुकसान होता है, उसमें कितनी ही डिज़ीज़ लग जाती हैं, सरसों जहाँ भरतपुर के इलाके में कोल्ड वेव के कारण खराब हो गई, हमारे सिरोही और जालोर में अच्छी किस्म की भूमि में जहाँ ८० प्रतिशत फसल हुआ करती थी वहाँ पर पांच प्रतिशत भी फसल नहीं हुई। मैला नाम की बीमारी से लोगों के दस परसेंट भी सरसों नहीं हुई।

आज राजस्थान का किसान रोटेशन ऑफ क्रोप की पॉलिसी को एडॉप्ट करके अपना एग्रीकलचर प्लान इम्प्रूव करता है। मिर्च, कपास, धनिया आदि बारी-बारी से बोता है। रोटेशन क्रोप नहीं बोता है, ग्रेडिंग वगैरह, डर्टीनेस वगैरह आ जाती है। रोटेशन क्रोप करके अब हमारे यहाँ का किसान कुछ प्रोग्रेसिव लाइन पर आया है। लेकिन आप की जो पॉलिसी चल रही है उससे किसान परेशान है।

(श्री दलपतसिंह)

एक तरफ आप देखेंगें इन्डस्ट्रियल सेक्टर के अन्दर, अभी हमने कोटा के अन्दर देखा है करोडों रुपया आप खर्च कर रहे हैं। इन्डस्ट्रियल सेक्टर को आप हर प्रकार से फायदा देने की बात करते हैं। बिजली सस्ती उनके लिये, वाटर की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, जितनी तवज्जुह आप इन्डस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ाने में दे रहे है उसके बिल्कुल उल्टा दूसरी तरफ जब कि एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा भी प्रोग्रसिव लाइन पर आया नहीं कि उस पर टैक्स लगाने का सोच लिया। थोड़ा भी प्रोडक्शन बढ़ाने का सोचा नहीं कि उसको टैक्स के भार से लाद दिया। और दूसरी चीजों में न जाकर मैं वित्त मन्त्री जी से अर्ज करूंगा कि आप जो क्लॉज़ डिलीट करवाने वाले हैं वह न करवा कर आप काश्तकारों के हित में उसे वैसा का वैसा रहने दीजिये। और आप नीचे के अधिकारियों को इस प्रकार का आदेश दें ताकि वे काश्तकारों के साथ सहृदयता का बर्ताव करें। किसी एक बनिये से पैसा ले लिया तो उसके आप ६० परसेन्ट काश्तकारों को एक्स्प्लोइट करें, यह उचित नहीं है। आपके बी० डी० ओज़ रहते हैं उनके थ्रू आप काश्तकारों से व्यवहार कर सकते हैं। आपको पॉवर्स दे दिये, आपके पास टेक्निकल स्टाफ है और सब तरह का अमला है, आप ऐसा सिम्पल तरीका निकालिये जिससे काश्तकार को हैरेसमेन्ट न हो। आप ने प्रोवीजो रखा है जिसमें पांच हजार से ऊपर जिसके सेल होती है उसको फ्री रखा है, Let him free from all difficulties. अगर इस तरह से आपने फ्री कर दिया तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, इससे काश्तकारों पर साइकोलोजिकल हिट होता है, तो प्रोडक्शन पर हिट होता है और प्रोडक्शन पर हिट होता है तो नेशनल कोन्शयसनेस को हिट होता है। इसलिये काश्तकारों के प्रति आपको स्वच्छ विचार-धारा रखनी चाहिये, इससे राजस्थान का प्रोडक्शन बढ़ेगा। अन्त में मेरा यह निवेदन है कि काश्तकारों के साथ सिम्पल और अच्छे व्यवहार के साथ डील करें।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, तीसरी पंच वर्षीय योजना के आरम्भ में हमारी सरकार इस योजना की पूर्ति के लिये ८० करोड़ रुपये का धन राज्य सरकार ने जुटाने का संकल्प लिया है। राज्य सरकार ने जो इस ८० करोड़ रुपये की धन-राशि जुटाने को जिन मदों को शामिल किया था उन मदों में वे चाहे सेल ऑफ लैन्ड हो, बेटरमेन्ट लेवी हो, चाहें स्माल सेविंग का शेयर हो, इस प्रकार से जितने भी आइटम्स थे उन सब के अन्दर हमारी सरकार इन आंकड़ों को पूरा नहीं कर सकी। लेकिन रेवेन्यू अकाउन्ट के अन्दर यह सरकार एड करना चाहती है, उस स्थान पर भी माइनस के अन्दर सरकार सदन द्वारा पूर्ति कराने की चेष्टा करती है। जहाँ तक एडीशनल टैक्सेशन का सवाल था ३२ करोड़ रुपये का कार्यक्रम अपने हाथ में लिया था। जिस समय चीन ने आक्रमण किया उस पृष्ठभूमि में प्लान के सारे प्रावधानों के ऊपर पुनर्विचार किया गया। उस पुनर्विचार के समय इसको दो भागों में विभाजित किया गया, एक तो कोर ऑफ प्लान और बाकी का सम्बन्ध राज्य सरकार के रिसोर्सेज़ पर अधिक पड़ता है, उसके ऊपर भी पुनर्विचार किया गया। सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि ३२ करोड़ रुपया एडीशनल टैक्सेज़ द्वारा प्लान की पूर्ति के लिये लेने वाले थे, लेकिन राज्य सरकार यह जानती है कि जनता को आर्थिक स्थिति इतनी खराब है

(श्री भैरोंसिंह)

उस स्थिति को ध्यान में रख कर हम ३२ करोड़ रुपया इकट्ठा नहीं कर पायेंगे और हमारी यह राशि २४ करोड़ से आगे नहीं बढ़ सकी।

सरकार ने जो ड्राफ्ट नोट इस सदन में प्रस्तुत किया उसमें भी सरकार ने स्वीकार किया था कि राजस्थान की जनता की आर्थिक स्थिति जिस प्रगति में रहनी चाहिये नहीं रह पावेगी, जो सामर्थ्य होनी चाहिये जनता की वह नहीं हो पायगी और नहीं हो पाई। इसलिये २४ करोड़ से अधिक टैक्स का प्रावधान नहीं कर सकते।

इस पर यह तो स्वीकार किया है कि स्मॉल सेविंग्स के अन्दर भी जितनी राज्य सरकार को आमदनी होनी चाहिये वह नहीं हो पाती। इसका रीजन् भी यह बताया कि लोगों के पास पैसे की गुंजाइश नहीं है, इन्कम से ज्यादा एक्सपेन्डीचर हो जाता है। बचत की कोई गुंजाइश नहीं महंगाई के कारण। इसका प्रभाव इन स्माल सेविंग के कन्ट्रीब्यूशन पर पड़ा।

तो यह निर्विवाद रूप से सही है कि राजस्थान के लोगों की हालत अधिक टैक्स का बर्डन बर्दाश्त करने की नहीं है।

राजस्थान सरकार आज शायद यह कह सकती है कि आज के डेढ़ वर्ष पहले कोर ऑफ दी प्लान के ऊपर विचार करते समय जो २४ करोड़ की मैग्जिमम लिमिट विचार में रखी थी वह आज सरकार के विचार से तीसरी पंचवर्षीय योजना के परिणामों के आधार पर २४ करोड़ के बजाय ३२ करोड़ तक चली जावेगी; ऐसा अनुमान है सरकार का। तो एक तो मैं यह नहीं समझ पाया कि १।। वर्ष पहले राजस्थान के लोगों की आर्थिक हालत खराब थी इस कारण से २४ करोड़ का केलकुलेशन कर रहे थे, वहां आज १।। साल बाद जब कि यहां के लोगों की पर-कैपिटा इन्कम घटी है, पर-एकड़ ईल्ड गिरा है, फूड प्रोडक्शन में कमी आई है, नेचरल कैलेमिटीज़ के कारण आर्थिक संकट आया है, तो इस सारी परिस्थिति में सरकार ने यह कैसे एस्टीमेट लगाया कि २४ करोड निर्धारित राशि बढ़कर ३२ करोड़ तक पहुँच जावेगी। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि ३२ करोड..........

श्री बालकृष्ण कौल : (वित्त मंत्री) ३२ करोड़ ही की थी।

श्री भैरोंसिंह : मुझे आप इन्टरप्ट न करें तो ज्यादा अच्छा हो, क्योंकि आप को कुछ भी जानकारी इसकी नहीं है। आप देखें, इसमें साफ लिखा है :

प्रत्येक प्रयत्न के बावजूद

× × ×

आगे लिखा है :

"३२ के स्थान पर २४ करोड़ एकत्रित कर पावेंगे।"

पहले हमने यह आशा की थी कि तीसरी योजना की अवधि में ३२ करोड़ के अतिरिक्त कर लगाने में समर्थ हो सकेंगे। परन्तु परिस्थिति पर पुनः विचार करने पर राजस्थान की वर्तमान × × यह महसूस किया गया है कि हम इस × × से २४ करोड़ से अधिक प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे।

× × × ×

यह डेढ़ वर्ष पहले की बात है। यह सरकार की ओर से तीसरी योजना पर

× × × (भाषण अनुमोदित होकर प्राप्त नहीं हुआ)।

(श्री भैरोंसिंह)

पिछले वर्ष इस सदन में एक ड्राफ्ट पेश किया गया था, इसका उद्धरण पढ़कर मैंने सुनाया है।

इसके साथ मिड टर्म प्रोपोज़ल पेश किया है उसमें २४ करोड का ध्यान नहीं रखा। आप यह मानकर चलते हैं कि हम ३२ करोड कर देंगे, मेरे पूछने का आशय यह है कि डेढ़ वर्ष में आर्थिक स्थिति इस राज्य की गिरी है उस हालत में भी आठ करोड़ के अतिरिक्त कर लगाकर उस पर आप फिर घोर आघात करना चाहते हैं, इसलिये आवश्यक था कि सरकार इस पर विचार करती कि हम प्लान एस्टीमेट के लिये जितनी इन्कम के लिये कमिटेड हैं और जिस समय कमिट किया उस समय से आज दिन तक कितना अन्तर आया है जिसके कारण २४ करोड़ से ३२ करोड़ किया है टार्गेट।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी आबू से आने वाले माननीय सदस्य ने विस्तार से एक चीज का उल्लेख किया। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, पर संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी राजस्थान सरकार की प्रवृत्ति यह बनती जा रही है कि सदन को बिना कॉन्फीडेन्स में लिये बजट प्रोपोज़ल्स पेश किये जाते हैं, उस समय जो जो एडीशनल इन्कम होने वाली है उसकी क्लीयर कट पिक्चर नहीं रखती। सदन को गुमराह करते हैं और यदि मैं इसके लिये इन शब्दों का भी प्रयोग करूं कि सदन को अन्धकार में रखकर राजस्थान की जनता को धोखा देने की प्रवृत्ति से इन चीजों को छिपाया जाता है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।

पिछली बार सरकार की तरफ से केटेगरिकली इश्योरेन्स दिया गया था कि जो बजट प्रोपोज़ल्स के जरिये टैक्सेज़ के प्रावधान लेकर चले हैं उनमें कोई इजाफा किसी नये प्रोपोज़ल से नहीं किया जावेगा। इसके बाद बजट स्पीच में बताया था कि १४ आइटमों पर नये टैक्सेशन के प्रोपोज़ल्स दिये, उनको इम्लीमेन्ट किया। पर सरकार की इन्कम बढ़ाने की मंशा से आपने और कदम उठाये, और प्रोपोज़ल रक्खे। इस तरह से जहां सन् ६१-६२ में ४६७ करोड़ की सेल्स टैक्स की आपकी आमदनी थी, वहां ६४-६५ में आप उसे १ हजार करोड़ रुपये के आस-पास लेकर चलते हैं। यह अन्डर हैन्ड से, बैक डोर से कोई प्रोपोज़ल जोड़ने और अमेन्डमेन्ट करके इन्कम बढ़ाने की प्रवृत्ति, मैं तो यही कहूँगा, अच्छी नहीं है। यह सदन के साथ विश्वास-घात है जिसका अगर मूल्यांकन किया जावे तो इसके सिवाय कोई परिणाम नहीं निकल सकता कि सरकार सब कुछ जानबूझ कर करती जा रही है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा ....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : It is due to the efficiency of the department in realisations,

श्री भैरोंसिंह : यह मैं ऐसा समझता हूं कि रियलाइजेशन की इफीशियेन्सी होती तो माननीय वित्तमन्त्री महोदय ने जो अपना बजट भाषण दिया है उसमें स्टाम्प ड्यूटी पर यह लिखा है कि १५ लाख की स्टाम्प ड्यूटी में चोरी होती है, हम उसे रोकेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि उनसे जो इफीसियेन्सी की डींग हांकते हैं, जो कहते है हमारा कन्ट्रोल बहुत ज्यादा है, तो फिर उन्होंने आज तक इस १५ लाख की चोरी को कैसे होने दिया ? यह जो १५ लाख की चोरी की स्टाम्प में होती है जिसका आपने उल्लेख कर दिया, पर बाकी

(श्री भैरोंसिंह)

के टैक्सों में कितनी चोरी होती है उसका अनुमान लगाया है आपने ? उसको भी रोकने की व्यवस्था की है आपने। तो मैं तो इल्जाम लगाता हूँ सरकार पर, वित्त मन्त्री महोदय पर कि जिस समय से यह स्टाम्प ड्यूटी लगी है; एक साल में १५ लाख की चोरी होती है, तो आजतक क्यों आप सोते रहे, राज्य सरकार ने क्यों नहीं एक्शन लिया और आज तक इन पिछले पांच सालों में ७५ लाख की चोरी क्यों बर्दाश्त की ? जिसके कारण जो सरकारी खज़ाने में अभाव हुआ उस की पूर्ती गरीब और कर-भार से ही दबे हुए लोगों को करनी पड़ी सरकारी खज़ाने को भरने के लिये।

हमारी सरकार और हमारे ये मंत्री महोदय इसकी चिन्ता नहीं करते। स्टाम्प ड्यूटी में चोरी होती है यह वे एडमिट करते हैं, तो जब चोरी होती है और आप नहीं रोक सके तो फिर आजतक आप तनख्वाह मुफ्त में क्यों लेते रहे, चोरी रोकना आपका काम था, काम आप नहीं कर सके तो तनख्वाह किस बात की ली। यह मामला ऑपोजीशन वालों ने नहीं रखा कि यह चोरी रोकी जावे। मुझे तो खुशी है कि आखिर सरकार बजट स्पीच में कहकर चलने लगी कि हमारे राज में चोरी भी होती है। अब अगर चोरियां होती हैं तो आप किस लिये बैठे हैं। आपकी यह आर. ए. एस. की आर. पी. एस. की, इन अफसरों की यह मशीनरी किस लिये बैठी है ? इनकी भरमार आपने किस लिये कर रखी है ? आप कौन कौन से प्रावधान टैक्स के हो सकते हैं इस पर तो आपने सारे आर. ए. एस , आई ए. एस. अफसरों की सारी मशीनरी की ओपीनियन सीक करते हैं। पर अगर आपने अपने पर अंकुश लगाया होता, इस मशीनरी को टाइट किया होता और अगर इन टैक्सों की चोरियों को रोकने की कोशिश की होती कि इन टैक्सों की चोरी होती है उसको रोका जावे और उस आमदनी से घाटे की पूर्ति की जावे तो आपको नये नये आइटमों पर टैक्स लगाने की नौबत नहीं आती, नये नये टैक्स के प्रावधान ढूंढने की जरूरत नहीं पडती।

अध्यक्ष महोदय, टैक्स लगाने की व्यवस्था करने से पहले राज्य सरकार को विचार करना पड़ेगा कि हमारे यहां के लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है; हमारे यहां के उद्योगों की स्थिति क्या है; कृषि उत्पादन की स्थिति क्या है। इन तीन चीजों को ध्यान में रखकर समझदार सरकार नये टैक्सों के प्रोपोज़ल करेगी। पर हमारी बद-किस्मती ऐसी हैं कि हमारी यह सरकार इन बातों की चिन्ता नहीं करती। हमारे इन वित्त मन्त्रीजी को यह सौभाग्य हासिल कि इन्होंने राजस्थान में रेत से लेकर मिट्टी से लेकर चांदी तक पर टैक्सों की व्यवस्था कर दी है। आज दिन तक मिट्टी, चूना, पत्थर आदि बिल्डिंग मेटीरियल पर टैक्स नहीं लगा, पर आज लगेगा मिट्टी, पत्थर, ईंट चूना रेत आदि पर। अब आपने छोड़ा क्या है ? रेत पर तो टैक्स लगा दिया, अनाज पर लगा दिया, रोटी पर टैक्स लगा दिया। आपने यहां के गृह उद्योगों पर, उनकी चीजों पर, उनके रॉमेटीरियल पर, साडियों पर टैक्स लगा दिया। कोटेज इन्डस्ट्री को आपने खत्म कर दिया इस तरह से। छोटी छोटी चीजें पैदा हो सकती थीं उन पर टैक्स लगाकर आपने उनकी भी हत्या करदी। चांदी पर टैक्स लगा दिया। इसका मतलब

(श्री भैरोंसिंह)

यही है कि उनके दिमाग में एक ही बात चल रही है कि किसी तरह से राजस्थान को तबाह किया जाय । यहां की इन्डस्ट्री का गला घोंट दिया जाय, यहां के एग्रीकल्चर उत्पादन को खत्म कर दिया, जाय । आप विश्वास सदन में कुछ भी दें, आप कितना ही आश्वासन दें सदन में कि वे एग्रीकल्चर पर, किसान पर टैक्स नहीं लगावेंगे पर आपने आज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर टैक्स लगा दिया है; इसके बाद राजस्थान के वित्त मन्त्री पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है जो वे बात सदन में कहते हैं उसकी कोई सेंक्टिटी नहीं है । फिर भले ही इसको हटाने के लिये सरकार से संघर्ष करें या अपने अधिकारियों से संघर्ष करें । आप उसे उगाहने के लिये सरकार से संघर्ष कर सकते हैं, अपने अधिकारियों से संघर्ष कर सकते हैं ।

इस सदन में आपने इस बार कहा कि एग्रीकल्चर पर कोई टैक्स नहीं लगेगा । पर हमारी सरकार ने प्रावधान कर दिया । मैं पूछना चाहता हूँ कि बजट स्पीच में आपने एक बात कही और फाइनेन्शियल बिल के अन्तर्गत जो आपने एडीशनल टैक्स का प्रावधान रखा है, कई अमेंडमेन्ट करके कई चीजों को टैक्स के परव्यू में लाने की कोशिश की है और उसके आधार पर जो इन्कम सरकार को होने वाली है, उसका उल्लेख आपने बजट स्पीच में क्यों नहीं किया ? आपकी आदतें पड़ी हुई हैं सदन को अन्धकार में रखने की । जितने अमेन्डमेन्ट किये हैं उनके द्वारा जनता के धन सम्पत्ति पर आपने डकैती करने की चेष्टा की और उसके आधार पर इन्कम सरकार को क्या होगी, किस किस आइटम से कितनी कितनी इन्कम होने वाली है, इसकी सूचना सदन को देने की व्यवस्था हमारी यह राजस्थान सरकार न करना चाहती है, न कर पाई है । इस का आज वह परिणाम है कि राजस्थान की इन्डस्ट्री चोपट हो गई है, गृह उद्योग राजस्थान के समाप्त हो गये हैं, मौत की घड़ियां गिन रहे हैं और आज अगर सरकार कोई सामान खरीदना चाहती है तो बम्बई के मैन्युफैक्चरर यहां के डीलर को राजस्थान सरकार को जो सामान देगा उस पर दो परसेंट टैक्स देना पड़ेगा ।

और राजस्थान के लोग राजस्थान की सरकार को सामान देंगे तो उनको ७ परसेंट का टैक्स देना पड़ेगा । तो अध्यक्ष महोदय, कौन पागल ऐसा होगा जो कि बहार का व्यापारी राजस्थान में आकर मुनाफा नहीं उठाये ? कौन बाहर का व्यापारी ऐसा होगा जो राजस्थान सरकार की गलत नीतियों के कारण राजस्थान के उद्योग को समाप्त न करे ? कौन ऐसा व्यापारी होगा जो सरकार की ऐसी नासमझी के हुक्म का लाभ उठाकर राजस्थान के फाइनेन्सेज़ को क्रश करने की चेष्टा नहीं करेगा ? लेकिन, अध्यक्ष महोदय, बद-किस्मती तो ऐसी है कि किस को जाकर कहें । सेल्स टैक्स एक्सक्लुज़िव है और फिर हमारे वित्त मंत्री ने उसको परव्यू में लाने की चेष्टा कर दी । इसका मतलब यह हुआ कि न तो राजस्थान की जनता फायदा उठा सकती है और न यहां का व्यापारी वर्ग ही फायदा उठा सकता है । राजस्थान से एक्सपोर्ट होता है, किन चीजों का एक्सपोर्ट होता है ? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान में राजस्थान का राज्य ऐसा राज्य है जो कि एक्सपोर्ट के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ है । आपने कभी एक्सपोर्ट ट्रेड के बारे में जानकारी की कि किन चीजों के

(श्री भैरोंसिंह)

एक्सपोर्ट से हमें फॉरेन एक्सचेंज मिल सकती है और किन चीजों के एक्सपोर्ट से हमारे यहां की इन्डस्ट्री डेवलप कर सकती है। क्या आपने कभी इस पर विचार किया ? मेरे विचार में तो कभी नहीं किया। आपने तो यह सोचा है कि लोगों की जितनी इन्कम गिराई जा सकती है गिराई जाये। आपके दिमाग में कुछ ऐसा लग रहा है और सरकार की नीतियों से ऐसा लग रहा है कि हमारी सरकार राजस्थान के उद्योग, राजस्थान की कृषि और फाइनेन्सेज के बारे में किसी प्रकार की कोई चिन्ता नहीं करती और उसी का रिजल्ट है कि राजस्थान की पर कैपिटा इन्कम गिरती जा रही है। पर कैपिटा के मामले में हम ऑल इन्डिया के एवरेज पर नहीं पहुंच रहे हैं और हमारी सरकार प्रयत्न करने के बावजूद भी उस सीमा तक पहुंच नहीं पा रही है। मैं यह भी कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, कि हमारे यहां अभी जो आबू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा यह तो फिर भी कम है। इस सदन की सेंक्टिटी किस सीमा तक खत्म होती है उसका मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ। इस सदन में पिछली बार मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने यह रखा था कि ५० हजार की जो कैशमीमो के बेसिस पर सेल्स टैक्स वसूल किया जाना चाहिए उसको बढ़ाकर १ लाख रुपये का कर दिया जाये। आप सदन की प्रोसीडिंग्ज को उठाकर देख लें। इनके संशोधन को स्वीकार किया गया और चेयर की ओर ओर से यह घोषणा की गयी कि जो सम्पत्ति लाल बोहरा ने संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जाये या नहीं और वह स्वीकार किया गया और उस संशोधन को एक्ट में इनकारपोरेट नहीं किया गया। इस तरह की कार्यवाही हमारी राज्य सरकार की चल रही है............

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : Point of order, Sir, क्या सदन ने पास कर दिया और उसके बाद नहीं माना गया।

श्री भैरोंसिंह : जी हां।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह कैसे ?

श्री भैरोंसिंह : यही मैं कह रहा हूं सदन ने पास कर दिया और उसके बाद नहीं माना।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : This is very serious.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि कोई फॉर्मेली मोशन अमेंडमेन्ट के बारे में सदन के समक्ष नहीं आया इसलिए वह अमेन्डेड बिल में इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, हाउस हां और ना हुआ है। मन्त्री महोदय ने कहा है कि इसको स्वीकार करता हूं और उसका बाद सदन का मतलब सदन का मत लिया गया और उसके बाद इनकार्पोरेट हो गया। चाहे मांग हो या किसी प्रकार का संशोधन हो।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : इसमें अध्यक्ष महोदय, यहां तक हुआ कि उस समय प्रोवीजन रखा था और मैं बोल रहा था कि ५० हजार की लिमिट रखी हैं यह बहुत कम है। उस समय मन्त्री महोदय ने कहा कि मैं ज्यादा तकलीफ नही देना चाहता हूँ और ५० हजारसे १ लाख करने का है इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

ग्रौर जो प्रोवीज़ो रखा है वह भी मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं ग्रौर फिर उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि You have accepted the other amendment which has been moved just ग्रौर श्री कौल सहाब कहते हैं कि 'यस' इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय ने पूछा कि प्रश्न यह है कि जो संशोधन माननीय सदस्य ने रखा है उसको स्वीकार किया जाये । फिर वह संशोधन स्वीकार किया गया । यह है इस सम्बन्ध में प्रोसीडिंग्ज़ ।

श्री बालकृष्ण कौल : ग्रध्यक्ष महोदय, मुझे तो इस चीज का पूरा ज्ञान नहीं है....

श्री अध्यक्ष : ज्ञान नहीं है तो बाद में बोलें ।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं यही चाहता था कि वे प्रोसीडिंग्ज़ मुझे दे दें ।

श्री भैरोंसिंह : वह ग्राप ले लें । वह प्रिन्टेड है । सदन जो बातें होती है उनको ग्राप गंभीरता से सुने ग्रौर यह समझकर न चलें कि जो कुछ ग्रापने कह दिया वह सही है ग्रौर जो दूसरों ने कहा है वह बेबुनियाद है । ग्राखिर हम भी कुछ जिम्मेदारी से बोलते हैं ग्रौर जिम्मेदारी से कही हुई बातों को इस तरह से सुनेंगे ग्रौर उस पर काम करने की कोशिश नहीं करोगे तो उसका परिणाम यही होगा ।

ग्रध्यक्ष महोदय, राजस्थान के ग्रन्दर ग्राप मिल प्रोडक्ट्स पर टैक्स लेगें । हमारी सरकार ने मिल प्रोडक्ट्स के ऊपर जिसका उल्लेख नहीं उसको डिफाइन किया ग्रौर उसका मतलब यह हुग्रा कि राजस्थान के ग्रन्दर छाछ के ऊपर भी टैक्स लगेगा, रोटी ऊपर भी टैक्स लगेगा; लेकिन पराठों पर टैक्स नहीं लगेगा । इन परांठों पर टैक्स नहीं लगेगा इससे ऐसा लगता है कि हमारे मन्त्री महोदय को परांठों के खाने कि ग्रादत है । ग्रगर ऐसी बात नहीं होती तो इतनी रियायत परांठों के साथ क्यों होती ? कोई भी रोटी हो, बाजरे की हो, मक्का की हो, ज्वार की हो, मोठ की हो उस पर तो टैक्स लगेगा लेकिन परांठों पर नहीं लगेगा । छाछ के ऊपर भी टैक्स लेंगे........

श्री बालकृष्ण कौल : यह ग्रापका इन्टरप्रिटेशन है । जब दही ग्रौर उसकी प्रोडक्ट्स पर नहीं हैं तो छाछ पर कैसे होगा ? छाछ ग्राखिर दही से ही तो बनती है........

श्री भैरोंसिंह : क्या कहा ?

श्री बालकृष्ण कौल : दही एग्जेम्पशन में है, तो छाछ कहां से ग्रा गयी, यह दही का ही तो प्रोडक्ट है ?

श्री भैरोंसिंह : दही में से छाछ बनती है । ग्रापने दूध पर टैक्स नहीं लगाया, लेकिन जो दूध के ऊपर जो मलाई ग्राती है उस पर टैक्स लगाया है । जब दूध में से ही मलाई ग्राती है तो दही ही छाछ बनती है ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : दही से छाछ बनती है तो फिर दूध से ही तो बटर बनता है, मलाई बनती है ।

श्री बालकृष्ण कौल : वहां लफ्ज़ क्रीम है ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : ग्रापने कहा कि छाछ दही से बनती है तो मैं पूछ रहा हूं

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

कि दही कहां से आता है ? दही भी तो दूध से ही बनता है और दूध से मक्खन, मलाई वगैरह बनती है। फिर आप दूध और उस की प्रोडक्ट्स कर दो।

राजस्थान सरकार के वित्त मन्त्री जी के कहने से ही तो दूध हो गया, दही बन गया और छाछ बन गयी। उसी में से घी निकलता है तो जिसको आप दही कहते हैं वह दही और जिसको आप दूध कहें वह दूध लेकिन मैं एक मामूली सी बात करना चाहता हूं। आप कहते हैं कि बहुत विचार करने के बाद में इन टैक्सेज की व्यवस्था करते हैं। मैं कहता हूं कि गंभीरता से आप विचार नहीं करते। मैं एक उदाहरण और बता दूं। आप यदि गंभीरता से विचार करते तो एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स ६० के अन्दर समाप्त हो गया था। जिस दिन से हमने सरचार्ज की व्यवस्था की उस दिन से हमने व्यवस्था कर दी कि यह कानून अब एग्रोगेट है। आपने उसके संबंध में क्या किया ? आपने कहा कि ५ साल के बजाय ६ साल किया जाये। मैं पूछना चाहता हूं कि आप ५ वर्ष तक बैठे क्यों रहे ? आपने क्या एक्शन लिया इन पांच सालों में ? आप यह समय की वृद्धि की मांग क्यों करें ? क्या यह इसका कारण नहीं है कि हमारी सरकार इस मसले में इनसफीशियेन्ट रही है। उसे ५ साल की अवधि दी उसमें कुछ नहीं कर पाई और अब उस अवधि को ६ साल की करना चाहते हैं। कितने कंसेज् को आप ओपिन करना चाहते हैं ? उसके बारे में हमारी राज्य सरकार की ओर से किसी तरह का कुछ भी नहीं है। आप चाहते हैं कि जो काश्तकार हैं उनको खत्म कर दिया जाये, जो इन्डस्ट्रीज् हैं उनको राजस्थान में से खत्म कर दिया जाये।

जहां तक कन्ज्यूमर्स गुड्स का संबंध है मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जरा आस पास की दुनियां को देखो। कभी आपने लोगों को पंजाब में भेजा, कभी मध्यप्रदेश भेजा यू. पी. भेजा और वहां देखा कि किन-किन चीजों पर कितना कितना टैक्स लेते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि जैसे मैच बॉक्स है। उस पर हमारी राजस्थान की सरकार ७ परसेन्ट का टैक्स लेती है जब कि मैच बॉक्स पर ही आंध्र में २ परसेन्ट टैक्स लेते हैं, केरल में २ परसेन्ट और इसी तरह से मद्रास और पंजाब के अन्दर से पंजाब में यह एग्जम्पटेड है दिल्ली में एग्जेम्प्टेड है और महाराष्ट्र में २ परसेन्ट का टैक्स है। इसके अलावा करोसिन पर राजस्थान की सरकार ७ परसेन्ट लेती है आन्ध्र में ३ परसेन्ट टैक्स है, दिल्ली में एग्जेम्प्टेड है, महाराष्ट्र में ३ परसेन्ट का टैक्स है और पंजाब के अन्दर एग्जेम्प्टेड है, यू. पी. एग्जेम्प्टेड है, हिमाचल प्रदेश में एग्जेम्पटेड है, जम्मू एण्ड कश्मीर में भी एग्जेम्प्टेड है इसी प्रकार से फर्नीचर पर आप १० परसेन्ट का टैक्स लेते हैं बाकी की स्टेटस में पंजाब में ६ परसेन्ट है और बाकी की कुछ स्टेट्ट में इसको एग्जेम्पटेड कर रखा है। मैं सारी चीजें आपके सामने रखते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम कन्ज्यूमर्स गुड्स के ऊपर तो जो कि एसेन्शली लोगों के लिए आवश्यक है उन चीजों में इतनी पैरिटी तो लाइये कि जिसके बेसिस पर राजस्थान का ट्रेड चल सके। आज राजस्थान के लोगों

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

को केरोसिन और मैच बाक्स खरीदना होगा तो लोग स्मग्लिग करेंगे और उससे करप्शन होगा और उसका अल्टीमेट रिजल्ट पब्लिक के अन्दर डिससेटिस्फेक्शन होगा। टैक्स बर्डन जितना लोगों पर बढ़ेगा उतने ही लोग टैक्स से बचने को कोशिश करेंगे और टैक्स का इवेजन करेंगे।

इस सदन में माननीय सदस्यों ने आपके सामने निवेदन किया कि चांदी और चांदी के जेवरों पर जो आपने टैक्स लगाया इससे राजस्थान का बिजनेस समाप्त हो जायगा। आपने आधे से २ परसेन्ट का टैक्स लगाया तो मध्य प्रदेश में क्या टैक्स है, पंजाब में क्या टैक्स है, दिल्ली में क्या टैक्स है ? उन टैक्सों के कारण राजस्थान की यह इन्डस्ट्री खत्म होगी या नहीं होगी, यह भी कभी आपने विचार किया या नहीं ? जो राजस्थान के आस पास के एरियाज हैं वहां के रहने वाले लोग हैं और जो सरहद में पंजाब, यू. पी. और मध्यप्रदेश लगता है जहां कि आधा परसेन्ट टैक्स है तो कौन बेवकूफ होगा जो कि झालरापाटन, अलवर और बाकी के शहरों से जो कि सरहद पर है वह चांदी वहां से खरीदेगा ? वह दूसरी स्टेट में जायेगा और वहां से परचेज करेगा तो जो सेल्स टैक्स की इनकम उनको होगी, और राजस्थान के गरीब व्यक्ति जो हाथ से काम करते हैं, इस प्रकार की चीज का निर्माण करते है उनकी चीजें बिकेगी नहीं और सारे के सारे लोग हाथ पर हाथ धर कर बैठ जायेंगे। राज्य सरकार सोचती है कि चांदी पर टैक्स लगाया तो चांदी को हर व्यक्ति समझता है कि चांदी चांदी है उस पर जितना टैक्स लगा दो वाजिब है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करें। चांदी को पहने वाले अमीर लोग नहीं होते है। गरीब लोग पहिनते हैं। वह गरीब लोग हमारी सरकार के हिसाब से जेवर पहिनने का शौक पैदा करें तो उस शौक के पैदा होने के समय सरकार हथोड़ा लेकर पहुँचती है कि जिससे उसको चांदी का जेवर पहिनने को नहीं मिल सकता है। अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से आभूषणों से अपने शरीर को सुशोभित नहीं कर सकता है। यह हमारी सरकार का गरीबों पर एक प्रकार का आघात है मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि इस इन्डस्ट्री को खत्म नहीं होने दे। चांदी के रूप में जो सेविंग की आदत पड़ सकती है। चांदी कोई केवल इसलिए नहीं रखता है कि वह चांदी है बल्कि चांदी एक सेविंग का जरिया भी है। एक आदमी के पास ५० रुपये हैं। चांदी की कड़ियां बनाना है तो उसके लिए वह सेव (save) करेगा। उस सेव किये हुए रुपये को वह बैंक में जमा नहीं करके वह सेविंग को हरदम अपने पास में रखना चाहता है और हरदम जो चीज रहती है पास में तो उसके लिए सेविंग की प्रवृत्ति होती है और हमारी सरकार उस प्रवृत्ति को खत्म करना चाहती है। हमारी सरकार उन लोगों के हाथों से इन्डस्ट्री को लेकर उनकी आर्थिक स्थिति को खराब करना चाहती है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि कम से कम हमारी राज्य सरकार को बाकी स्टेटस में किस प्रकार के टैक्स हैं उन टैक्सों का राजस्थान की जनता पर क्या असर पड़ता है, राजस्थान के फाइनेन्स पर उनका क्या असर पड़ता है, उन सब बातों को ध्यान में रख कर हमारी सरकार ऐसी व्यवस्था करे

(सम्पत्तिलाल बोहरा)

कि हम बाकी की स्टेट्स के एट पार चल सकें । उसके कारण से राजस्थान की इन्डस्ट्री खत्म नहीं होगी । आज राजस्थान में चांदी के काम करने वाले लोग इसलिए नहीं चिल्लाते हैं कि टैक्स कम किया जाय वह इसलिए चिल्लाते हैं कि इस प्रकार का टैक्स बाकी की स्टेट्स में कम हुआ तो राजस्थान का व्यापार समाप्त हो जायगा । उस बात को लेकर अपील करते हैं और सरकार कहती है कि वे चांदी वाले हैं । वे चांदी वाले नहीं हैं, वे चांदी प्रोड्यूस करने वाले नहीं हैं, वे चांदी का व्यापार करने वाले नहीं हैं वे तो चांदी का एक गृहउद्योग चलाने वाले लोग हैं । वे चांदी लाकर दूसरों से जेवर बनाकर दे दें, इस प्रकार काम करने वाले लोग हैं । उनका ट्रेड खत्म हो जायगा तो राजस्थान की इनकम कम होगी । जितना टैक्स कम होगा और जितनी मशीनरी एफिशियन्ट होगी उतनी आमदनी ज्यादा होगी और जितना टैक्स ज्यादा होगा और मशीनरी करप्ट होगी तो टैक्स कम वसूल करेगी । इस पर राज्य सरकार को विचार करना चाहिए । यदि राज्य सरकार इस मसले पर विचार नहीं करती है तो यह हमारे प्रान्त का दुर्भाग्य है ।

अन्त में, मैं, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करूंगा कि इस पृष्ठभूमि में इस वर्ष कोई ऐसा फाइनेन्स बिल नहीं आयेगा जिसमें नये टैक्सेज का प्रावधान होगा । इस वर्ष सरकार रिलीफ देने के लिए आयेगी, लेकिन कोई रिलीफ नहीं दिया गया । अनाज का भाव महंगा हो रहा है इसकी चिन्ता नहीं होती है । नाज पर सैल्स टैक्स लगाकर उस पर कैसे स्टिक किया जाय । सरचार्ज से किसानों को कितनी परेशानी है उसकी चिन्ता नहीं है । किसानों के अनाज पर सैल्स टैक्स लगा दिया इसके कारण किसानों को डीलर मानते हैं उससे जो समस्या पैदा होने वाली है उसकी चिन्ता नहीं है । मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि बाकी के जो टैक्स लगाये हैं इन सारे टैक्सों के बारे में विचार करें । खाद्यान्न के मसले पर सरचार्ज को हटाकर, नाज पर से सैल्स टैक्स को हटायें ताकि कम से कम खाने को नाज की सहूलियत मिल जाय । नाज पर टैक्स लगायेंगे, कचौड़ी, पकौड़ी और समोसे पर टैक्स लगायेंगे, पत्थर-भाटे पर टैक्स लगाया जाय । कौन सी चीज राजस्थान में आपने छोड़ी है कि आज वित्त मंत्रीजी सदन में खड़े होकर कह सकें कि इस चीज को राजस्थान में मुक्त किया गया है । पब्लिक के काम में आने वाली किसी भी चीज को राजस्थान सरकार ने टैक्स से मुक्त नहीं किया है । राज्य सरकार के लिए यह शोभा की चीज नहीं है । राज्य सरकार की जनता के लिए इस प्रकार की आर्थिक स्थिति में डालने वाली प्रवृत्ति जनहित में नहीं है और जो प्रवृत्ति जन-हित में नहीं है उसके ऊपर मैं सदन से निवेदन करूंगा कि रोक लगाई जाय ।

वित्तीय समितियों से नाम वापिस लेना

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं एस्टीमेट कमेटी से अपना नाम वापिस लेना चाहता हूँ ।

श्री जगनसिंह (दांता रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी और एस्टीमेट्स कमेटी से अपना नाम वापिस लेना चाहता हूं ।

राजस्थान करारोपण विधियाँ (संशोधन) विधेयक १९६४

(अग्रेतर विचार–विमर्श)

श्री बालकृष्ण कौल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि कल से इस पर बहस हो रही है जो बिल सदन के सामने रखे हैं। वे चार स्टेच्यूट्स हैं उन चारों स्टेट्यूट्स में अमेंडमेंट रखते हुए मैंने यह टेक्सेशन अमेंडमेंट बिल रखा है कल से इस पर काफी बहस हो रही है और जो सामने मुद्दे आये उनसे यह मालूम होता था कि सिवाय दो–चार चीजों के और कोई खास ऐसे मुद्दे नहीं हैं कि जिन पर इस सदन में काफी जोश हो। और जो मुद्दे कल सामने आये व जिन जिन व्यक्तियों ने रखे उनकी जो विचारधारा थी उस दृष्टिकोण से उन्होंने सामने रखे। लेकिन कुछ आज की बहस ने इस किस्म का मोड़ लिया जो, मुझे माफ करेंगे, यह मालूम होता था कि यह सरकार एक बहुत झूठी सरकार है और जो माननीय सदस्य जयपुर से आये हैं वह कोई प्रोसीक्यूटर हैं और सरकार को प्रोसीक्यूट कर रहे हैं। सिवाय एक बात के जिसके लिए मैं यह निवेदन कर दूं कि मैंने प्रोसीडिंग्स मंगाई हैं, और प्रोसीडिंग्ज देख लूं, लेकिन जहां तक मुझे पता है सिर्फ एक ही अमेंडमेंट मूव हुआ था जिसको मैंने एक्सेप्ट किया था, और अगर कोई बातचीत हुई है, और बाकायदा कोई अमेंडमेंट न हो तो मैं कह नहीं सकता जब तक कि मैं इसको देख नहीं लूं, क्योंकि यह नहीं हो सकता कि सरकार की तरफ से या किसी माननीय सदस्य की तरफ से एमेंडमेंट पेश हो और उस एमेंडमेंट को अगर मन्जूर कर लिया है तो सरकार उसको मन्जूर करने के बाद उस पर अगर अमल नहीं किया गया हो तो गलती होगी।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : गलती का परिणाम क्या होगा ?

श्री बालकृष्ण कौल : ठहरिये साहब, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। वह चीज मंगवाई है प्रोसीडिंग। उसको देख लूं, क्योंकि मेरे पास कोई इतिला नहीं है कि मेरी तरफ से या माननीय सदस्य की तरफ से कोई फारमल एमेंडमेंट मूव हुआ हो। खैर, वह चीज तो आयेगी आगे। सवाल यह है कि यह इल्जाम माननीय सदस्य ने जो लगाया है।

वित्त मन्त्री ने कुछ वायदे किये इस हाउस के सामने और उसकी सैंक्टिटी का ख्याल नहीं किया, मैं निवेदन करूंगा कि यह बिल्कुल गलत है....

श्री भैरोंसिंह : सेंट परसेंट करेक्ट है।

श्री दलपतसिंह (आबू) : मैं चेलेन्ज करता हूँ, बल्कि प्रूव करके बता दूंगा।

श्री बालकृष्ण कौल : जब आप बोल रहे थे तो मैंने इन्टरबीन नहीं किया...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : चार्ज साबित करते हैं, आपके कहने से क्या होगा....

श्री बालकृष्ण कौल : आप शान्त रहिये। मै अर्ज कर रहा था कि जिस वक्त यह प्रश्न सामने आया, इस प्रश्न का जवाब यदि आप देखेंगे और जिस वातावरण में और जिस पृष्ठ भूमि में इसका जबाब दिया गया वह दूसरा था। सवाल यह था कि कुछ

(श्री बालकृष्ण कौल)

लोग जब अपना माल बाहर ले जाते हैं तो चैक पोस्ट पर उनके माल पर पर्चेज टेक्स या सैल टैक्स लिया जाता है। मैंने उस वक्त जबाव दिया था कि जब तक कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं हो उस वक्त तक जो भी पैसा लिया गया है वह गलत है और वापिस दिया जायगा...

श्री दलपतसिंह : यही मैंने कहा था।

श्री बालकृष्ण कौल : और यही मैंने आश्वासन दिया था। लेकिन इसके माने यह नहीं कि सरकार किसी मौके पर प्राव-धान लाकर तब्दील करे तो उसमें धोखा या सैंक्टिटी का सवाल नहीं है। आज जो नीति है उसके अनुसार सदन में आकर अपना सुझाव रखते हैं, अमेंडमैंट रखते हैं, नया कानून रखते हैं, उसके माने यह नहीं कि जो कल कानून था उसकी सैंक्टिटी नहीं थी....

श्री भैरोंसिंह : सैंक्टिटि नहीं रही।

श्री बालकृष्ण कौल : आप बैठिये।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपके कहने से नहीं बैठूंगा, आप हाथ फटकार रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बजट की सैंक्टिटि नही रही। आपकी बजट स्पीच और आपने जो फाइनेंस बिल रखा है उसकी तुलना करके देख लें, आपने ५८ लाख रखा है वह ५८ लाख ही रहता है यह एक करोड़ पर पहुँच जाता है। यह बजट की सैंक्टिटी है क्या ?

श्री बालकृष्ण कौल : यदि आप सैंक्टिटि के मायने समझते हैं तो एस्टिमेट से ज्यादा सरकार के पास चला जाय तो क्या वह बजट की सैंक्टिटि नहीं है ? अगर आप ऐसा समझते है तो मैं कहूंगा कि आप सैंक्टिटि का मायना नहीं समझते।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आप बजट को लावें ही क्यों, वैसे ही पास कर दें, फिर बजट की सैंक्टिटि का प्रश्न नहीं रहेगा।

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय सदस्य जो जयपुर से आये हैं उन्होंने मेरे बजट स्पीच का गलत बयान किया है, या तो वे समझे नहीं या समझ करके भी उन्होंने गलत कहा है। मैंने यह जाहिर नहीं किया जो चीज आप कह रहे हैं। वे मेरी स्पीच को पढ़ें....

श्री योगेन्द्रनाथ हाडा : मैं आपसे व्यवस्था का प्रश्न करना चाहता हूं। बजाय एक दूसरे की समझ पर बहस की जाय बेहतर होगा कि बिल के बारे में ही बहस करें।

श्री संपत्तिलाल बोहरा (मावली) : मैं यह जानना चाहता हूं कि बजट में जो प्रावधान रखे हैं क्या बजट स्पीच में लिखा है कि राजस्थान में सब चीजों पर पर्चेज टैक्स लगेगा ?

श्री बालकृष्ण कौल : इस चीज का बजट स्पीच में खुलासा नहीं होता है। इसके साथ ही उसी समय टेक्सेशन का स्केच दिया गया।

श्री भैरोंसिंह : वह बजट स्पीच का पार्ट नहीं है। बजट स्पीच में, कैसे कैसे टेक्सेज लगेंगे वह मैनृशन होना चाहिये।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं अपनी बजट स्पीच का हिस्सा आपके सामने पढ़ देता हूं,

(श्री बालकृष्ण कौल)

This makes a total of Rs. 55 lakhs extra from the existing taxes. A big margin yet remain yet remains to be covered Additional tax effort therefore, to cover part of the remaining gap seem in escapable. I would like to make it clear, however, that I have no desire to add to the burden of the common man.

एक तो यह मैंने कहा है :

श्री भैरोंसिंह : आगे कहा है।

"all these items have not been mentioned in your budget speech."

आप आधा क्यों पढ़ते हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैं रख रहा हूं इसी जगह। आप क्यों घबरा रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह : घबराहट तो आपका चेहरा बता रहा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपका चेहरा मासूम, भोला–भाला और खूबसूरत है।

श्री बालकृष्ण कौल : एक जगह मैंने यह कहा, अध्यक्ष महोदय, जहां मैंने सेल्स टेक्स का जिक्र शुरू किया।

"This change would not involve any increase in the rate of tax on articles of every day use."

और फिर आगे चल कर मैंने चीज दी इसलिये जो चीज मुझे कहनी थी वह कहदी। यदि माननीय सदस्य उसकी गहराई में नहीं जा सकते तो यह मेरा कसूर नहीं है। यह समझ की बात है। इसलिये मैं इतना अर्ज करदूं कि जो यह सेल्स टॅक्स की बात हो रही है उस पर बहुत से लोगों ने चिन्ता दिखाई मेरा अब भी यह मानना है कि कोमन मैन पर इसका असर नहीं होना है लेकिन उन ठेकेदारों पर असर होने वाला है जिनकी यहां वकालत की जाती है। इसलिये रखते तो वे इस तरीके से है जिससे दुनिया को यह दिखता है कि वे बड़े किसानों और गरीबों के मददगार हों लेकिन आप गौर फरमाइये मालूम हो जायगा कि वे किसके रिप्रजेन्टेटिव हैं, कहां से आये हैं, पीछे क्या है। कहने को तो कह देंगे कि बुलियन पर कर क्यों लगाया है, घर में रखने को तो तैयार हो जायेंगे लेकिन यह कहने की हिम्मत नहीं होगी की नेशनल सेविंग में जमा करावें बुलियन रखने के बजाय, यह नहीं कि मुल्क का फायदा हो, यह नहीं कि चीजें सस्ती हो जायं, चांदी और सोने के बारे में जिनकी यह मनोवृत्ति है, उन माननीय सदस्य के पीछे कुछ वेस्टेड इन्टरेस्ट है, वे किसानों और मजदूरों की दुहाई दे रहे हैं.......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बुलियन से क्या ताल्लुक है, बुलियन में कहां जा रहे हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैं यह अर्ज कर रहा था कि खुलासा यह देखिये कि किसान की दुहाई देने वाले कौन से तबके के लोग हैं ? आज समझ में नहीं आता कि कौन किसान है और कौन किसान का शोषण करने वाले हैं और आज जो किसान का शोषण करते हैं वे ही किसान की दुहाई देते हैं और कहते हैं कि यह गवर्नमेन्ट बेईमान है, किसान का शोषण करती है, मजदूरों को खत्म करती है............

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): बिल्कुल यही बात है। किसान से

(श्री जयनारायण सालोदिया)

आप २५) रु० में खरीदते हैं और ६०) में बेचते हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि शान्ति से सुनें। मैं कल से हर किस्म की बातें सुन रहा था और मैं बर्दाश्त कर रहा था उस घड़ी के लिये कि मुझे मौका मिले और जो अनर्गल बातें कही गई हैं उनका जवाब दूं.......

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : उपाध्यक्ष महोदय, आपने शब्द "अनर्गल" यूज किया है; 'अनर्गल प्रलाप" पागल करते हैं, यह शब्द संसदीय नहीं है इसलिये इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री बालकृष्ण कौल : सेल्स टैक्स के बारे में आपने बहुत कुछ कहा है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि कल से मैं यह देख रहा हूं कि किसानों को भाई कहते हैं, मजदूरों को भाई कहते हैं, कौन हैं वे लोग ? मैंने चीज सामने रखी थी प्रोविजो हटाने के सेक्शन से मेरा मकसद बिल्कुल यह नहीं था और अब भी नहीं है कि किसी तरह किसानों को टैक्स करें। लेकिन मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ इस सदन के माननीय सदस्यों से, माननीय सदस्य यह बतावें कि कोई सरकार बिना रेवेन्यू और बिना सेल्स टैक्स के हकूमत चला सकती है क्या ? रेवेन्यू और सेल्स टैक्स भी इसलिये लगाया गया है कि जो लोग किसी चीज से फायदा उठाते हैं उनसे उसका कुछ हिस्सा ले लिया जाय। मैं यह नहीं मानता कि इसमें कुछ माननीय सदस्यों को या अधिकतर माननीय सदस्यों को कुछ चीज दिखे और वह पसन्द न आये। लेकिन मेरी भी आप इन्टेन्शन को समझ लीजिये। चूंकि कानून में यह छूट दी गई थी, उसे समझ कर किसान अपनी जो पैदावार बेचता है, मंडी में बेच देता है इसलिए हमने सैकिंड पाइन्ट से शुरू कर दिया टैक्स करना उस प्रोड्यूस को ताकि जो खरीददार है वह टैक्स दे और किसान की चीज पर टैक्स न लगे लेकिन इसका हाल क्या होने लगा। इसका हाल यह होने लगा कि पहले तो महाजन उन काश्तकारों से खरीदते और खरीद कर गाड़ी पर बैठा लेते उस काश्तकार को और राजस्थान से बाहर ले जाते यह कहला कर कि साहब, यह माल मेरा है, यह माल तो अपना है। इसलिए मेरा आगे यह प्रश्न उठा कि यह प्रोड्यूस जो इस राजस्थान की है, इसमें राजस्थान की हुकूमत को भी कुछ मिलना चाहिए न कि काश्तकारों से बल्कि खरीददारों से। यह प्रोड्यूस बाहर जाने लगी तो सरकार को चिन्ता हुई ! साथ ही साथ फिर जब यह बीमारी बढ़ी तो यह यहां तक बढ़ गई कि मुतवातिर काश्तकार अपने ट्रक्स में प्रोड्यूज भर कर दूसरी मंडियों में बेचने लगे क्योंकि वहां की रेट, बाजार दर अच्छी है। उन्होंने यह न सोचा, उस व्यक्ति को थोड़ा फायदा हो जाता है उन मंडियों में, चाहे गुजरात की कहिये, पंजाब की कहिये और उनके वहां बेचने से वहां की सरकार को फायदा होता है सैल्स टैक्स का लेकिन राजस्थान की सरकार को नहीं होता है। यह ऐसा प्रश्न है जिसको राजस्थान सरकार को सोचना चाहिए था कि इस चीज को ख्याल में रख कर किस तरीके से किया जाय। इसलिए उस प्रावीजो को डिलीट करने का अमेंडमेंट रखा था। लेकिन अगर माननीय सदस्य यह समझते है, अगर इधर बैठने वाले माननीय सदस्य समझते हैं, उधर बैठने वाले माननीय सदस्य समझते हैं कि वक्त नहीं आया है काश्तकार के राइट को बढ़ाने का,

Page No. 90

(श्री बालकृष्ण कौल)

काश्तकार को तरजीह देने का और उसकी हिम्मत बढ़ाने का अभी वक्त नहीं है कि उसकी प्रोड्यूस कहीं जाय तो उस पर टैक्स लगे तो अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी नम्रतापूर्वक कहने को तैयार हूँ कि मैं माननीय सदस्यों को, इस सदन के सदस्यों की बात की इज्जत करता हूँ। अगर वह नहीं चाहेंगे तो जो अमेंडमेंट प्रोवीजो को डिलीट करने का है वह नहीं रहेगा।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : अध्यक्ष महोदय...........

श्री बालकृष्ण कौल : आप बैठ जायं। आप बोल रहे थे तब मैं नहीं बोल रहा था।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : काम की बात तो अब कहना शुरू की है।

श्री दलपतसिंह (आबू) : किसानों के नेता अब लगे हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं निवेदन कर रहा था, माननीय सदस्यों को सोचना पड़ेगा, माननीय सदस्यों की जिम्मेदारी बढ़ रही है- इस तरह हमारे यहां की प्रोड्यूस यहां से किसानों के जरिये चली जाय तो चली जाय, जो खुद प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन उनकी आड़ में दूसरा ले जाता है तो उसको रोकने की उनकी जिम्मेदारी है।

(हिअर, हिअर) तो मैं समझता हूं कि जो माननीय सदस्य इस हाउस के हैं वे अपनी मोरेल रेस्पोन्सिबिलिटी समझेंगे कि कोई इस किस्म की प्रोड्यूस न जाय जो सिवाय काश्तकार के और कोई ले जाय। इसलिए मुमकीन है, उसमें कुछ बंचत हो जाय। लेकिन इसके पीछे यह इन्टेन्शन नहीं है, जैसा कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि शायद हमारी गवर्नमेंट कोई काश्तकारों के खिलाफ है या काश्तकारों को तबाह करना चाहती है। मैं कहता हूं कि काश्तकार और कांग्रेस गवर्नमेंट कोई दो शक्ल नहीं। आप एक शक्ल बनाना चाहें तो याद रखिये, मैं माननीय सदस्य को कह दूं, वह समझ लें- कई शक्ल देना चाहेंगे तो नहीं दे सकेंगे....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): एक शक्ल यह है...

श्री बालकृष्ण कौल : ये शक्लें यहां इसलिए बना सकते हैं कि अखबारों में हैड लाइन्स में आ सकते हैं....

श्री भैरोंसिंह : आपकी शक्ल ऐसी हो है, जो कभी नहीं रही।

श्री बालकृष्ण कौल : लेकिन गांव के किसानों ने, जिन्होंने हिन्दुस्तान की आजादी में खून बहाया है वह कभी नहीं भूल सकते कि हुकूमत की क्या शक्ल है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह कहा कि अखबारों में हैड लाइन्स आ जायं–मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की बात कहना उचित नहीं है। हमने भाषण इसलिए नहीं दिये कि अखबारों में में हैड लाइन्स में आयें अखबारो में आयें या नहीं लेकिन आपने यह प्रसंग लाकर 'मोटिव इम्प्यूट कर सदन का अपमान किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अखबारों को बीच में न लायें जो कहना है आप मुंह से कह दें।

श्री बालकृष्ण कौल : अगर मैं आपके लफ्जों को सामने रखूं जब माननीय सदस्य

(श्री बालकृष्ण कौल)

बोल रहे थे, तो उनके लफ्जों को एक एक मिनट पर रखा तो वे बोल न पाते।

श्री भैरोंसिंह : बोलने मत दो।

श्री बालकृष्ण कौल : हर लफ्ज में विष।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जहर!

श्री बालकृष्ण कौल : हर लफ्ज में ताना भरा हुआ था। जब आप यहां बोल रहे थे उस समय भूल रहे थे कि जोधपुर की मीटिंग में नहीं सदन की मीटिंग में बोल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपको बता दूं, कि आप न जोधपुर की पब्लिक मीटिंग में बोल सकते हैं ऐसे शब्द और न इस सदन में बोल सकते हैं।

श्री सतीशचन्द अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : मन्त्री महोदय को वहां हुए स्वागत की जलन हो रही है।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं अर्ज करूं कि मैं दो दिन से रिवाज देख रहा हूं..

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : जनसंघ का अगला अधिवेशन अजमेर में हो रहा है उसके लिए आज से आमंत्रित हैं।

श्री भैरोंसिंह : अजमेर में खड़े हों तो पांच आदमी नहीं सुनें और मैं जाकर खड़ा हो जाऊं तो पांच हजार खड़े हो जायं।

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमान्, मैंने एक गलती की इस वक्त कि यहां इस जगह की प्रथा दो चार आदमियों, माननीय सदस्यों ने बनाई है, मैं उसी का अनुकरण कर रहा हूं। वह क्या ? वह यह है कि सारी चीजों को पंचम स्वर में अलापना और जब पंचम स्वर से अलापें तो उसमें कुछ बात हो या न हो, विशेष बात हो या नहीं हो....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कोशिश आप भी कर रहे हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : और वह समझते हैं कि गढ़ जीत लिया है।

श्री भैरोंसिंह : आप भी पंचम स्वर में बोल लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : कौआ चला हंस की चाल!

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कोकिला कंठ से बोल लें, कौल साहब।

श्री भैरोंसिंह : पंचम स्वर में नहीं बोल रहे हैं, गदर्भ स्वर में बोल रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कोकिल कंठ में बोल रहे हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमान्, फर्क यह है....

श्री अध्यक्ष : आपका फैसला बताये, आपका फैसला क्या है।

श्री बालकृष्ण कौल : बता रहा हूं..

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कोकिल कंठ से बोल कर बतायें।

श्री अध्यक्ष : वहीं यह कह रहे हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमान्, फर्क इतना है, माननीय सदस्यों का आलाप होता है वह इतना तेज होता है, तीव्र होता है कि एक स्वर में दस स्वर होते हैं. . .

श्री भैरोंसिंह : आपके केवल दो स्वर हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : और रागिनियां इतनी छेड़ते है तो अच्छे से अच्छे आदमी की समझ में नहीं आता है कि ध्रुपद है या भैरवी है ....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप मालकोश अदा कर रहे हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं कह रहा हूँ कि स्वर तो शायद तीन हैं लेकिन बोलते एक ही स्वर में हैं....

श्री भैरोंसिंह : आप दूसरा स्वर बन्द रख कर बोल रहे हैं,

श्री बालकृष्ण कौल : मैं दो घोड़ों पर चढ़ता नहीं हूँ।

बाज माननीय सदस्य ऐसे हैं जो बोलते पब्लिक प्लेट फार्म पर हैं लेकिन किसी दूसरे रूप में और उनका दिमाग किसी दूसरे का है। इन दोनों का समावेश करने के लिए, इन दोनों का समावेश करने पर जो हालत होती है उसको छिपाने के लिये वे ऐसा स्वर मिलाते है कि लगे........

श्री विजयसिंह झाला : आज तो आप मात कर रहे हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमान्, अब उन चीजों पर आ जाऊं........

श्री अध्यक्ष : अब रिलेवेन्ट बात कर लें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अब तक भूमिका हो रही थी।

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमान्, आपने कम से कम इस हाउस को ह्यूमर तो करा।

श्री अध्यक्ष : बहुत जरूरत थी। आप टेंशन क्रियेट कर रहे थे।

श्री भैरोंसिंह : टेंशन क्रियट इसलिये कर रहे थे कि इन्टरप्शनस हों और इनको बोलने का मौका न मिले।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : स्वर ज्ञान तो अच्छा है।

श्री बालकृष्ण कौल : जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने टैक्स के सम्बन्ध में बात करी और बड़ी कोशिश करी उसका मजाक उड़ाने की। उन्होंने कहा, साहब छाछ पर टैक्स लगाने जा रहे हैं। इसके पीछे क्या भावना संकेत करते हैं, वह अर्ज कर दूं। छाछ से आप यह न सोचें, जैसे आज कल आपके दूध में पानी मिलाया जाता है लेकिन कहलाता है दूध ....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपकी महरबानी है।

श्री बालकृष्ण कौल : और दही में पानी मिला दें तो वह छाछ बन जाती है।

कई माननीय सदस्य : वाह वाह !

श्री भैरोंसिंह : यह विश्लेषण अच्छा है।

श्री बालकृष्ण कौल : एक साहब खड़े हुए। बोले, मलाई पर लगा रहे हैं, ये जितने आर्टीकल्स हैं वे सब सब एग्ज़ेम्प्टेड हैं।

श्री भैरोंसिंह : मिल्क प्रोड्यूस की दूसरी चीजें भी होती हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमान् आप बैठ जाइये, आपको अभी बहुत जवाब देना है। यह मिल्क प्रोडक्टस का प्रश्न है। क्लॉज़ बाई क्लॉज़ जब यह आवेगा उस समय इस का जवाब दिया जायगा।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि इसमें संशोधन करने की क्यों जरूरत हुई ? हाई कोर्ट का एक रूलिंग हुआ था और चूंकि यह मिल्क प्रोडक्ट है इसमें चाकलेट, पनीर वगैरा सब आते हैं उसमें थोड़ी शक्कर है इसलिये वे एग्ज़ेम्पशन में नहीं आते हैं। इस लिये इसको ठीक करने के लिये यह रखा गया है। इसलिये यह आपके सामने रखा गया है जिसको माननीय सदस्य बहुत जोर से........

श्री भैरोंसिंह : आपकी मद प्रोडक्शन भी मिल्क प्रोडक्शन में आती है।

एक माननीय सदस्य : आप एग्ज़ेम्प्शन दी है उसमे नहीं आती है।

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमान्, अब मैं चांदी पर आता हूँ। यह सब के काम में आती है। माननीय सदस्य ने और जनसंघ ने जिसके लिये कहा है लेकिन बदकिस्मत तो मैं हूँ कि जितनी डिफिकल्टीज़ मेरे सामने आतीं है ....

श्री हरिराम चौधरी (तिजारा) : आप के साथ साथ हम भी हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि कॉम्प्रीहेंसिव स्टेटों में इसके लिये क्या व्यवस्था है।

श्रीमान्, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि एक चांदी और दूसरे उसके जेवरात हैं। पिछले साल हमने बुलियन पर आधा परसेन्ट और जेवरात पर ज्यादा रखा था। लेकिन यह देखने में आया कि इसमें कुछ इवेज़न हुआ है। लेकिन मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदक करूंगा कि जिस वक्त जोनल कमेटी की जनरल मीटिंग दिल्ली, पंजाब, काश्मीर और राजस्थान की उसमें सैल्स टैक्स पर बातचीत हुई थी। उनका और यह फैसला था कि हम जितने नजदीक आ सकें आए, जितने कॉन्स्टीटुएन्टस हैं और यह चीज उस वक्त आपस में फैसला की गई थी और इसलिये यह चीज लाई गई लेकिन जब हमने उनका बजट देखा तो वे चीजें सामने नहीं आई। लेकिन यह जरूर है कि उनकी चीजों में एक में नहीं तो दूसरे में फर्क है। क्योंकि वहां पर वेल्यू ऑफ सिल्वर यहां से ज्यादा है। कहीं तीन हैं, चार हैं कहीं पांच है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : आधा परसेन्ट से ज्यादा नहीं।

श्री बालकृष्ण कौल : आप जरा शांति से बैठिये। अभी तो मैं जनरल बात कह रहा हूँ।

क्लॉज़ ८........

श्री सम्पत्तिलाल : बोहरा : यह तो कोडीफिकेशन के लिये आया है।

श्री बालकृष्ण कौल : मध्य प्रदेश में बुलियन पर १ परसेन्ट है लेकिन वहां चांदी

(श्री बालकृष्ण कौल)

पर १ परसेन्ट है और चांदी के जेवरात ज्यादा हैं। उस पर २ परसेन्ट या ३ परसेन्ट हैं। इसलिये में इतना निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य की मैंने बहस सुनी। इधर और उधर बैठने वाले सभी माननीय सदस्यों की बहस सुनी....

एक माननीय सदस्य : दिल्ली में कितना है ?

श्री बालकृष्ण कौल : दिल्ली से आप कम्पेअर न करें। दिल्ली सेन्ट्रल गवर्नमेंट में है। वहां सेन्ट्रल गवर्नमेंट फाइनेन्स देती है। वहां आप और हम फाइनेन्स नहीं देते। इसलिये आप यहां का मुकाबला दिल्ली से नहीं कर सकते। दिल्ली ऐसी जगह नहीं है जहां यह दिक्कत आती हो कि रेवेन्यू कहां से आती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! माननीय मंत्री को बोलने दें।

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमन् इसलिये में बोल रहा था कि इस बहस के बाद में इस नतीजे पर आ रहा हूं कि २ परसेन्ट के बजाय १ परसेन्ट कर दिया जावे और साथ ही मैं यह निवेदन करूंगा कि मैं जेवरात पर भी यही कर दूं जिससे जनता को फायदा हो जावे।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : यह बहुत अच्छी बात है।

श्री भैरोंसिंह : इतनी समझदारी की बात कह देंगे तो हमें कहने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : बुलियन पर से हटा रहे हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान् मैंने अभी निवेदन किया कि चांदी के बुलियन पर १ परसेन्ट और चांदी के जेवरात पर एक परसेन्ट। मैं इतना निवेदन करूंगा कि इसका असर कुछ गोटे पर पड़ेगा। इसके हिसाब से गोटे पर भी एक परसेन्ट होगा और बाकी का टैक्स अलग जावेगा।

अब माननीय सदस्य ने कुछ मेचिज़ (दियासलाई) के बारे में कहा।

श्री भैरोंसिंह : इसको भी आप हटा दें तो तालियें और बजा दें।

श्री बालकृष्ण कौल : यह फर्स्ट पोइन्ट पर है। आप देखें तो आपको मालूम होगा कि यू. पी. में ७ परसेन्ट है, काश्मीर में ७ परसेन्ट है और मध्यप्रदेश में ७ परसेन्ट है। इसलिये मैं इतना निवेदन करूंगा कि यह टैक्स की रेट बनाई जाती है उसके पीछे क्या उद्देश्य होता है, इसको मैं माननीय सदस्यों को देना चाहता हूं। इसके लिये यह कहना कि जो चारों तरफ हमारे पड़ोस में रेट हैं उसके हिसाब से हम अपनी रेट रख दें यह नामुमकिन है। टैक्स लगाते वक्त हमें यह सोचना पड़ता है कि यहां की क्या खपत है और वहां पर क्या खपत है। वहां का स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग कैसा है ? और कौनसी चीज की वहां पर ज्यादा खपत है। कौनसी चीज लग्जरी है ? कौनसी चीज रिवाज में आती है इत्यादि सारी बातों को सोचना पडता है। यह बात उनको सोचनी चाहिये। माननीय सदस्य ने कहा फर्नीचर पर १० परसेन्ट है। मैं कहूंगा कि

Page No. 95

(श्री बालकृष्ण कौल)

यह राजस्थान के लिये लग्ज़री है। मुमकिन है यह १० वर्षों के बाद नेसेसिटी हो जाए।

श्री भैरोंसिंह : अभी मुड्डों पर क्या है ?

श्री बालकृष्ण कौल : मुड्डों पर नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : अजमेर में बनते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : ये कोई अजमेर के लिये बनते हैं इसलिये टैक्स नहीं हो, ऐसी बात नहीं हैं। मुड्डे लग्जरी में नहीं आते। मुड्डे तो किसानों के और गरीब के सब के काम में आते है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : किसानों को तो बैठने के लिए चटाइयें भी नहीं मिलती हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : सेल्स टैक्स पर जितना कहना था मैंने कह दिया और कुछ रह गया हो तो वह रह सकता है क्योंकि जहां इतनी डिस्टर्बेन्सेज़ होती है तो कुछ रह भी सकता है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मनोरंजन टैक्स का क्या हुआ ?

श्री बालकृष्ण कौल : उस पर भी आ रहा हूँ।

श्री भैरोंसिंह : अनाज पर सेल्स टैक्स हटा दें।

श्री बालकृष्ण कौल : गवर्नमेंट के दरवाजे बन्द कर दें।

श्रीमान् में अर्ज कर रहा था कि मुझे मालूम नहीं कि कौन किसान है और कौन किसान का शोषण करने वाला है। आज प्रजातन्त्र की दुनिया में यह मालूम करना मुश्किल हो गया है, इसका इतिहास पुराना होता जा रहा है, किसान को लेकर इतना कहते कहते गोबल्स का प्रोपेगेन्डा जैसा होता जा रहा है।

एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स के बारे में मैं निवेदन कर दूं कि यह एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स इस सरकार की अवधि में नहीं लाया गया था। १९५३-५४ में लगा था और ५९-६० तक चला। इसमें अमेंडमेंट पेश किये वह इस मकसद से पेश किये थे कि बहुत से अमेंडमेंट्स नहीं हुए, उनको नोटिसेज नहीं पहुंचे, इसलिये वे करीब करीब बहुत से केसेज, १९५९ के वक्त के टाइम बार हो गये। तो यह ख्याल था कि उसकी एक साल की अवधि, ५ साल को बजाय ६ साल की अवधि कर दी जाय और उसे स्कोप में लाया गया। किन्तु जब माननीय सदस्यों ने इसमें भी विरोध किया, क्योंकि यह तो मानना ही पड़ेगा कि अगर कोई खास तबके का ही विरोध हो तो सोचना पड़ता हैं कि इसके पीछे क्या मतलब है, पर जनरल विरोध होता है तो सरकार को भी सोचना पड़ता है इसलिये यह मान कर कि अवधि आगे बढ़ाना मुनासिब नहीं होगा, इसलिये ५४ के एक्ट की जो पहले की सेक्शन है, उसमें जो ५ के बजाय ६ साल की अवधि का अमेंडमेंट मूव किया था उसे मैं वापिस लेता हूं।

लेकिन जो दो और ३ है, जिसका कॉन्सीक्वेंशियल होना चाहिये, उसमें एक डिफेक्ट रह गया एक्ट में, उस एक्ट को ठीक

Page No. 96

(श्री बालकृष्ण कौल)

करने के लिये जो अमेंडमेंट पेश किया है, मुझे उम्मीद है माननीय सदस्य उसे मान लेंगे, उस पर इसरार नहीं करेंगे।

अब मैं एन्टरटेनमेंट टैक्स के बारे में निवेदन करूं; माननीय सदस्य श्री उमराव-सिंह, ये एक ही इस पर बोले थे, उन्होंने तो यह कहा था कि उन्हें व्यक्तिगत तजुर्बा है, व्यक्तिगत तजुर्बे का मतलब मैं यह समझा कि शायद सिनेमा में उनका कोई हिस्सा है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैंने नौकरी की है, चार साल तक इन्स्पेक्टर रहा हूं इसलिये मुझे मालूम है कि कौन लोग मुफ्त में जाते हैं।

ज्यादातर आप लोग ही जाते हैं, मिनि-स्टर साहब की गाड़ी से गेट पर देखी नहीं कि फौरन फाटक खोलते हैं, वह भी दूसरी क्लासेज़ के नहीं बोक्स के फाटक खोलते हैं।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : आपने फाटक खोले हैं।

श्री भैरोंसिंह : हां, मिनिस्टर्स के फाटक हम ही खोलेंगे।

श्री उमरावसिंह (ढाबरिया) : मिनिस्टर्स के फाटक खोल ही रहे हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : उन्होंने एन्ट टेंनमेंट टैक्स पर रोशनी डाली। पर उसमें एन्टरटेनमेंट टैक्स के खिलाफ कुछ मालूम नहीं हुआ। पर जैसी आदत है बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है, गवर्नमेंट की मशीनरी को स्क्रू करते हैं, कुछ जायज, कुछ नाजायज, कुछ ठीक, कुछ एग्जेजरेटेड स्क्रू करें ताकि सरकार सो नहीं जाय, अपनी मशीनरी को ठीक रखे अगर उनका यह मकसद है तो मैं माननीय सदस्य को निवेदन कर दूं कि यहां तक तो ठीक है कि कर्मचारियों के रिश्तेदार, दोस्त वहां मुफ्त में नहीं जायं लेकिन इसकी जिम्मेदारी सरकार कैसे ले कि सिनेमा का मालिक किसी को मुफ्त में नहीं बैठाये। तो इसमें सरकार को इतना ही देखने की जरूरत है कि जो आदमी सिनेमा में जाता है और सीट पर बैठता है और उस सीट का जितना टैक्स होना चाहिये वह सरकार को मिल जाय। इस अमेंडमेंट का यही मकसद है, यह प्रो-प्राइटर की जिम्मेदारी है कि वह जिस किसी को बैठाये पर उस सीट का टैक्स हमें मिलना चाहिये। मैं निवेदन कर दूं कि यहीं जयपुर में कुछ इस किस्म के सिनेमा हाउस हैं जहां सिर्फ ५ पैसे लिया करते थे और यह उसी को देख कर यह चीज लाई गई है। अच्छी से अच्छी सीट पर गवर्नमेंट को ५ नये पैसे मिला करते थे। फिर आपको यह तो स्वीकार करना होगा कि गवर्नमेंट का इस प्रकार का अमेंडमेंट लाना राजस्थान के हक में है और सदन इस चेंज को मान लेगा।

मैं एक चीज और कह दूं, वह है कत्थे पर सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में, कत्थे के ऊपर अब तक ६ परसेंट टैक्स था, इस पर बहुत सा वाद विवाद होने के बाद इस नतीजे पर सरकार आई कि इसे २ परसेंट कर दिया जाय क्योंकि वह फोरेस्ट ट्रेड है, इसकी तरक्की हो और इससे टैक्स अधिक मिले।

श्रीमान् कहने को तो बहुत सी बातें और बहुत से फैक्ट्स हैं पर माननीय सदस्यों को आम तौर से बोलना था इसलिये बातें उठाई

(श्री बालकृष्ण कौल)

अब मैं थोडा शोर्ट में स्टाम्प ड्यूटी के सम्बन्ध में कह देना चाहता हूँ मैंने अपनी बजट स्पीच में स्वीकार किया था कि स्टाम्प ड्यूटी से कितनी आमदनी आनी चाहिये वह नहीं आ पाई है, इसलिये एक्साइज़ एण्ड टैक्सेशन के कानून में तरमीम होनी चाहिये। यही मुख्य कारण है। इसलिये सरकार ने सोचा कि इस कर का जो लॉ चलता है वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नीचे आता है, वह रेवेन्यू बोर्ड के नीचे कर दिया जाय, इस पर रेवन्यू बोर्ड का चैक हो तो इससे ठीक आमदनी हो सकती है।

श्री भैरोंसिंह : अनाज पर सेल्स टैक्स लगाते हैं, इसके बारे में क्या राय है ?

श्री बालकृष्ण कौल : वह तो पुराना किस्सा हो चुका है। जब में बढ़ाने के लिये सामने आऊं तो माननीय सदस्य कहें। मैंने अपनी बजट स्पीच में कहा है क मैं आगे रेट्स नहीं बढ़ा रहा हूं और उसी को दृष्टिकोण में रखते हुए टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल रखा हैं।

श्री मानिकचंद सुराणा (कोलायत) : रेशमी कपड़े पर से टैक्स क्यों हटा लिया, सिल्कन टैक्सटाइल पर से टैक्स क्यों हटा लिया ? देखिये दफा २७ (४)।

श्री अध्यक्ष : आपने भाषण समाप्त कर दिया ?

श्री बालकृष्ण कौल : उन्होंने जवाब मांगा है, वे मेरे से मिल लें में बता दूंगा कि नहीं हटाया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं वित्त मन्त्रीजी से जानना चाहूँगा कि आपने कानून में रखा है कि साबित उसे ही करना पड़ेगा कि सेल्स टैक्स नहीं देना है, उसके बजाय आपको यह रखना चाहिये कि आप ही साबित करें कि उसे सैल्स टैक्स देना है अगर बर्डन आफ प्रूफ सरकार ने अपने ऊपर न रख कर पार्टीज़ पर रखा तो इससे बड़ा ग्रोस इन्जस्टिस होगा।

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय सदस्य चाहते है कि बर्डन ऑफ प्रूफ सरकार पर होता, उस पर नहीं होना चाहिये। सरकार बर्डन आफ प्रूफ उस चीज के लिये कि जिसका डॉक्युमेंट उसके पास है। उस डाक्युमेंट को लेने का किसके लिये रखा है ?

मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि ये सारे जितने अमेंडमेंट्स मैंने रक्खे हैं, इनको दृष्टि में रखते हुए कि जहां इवेज़न के लूप होल्स हों उनको किसी तरह से संगीन कर दिया जाय ताकि यहां जो सदन में आप टैक्सेज़ पास करते हैं उनकी पूरी वसूली हो सके।

श्री मानिकचन्द सुराणा : रेशमी कपड़े पर आपने टैक्स एग्ज़ेम्प्ट कर दिया, उसका कोई जवाब है।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि-मन्त्री) : कह दिया कि नहीं किया है।

श्री बालकृष्ण कौल : यह सेन्ट्रल गवर्नमेंन्ट का है, मेरा नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : रेशमी कपडे का आपने एग्जेम्पट कर दिया, आपने टैक्स हटा लिया है आप दफा २७ के क्लाज़ ४ के नीचे पढ़िये। "हाथ करघा कपड़ा और शुद्ध रेशमी वस्त्र जो मिलों और पावर लूम्स में बनाया जावे।" पहले इस पर टैक्स था।

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

और उसका नोटीफिकेशन था कि सिल्क टेक्सटाइल्स पर टैक्स लगेगा और आपके इस एक्ट के द्वारा आपने इस टैक्स को खत्म कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : यह क्लॉज़ जब आएगा तब आप ले लें।

श्री बालकृष्ण कौल : यह सेंट्रल गवर्नमेन्ट का है, यह गलत है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सिर्फ़ यह कहने से काम नहीं चलेगा। आप नोटीफिकेशन डेटेड १४ सितम्बर, १६५७ का पढ़िये और फिर दफा २७ पढ़िये।

श्री बालकृष्ण कौल : मैंने बता दिया कि यह सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, इसको गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया लेती है, इसलिए इस पर कोई स्टेट गवर्नमेन्ट टैक्स नहीं लेती।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने पॉवर लूम्स पर लगाया है, इसलिए विथड्रा कर रहे है ?

श्री बालकृष्ण कौल : उसमें हमें एक्साइज़ ड्यूटी का हिस्सा मिलता है।

श्री अध्यक्ष : वह भी शायद रिवाइज़ करना चाहते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसमें जो सेंट्रल नोटीफिकेशन है उसमें साफ तौर से कहा गया है कि सिल्कन टैक्सटाइल एग्जेम्प्टेड नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि उसको एक्जेम्प्ट किया गया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि एग्ज़ेम्प्ट किया जाय।

श्री बालकृष्ण कौल : आप समझने की कोशिश नहीं करते। जिन चीजों को सरेंडर किया है उन पर वे एक्साइज़ ड्यूटी लगाते हैं।

श्री रामकिशन (वैर) : सदन का समय निश्चित कर दें ताकि प्लास्टिक के बारे में भी सफाई हो जाय और ढाबरिया साहब का गुस्सा भी खत्म हो जाय। दो प्रोब्लम्स हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सदन के समक्ष तीन प्रस्ताव हैं। राजस्थान टैक्सेशन लॉज़ (अमेंडमेंट) बिल, १६६४ को जनमत के लिए प्रसारित किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान टैक्सेशन लाज़ (अमेंडमेंट) बिल, १६६४ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह कि राजस्थान टैक्सेशन लॉज़ (अमेंडमेंट) बिल, १६६४ को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(श्री अध्यक्ष)

क्लॉज २. उसमें कुछ संशोधन हैं श्री संपत्तिलाल बोहरा (मावली)

[इस खण्ड पर निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:—

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : (a) Parts (i), (ii), (iii) be delted, and (b) add the words 'Sub-section (1) insert the words and figures "Notless than Rs. 1000" between the words "liable to pay agricultural Income Tax" and "on such Agricultural Income'.

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त-मन्त्री) :

(a) Omit Snb-clause (i) and re-nember the sub-clauses (ii) and (iii) as (i) and (ii) respectively.

(b) In sub-clause (i) as so re-nembered for the word "Six" substitute the word "Five"; and

(c) In sub-clause (ii) as so re-nembered, for the word "Six" substitute the word "Five"

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) :

(a) Part (i) be omitted.

(b) Add the following part (iv) to the clause:—

"(iv) the following proviso shall be added to snb-section (2):-.

"Provided also that names of the officials who failed to comple ts the assessment within the period of four years from the end of the year in which the agricultural income was first assessable, shall be submitted to the State Government for taking necessary action against the officers in default."]

श्री संपत्तिलाल बोहरा (मावली): एग्रीकल्चर इन्कमटॅक्स के क्लॉज २ में मेरे संशोधन थे। क्लॉज वन एण्ड टू उनको डिलीट किया जाय। इसमें से क्लॉज १ के लिए वित्तमंत्री ने घोषणा की है कि वापिस ले रहे हैं इसलिए इस बारे में ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दूसरे वाले में उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स मूव करने को कहा है। मेरे ख्याल से पहले अगर अमेंडमेंट्स मूव करें तो मालूम हो जाएगा

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : मैंने वापस लेने को कहा है :

Clause 2- Omit sub-clauses (I) re-number the sub-clauses (2) & (3) as (1) and (2) respectively.

(b) In sub-clause 1 as so re-numbered for the word 'six substitute the word 'five'

(c) In sub-clause (2) as so re-numbered for the word 'six' substitute the word 'five'.

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : क्योंकि पहले मेरा सुझाव था उसको मान लिया गया है। दूसरा जो सुझाव वित्तमंत्री ने रखा है कि पांच वर्ष रख दिया जाय इसके पीछे बात यह थी कि पहले इसमें प्रोवीज़न था कोई भी असेसमेंट चार साल से अधिक

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

पेंडिंग नहीं रखना चाहिए डिपार्टमेंट को और ऐसा प्रावधान इन्कमटॅक्स में भी है कि चार साल से अधिक पुरानी असेसमेंट पेंडिंग नहीं होना चाहिए और क्योंकि पहले इस एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था तो क्लाज (ए) में पांच वर्ष लिखे थे लेकिन क्लाज़ टू में चार साल ही रखे थे । इसलिए उसके ऊपर बोलना है । एक वर्ष से अधिक मियाद देना अच्छा नहीं है इसलिए जो वित्त मंत्री ने प्रस्ताव रखा है उसका में विरोध करता हूं ।

दूसरा जो पांच साल का प्रावीजन रखा है उसमें अगर :

'Add the words' in sub-section (1) insert the words and figures 'not less than Rs. 1000' between the words 'liable to pay agricultural income Tax' and' on such Agriculture income.'

मेरा सुझाव है कि जिस व्यक्ति की टॅक्स की लाएबिलिटी एक हज़ार रुपये से अधिक हो और उसका अगर कोई असेसमेंट हो गया हो तो आप उसको कौन २ के अंदर लें, बाकी को छोड़ दें, नहीं तो परेशानी हो जाएगी ।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : राजस्थान टॅक्सेशन लॉज (अमेंडमेंट) बिल, क्लॉज २ पर मैंने संशोधन पेश किए थे कि जिसमें से एक संशोधन को वित्त मंत्री महोदय ने एप्रूव कर दिया है और दूसरा संशोधन है वह यह है कि जो अमेंडमेंट का पार्ट ३ है उसके नीचे प्रोवीजन जोड़ा जाय :

"Provided also that name of the officials who failed to complete the assessment within the period of four years from the end of the year in which the agricultural income was first assessable, shall be submitted to the State Government for taking necessary action against the officers in default."

अध्यक्ष महोदय, इस एक्ट के अंदर हमने ऑफिसरों को यह अधिकार दिया कि वे किसी भी असेसमेंट को ४ साल के अंदर कम्प्लीट कर दें । आज ही इस सदन में मेरे एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने यह बताया कि केवल पाली जिले के अंदर करीब डेढ़ लाख रुपए असेसमेंट केसेज़ निर्धारित अवधि के अंदर असेस नहीं किए जा सके । जब कानून के अंदर अधिकारियों का एक समय निर्धारित किया गया है कि उसे समय के अंदर असेस कर लें और उसके बावजूद भी अगर वे उस काम करने में निग्लीजेंट रहते हैं तो एक्ट के अन्दर डालनी चाहिए कि जो अधिकारी निग्लीजेंस के लिए जिम्मेदार हैं । उसका नाम सरकार के नोटिस में आए और सरकार उनके एक नियमित रूप से एक्शन लें । तो इस प्रोवीजन डालने का मतलब होगा कि जो अधिकारी अपने काम में ढिलाई बरतता है, इस प्रोवीजो के जोड़ने से, अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से महसूस करेंगे और काम में एफीसिएन्शी आएगी क्योंकि मंत्री महोदय ने अभी जो संशोधन पेश किया है उसके अंदर बजाय जो ६ साल के शब्द थे क्लाज़ २ के अंदर उन्होंने पांच साल कर दिया है वह चाहे दस साल भी रखे मुझे कोई एतराज नहीं लेकिन अफसरों की लापरवाही से, समय की देरी से टॅक्स से कोई नहीं बच सके ,

(श्री तेजाराम गहलोत)

अगर हम सही माने में यह चाहते हैं कि हमारे राजस्थान का विकास हो और जो टैक्स पेयर कानून के अन्तर्गत टैक्स देने के लिए जिम्मेदार हैं उनसे टैक्स लिया जाय। मंत्री महोदय ने छः वर्ष का समय पहले टेक्सेशन ला में रखा था, अब पांच वर्ष का रखते हैं। मैं उनका विरोध करता हूँ। कुछ केसेज़ हमारे सामने आवेंगे और निर्धारित समय में असेस नहीं हो सकेंगे तो फिर संशोधन पेश करना पड़ेगा। इसलिए जो संशोधन अभी पेश किया गया है वह पेश न करके जो ओरिजिनल कानून में ६ वर्ष की अवधि रखी है वही रखा जाय। इसमें डिफिकल्टी नहीं आवेगी और समय पर असेसमेन्ट हो जायगा।

माननीय अध्यक्ष : मैंने एस्टीमेट कमेटी में नाम पेश किया था, मैं उसे विद्ड्रॉ करता हूँ।

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमान्, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि इन केसेज़ को जो उस अवधि में आते हैं जिन पर नोटिसेज़ कर दिये गये उन्हें ही लिया जाय बाकि केसेज़ नहीं। यह इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने जो दो अमेन्डमेन्ट थे उनको स्वीकार किया है। यह ठीक है श्रीमान्, जैसा सोजत से जो माननीय सदस्य आये हैं उन्होंने अपना प्रोविजो रखा है कि उन लोगों कि जिनके सबब से यह नुक्सानात हुआ है उनको सजा दी जाय। श्रीमान्, यह कहना कि कौन जिम्मेदार है, और किस की जिम्मेदारी कितनी है इसकी बारीकी में जाने से, चीज तो अच्छी है किसी न किसी पर रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स की जाय, मैं प्रोविज़ो की हैसियत से तो उसको स्वीकार नहीं कर सकता और कानून में अमेन्डमेन्ट नहीं मान सकता लेकिन यह माननीय सदस्य से निवेदन कर दूं कि इस तरह से जो लेप्सेज हुए हैं, जहां तक मुमकिन होगा उनको जानकारी करने में और रेस्पोन्सिबिलिटी किस अफसर की कहां तक है और किस अफसर की कहां तक है वह भी मालूम हो जायगा, रेस्पोन्सिबिलिटी मालूम हो जायगी तो सरकार जरूर एक्शन लेगी। इतना तो मैं कहता हूँ बाकि माननीय सदस्य से निवेदन करता हूँ कि बाकि के अमेन्डमेन्ट को स्वीकार नही कर सकता।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ में संशोधन श्री सम्पत्तिलाल बोहरा ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : पार्ट १ को अलग करके जो उन्होंने स्वीकार कर लिया है वह।

श्री अध्यक्ष : वह उनका सेपरेट संशोधन है।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेने की इजाजत चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री तेजाराम गहलोत ने क्लॉज़ २ में रखा है उनको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री तेजाराम गहलोत : मैं वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष : क्लॉज़ इस प्रकार है :

(a) Omit sub-clause 1 and re-number the sub-clauses 2 & 3 as 1 and 2 respectively.

(b) in sub-clause (i) as so re-numbered, for the words 'six' substitute the word 'five'; and

(c) in sub clause (ii) as so renumbered, 'for the word 'six' substitute the word five'.

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ में जो संशोधन प्रस्तुत हुआ है वह स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

मन्त्री महोदय के संशोधन को स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २, संशोधित रूप में, विधेयक के अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २, संशोधित रूप में, विधेयक में अंगरूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ३

(इस खण्ड पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुआ :

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : In now snb-section (6) of section 4. Rajasthan Act 24 of 1957 iu the second proviso delete the word one and a half times.)

श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली) : यह एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स की धारा में जो सेकिन्ड प्रोविज़ो है उसमें यह लिखा है :

"Provided further that the rate so fixed shall not exceed one and a half times the rate of admission fixed for highest class of seat or accommodation in that entertainment."

मेरा इसमें सुझाव है कि "one & half times" वर्ड है उसको हटा दिया जाय उससे यह होगा :

"that the rate so fixed shall not exceed the rate of admission fixed for highest class of seat or accommodation in that entertainmeat."

इसके बारे में मेरा निवेदन यह है कि सिनेमा में बाकी सारी जगह पर लोग बैठते हैं और टैक्स लगाते हैं। सिर्फ ऐसी जगह सरकार यह कहती है कि पब्लिक के लिए ओपन नहीं है तो उसके लिए मेरा निवेदन है कि ऐसी जगह कितनी हैं, राजस्थान में कितने सिनेमा हैं उनमे अकोमोडेशन कितनी है, उनमें बैठने वाले कितने लोग प्रतिदिन आते हैं और कितना टैक्स हुआ यह बात आप स्पष्ट करते तो अच्छा होता, लेकिन आपने यह जानकारी करने की कोशिश नहीं की। अगर जगह है तो प्रोपराइटर के बैठने के लिए या उसके आने जाने वालों के लिए है और हाइयेस्ट टैक्स है उससे भी डेढा रखना अच्छा नहीं है। आखिर सिनेमा का

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

ओनर है, सिनेमा का मालिक है उसको यह फील होता है कि मुझे बैठना है, या घर के लोगों को बैठना है तो उसका जो हाइयेस्ट टैक्स है उससे डेढ गुना मुझे वहां बैठने के लिए देना पड़ेगा। यह बात मुझे जंची नहीं। अगर आपको यह टैक्स लगाना हो तो हाइयेस्ट टैक्स तक हो इसको रखें और इसको डिलीट कर दें तो अच्छा है।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : मैं उनकी बात को नहीं समझ सका कि हाइयेस्ट सीट पर बैठा हो तो क्यों लिया जाय ? आपका अमेन्डमेन्ट जो है, माननीय सदस्य ने बहुत मेहनत की है अमेन्डमेन्ट के देने में, मैं उसको स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष : कौनसा पोर्शन ?

श्री बालकृष्ण कौल : "Provided further that the rate so fixed shall not exceed one and half times the rste of admission fixed for highest class of seat or accommodation in that entertainment--one and a half times...........

ये शब्द निकाल दें।

श्री अध्यक्ष : पूरा प्रोवीज़ो हटा दें ?

श्री बालकृष्ण कौल : "Provided further that the rate so fixed shall not exceed.........

आगे हैं 'on and a half times'; ये वर्डस डिलीट कर दिये जांय।

उसके बाद रह जाता है "Provided further that the rate so fixed shall not exceed the rate of abmission fixed for highest class of seat or accomodation in that entertainment.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३ में यह संशोधन स्वीकार किया जाय। "दूसरे प्रोविज़ों में से वर्ड्स 'वन एन्ड ए हाफ टाइम्स" हटा दिये जाँय ?

प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ ३ में श्री सम्पत्तिलाल बोहरा ने रखा हैं उसको किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

और तो कोई संशोधन नहीं है आपका ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : नहीं साहब।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ३ संशोधित रूप से, विधेयक का अंग के।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३, संशोधत रूप में, विधेयक मे अंग रूप से जोड़ा जाये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ४ विधेयक का अंग बना।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ५

Page No. 104

(श्री अध्यक्ष)

[इस खन्ड पर निम्न संशोधन प्रस्तुत हुए :—

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) :

(1) In section 2 of Rajasthan Act 29 of 1964 :-

(1) In part (iii) insert the following sub-part (aa):—

"(aa) (v) which one taxable at the last point, but have been purchased after the full tax"

(2) In sub part (b) part (iii), the following proviso be substituted for the second proviso sought to be inserted cluse (s):—

"Provided further that when any dealer has purchased any goods without paying any tax at a concessional rate on the strenght of any declaration furnished by him for any putpose or purposes other than the mentioned in the decleartion, the purchase price of such goods shall be included in the turnover and if taxable, shall be taxed at the rate of tax previling on the day of purchase of that dacommodity minus the concessional rate of tax a rate of tax, paid at the time of purchase."

(3) Delete part (iv)

(2) **श्री तेजाराम गहलोत (सोजत)**

श्री दलपतसिंह (आबू)

श्री रविशंकर याज्ञनिक (पिंडवाड़ा)

Delete part (IV).

(3) **श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत)**

Delete part (iv) of the clause.]

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ५ में एक संशोधन मेरा है।

"In section 2 of Rajastnan Act 29 of 1964-

(1) In part (iii) insert the following sub-part 'aa):-

'aa) (v) which one taxable at the last point, but have been purchased after paying the full tax,"

जो भी आदमी राजस्थान में माल खरीदता है, छोटा आदमी है, बिना डेप्रिसियेशन देकर खरीदना चाहता है और टैक्स देकर खरीदता है ; जीरा है, धनिया है, दूसरी चीजें हैं, दस रुपये की खरीदता है या ५०) को खरीदता है उसके पास लोएस्ट पोइन्ट टैक्स का बिल हैं तो उस पर फिर टैक्स नहीं लगेगा, इसका प्रोविज़न होना चाहिए।

श्री बालकृष्ण कौल : कौनसा क्लॉज ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : क्लॉज ५ का थर्ड। सेक्शन २ एस। ओरीजिनल एक्ट में आप देखिये।

आप ओरीजिनल देखिये जो सेक्शन २ एस है उसमें लिखा है।

"'turnover' means that part of the turnover which remains after deducting therefrom the aggregate omount of the proceeds of sale of good s on which no tax is leviable under this Act or which have already been subjected to a tax under this Act;"

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

इसमें एक है :

"on which no tax is leviable under this Act or which have already been subjected to a tax under this Act..."

on the last point my amendment is there.

इसके बाद मेरा एडीशन है :

'which one taxable at the last point, but have been, purchased after paying the full tax.

यानी इसको एक्जेम्प्ट कर दें। जो टैक्स देकर लया है छोटा व्यापारी है उस पर डबल टैक्स नहीं लगना चाहिये। इसलिए मैं यह प्रावधान रखने की अनुमति चाहता हूं ? छोटे छोटे व्यापारी डिक्लेरेशन नहीं दे सकते। जैसे वह किसी से कपासिया लाता है दो परसेन्ट टैक्स देकर लाता है उसके बाद सरकार का असेसमेन्ट होता है सरकार कहती है कि टैक्स देकर क्यों लाये उस पर फिर दो परसेन्ट टैक्स लग जाता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं आप इस प्रावधान को मान लें तो जो छोटे छोटे व्यापारी हैं वे डबल टैक्सेशन की बीमारी से बच जायेंगे।

श्री परसराम मदेरणा (उप मन्त्री, आबकारी एवं कर) : Move your all amendments.

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : इससे तो पर्टीक्यूलर क्लॉज पर डिबेट नहीं हो सकेगी, एक के बाद दूसरा पोइन्ट ले लें।

श्री अध्यक्ष : पोइन्ट तो सेपरेट हैं; इसी तरह से भी ले लें तो कोई आ[illegible] नहीं होनी चाहिये।

श्री बालकृष्ण कौल : अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि आपका जो अमेंन्डमेन्ट है उसको मैं स्वीकार नहीं कर सकता कि किस जगह टैक्स लगना चाहिये यह मैं डिस्क्रीशन पर छोड़ना नहीं चाहता। आप यह कह सकते हैं कि हम इस पर टैक्स देकर लाये हैं कही वह सेल हो रहा है उसको छोड़ दिया जाय यह नहीं हो सकता। हम हर पोइन्ट पर हर वक्त बदलते रहें तो इससे टैक्स का बहुत इवेजन हो सकता है इसलिए मैं आपका संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता।

(१२.४५ म० प०)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैंने इस क्लॉज पर जवाब दे दिया है। माननीय सदस्य या तो विथड्रा कर लें या उपाध्यक्ष महोदय, इस पर वोट लिये जांय।

श्री तेजाराम गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी इसमें प्रोवीजो एड कराने का प्रस्ताव था वह अमेंडमेंट यह था; "Delete part (IV)" माननीय मन्त्री महोदय ने अपने भाषण में जाहिर कर दिया है....

श्री संपतिलाल बोहरा : अभी तो क्लॉज ५ का थर्ड (डी) चल रहा है। क्लॉज ५ में मेरे दो-तीन अमेंडमेंट हैं....

वित्तीय समितियों से नाम वापिस लेना

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : कुछ माननीय सदस्य प्राक्कलन एवं जनलेखा समिति से अपने नाम वापिस लेना चाहते हैं।

श्री हनुमानसिंह चौधरी (नावां) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपना नोमीनेशन

(श्री हनुमानसिंह चौधरी)

एस्टीमेट कमेटी के लिए दाखिल किया था उसको विथड्रा करता हूं।

श्री मतीलाल चौधरी : यह नाम वापिस लेने के लिए जो सम १ बजे तक का निर्धारित किया था उसको बढ़ा कर जब तक सदन चले तब तक के लिए कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : कमेटियों से नाम वापिस लेने के लिए समय सदन जब तक चलेगा तब तक के लिए बढ़ाया जाता है।

राजस्थान करारोपण विधेयक (संशोधन) विधेयक, १९६४

(पूर्वक्रम से विचार विमर्श)

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा क्लाज ५ के थर्ड (बी) में संशोधन है वह यह है कि जो प्रोवीजो लिखा है उसकी बजाय यह लिखा जाय।

'Provided further that when any dealer has purchased any goods without paying any tax at a concessional rate on the strength of any declaration furnished by him for any purpose or purposes other than the mentioned in the declaration, the pnrchase price of such goods shall be included in the turnover and if taxable, shall be taxed at the rate of tax prevailing on the day of purchase of that commodity minus the concessional rate of tax a rate of tax, paid at the time of purchase".

श्री उपाध्यक्ष : आप से निवेदन करूंगा कि आप संक्षेप में ही कहें।

(वित्त मन्त्री जी से) आप सबका जबाब साथ ही देंगे।

श्री बालकृष्ण कौल : जी हां।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : यह जो प्रोवीजो मैं एड करा रहा हूं वह महत्वपूर्ण है। व्यापारियों के हित की दृष्टि से कोई भी व्यापारी जिस समय माल खरीदता है वह राजस्थान में ही उसको बेचेगा या बाहर के व्यापारी को बेचेगा या एक्सपोर्ट करेगा, इसका सही सही अन्दाज वह नहीं लगा सकता इसलिये ये क्लॉजेज़ डिक्लरेशन के हैं उसमें मेरा निवेदन यह है कि अगर व्यापारी डिक्लेरेशन देकर के माल खरीदता है तो उस पर किसी प्रकार की बन्दिश नहीं होनी चाहिये।

प्राक्कलन समिति से नाम वापिस लेना

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : (सिकराय सु०) मैं अपना नाम प्राक्कलन समिति से वापिस लेता हूँ।

राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक १९६४

(पूर्व क्रम से विचार विमर्श)

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : उनको आप आजाद कर दें। व्यापारी से जो आप इस प्रकार की घोषणा कराना चाहें कि वह किस को बेचेगा कहां बेचेगा यह व्यापारी का तरीका नहीं है यह व्यापारी के लिये कहना सम्भव नहीं है। डिक्लेरेशन में जितना लिखे हुए आइटम्स हैं वह किसी से खरीद सकता है कहीं पर बेच सकता है इस पर पाबन्दी नहीं होनी चाहिये अगर उसका मिस यूज करे, उसका उपयोग नहीं करे तो इस पर

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

टैक्स लगना चाहिये टैक्सेबल टर्न ओवर में नहीं शामिल करना चहिये। वह टर्न ओवर में शामिल होना चाहिये। आपका जो संशोधन है उससे तो वह किसी रजिस्टर्ड डीलर को बेचता है राजस्थान से बाहर भेजता है या एक्सपोर्ट करता है तो वह टेक्सेबल टर्न ओवर में आ जायगा और उस पर फिर से टैक्स लग जायगा।

तो मेरा यह सुझाव है कि उसको सिर्फ टर्न ओवर में ले लिया जाए। यदि फिर वह टैक्सेबल हो तो टैक्स लगाया जावे।

अब टैक्स की रेट क्या हो, स्पेसिफिकली मैं इसका जिक्र चाहता हूँ कि कर दिया जाय कि जो पर्चेज टैक्स लगता है तो कौनसी डेट को खरीदने पर वह लगेगा।

(व्यवधान)

वित्त मन्त्री महोदय, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनें तो सहूलियत रहेगी। वे दूसरों से बात करने में मशगूल न रहें।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : मैं आपकी बात सुन रहा हूँ और आपकी बात का तत्व पहले से ही समझे हुए हूं।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : जिस दिन पर्चेज करे उस दिन लगे, जिस दिन माल बेचे उस दिन नहीं लगे। नहीं तो इससे अनुनेसेसरी लिटिगेशन होगा। तो कानून इन मामलों में जितना स्पष्ट हो अच्छा है। इसलिये मेरा यह सुझाव है जो प्रचलित हो उस भाव से टैक्स की रेट लगे। कन्सेशनल रेट से अगर बेच चुका है तो वह माइनस करके बाकी को वसूल किया जावे। यह मेरा प्रस्ताव है। मैंने काफी सोच समझ कर यह प्रस्ताव रखा है। आशा है वित्त मन्त्री इसे स्वीकार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आगे प्रोवीजो है कि रौंग डिक्लेरेशन देकर खरीदेगा तो पैनल्टी लगेगी। पर इस में दो प्रोविजो हो गये। टैक्सेबल टर्न ओवर पर भी टैक्स इस पर लिया जावेगा और रौंग डिक्लेरेशन देकर खरीदने पर उसी माल पर फिर पैनल्टी भी लग जावेगी। तो यह एक ही आफेन्स पर दो बार टैक्स लगने का प्रोवीजन है जो सही नहीं है कानूनन भी सही नहीं है। आपको ध्यान न हो तो सेक्शन ६० का प्रावधान निकालिये। इसमें लिखा है :

(k) after purchasing any goods in respect of which he has made a declaration under the provisions of this Actor rules made therender, fails without reasonable cause to make use of the goods for the deelared purposes;"

और इसकी पैनल्टी यह प्रोवाइड की हैं सेक्शन के लिये

" (viii) in cases referred to in cluse (k), a sum not exceeding double the amount of tax which would have been leviable if he had not given that declaration; "

और इस हिसाब से (ए) में यह प्रोवीजन है कि रोग डिक्लेरेशन पर डबल पैनल्टी लगेगी और उधर प्रोवीजन रख दिया आपने इसी के लिये कि यह सारा आइटम टैक्सेबल टर्न ओवर का हो जावेगा। तो एक ही बात

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

के लिये डबल वसूली हो रही है । कानूनन यह संगत नहीं है । आप इस पर विचार करें ।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : उपाध्यक्ष महोदय.......

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो एक २ आइटम पर डिसक्शन चल रहा है क्लॉज के । इसका उत्तर आ जाना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर जितने अमेन्डमेन्ट्स हैं उनको एक साथ पहले मूव कर दिया जावे, फिर एक साथ उत्तर देने में सहूलित रहेगी ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : इसके बाद मेरा भी है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : एक एक सब क्लॉज पर अलग अलग डिस्कशन हो और मन्त्री महोदय अलग अलग जवाब दें तो ठीक रहेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : वैसे ही चल रहा है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : नहीं चल रहा है । उपाध्यक्ष महोदय.......

श्री सम्पत्ति लाल बोहरा : एक सब-क्लॉज पर एक निर्णय हो जावे । फिर नेक्स्ट सब-क्लॉज लिया जावे ।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, पूरा क्लॉज का एक साथ ही आ जाना चाहिये ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : अगर ऐसा होता तो मेरा पहला अमेन्डमेन्ट इस क्लॉज के एक सेक्शन का था और वह अध्यक्ष महोदय ने अलग अलग रखकर उन पर वोट लिये और इसके बाद दूसरा सब क्लॉज चला ।

श्री बालकृष्ण कौल : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्लॉज (बी का प्रोवजो है । उसका दूसरा हिस्सा है क्लॉज (३) । यह एक ही चीज है । एक दूसरे पर डिपेन्डेन्ट है । दोनों पर एक साथ ही विचार होना चाहिए ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : तो फिर तो इससे पहला मेरा है 'Delete part 3'

श्री परसराम मदेरणा (उप-मन्त्री, आबकारी एवं कर) : Regarding sub-clause (2) he has not moved his amendment. Have you moved your amendment in sub-clause (4) ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : मैं यही तो कह रहा हूं ।

श्री परसराम मदेरणा : They will all be moved first.

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमन्, आपने जो प्रोवीजो को हटाकर उसमें अमेंडमेंट बताये हैं उस पर बहुत जोर यह दिया है कि डेट ऑफ टैक्सेशन....

श्री उपाध्यक्ष : यदि आप उपयुक्त समझें तो सभी अमेंडमेंट इस पर एक साथ आ जावें ।

श्री परसराम मदेरणा : Yes, they should all be moved first.

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रोसीजर ठीक रहेगा।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : इसमें पार्ट (६) को डिलीट करने का मेरा है।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें है ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : जी हां

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप सब क्लाज (४) पर बोल रहे है। अभी तीन पर बोले हैं। क्लॉज फाइव के सब क्लाज (३) पर अपने विचार व्यक्त किये हैं पर पहले जवाब दे दें और इसके बाद क्लाज (४) पर आवें तो ज्यादा ठीक रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, सभी एक साथ मूव कर दें, फिर पूरे क्लॉज़ का उत्तर आ जावे। He will try to reply to every thing.

श्री मानिकचन्द सुराणा : एक एक पोइन्ट अलग अलग मसलों से सम्बन्धित हैं उपाध्यक्ष महोदय एक है टैक्सेबल टर्न ओवर के सम्बन्ध में तो दूसरा बिलकुल ही भिन्न विषय पर है किसानों को डीलर बनाया जावे या नहीं। तो इसलिये इनको एक साथ न लेकर अलग अलग लिया जाना अधिक ठीक रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो सभी मूव कर दिये जावें। पूरे क्लॉज का जवाब एक साथ दे देंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह असम्भव बात है कि सब सब क्लॉज एक से दूसरे विभिन्न मैटर से सम्बन्ध रखने वाले हैं सबको एक साथ लेने से ठीक तरह से उत्तर नहीं आ सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष : होता तो यही आया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : पर इससे विशद् उत्तर हर पोइन्ट का आ नहीं पावेगा।

श्री उपाध्यक्ष : He will try to reply to every point.

श्री मानिकचन्द सुराणा : ठीक तरह से उत्तर नहीं हो सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष : तरीका तो यही रहा है कि क्लॉज बाई क्लॉज लिया जावे।

श्री मानिकचन्दसुराणा : अध्यक्ष जी ने जो रूलिंग दी है क्या आप उसको सुधार रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : I am not aware of such ruling.

श्री मानिकचन्द सुराणा : वह तो सेक्रेटरी साहब अवेयर करा देंगे। उन्होंने यह रूलिंग दी है कि हरेक का अलग अलग जवाब हो।

श्री उपाध्यक्ष : I am not aware of such ruling.

श्री मानिकचन्द सुराणा : We are aware of such ruling. It is part of the proceedings.

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : क्लाज ५ मूव किया। इसके बाद दूसरा मूव कर

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

रहा हूं। अध्यक्ष ने यही रूलिंग दी थी कि एक एक पोइन्ट का जवाब देते जावें, अगर आपको याद नहीं है तो रेकॉर्ड मौजूद है उसे देख लिया जावे। मेरे क्लाज ५ पर तीन अमेंडमेंट्स है।

श्री उपाध्यक्ष : आप सारे मूव कर दीजिये।

प्राक्कलन समिति से नाम वापिस लेना

श्री उदयलाल वर्दिया (लसाड़िया) : मैं एस्टीमेट कमेटी से अपना नाम वापिस लेता हूं।

राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, १९६४

(पूर्व क्रम से विचार विमर्श)

श्री मानिकचन्द सुराणा : इस व्यवस्था अध्यक ने दी है।

श्री उपाध्यक्ष : मेरी जानकारी में वह नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप इस बात की जानकारी कर लें। सचिव महोदय, मौजूद हैं, और अध्यक्ष महोदय भी दूर नहीं हैं। इसकी जानकारी कर ली जावे। यह डिबेट का तरीका नहीं हो सकता।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : शुरु में ऐसा कर लिया जावे।

श्री परसराम मदेरणा : जैसी सहूलियत हो वैसा ले लें।

श्री उपाध्यक्ष : मेरी रिक्वेस्ट यह है कि क्लाज बाई क्लाज हम चलें। एक क्लाज पर जितने अमेंडमेंट्स हो सब साथ ले लें और फिर उनका साथ ही जवाब दे दें। नहीं तो फिर यह दो दिन में भी पास होने वाला नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सब क्लाज (४) की तरफ आप ध्यान दीजिये। इसमें प्रश्न दूसरा है, और सब क्लाज (३) में दूसरा है। तो क्या आप इनका जबाब जनरेलाइज करके देना चाहते हैं।

समितियों के नाम लेने की अवधि में वृद्धि

श्री मुकुटविहारीलाल गोयल (बयाना) : विथड्राअल का समय एक बजे तक का रखा गया है कृपया इसे बढाया जावे।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : १॥ बजे तक का बढ़ा दिया गया है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : चूंकि सदन का समय शाम पांच छ बजे तक रख दिया गया है इसलिये इसका समय भी तब तक बढ़ा दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : पांच बजे सिटिंग नहीं हो रही है। इसलिये जब तक यह सदन चलता है तब तक वियड्राअल का समय बढाया जाता है।

राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, १९६४
(पूर्व क्रम से विचार विमर्श)

अब इसमें यह व्यवस्था रहेगी कि पहले अमेंडमैंट्स मूव कर दिये जावें, और उसके पश्चात् पोइन्टवाइज़ सबके जवाब दे देंगे। इससे समय की बचत होगी।

श्री सपंत्तिलाल बोहरा : मेरा क्लाज ५ में अमेंडमेंट है। इसमें प्रोविजो हटाया है, मैं उसको पढ़कर सुनाना चाहूँगा। प्रोविजो इस तरह है -

"Provided that the proceeds of the sale by a person of agricultural or horticultural produce, grown by himself or grown on any land in which he has interest whether as owner usufractuary mortgage, tenant or otherwise, or poultry or dairy products from fowls or animals kept by him shall be excluded from his turnover"

(१.०८ म० प०)

यह प्रोवीज़न था और राज्य सरकार के वित्त मंत्री महोदय ने यह अमेन्डमेन्ट लाकर किसानों पर टैक्स लगाने की बात की और यह भी कहा कि सदस्य ऐसा चाहते हैं तो मैं अमेन्डमेन्ट को विथड्रा करने के लिए तैयार हूँ और उस समय यह कहा कि हमारे यहां का माल दूसरे प्रान्तों में जा रहा है और वह इसलिए जा रहा है किसान जाते हैं और वहां से माल खरीद कर लाते हैं और हमको टैक्स नहीं मिलता और दूसरी स्टेट को वह पैसा मिलता है.......

श्री बालकृष्ण कौलः माल खरीदने नहीं बेचने जाते हैं।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : बेचने जाते हैं। राजस्थान से ले जाकर मध्यप्रदेश में बेच आते हैं। इसी बात को दूसरी दृष्टि से सोचें तो आपको अन्दाजा होगा कि आपका सोचना एक तरफा है, दो तरफा नहीं है। आपने यह नहीं सोचा कि यह माल राजस्थान से लेकर वहां बेचने क्यों जा रहे हैं? आपने यह नहीं सोचा कि वह माल लेकर जा रहे हैं तो वहां क्या करते हैं?

श्री बालकृष्ण कौल : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर काफी बहस हो चुकी है और मैंने डिक्लेयर कर दिया है कि मैं अपने अमेन्डमेन्ट को वापिस लेता हूँ। अब उसके ऊपर फिर दुबारा बहस हो तो कोई फायदा नहीं है। अगर कोई नई चीज पेश करना चाहें तो दूसरी बात है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : आप विचार करते तो आपको मालूम होता।

श्री बालकृष्ण कौल : मैंने विचार करके ही किया था।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : जो दूसरी स्टेट्स में रेट आफ टैक्स है वह कम है और इस इस कारण किसान वहां जाते हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : यह मैं कह देता हूँ कि वहां पर टैक्स हमसे कम नहीं है। यह आप गलत बता रहे हैं। टैक्स हमारे जितना ही है लेकिन वह वहां जाते हैं इसलिए कि वहां का भाव दूसरा है और हमारे यहां भाव दूसरे हैं। टैक्स में कोई फर्क नहीं है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : अगर वित्त मंत्री जी इसको एक्सैप्ट कर रहे हैं तो मुझे आपत्ति नहीं है।

श्री मानिकचन्द्र सुराणा : (कोलायत) यही अमेन्डमेन्ड मेरा था और क्योंकि वित्त मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है और जनरल आबाजर्वेशन में कहा जा चुका है इसलिए मैं उस पर ज्यादा निवेदन नहीं करना चाहता हूँ। वित्त मंत्री क्योंकि इसो स्वीकार कर रहे हैं इसलिए हमारे संशोधन से जो भी प्रोवीज़ो को डिलीट करने का कहा था उसको अब आप मेन्टेन करें।

श्री उपाध्यक्ष : आप विथड्रा कर रहे हैं ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने जो डिलीशन का प्रोवीज़न रखा है उसको आप विथड्रा कर लें। हमारा प्रोवीजो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए हमको ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ५ के सब-क्लॉज़ (४) पर मेरा अमेंडमेंट था कि जो माननीय वित्त मन्त्री जी ने प्रोवीज़ो को डिलीट करने का प्रोवीज़न रखा है और क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में यह एश्योरेन्स दे दिया है वह खुद माननीय सदस्य के विचारों को समझे हैं और जो अमेंडमेंट करने का जा रहे हैं उसको विथड्रा करने का आश्वासन दे दिया है इसलिए उसको स्ट्रैस करने की जरूरत नहीं है।

श्री दलपतसिंह (आबू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह का प्रोवीजो रखकर मन्त्री महोदय ने काश्तकारों की रक्षा की है और I dont want to stusset it and I withdraw.

श्री मानिकचंन्द सुराणा : हम अपने मेंडमेंट पेश करते हैं।

श्री रविशंकर याज्ञिनिक (पिंडवारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी अपने अमेंडमेंट को स्ट्रैस नहीं करता हूं।

श्री बालकृष्ण कौल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी यह निवेदन कर चुका हूं कि जिस प्रोवीज़ो को मैंने डिलीट किया था मेन एक्ट में वह वैसे का वैसा ही रहे और इसके दूसरे प्रोवीज़ो में 'फर्दर' लफ्ज़ है वह भी वैसे का वैसा ही रहेगा। जो पहले औरीजिनल है वह वैसे का वैसा ही रहेगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने हमारे अमेंडमेंट को पूर्णतया स्वीकार कर लिया है ?

श्री बालकृष्ण कौल : जी हां, इस रूप में।

श्रीमन्, (बी) का प्रोवीजो है उसमें कुछ संशोधन पेश किया है, बोहरा साहब ने। मैं इतना निवेदन कर दूं कि उन्होंने यह टैक्स कहां लगे और किस जगह हो इसका डिस्क्रीशन डीलर पर छोड़ दिया है और उस डिस्क्रीशन से क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं और क्या क्या इवेज़न हो सकते हैं उसके इम्पलीकेशन्स को शायद उन्होंने नजरअन्दाज किया है इसलिए इस ख्याल से मैं उनका जो अमेंडमेंट मैं वह स्वीकार नहीं करता।

श्री संपत्तिलाल बोहरा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा था कि इसमें डबल प्रोवीज़न हो गया है पैनल्टी का। एक क्लॉज़ १६ में भी है....

श्री बालकृष्ण कौल : जब १६ का टाइम आयेगा उस समय उसका जवाब दे देंगे।

श्री संपत्तिलाल बोहरा : मेरा मतलब यह है कि एक ही बात पर दो जगह पैनल्टी लगा रहे हैं। तो एक ही आइटम दो बार पैनल्टी एक ही एक्ट में है और मेरा सुझाव था कि इसको टैक्सेबल टर्नओवर के बजाय टर्नओवर पर कर दें तो आपको क्या आपत्ति है ?

श्री बालकृष्ण कौल : जब १९ क्लॉज आयेगा उस समय एक्सप्लेन कर देंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने....

श्री उपाध्यक्ष : Hon. Minister, what is the part of the amendment that has been accepted in Clause 5 ?

श्री बालकृष्ण कौल : (बी) का एज इटईज है। मैंने तो क्लॉज (डी) पर किया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि माननीय मन्त्री जी का यह कहना है कि जो संशोधन माननीय मावली से आने वाले सदस्य ने क्लॉज ५ के सब-क्लॉज (बी) में रखा है उसको ही स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। मेरा तो यह निवेदन है कि माननीय सदस्य के प्रोवाइजो में और आपके प्रोवाइजो में जो फर्क है वह फर्क मूल रूप से यह है कि आपने तो उसको टैक्सेबल टर्नओवर माना है और आपका कहना है कि यदि किसी वस्तु पर टैक्स ही नहीं है और उसके लिए किसी व्यापारी ने कोई डिक्लेरेशन दे दिया है कि उस माल को वह राजस्थान के बाहर भेजेगा या राजस्थान के अन्दर खपत करेगा हो सकता है उसने यह डिक्लेयर किया है कि राजस्थान के बाहर भेजेगा लेकिन वास्तव में राजस्थान के अन्दर ही उसकी खपत हो गयी है तो आपके कानून के अनुसार तो वह गलत है। चूंकि वह एग्जेम्प्टेड गुड्स है और सेल्सटैक्स उस पर नहीं है तो भी आपके प्रावीजन के अनुसार सिर्फ यह डिक्लेरेशन देने के कारण कि वह राजस्थान के बाहर भेजेगा जबकि उसकी खपत राजस्थान के अन्दर ही हो गयी है आप उसको टैक्सेबल टर्नओवर से एक्सक्लूड कर देंगे।....

श्री बालकृष्ण कौल : किस पर बोल रहे हैं ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : ५ (३) (ब) पर। जैसा कि माननीय सदस्य का जो अमेंडमेंट है मैं यह निवेदन करता हूं कि आपका जो प्रोविजो है और जो माननीय सदस्य का है उसमें आपके प्रोविजों की सारी लेंग्वेज है। पहले की लाइनों में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ पीछे की तीन लाइनों में फर्क है। टैक्सेबल टर्नओवर जहां भी रोंग डिक्लेरेशन होगा उस माल को टैक्सेबल टर्नओवर में माना जायेगा। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि जैसे कपड़ा है उस पर कोई सेल्स टैक्स नहीं है यदि उसका डिक्लेरेशन दे दिया कि वह राजस्थान के बाहर भेज रहा है और राजस्थान के अन्दर ही उसकी खपत हो गयी तो आप कहेंगे कि क्योंकि डिक्लेरेशन रोंग है इसलिए टैक्सेबल टर्नओवर पर लगेगा इसलिए ऐसी परिस्थिति में जबकि वस्तुओं के ऊपर कोई टैक्स ही नहीं है और न अन्दर ही टैक्स है और बाहर भी जायेगा तो भी टैक्स नहीं।

तो ऐसी परिस्थिति में आपको इस क्लाज में उसको टैक्सेबल टर्नओवर में इन्क्लूड करना पड़ेगा और उसको टैक्स देना

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

पड़ेगा जबकि हकीकत ऐसी है कि ऐसी वस्तुओं पर कोई टैक्स नहीं है। माननीय सदस्य के प्रोविजो से यह स्थिति साफ हो जाती है कि यदि टैक्स नहीं हों और टर्नओवर में इन्क्लूड होगा और यदि टैक्स है तो टेक्सेबल टर्नओवर में इन्क्लूड हो जायगा जो कि टैक्स के देने की वस्तु पर कायम था।

श्री बालकृष्ण कौल : डिक्लेरेशन वह सारा टेक्सेबल गुड्स पर देना पड़ेगा दूसरी चीज का नहीं होगा।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ कि जो लास्ट प्वाइन्ट कामोडिटीज है और जो टेक्सेबल हैं यदि उस माल को कोई व्यापारी डिक्लेरेशन देकर खरीदता है, लेकिन जिस परपज के लिए खरीदता है और उसको दूसरे परपज के लिए काम में लेता है या लेनेवाला खरीदता है फिर डिक्लेरेशन लेकर तो आप समझिये कि डिक्लेरेशन देकर यह खरीदा कि राजस्थान केबाहर भेजेगा, लेकिन बाद में परिस्थिति ऐसी पैदा हुई कि आपने उस पर रोक लगा दी कि कोई चीज राजस्थान के बाहर नहीं जायगी, ऐसी परिस्थिति में उसको राजस्थान में ही बेचना पड़ेगा, लेकिन लास्ट प्वाइन्ट कॉमोडिटी होने के नाते डिक्लेरेशन लेकर यदि राजस्थान के व्यापारी को बेचेगा तो उसको टेक्सेबल टर्नओवर में लिया जायगा। यदि लेना ही है तो उसको टोटल टर्नओवर में लें टेक्सेबल टर्नओवर में नहीं लें। टेक्सेबल टर्नओवर में तब लें जब कि वह टेक्सेबल हो।

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय सदस्य ने जो भी प्रोवीजन का अमेंडमेंट रखा है उसको मैं पढ़ता हूँ—

"(b) after the existing proviso, the following further proviso shall be added:—

'Provided further that when any dealer has purchased any goods without paying any tax on the strength of any declaration furnished by him and the said goods are used by him for any purpose other than the one mentioned in the declaration, the purchase price of such goods shall be included in his taxable turnover.'

मैं मिसाल के तौर पर आपको समझा देता हूँ कि बहुत सी मिलें खुलती हैं वह यह लेते हैं कि, साहब, हम स्वयं ही यहां कन्जूम करने जा रहे हैं इन दी प्रोसेस ऑफ मेन्युफेक्चर हमको यह इजाजत दें इसको एक्जेम्प्ट करने के लिए। वह डिक्लेरेशन देता है लेकिन वह करता क्या है कि अगर वह उस चीज़ को जिसको कि उसने टैक्स से माफ कराया है उसको अगर वह फिर बेच दे उस वक्त हमारे पास क्या गिरफ्त है ? हम कहना चाहते हैं कि टैक्स कैसे लें और क्या करें उस चीज को जो उन्होंने डिक्लेरेशन के खिलाफ काम किया है उसके लिए यह प्रोवीजो है। मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य वकील होकर और खास कर इसी काम के वकील हैं वह इसमें क्यों लेक्चिटी रखना चाहते हैं, क्यों लेकूना रखना चाहते हैं। वह माननीय सदस्य इस सदन के मेम्बर हैं। इनको तो खयाल होना चाहिए कि कोई चीज ऐसी न हो कि जिससे

(श्री बालकृष्ण कौल)

सरकार के रुपयों का इवेजन हो और कोई इवेड करता है तो सख्त, कड़ी सजा होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पेनल्टी लेनी चाहिए वह ली जाय। मैं इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी हालत में तैयार नहीं हूँ कि उनका जो संशोधन है उसको स्वीकार करें।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : उपाध्यक्ष महोदय, एक सेकण्ड।

मेरा मंत्री महोदय से यह कहना है कि उन्होंने यह कहा कि वकील होकर ऐसी बात कर रहे हैं तो इसीलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मेरी बात को ठीक तरह से समझ नहीं पाये।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो समझ गये हैं।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : एक सेकण्ड।

मेरे कहने का मतलब यह है कि डिक्लेरेशन देकर बिना टैक्स दिये खरीद लाये और यदि मैंने ऐसे आदमी को बेच दिया जिससे डिक्लेरेशन ले लिया और वह यह कहता है कि राजस्थान में बेचूंगा। डिक्लेरेशन देना गुनाह नहीं है, कानून के अनुसार है....

श्री बालकृष्ण कौल : वायोलेशन गुनाह है इसलिए हमने किया है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : इसलिए यह प्रोवीज़न मैंने रखा है।

श्री बालकृष्ण कौल : This is tax and that is penalty. दोनों चीजों में फर्क है। आप बारबार १६ को ध्यान में लाना चाहते हैं तो वह पेनल्टी है, टैक्स नहीं है। पेनल्टी अलग चीज है और टैक्स अलग चीज है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : इस अमेंडमेंट का भी वही हाल होगा जो कि एण्टरटेनमेंट टैक्स का हुआ कि आपको ५-६ महीने बाद में एमेंडमेंट लाना पड़ा।

श्री कृष्णलाल कौल : We shall become wiser afterwards.

श्री उपाध्यक्ष: What are the amendments which you have accepted ? आपने एक्सेप्ट कौन सा किया है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : He has accepted the amendment on part (iv)

श्री बालकृष्ण कौल : पहले प्रोवीज़ो लें (बी) का।

श्री उपाध्यक्ष : पहले प्रोवीज़ो ले लें।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : क्लाज़ ५ का (४) आपने ऐक्सेप्ट कर लिया है।

श्री बालकृष्ण कौल : पांच के (३) का (बी)।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा: (३) के (बी) का एक्सेप्ट कर रहे हैं।

श्री बालकृष्ण कौल: जो मेरा है वह कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : जो श्री सम्पत्तिलाल बोहरा ने एमेंडमेंट रखा है........

श्री परसराम मदेरणा : पार्ट फोर्थ के (ए) एण्ड (बी) को डिलीट करने का रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ५ के पार्ट (४) को डिलीट किया जाय।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं इसको फिर क्लियर कर दूं, नहीं तो फिर वही,गलती हो जाय। आपने यह कहा कि यह डिलीट होगा तो मैं उनके अमेंडमेंट को एक्सेप्ट करता हूँ। तब पोजीशन यह हो जाती है। फिर कहीं कोई खामी रह जाय माननीय सदस्य को पढ़ दूं। क्योंकि वह मायने दूसरे ले लें इसको एक्सेप्ट करने के बाद की पोजीशन यह है। तो मैं यह चाहता हूं कि उसके बाद में यह पोजीशनहो जायगी कि जो पहले ओरीजिनल एक्ट में प्रोवीजन है वह पूरा आ जायगा और दूसरे में दूसरा भी वैसे का वैसा आ जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन माननीय सदस्य श्री सम्पत्तिलाल बोहरा ने पार्ट (४) को डिलीट करने के लिए प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

सब-क्लॉज (४) डिलीट किया गया।

अब प्रश्न यह है कि क्लॉज ५, जो बाकी बचा हुआ है, उसको स्वीकार किया जाय .

प्रश्न यह है कि इसके अलावा जो अमेंडमेंट माननीय सदस्य ने रखे हैं ...

श्री मानिकचन्द सुराणा : अलावा में सारे इनके नहीं हैं, उपाध्यक्ष महोदय, अलावा में पार्ट (४) में हमारे भी संशोधन हैं।

श्री उपाध्यक्ष : I shall take the whole of it.

प्रश्न यह है कि पार्ट (४) के अलावा जो क्लॉज ५ के अन्दर श्री सम्पत्तिलाल बोहरा ने अमेंडमेंट रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

श्री बालकृष्ण कौल : कौन कौन से हैं।

श्री उपाध्यक्ष : All other amendments.

(मत-दान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : हां पक्ष जीता।

श्री परसराम मदेरणा : Noes have it.

श्री उपाध्यक्ष : I again put it to vote.

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ५ में पार्ट (४) के अलावा जो माननीय श्री सम्पत्तिलाल बोहरा ने अमेंडमेंट्स रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(मत-दान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता

श्री मानिकचन्द सुराणा : 'Ayes' clearly have it,

(मत-विभाजन घन्टी)

घन्टी के बल पर आप जीत जायं। आप अपनी ताकत से फिर भी नहीं जीत सकते।

श्री बालकृष्ण कौल : घन्टी के बगैर भी हमारी ताकत पर चले हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : (अनेक माननीय सदस्यों के आने पर) कहां छिपे रहते हैं ? पता ही नहीं लगता कि कहां से निकल आते हैं इतने लोग ?

श्री संपत्तिलाल बोहरा : उनको मालूम होना चाहिये कि किस क्लॉज पर विभाजन हो रहा है, क्या बात है, जब तक इनको मालूम नहीं होगा तब तक क्या वोट देंगे ? जानकारी तो होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ५ में पार्ट (४) के अलावा जो माननीय श्री संपत्तिलाल बोहरा ने अमेंडमेंट्स रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन किये गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाज ५, एज अमेंडेड, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लाज (५), एज अमेंडेड, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज ६

इस खण्ड पर ये संशोधन प्रस्तुत हुआ:—

श्री संपत्तिलाल बोहरा (मावली) :

(a) In part (i) : Substitute words "five percent" for the words "ten percent" occurring in the words sought to be substituted.

(b) In part [ii] Substitute the word 'after' for the word 'for' occurring in the begining and the second line substitute 'Added' for the word 'substituted'.]

श्री उपाध्यक्ष : श्री संपत्तिलाल बोहरा।

श्रीसंपत्तिलाल बोहरा (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लाज ६ में एक बहुत महत्वपूर्ण अमेंडमेंट सरकार लाई है और यदि गंभीरतापूर्वक विचार करें कि वास्तव में इसका क्या अर्थ होगा तो शायद कोई भी माननीय सदस्य इसे स्वीकार नहीं करेगा। राजस्थान सरकार ने जब सेल्स टेक्स कानून बनाया था तब हाइयेस्ट रेट यह रखी थी कि ३=) सैकड़ा से ज्यादा न होगी। उपाध्यक्ष महोदय, फिर सरकार धीरे धीरे इस को बढ़ाती गई। पहले ३।≈ ४ परसेन्ट की गई फिर अमेंडमेंट लाया गया और ४ के बजाय ५ परसेन्ट किया और फिर अमेंडमेंट लाकर ५ के बजाय ६ परसेन्ट किया गया। आज यह अमेंडमेंट ला रहे हैं कि १० परसेन्ट तक इस रेट को बढ़ा सकें। यह बहुत महत्वपूर्ण और गंभीरतापूर्वक विचार करने की बात है।

अब तक सरकार को यह अधिकार था कि वह कितने परसेन्ट टैक्स लगावे लेकिन उसकी स्वीकृति सदन से लें। यह सदन की इच्छा पर था कि सदन स्वीकृति दे या न दे। लेकिन अब सरकार सदन से इतने वाइड पौवर्स लेना चाहती है कि जिसकी लिमिट नहीं। यह सरकार १० परसेन्ट तक सेल्स टैक्स लगा सकती है और सदन

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

उसमें दखल नहीं दे सकता। सरकार ने यह तय किया था कि ज्यादा से ज्यादा वह ६ परसेन्ट टैक्स लगा सकती है, अधिक नहीं लेकिन आज सदन से सरकार आज्ञा मांग रही है, प्रस्ताव पास कराना चाहती है कि अधिक से अधिक १० परसेन्ट तक टैक्स लगाने का अधिकार उसे दिया जाय। आप अंदाज लगाइये कि १० परसेन्ट कितना होता है, १० परसेन्ट से हिसाब लगावें तो कितना भारी पड़ता है। आज तक किसी स्टेट ने १० परसेन्ट सेल्स टैक्स लगाया है क्या। किसी भी स्टेट में ४ परसेन्ट ५ या ६ परसेन्ट से अधिक नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि ओरिजिनल स्थिति बनी रहनी चाहिये। बल्कि मेरा प्रस्ताव यह था कि जनरल रेट ६ परसेन्ट है वह ५ करदी जाय दूसरे कांस्क्विन्शयल अमेण्डमेंन्ट्स में इस प्रकार का प्रोविजन है कि सरकार जैसा चाहे लगा सकती है चाहे तो १० परसेन्ट तक कर सकती है, इसके लिए प्रावधान आलरेडी है चाहे तो लगा सकती है लेकिन विधान सभा की इजाजत के बिना नहीं, लेकिन अब जो अधिकार सरकार लेना चाहती है वह यह कि बिना इजाजत विधान सभा की लिये १० परसेन्ट तक लगा सकती है। मैं समझता हूं सरकार को यह छूट नहीं देनी चाहिये।

श्री बालकृष्ण कौल : उपाध्यक्ष महोदय, जो अमेन्डमेन्ट मैंने पेश किया है वह एक सीधा और साधारण अमेन्डमेन्ट है। आज की स्थिति जो है वह स्थिति कहीं इधर उधर से नहीं बिगड़ती है, जो आज अमेंडमेंट पेश किया है माननीय सदस्य अच्छी तरह जानते हैं कि आज बहुत सी चीजों की रेट ६ परसेन्ट है और बहुत सी चीजों की रेट १० परसेन्ट है और आज भी सरकार को यह अधिकार है कि ६ से ७ करले, ७ से ८ कर लें, ९ कर लें, १० कर लें····

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : कैसे कर लें ?

श्री बालकृष्ण कौल : नोटिफिकेशन से। इसलिये जो प्रोविजो मैंने रखा है, इन सब चीजों को रेगुलेराइज करने के लिये यह अमेंडमेंट रखा है कि १० परसेन्ट तक हम सकें। एक चीज इसमें ज्यादा सोचने की है वह यह है कि आज हम बंधे हुए हैं कि ६ परसेन्ट से कम किसी चीज में करना चाहें तो जो आज का एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें नहीं कर सकते।····

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : आपने २ परसेन्ट बुलियन पर कैसे लगाया, २ परसेन्ट आयलसीड पर और काटन सीड पर कैसे लगाया ? नहीं लगा सकते ऐसी बात नहीं है।

श्री बालकृष्ण कौल : लगा सकते हैं लेकिन हाउस में आकर, यहां प्रावधान लाकर हरेक चीज को अलग अलग करके, यह कौन कहता है कि नहीं लगा सकते, इस हाउस को सभी अधिकार हैं। मान लीजिये मैं देख रहा हूं कि हाउस सेशन में नहीं है और एक चीज का टैक्स गिर रहा है, जरूरत इस बात की है कि ६ से ४ कर दें तो नहीं कर सकते। यह जो १० लगा रहे हैं इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यदि आप ज्यादा ताकत देते हैं तो आप सोच सकते हैं कि खूबसूरत भाषा बनाने के लिये और रेगुलेराइज करने के लिये चीज है। इसलिये मैं समझता हूं कि आपका

(श्री बालकृष्ण कौल)

अमेंडमेंट इन हालात में स्वीकार नहीं कर सकता । मुझे उम्मीद है कि आप अपना अमेंडमेंट विथड्रा करेंगे ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं व्यवस्था का प्रश्न यह उठाना चाहता हूं कि टैक्सेज इन्क्रीज करने की घोषणा है वह बजट स्पीच में होनी चाहिये थी । मंत्रीजी का कहना है कि जो अमेन्डमेन्ट ला रहे हैं टैक्सेज लॉज अमेन्डमेन्ट्स के द्वारा वे ऑर्डिनरी और रूटीन अमेन्डमेन्ट्स हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये रूटीन अमेन्डमेन्ट्स नहीं हैं । राजस्थान सेल्स टैक्स एक्ट की धाराओं के अन्तर्गत जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें ६४ वस्तुओं पर रेट्स सरकार ने तय की है । मैं मार्च ६२ का नोटिफिकेशन कोट कर रहा हूं । ६५ वी चीज के बारे में यह कहा है कि जो शिड्यूल नं० १ में ६४ चीजों के अलावा कवर नहीं हैं उनके लिए राज्य सरकार ने ६ परसेन्ट टैक्स रखा है । अब वित्त मंत्रीजी ६ परसेन्ट के बजाय १० परसेन्ट कर रहे हैं ।....

श्री बालकृष्ण कौल : मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि कोई इस वक्त ध्यान में नहीं है कि ६ परसेन्ट के बजाय १० परसेन्ट किया जाय । जब मुझे ऐसा करना होगा तब मैं सदन में आऊंगा ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है, चाहे आपके ध्यान में हो या न हो, इस सदन से आप अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, उन अधिकारों के द्वारा सरकार को अधिकार मिल जाता है कि आप चाहें तो उसको दस पर्सेन्ट तक कर दें । आपने बजट स्पीच में इस तरह की कोई घोषणा नहीं की है, आपने कहा कि जो टैक्स लगा रहे है वह सिर्फ....

श्री उपाध्यक्ष : अब चूंकि...

श्री मानिकचन्द सुराणा : इस संबंध में लगा रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, अब चूंकि समय समाप्त हो रहा है, क्या सदन की इच्छा है कि जब तक बिल पारित न हो जाय तब तक के लिए समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सिर्फ दो बजे तक बढ़ाया जाय । फिर ईविनिंग में कर दिया जाय ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : ज्यादा देर तक बैठना पड़ेगा, बहुत इम्पोर्टेन्ट विषय है ।

श्री परसराम मदेरणा : Time may be extended till 2 P. M. or it may be taken tomorrow.

श्री उपाध्यक्ष : समय कब तक बढ़ाया जाय ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : दो बजे तक !

श्री परसराम मदेरणा : दो बजे तक ।

श्री बालकृष्ण कौल : या तो यह खत्म कर दिया जाय और अगर कल कन्टीन्यू करना है तो फिर क्यों बैठा जाय, अभी खतम कर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : Let me extend the time.

श्री मानिकचन्द सुराणा : सदन का समय पांच बजे से फिर ऑल रैडी रखा हुआ है।

कई माननीय सदस्य : नहीं, बढ़ा नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं निवेदन कर रहा हूं, आप सिम्प्लीफिकेशन ऑफ टैक्स पर्सेन्टेज के लिए प्रोवीज़न ला रहे हैं। यह नहीं रखा है कि ६ पर्सेन्ट से १० पर्सेन्ट...

श्री बालकृष्ण कौल : आज १० पर्सेन्ट है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आज दस पर्सेन्ट है उसकी सूची दी हुई है। बाकी जो सूची से कवर नहीं होंगे उन पर छः पर्सेन्ट लगा सकते हैं। अब अमेन्डमेन्ट के बाद अधिकार प्राप्त हो जाते हैं तो उन आइटम्स पर, जो १ से ६४ में कवर नहीं होंगे, उनमें छः पर्सेन्ट से १० पर्सेन्ट टैक्स लगा दें। इसलिए मैं इस अमेंडमेंट का घोर विरोध करता हूँ और सिर्फ घोर विरोध ही नहीं करता बल्कि यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो इस सदन को कान्फीडेंस में लेकर वित्त मन्त्रीजी ने कहा कि कोई टैक्स बढ़ा नहीं है और सेल्स टैक्स से, आपने अपने भाषण में कहा था कि ३० लाख को रेवेन्यू करना चाहते हैं लेकिन मैं निवेदन करना चाहूँगा, आपके दूसरे जो अमेंडमेंट हैं उनको आप पढ़ लें, आपने जो पहले पेज पर अमेंडमेंट किया है उससे २० लाख की आमदनी हो सकती है लेकिन जनरल रेट ६ से १० पर्सेन्ट कर दी जिसके उपयोग का पूर्ण अधिकार आपको होगा तो करोड़ों रुपये की सैल्स टैक्स के जरिये आमदनी मिल सकती है। इसलिए सरकार को अधिकार नहीं मिल सकता कि ६ पर्सेन्ट के बजाय जनरल रेट १० पर्सेन्ट कर दें जिससे जब मन्त्री महोदय के मन में आये, कम कर दें और जब मन में आये तो ज्यादा कर दें। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की वाइड पॉवर्स का ब्यूरोक्रेसी के द्वारा और गवर्नमेन्ट के द्वारा दुरुपयोग होता है। आप कम करना चाहते हैं तो उसका अधिकार तो आज भी है। लेकिन यह अधिकार नहीं दे सकते कि ६ पर्सेन्ट के बजाय दस पर्सेन्ट कर दें। इस सदन को बिना कॉन्फीडेंस में लिये हुए इस तरह के अधिकारों का दुरुपयोग होता है। मैं समझता हूं कि यह स्वस्थ परम्परा नहीं है। भारत सरकार के जो एक्साइज के बिल आते हैं उनमें जो पर्टीक्यूलर रेट्स का मोशन किया जाता है उसमें जो अमेंडमेंट होता है तो सदन को सूचना दी जाती है और फिर किया जाता है। उसी प्रणाली को दृष्टिगत रखते हुए मैं ६ पर्सेन्ट से १० पर्सेन्ट करने के प्रावधान का घोर विरोध करता हूं।

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय सदस्य कुछ बहुत इसको गम्भीर समझ गये हैं और ऐसा मालूम होता है कि हमारे पर कॉन्फीडेंस भी कुछ खोया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि यदि सरकार में कॉन्फीडेंस रखते हैं, तब आपका दृष्टिकोण दूसरा हो.................

श्री मानिकचंद सुराणा : कॉन्फीडेंस होता तो उधर बैठते। इधर बैठ कर कॉन्फीडेंस का सवाल नहीं है।

श्री बालकृष्ण कौल : फिर क्या यह मानते हैं कि आपकी बात को न सुनें,

(श्री बालकृष्ण कौल)

जैसा आपने कहा, उसके आधार पर हमारी मर्जी के अनुसार चलायें..............

श्री मानिकचन्द सुराणा : वह तो आपकी मर्जी है ।

श्री बालकृष्ण कौल : इसके मायने यह हुए, मैं यह मानता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, उधर बैठें या इधर बैठें, जब कोई बात....

श्री मानिकचन्द सुराणा : कॉन्फीडेंस का सवाल नहीं है यहाँ ।

श्री बालकृष्ण कौल : सरकार कहती है तो उसकी बात में सदन कॉन्फीडेंस रखता है । मैंने निवेदन किया कि खाली एक परसेन्ट करने जा रहे हैं, इसमें और कोई बात नहीं क्योंकि आप इसको रेगुलराइज़ नहीं करते तो मैं नहीं कर सकता। मेरे आगे दिक्कत हो जाती है क्योंकि जब तक प्रोसीजर में से न गुजरूं, एक अमेंडमेंट लाऊं और फिर आप प्रोवीज़न करें तब तक यह नहीं कर सकते । मैं यह यकीन दिलाता हूं कि कोई मेजर चेंज होगी तो बगैर इस सदन में लाये, आपकी स्वीकृति लिये हुए नहीं होगा यह आश्वासन दे रहा हूँ । फिर भी आप कहें कि विश्वास नहीं है....

श्री मानिकचन्द सुराणा : रेट ऑफ टैक्स ६ से १० परसेन्ट बढ़ायेंगे तो इस सदन को पूछ सकते हैं ।

श्री बालकृष्ण कौल : अगर मैं पहले हो दस परसेन्ट कर देता तो क्या आप इसे पास नहीं करते ? करते! मैं कह रहा हूं, इस तरीके से बढ़ायेंगे तो मैं आपके पास जरूर लाऊंगा यह रेगुलराइज़ करने के लिए । जैसा मैंने आपसे कहा, कल्ये पर मैंने सोचा-गिरा दूं । एक दम ख्याल आया । तो चूंकि सदन था इसलिए मैंने सदन के आगे रख दिया । अगर इस तरह पास न करें, जिस तरह की फ्रेज्योलोजी रखी है तो मैं नहीं कर सकूंगा । इसलिए यह चीज सदन के सामने आ रही है । अब अगर कोई ऐसी चीज हुई, जिसमें ऊंच नीच का सवाल हो तो बगैर सदन में आये हुए मैं नहीं करूंगा । इस विश्वास के साथ जो मैंने रखा है प्रिन्सिपल उसको स्वीकार करें ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरे एक प्रश्न का जवाब दे दें, पहले प्रोवीजन में रेट ऑफ टैक्स परसेन्ट रखा है । आपने कहा, इसको कम करना है तो अमेंडमेंट करना लाजमी है । आपने लिखा है "rate not exceeding 10 percent" मेरा निवेदन है कि जिस तरह रेट नाट एक्सीडिंग १० परसेन्ट है, उसको अगर आप rate not? exceeding six percent कर दें तो क्या मन्शा पूरी नहीं हो सकती ।

श्री बालकृष्ण कौल : नहीं हो सकती ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : छः परसेन्ट होने के बाद भी दो परसेन्ट टैक्स कम कर सकते हैं ।

श्री बालकृष्ण कौल : जब १० परसेन्ट की चीज है तो मैं उसको रेगुलराइज़ कर लेना चाहता हूँ तो ६, ५, ४, ३ तक नीचे आ जाऊंगा । इसलिए "not exceeing 10" किया है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : टैक्सेज कम करने के लिए प्रावधान ला रहे है। यह मतलब है कि जो पहले रेट थी उसको कम करने के लिए ला रहे हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल : "Not exceeding ten percent" किया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यही मतलब है।

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज ६ में जो श्री सम्पत्तिलाल बोहरा ने संशोधन रखा है........

श्री बालकृष्ण कौल : Why don't you withdraw ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : विथड्रा नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष : उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ६, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज ७

[इस खण्ड पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए।]

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) :

7. Section 5 A of Rajasthan Act 29 of 1954.

In section 5 A of the Sales Tax act-insert the words 'on the date of purchase' between the words 'leviable' and the words 'on the sale price'.

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) :

Add the following part (iii) to the clause :—

"(iii) The following third proviso shall be added :—
"Provided that the rate of purchase Tax shall not exceed the rate of Inter State Sales Tax imposed by the Government of India in any case".

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई क्लॉज है इस एक्ट में जिसके कारण छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे किसी व्यक्ति को परेशान किया जा सकता है, या तंग किया जा सकता है, तो यह धारा, जो अमेंडमेंट क्लॉज ७ है, इसके द्वारा किया जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी मुसीबत तो यह है कि इतना बड़ा अमेंडमेंट लाया गया लेकिन बजट स्पीच में इसकी घोषणा नहीं की थी कि हम सारी की सारी चीजों पर पर्चेज टैक्स लगा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कितना छोटा अमेंडमेंट है, वर्ड सच को एनी कर दिया गया है। वर्ड सच की जगह एनी कर दिया है। सच में प्रावधान था, अब तक सरकार जिस चीज पर चाहती, स्पेसिफिकली गजट नोटिफिकेशन

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

के द्वारा चेंज करती तो उस पर पर्चेज टैक्स लगा सकती थी। आज परिस्थिति यह है कि कोई भी आइटम, किसी चीज पर सेल्स टैक्स लगाते हैं, उस पर परचेज टैक्स आयद हो सकता है। जिस चीज पर राजस्थान में सैल्स टैक्स लगता है, उसकी बिक्री राजस्थान में नहीं हुई तो उसकी बिक्री राजस्थान के बाहर पड़ोसी प्रान्तों में हो सकती है, आड़तिये के मार्फत वह बिक सकती है तो इस प्रावधान के माफिक उस चीज पर पर्चेज टैक्स लगा दिया जायगा और उसकी वही रेट होगी जो सैल्स टैक्स की है। इसके साथ साथ माल को आड़ती के बजाय व्यापारी के द्वारा डाइरेक्टली भेजा जाय, इन्टर्स्टेड सेल्स हो तो उस पर मैग्जिमम टैक्स दो पेर्सेन्ट लगायें, और व्यापारी आड़तिये की मार्फत माल बेचें और राजस्थान के बाहर भेजें तो उस पर मेग्जिमम रेट ऑफ टैक्स लगेगा। यदि वही माल आड़तियों के मारफत नहीं बेचा जाकर डाइरेक्ट डीलिंग करें तो २ प्रतिशत टैक्स लगेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): यही बात आपने पहले कही थी।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा: यदि राजस्थान की सरकार यह चाहती है कि हिन्दुस्तान के बाहर माल जावे और वहां पर मारकेट कवर करे तो आपको मालूम होना चाहिये कि आपने सब पर टैक्स लगाये हैं, इससे इसमें काफी रुकावटें आती हैं, मैं एक बीकानेर के गोट हेअर, बकरे के बालों की बात बताना चाहता हूं, ये कोई हजरत बाल का मामला नहीं है, मगर जो गोट हेअर वहां से बाहर जाते हैं उससे हजारों रुपयों की आमदनी होती है, आज हजारों रुपयों के गोट हेअर दूसरे देशों में जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इन बालों पर भी जो टैक्स है वह लगेगा और आप इसको मना नहीं कर सकते आखिर एक माल है जो हिन्दुस्तान के बाहर जाता है और मारकेट केप्चर करता है तो उससे आपको फोरिन एक्सचेन्ज मिलेगा, आप फोरिन एक्सचेन्ज कमावेंगे लेकिन आपने यह व्यवस्था की है कि हिन्दुस्तान के बाहर भी जो माल जावेगा उस पर भी यह टैक्स लगेगा।

इसके अलावा मैं आपको यह निवेदन करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसिजन लिया है कि इम्मूवेबल प्रोपर्टी होती है तो वह राज्य सरकार के इस प्रकार के टैक्स के परव्यू के बाहर है। मगर आज यह परिस्थिति हो गई है कि अगर कोई कन्स्ट्रक्शन कराता है, बिल्डिंग बनवाता है और उसके यूज के लिये रेत पत्थर आदि काम में लाता है तो उस सब पर यह टैक्स होगा, he has not sold these goods, but has disposed of otherwise than sale आप कहते है कि उसने इस माल को डिस्पोज़ ऑफ किया है, यूज किया है इसलिये इसको वसूल किया जाए। सारे काम पर परचेज टैक्स लगेगा। आप सड़कें बना रहे हैं उस पर भी राजस्थान सरकार को पर्चेज टैक्स देना पड़ेगा। इतनी छोटी चीजों पर भी आपको परचेज टैक्स देना पड़ेगा। आपने पांच हजार पर परचेज टैक्स की रेट रखी है। मैं यह कहूँगा कि जो होटल वाले हैं छोटे खोमचे वाले हैं, चपाती बनाने वाले हैं, समोसे बनाते हैं, पांच हजार आज क्या होगा। अगर रोटी को उसने स्वयं ने खा लिया तो उस पर भी परचेज टैक्स लगेगा क्योंकि उसने स्वयं खा ली और बेची नहीं। इसके साथ २ जोधपुर में

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

महामन्दिर में हाट लगती है और लोग वहां पर गधों पर लाकर खालें बेचते हैं। आप खालों पर भी परचेज टैक्स लगाते हैं। आप सबसे टैक्स वसूल कर लेंगे। वह जिसके यहां बेचता है उसको नहीं लेते हैं। लेकिन सारे खालें गधों पर लाने वालों से आप टैक्स वसूल करेंगे। आपका इन्सपेक्टर जाकर टैक्स वसूल कर लेता है। आपने जितने क्लाजेज लगाये हैं और पेनल्टी का प्रोवीजन रखा है कि छोटे से छोटा व्योपारी अनपढ़ होता है और अनपढ़ होने के नाते वह हिसाब नहीं रख सकता। आपने सीमा ५ हजार की प्रेस्क्राइब की है, इस लिये मेरा निवेदन है कि ओरिजनल क्लाज है उसको उसी तरह से रखा जावे। आप इसमें आइटम स्पेसिफाई कर लीजिये उसमें किसी को किसी प्रकार का ऐतराज नहीं हो सकता। जनरल आपने रखा है इसलिये इसमें कुम्हारों के भट्टे, मकान बनाने वाले भी आ जावेंगे। इसलिये मेरा दूसरा सुझाव है कि आप निश्चित तौर से बतावें कि किन किन चीजों पर पर्चेज टैक्स लेना आप चाहते हैं आप पर्चेज की कीमत पर या सेल की कीमत पर यह लेना चाहते हैं। जिस दिन सेल हुआ उस पर लेना चाहते हैं या परचेज पर लेते हैं। यह प्रावधान.........

श्री बालकृष्ण कौल : (वित्तमंत्री) आपको फायदा होता है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : नहीं है कि किस कीमत पर और किस रेट पर यह लगेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे जरा ध्यान से सुनें। आप किस पर यह टैक्स लगाना चाहते हैं। माल कंज्यूम किया है उस दिन लगाना चाहते हैं या परचेज़ किया उस पर लगाना चाहते हैं या सेल प्राइस होती है उस पर लगाना चाहते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनका स्पष्टीकरण होना जरूरी है : "on the date of purchase" इसका यह मतलब हुआ कि जिस दिन पर्चेज़ किया उस हिसाब से टैक्स लगेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में मैंने कुछ बातें बताई हैं और माननीय वित्त मन्त्री से निवेदन करूंगा कि अमेंडमेंट ५ (१) है उसको वापिस लें और जहां तक हो सके इस बात को बतावें कि किस दिन से लेंगे।

श्री बालकृष्ण कौल : जिस दिन बिकेगा उस दिन से।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्लॉज़ ७ पर अपना अमेंडमेंट मूव करता हूं। मुझे कोई एतराज नहीं है इस बात से कि राजस्थान में ६ चीजों पर पर्चेज टैक्स, उसके बजाय सारी चीजों पर लें, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन ६ चीजों पर परचेज़ टैक्स कायम किया उसमें दो परसेन्ट रेट ऑफ टैक्स रखी क्योंकि इन्टर स्टेट में भारत सरकार के नियम के अनुसार २ परसेन्ट रेट है। इसलिए राजस्थान सरकार ने ६ वस्तुओं पर पर्चेज टैक्स से उन बातों का पालन किया तो दूसरी चीजों में भी राजस्थान सरकार को भारत सरकार के रूल्स के अनुसार पालन करना चाहिये। वैसे मैंने यह अमेंडमेंट रखा है

Add the following part (iii) to the Clause :—

(iii) The following third proviso shall be added :-

"Provided that the rate of Purchase Tax shall not exce-

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

> ed the rate of Inter-State Sales Tax imposed by the Government of India in any case."

किसी भी केस में भारत सरकार द्वारा इन्टर स्टेट सेल्स टैक्स की रेट है उससे ज्यादा परचेज टैक्स की रेट इन्क्रीज़ नहीं करेंगे इस बात का प्रावधान होना चाहिये। मैं फाइनेन्स मन्त्री से निवेदन करूंगा कि आप राजस्थान के व्योपारियों को माल निर्यात करने में संरक्षण दें। क्योंकि आज एक व्यापारी इन्टर-स्टेट सेल्स टैक्स में बेच देता है तो उसको २ परसेन्ट देना पड़ता है और यदि आपके यहां से कोई आढ़तिये के मार्फत बेचता है जैसे गोट हैअर्स हैं, तो उस पर ६ परसेन्ट लगेगा। इस हिसाब से ६ परसेन्ट लगेगा और कम्पनी अपने एजेन्ट के मार्फत नहीं खरीदे तो उसको ६ प्रतिशत नहीं देना होगा। यदि बोम्बे का व्योपरी खुद खरीदता है तो उसको सिर्फ २ परसेन्ट देना पड़ता है। जब उसको २ परसेन्ट में मिलता है तो बोम्बे के व्योपारी को ४ परसेन्ट का फायदा मिलेगा और हमारे यहां का जो व्यापारी होगा, जो एजेन्ट होगा, जो ५० परसेन्ट या ७० परसेन्ट एडवान्स रखता है वह यह देखता है कि अच्छा भाव कब मिले और उसको ज्यादा लाभ कब होगा इस बात को देखता रहता है। इससे हमारे छोटे व्योपारियों को बहुत नुकसान होगा और वे लोग व्योपार से महरूम रह जावेंगे और इसका नतीजा यह होगा कि छोटे व्योपारी उनको सामान नहीं भेज सकेंगे और बड़े व्योपारी ही खरीदेंगे। इसलिए मैं वित्त मन्त्री से निवेदन करूंगा कि हमारे प्रावधानों के अनुसार इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिये जिससे राजस्थान के व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान हो। आप गोट हेअर को ही मिसाल के तौर पर ले लीजिये। यह एक्सपोर्ट होता है। आज कोई बम्बई का व्योपारी खरीदता है तो उसको दो परसेन्ट सेल्स टैक्स देना होता है। कल राजस्थान का कोई व्यापारी खरीदता है तो उसको पर्चेज टैक्स ६ परसेन्ट हो जावे। यदि कोई बड़ा व्यापारी डाइरेक्ट खरीद करता है तो २ परसेन्ट और इसका नतीजा क्या होगा कि वह बम्बई का व्यापारी तीन परसेन्ट उसमें और एड करके बाहर ब्रिटेन को या अन्य किसी कन्ट्री को दे देगा और अगर राजस्थान के किसी व्यक्ति से मंगायेगा तो उनको ६ परसेन्ट टैक्स चुकाना होगा। आज हिन्दुस्तान से जितनी भी ऊन का निर्यात होता है वह बम्बई करता है जो राजस्थान में पैदा होती है। भारत सरकार से जितना निर्यात हमने किया है उसकी एवज में कुछ इम्पोर्ट को फेसिलिटी हमको मिलती है और यदि बम्बई के लोगों ने वह निर्यात किया तो उसका फायदा राजस्थान के लोगों को नहीं मिलेगा और बम्बई के लोगों को मिलेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान के निर्यात के संरक्षण के लिये राजस्थान को सरकार की इस सिद्धान्त को मानना चाहिये कि इन्टर स्टेट सेल्स टैक्स होगा उससे परचेज टैक्स किसी हालत में ज्यादा नहीं होगा। आज तो राजस्थान सरकार, मैं नहीं समझता कि ६ चीजों के बजाय दूसरी चीजों को किस तरह से कार्यान्वित कर सकती है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप सूची को बढ़ा दें, इसमें हमें कोई एतराज नहीं है।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पर्चेज टैक्स की सूची को बढ़ा दें; पर

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

बाइंडिग जरूर होनी चाहिए कि इन्टर स्टेट सेल्स टैक्स से हमारा परचेज टैक्स ज्यादा नहीं होगा ।

श्री बालकृष्ण कौल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मावली से या मवाली से ? कहां से ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : आपको कौन सा अच्छा लगता है : मवाली ?

श्री बालकृष्ण कौल : जो मावली से निर्वाचित होकर आये हैं, देखने में उनकी बात बड़ी सुन्दर लगती है, जैसा उन्होने केस यहां सदन के आगे रखा अपनी दलीलों के साथ कि यह क्लॉज बहुत महत्व का है और सारे इस एक्ट में इससे इम्पोर्टेंट क्लॉज़ और नहीं हो सकता । इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि इससे इम्पोर्टेन्ट क्लॉज और इसमें नहीं है । मैंने अपने बजट भाषण में कहा था कि मैं हर उस सूराख को रोकूंगा जिससे कहीं टैक्स इवेजन होता है । उसके लिए यह सबसे बड़ी महत्व की चीज है । माननीय सदस्य जो मावली से आये हैं वे बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उनका सारा दारोमदार उनके जितने क्लाइन्ट्ज़ हैं उनका सारा दारोमदार इसी पर है, इसीलिये वे चाहते है कि मैं इसे वापिस ले लूं ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : आपने कहा कि मेरा सारा दारोमदार इसी पर है....

श्री बालकृष्ण कौल : आपके क्लाइन्ट्स का....

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : आपका यह कानून ५५ में लागू हुआ है और मैंने प्रैक्टिस पहले से ही शुरू कर रखी है । मेरे घर पर जमीन है, जायदाद है ।

श्री बालकृष्ण कौल : आपतो पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने लग गये, इसकी जरूरत नहीं । आपके क्लाइन्ट्स हैं जो आपसे सलाह करते है, जिनके आप ऐडवाइजर हैं, उनका भी तो आपको फायदा सोचना पड़ता है । राजस्थान पीछे आता है । पहले अपना स्वार्थ आता है । इसलिए मैं अर्ज कर रहा था कि यह ऐसा क्लॉज है कि जो व्यापारी ट्रेडर्स, टैक्सेशन के रूल्स, टैक्सेशन के कानून को इवेड किया करते थे, वे इसी से पकड़े जा सकते हैं । आप नाम पर चीजें भेज दें, कन्साइनमेन्ट पर चीजें भेज दें तो हम बैठे के बैठे रह गये, कोई टैक्स हमें नहीं मिला इसलिये हमें उस हर चीज पर जिस पर कि सेल्स टैक्स है, उस पर पर्चेज़ टैक्स लगाना पड़ा ताकि दोनों में से एक चीज हम ले लेंगे । कन्साइनमेंट में जायगा तो पर्चेज टैक्स ले लेंगे । तो जैसा कि उन्होंने कहा इस बिल में वाकई इससे इम्पोर्टेन्ट प्रावधान और कोई नहीं, टैक्स इवेजन को रोकने के लिए । पर यह राजस्थान की बहबूदी के लिये है, ऐसे प्रावधान के लिये आप दूसरी राय न रखें इसलिए मैं इस क्लॉज में जो आपके सुझाव हैं उन्हें मंजूर नहीं कर सकता ।

कोलायत से माननीय सदस्य आये हैं, उनकी बात एक सोचने के काबिल है क्योंकि वे शायद यह समझ रहे हैं कि हम दो-दो टैक्स लेंगे हर चीज पर । सेन्ट्रल सेल्स टैक्स अभी भी बन्द है, जिन पर सैंट्रल सेल्स टैक्स लेना है, वही लेना है, दो परसेन्ट है, पर जिस तरह से छोटे-छोटे व्यापारी छोटी छोटी जगह से खरीद कर लें, खरीद कर बहार भेज दें क्योंकि छोटे छोटे व्यापारी टैक्स इवेड करते थे, उस टैक्स को हम लेंगे ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : गोट हेयर का एक्सपोर्ट बीकानेर से होता है। यहां बिक रहा है, आढ़त में बिक रहा है, हिन्दुस्तान के बाहर जाता है उसमें भी फर्क होता है, जो हिन्दुस्तान के बाहर जाता है उसकी क्या पोजीशन होगी ?

श्री बालकृष्ण कौल : हिन्दुस्तान के बाहर जाता है उस पर कोई टैक्स नहीं है। सेंट्रल सेल्स टैक्स में है, इसमें कुछ नहीं है, आप वकील हैं, आपको ज्यादा जानना चाहिए, यह तो इन्टर स्टेट सेल्स टैक्स है।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : पर्चेज़ टैक्स कब वसूल करेंगे, सेल्स टैक्स से पहले या बाद में ?

श्री बालकृष्ण कौल : एक टैक्स लेंगे। हम तो जिस कीमत पर बेचेगा उसी पर टैक्स लेंगे। आपकी दलील से यह जाहिर होता है, आप यह भूल जाते हैं कि टैक्स किससे लिया जाता है, कन्ज्यूमर्स से टैक्स लिया जाता है। एक ने बकरे परचेज कर लिये तो उसी से हम टैक्स लेते हैं। तो आप यह समझते हैं कि पहले वह परचेज कर रहा है और फिर बेच रहा है तो किस पर टैक्स लेंगे। मैं आपको बता दूं कि हम तो जिस कीमत पर वह बेचेगा उस पर टैक्स लेंगे।

श्री अब्दुलजब्बार : फिर अमेंडमेंट से क्या फायदा ?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : फायदा यह है कि कन्साइनमेंट में भेज कर टैक्स इवेड कर देते थे वह नहीं कर सकेंगे। जिस दिन बेचेगा वसूल कर लेंगे।

श्री अब्दुलजब्बार : रेट आॅफ टैक्स जिस दिन पर्चेज़ किया उसी पर लेंगे या बेचेगा उस पर ?

श्री बालकृष्ण कौल : जिस दिन बेचेगा उस पर लगावेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने मेरे अमेंडमेंट के सम्बन्ध में कहा कि विचारने लायक जरूर है, पर आपने जवाब नहीं दिया और बैठ गये।

श्री बालकृष्ण कौल : आपको जवाब दे दिया है कि जिन पर लगना चाहिए उन पर लगावेंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन पर भी लग गया जिनको सेन्ट्रल सेल्स टैक्स के प्रावधानों में रखा है उन्हीं पर लेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : एक क्लेरीफिकेशन कर दें। बम्बई का एक व्यापारी राजस्थान में गोट हेअर खरीदता है उस पर २ परसेंट टैक्स है और राजस्थान का व्यापारी बम्बई के किसी कमीशन एजेंट को भेज दे तो उस पर ६ परसेंट है। राजस्थान का व्यापारी बाहर के किसी कमीशन एजेंट को भेजता है तो गोट हेअर पर आप उससे ६ परसेंट टैक्स लेते हैं, इसमें क्या लोजिक है ?

श्री बालकृष्ण कौल : अगर यह ट्रान्जेक्शन हो जाता है तो ६ परसेंट लेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : नहीं, सेल कम्पलीट नहीं होता है। जब सेल कम्पलीट नहीं होता है और राजस्थान के बाहर जाता है, तो आप ६ परसेंट लेते हैं। सेल कम्पलीट हो गई वहां इन्टर स्टेट सेल्स टैक्स मिलेगा पर फरक

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

यह है कि राजस्थान में बम्बई के व्यापारी के द्वारा गोट हेग्रर खरीदा जाता है तो २ परसेंट टैक्स वसूल करते हैं और वही गोट हेग्रर यदि राजस्थान के व्यापारी के द्वारा बम्बई के कमीशन एजेंट को भेजा जाय तो ६ परसेंट टैक्स लेते हैं, यह फर्क क्यों है ?

श्री बालकृष्ण कौल : कोई व्यापारी यहां खरीदता है तो वही देना पड़ेगा।

(२.०० म० पू०)

श्री मानिकचन्द सुराणा : इन्टर स्टेट की सेल होती है, इसलिए इन्टरस्टेट सेल्स टैक्स कम होती है।

श्री बालकृष्ण कौल : यह तय होता है। जब व्यापारी वहां चीज बेचता है। जब तक दो परसेंट स्पेसीफिकली न कहा जाय....

श्री मानिकचन्द सुराणा : जब व्यापारी व्यापारी को बेचता है तब दो परसेंट लेकिन जब यह व्यापारी कमीशन एजेंट को बेचता है तो तीन गुणा ज्यादा टैक्स। इस एनीमोली को दूर किया जाय। इससे व्यापारी बड़ी डिसएडवान्टेजियस पोजीशन में आ जाता है।

दूसरे आपने कहा कि यदि एक्सपोर्ट किया राजस्थान से डाइरेक्टली और हिन्दुस्तान से बहार तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। इस प्रोपोजीशन को आप एग्जामिन करवाएं। यदि आपका कहना सही है और ला में ऐसा प्रोवीजन है तो ठीक है। यदि ऐसा प्रावधान नहीं हो एक्सपोर्ट को प्रोमोट करने के लिए तो आप इस तरह का संशोधन लाएं और यह प्रावधान कर दें कि राजस्थान से जो डाइरेक्टली, हिन्दुस्तान से बाहर डाइरेक्टली एक्सपोर्ट हो उसमें टैक्स न लगे।

श्री बालकृष्ण कौल : आपने दो पोइन्ट्स उठाये। मैं इतना तो जानता हूँ कि जो हिन्दुस्तान से बहार चीज जाती हैं उस पर कोई टैक्स नहीं है। दूसरे पोइन्ट जो आपने कही कमीशन एजेंट वाली, उसके लिए मेरे ख्याल से कानून साफ है लेकिन मैं फर्दर इसको एग्जामिन करूंगा और हमें जो पॉवर्स हैं इस एक्ट में उसके हिसाब से ठीक करवाऊंगा, अगर कोई इसमें गलती है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : दूसरी बात........

श्री उपाध्यक्ष : There can be no....

श्री सम्पतिलाल बोहरा : उन्होंने जो घोषणा की .. ....

श्री उपाध्यक्ष : When it is once explained........

श्री सम्पतिलाल बोहरा : पर्चेज टैक्स से माफी नहीं है।

श्री बालकृष्ण कौल : पर्चेज टैक्स उसी पर होगा जिस पर सेल्स टैक्स नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : There can be no discussion like that.

श्री मानिकचन्द सुराना : पर्चेज टैक्स उस पर होगा जिस....

श्री उपाध्यक्ष : That is all. प्रश्न यह कि धारा ७...

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : Point of information, जो घोषणा वित्त मन्त्री ने की........

श्री उपाध्यक्ष : घोषणा का प्रश्न नहीं है।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जहां सेल्स टैक्स नहीं होगा उस पर पर्चेज टैक्स नहीं लिया जायगा और जिस पर पर्चेज टैक्स होगा, वहां सेल्स टैक्स नहीं लिया जायगा।

श्री संपतिलाल बोहरा : यह कोई नई बात तो आपने नहीं बताई।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह तो ऑलरेडी है, प्रोवीजन है। प्रश्न यह है कि इन्टर स्टेट में जो सेल्स टैक्स चार्ज किया जाता है आपका पर्चेज टैक्स उस रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिये।

श्री बालकृष्ण कौल : उसमें इवेजन होने का डर है। इसलिए पर्चेज टैक्स न लेकर सेंट्रल सेल्स टैक्स भी लेंगे।

श्री संपत्तिलाल बोहरा : वित्त मन्त्री का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सेक्शन ५ में रेट ऑफ टैक्स। उसमें लिखा है कि उस माल पर सेल्स टैक्स नहीं लगेगा जो एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया होगा। आपने लिखा है कि इन्टर स्टेट हो तो सेल्स टैक्स नहीं होगा....

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : आप सेंट्रल एक्ट पढ़ लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : No discussion. प्रश्न यह है कि क्लॉज ७ में जो संशोधन श्री सम्पत्तिलाल बोहरा ने प्रस्तुत किया है, स्वीकार किया जाय।

(मत-दान के पश्चात् 'ना' पक्ष जीता)

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : हां पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष : I am putting it to vote. प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सम्पत्तिलाल बोहरा ने प्रस्तुत किया है क्लॉज ७ में वह स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री मानिकचन्द सुराणा ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जो आश्वासन माननीय मन्त्रीजी ने दिया है, उसे मद्देनजर रखते हुए और जो घोषणा उन्होंने की है कि एक्सपोर्ट पर कोई टैक्स नहीं होगा और होगा तो उसकी व्यवस्था कानून में कर लेंगे। इस आश्वासन पर मैं अपने संशोधन को विथड्रा करने की इजाजत मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की मन्शा है कि श्री मानिकचन्द सुराणा को विथड्रॉ करने की इजाजत दी जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

श्री मानिकचन्द सुराणा : I withdraw.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ७ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ७ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज ८ और ६....

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : मेरा प्रस्ताव है कि इसको कम्प्लीटली डिलीट किया जाय। Burden of proof.

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : यह कब तक चलता रहेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : I do not know.

श्री संपतिलाल बोहरा : यह तो महत्वपूर्ण टैक्सेशन बिल है, यह तो चलेगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : कोई लिमिट होनी चाहिये।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : I can ask for the deletion of this clause.

श्री बालकृष्ण कौल : There should not be any...

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : यह सवाल 'बर्डन ऑफ प्रूफ' बहुत से सदस्यों ने भाषण के समय यह विचार जाहिर किया कि....

श्री उपाध्यक्ष : I would request the hon. Members to be very brief.

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : बर्डन ऑफ प्रूफ का जो क्लॉज़ है उसको डिलीट किया जाय। आज दिन तक यही नियम रहा है कि यदि कोई किसी बात को प्रूव करना चाहता है उसको अपना सबूत पेश करना होता है यहां तक मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन इस बात का स्पेसिफिक प्रोवीज़न रखा जाता है कि हर चीज को असेसी को करनी पड़ेगी तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी। यदि कोई आदमी है, मान लीजिए वित्त मन्त्री स्वयं हैं। मैं सेल्स टैक्स ऑफिसर हूं। मैं नोटिस देता हूं कि आपने एक लाख की सेल की है, प्रूव कीजिए कैसे प्रूव करेंगे ? याने बर्डन ऑफ प्रूफ असेसी पर डाला गया। आप एग्रीकल्चरिस्ट से कहते हैं कि १० हजार की बिक्री की है। वह कहेगा कि मेरे पास नहीं है। यानी इस प्रकार का प्रोवीज़न कर सरकार ने यह अधिकार हाथ में ले लिया कि चाहे व्यापार करता हो चाहे नहीं, चाहे एग्रीकल्चरिस्ट हो चाहे स्माल ट्रेडर हो किसी को भी हम किसी भी टाइम कह सकते हैं कि तुमने इतनी बिक्री की, टैक्स दो। वह कहेगा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैंने कोई बहियां नहीं रखीं तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। मर्जी आएगी टैक्स लगा देंगे। तो मैं समझता हूं कि इसमें ढील की जानी चाहिये।

श्री हरिदेव जोशी घाटोला) : आज विथड्राअल्स के लिए पी० ए० सी० और एस्टीमेट्स कमेटी के लिए टाइम सदन की कार्यवाही पूरी होने तक रखा गया था। मैं प्रस्ताव करता हूं, मैं समझता हूँ कि विथ्-ड्राअल का टाइम सुबह ६ बजे तक और उनके चुनाव यदि हों तो साढ़े नौ से डेढ़ बजे तक बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन को यह स्वीकार है ?

(स्वीकृत)

स्वीकृति दी गई।

श्री विजयसिंह झाला : यह जो सुझाव माननीय सम्पत्तिलाल बोहरा ने रखा है मैं इसका समर्थन करता हूँ। मैं समझता हूँ कि हमारे वित्तमन्त्री····

श्री उपाध्यक्ष : समर्थन, I would not allow; आप निरस्त करना चाहें तो डिलीशन के लिए····

श्री विजयसिंह झाला : All right...

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : On a point of order, Sir, Can there be a motion for deletion of clause ? Can there be a negative vote under our rules ?

श्री उपाध्यक्ष : Yes, it can be there.

श्री तेजाराम गहलोत : He has not moved an amendment for deletion.

श्री उपाध्यक्ष : For the deletion he has moved.

श्री तेजाराम गहलोत : The amendment has not been circulated.

श्री उपाध्यक्ष : He can oppose the clause as a whole.

श्री बालकृष्ण कौल : There is no amendment.

श्री विजयसिंह झाला : No amendment is required for deletion of a whole clause.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड ८ एवं ६ विधेयक के अंग बने।

(मतदाद के पश्चात्)

हां पक्ष जीता।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) - 'Noes' have it, sir.

श्री उपाध्यक्ष : There was a single solitary voiee of 'No' में फिर प्रस्ताव रखता हूँ।

प्रश्न यह है कि खण्ड विधेयक ८ व ६ के अंग बनें।

(मत-दान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : 'हां' पक्ष जीता।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : 'Noes' have it, Sir.

श्री विजयसिंह झाला : 'Ayes' have it, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : 'हां' पक्ष वाले कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जायं।

श्री विजयसिंह झाला : कम से कम घन्टी तो लगाई जाय।

श्री उपाध्यक्ष : एक, दो, तीन। संशोधन गिर गया।

(विराम)

Page No. 132

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड ८ व ६ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

खण्ड ८ व ६ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

खण्ड १०

श्री विजयसिंह झाला : On a point of order, Sir, अभी आपने यह व्यवस्था दी थी कि जो इसके पक्ष में हों वे अपने स्थान पर खड़े हो जायं। डिलीट करने के पक्ष में तीन खड़े हुए और विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ। इसलिए इसको दुबारा वोट पर रखा जाय।

श्री उपाध्यक्ष : It was implied.

खड़े नहीं हुए वे 'ना' पक्ष में थे; It was implied.

(विराम)

क्लॉज १०

[संशोधन इस प्रकार है : In new section 7 B. sought to be inserted- In subsection (1) insert the word 'provisionally' between the word "heard" and 'determine' and again. Insert the word "Provisionally" between the words "assess the and tax to the."]

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज १० प्रोविजनल असेस्मेन्ट का है अब तक सरकार के पास वह अधिकार था कि कोई अपना समय पर हिसाब पेश न करे तो सरकार अपनी इच्छा से प्रोविजनल असेसमेन्ट करवा कर भेज देती और उसको जमा कराना पड़ता। अब सरकार ने यह कहा है कि कोई आदमी टैक्स इवेजन करता हुआ पाया जाय तो प्रोविजनल असेसमेन्ट कर देंगे और रुपया उसी वक्त जमा कराना पड़ेगा। जहां तक इसकी भावना का प्रश्न है मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है लेकिन इसमें जो वर्डिंग्स यूज़ हुए हैं उसमें इसको स्पष्ट करना चाहिये। इसमें लिखा है : "subject to sub section (4) of section 7......" और जो ७ (४) क्लॉज है, एक तो बदकिस्मती यह है इसमें कि जो पीछे एक्ट्स दिये हैं सम्बधित एक्ट्स, ७ (४) का दिया हुआ नहीं है। यदि आप उसको पढ़ें तो उसमें यह लिखा है।

"Eevry deposit of the tax made under sub sec. (2) shall be deemed to be provisional subject to necessary adjustment".

इसमें जो प्रावधान है वह सिर्फ सब क्लॉज (२) में जो टैक्स जमा कराया है उसको प्रोविजनल माना जावेगा लेकिन क्लॉज ७ ए और ३ में जमा कराया हुआ होगा या नहीं इसमें कुछ इसका प्रोविज़न नहीं है इसलिए क्लॉज कोट किया गया है उससे सरकार को मंशा पूरी नही होती। इसलिए मैंने मूव किया है कि प्रोविजनल शब्द जोड़ दिया जाय, टैक्स प्रोविजनल होगा और टैक्सेबल टर्न ओवर भी प्रोविजनल होगा।

"If an assessing authority has reason to believe that a dealer has evaded or avoided tax, he may aftar giving dealer reasonable oppotunity of being heard........"

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

उसके आगे मैंने चाहा है "प्रोविज़नल" शब्द जोड़ दिया जाये 'provisionally deteɹmine" टैक्सेबल'टर्न'ओवर के पीछे भी 'प्रोविजनल' शब्द लगाया है।

"at any time and for any period the provisional tax turnover of ......

मेरा इसमें निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, यह जो क्लॉज़ इस समय प्रस्तुत किया गया है और ऐसे का ऐसा रखा गया तो टैक्सेबल टर्न ओवर रखा है इसको पीछे प्रोविजनल करेंगे वह टैक्सेबल टर्न ओवर फाइनल हो जायगा और ऐसा होते समय टैक्स और टैक्सेबल टर्न ओवर उसमें जुड़ जावेगा और कुछ नहीं होगा, चूंकि तुम टैक्स इवेड कर रहे हो, भाग जाओगे इसलिए अभी तो तुमसे इतना ही ले लिया जाय और रीयल लाएबिलिटी होगी वह बाद में ले लेंगे। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही रीज़नेबल प्रस्ताव है। इसको ७ (४) के कम्पेरिज़न में देखें तो मेरा प्रस्ताव रीज़नेबल है और आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, ऐसी में आशा करता हूं।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जो क्लॉज है उसको देखने से मालूम हो जायगा।

"insertion of new section"

अगर इसको पढ़ा जाय तो उससे यह मालूम हो जाता है कि किसलिए यह प्रोविजन किया जा रहा है। जैसा मैंने निवेदन किया कि जहां लूप होल दिखायी देता है टैक्स इवेज़न को वहां हम रखते हैं। प्रोविज़नल असेसमेन्ट अभी भी है लेकिन प्रेस्क्राइब्ड टाइम और मैनर पर है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : मेरा कहना यह है कि जो टैक्सेबल टर्न ओवर प्रोविजनल हुआ है वह प्रोविज़नल होगा और टैक्स डिटर्मिन करेंगे, वह प्रोविज़नल होगा। I want only this guarantee. आपकी इससे मंशा है वह पूरी होगी।

श्री बालकृष्ण कौल : आपके अमेन्डमेन्ट से वह पूरी नहीं होती। मेरे प्रोविज़न से तो होती है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : बिलकुल नहीं होता है।

श्री विजयसिंह झाला : (नाथद्वारा) आज खाना यहीं मंगा लिया जाय।

श्री बालकृष्ण कौल : 'If an assessing authority has reason to believe that a dealer has evaded or avoided tax, he may after giving the dealer a reasonable opportunity of being heard, determine at any time and for any period the taxable turnover of such a dealer and assess the tax to the best of his judgment.'

जो उस वक्त उसका टैक्सेबल टर्न ओवर है वह कर लिया जायगा।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : वह प्रोविज़नल होगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय मंत्रीजी और दो माननीय सदस्य जो अमेंडमेन्ट्स लाये हैं उन तीनों को एक कमरे में बिठा दिया जाय, वे इन पर तय कर लें और बाकी का जो डिबेट है उसको कल दो–तीन घंटे में समाप्त कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सम्पत्तिलाल बोहरा ने क्लॉज १० में रखा है........

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : वे मतलब ही नहीं समझे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : That's all right. I have put the question. प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सम्पत्तिलाल बोहरा ने रखा है इसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १० विधेयक का अंग बने

(स्वीकृत)

क्लॉज १० विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया

अब मैं सदन से यह निवेदन करूं कि रूल २८२ के अन्तर्गत ३ बजे तक यह विवाद चालू रखने की इजाजत देता हूं और उसके बाद जितना भी बाकी का बिजनेस होगा उसके लिए स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पुट होगा।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादा अच्छा यह होगा कि जिन्होंने संशोधन दिये हैं वे और माननीय मंत्री महोदय, दोनों बैठ कर एडजस्ट कर लें और फिर जरूरत हो तो आधे घंटे की डिबेट रख दी जाय।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : मेरा निवेदन यह था कि २॥ बजे हैं। तीन बजे तक बैठेंगे फिर भी पास कर देंगे, इसमें सन्देह है। इसलिए इसको कल सुबह ही ले लें।

श्री उपाध्यक्ष : Well, if you move and if it is moved, have no objection.

श्री भैरोंसिंह : अमेन्डमेन्ट बिल जो टैक्सेशन का है वह बड़ा ही इम्पोर्टेन्ट बिल हैं। इसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिये कि संशोधन कर्त्ता और मंत्री महोदय आपस में बैठ कर बात कर लें।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही कल म० पू० ८ बजे तक के लिए स्थगित की जाय।

श्री भैरोंसिंह : मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्या सदन की कार्यवाही कल प्रातः ८ बजे तक के लिए स्थगित की जाय।

(स्वीकृत)

स्वीकृति दी गई। सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० २.२२ बजे पर दिनांक ९ अप्रैल, १९६४ के म० पू० ८ बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

संक्षिप्त–विवरण

(बुधवार, दिनांक ८ अप्रेल, १९६४)

स्कम्भ

(१) तारांकित प्रश्नों के शीर्षक १

असल दस्तावेज पर फर्जी इन्द्राज व फीस रजिस्ट्री का गबन ।

चेचट व राणा प्रताप सागर आणविक शक्ति स्टेशन के मध्य सड़क ।

प्राइमरी स्कूल के अध्यापक का निलम्बन ।

भारत सरकार से प्राप्त कोटे का वितरण ।

ग्राम सेवक ट्रेनिंग सेन्टर के प्रिंसिपल की उपस्थिति ।

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ, जयपुर व सरकार के बीच गुड़ के सम्बन्ध में कॉन्ट्रेक्ट ।

भरतपुर यूनिट की सहकारी समितियां ।

बिजली डिसकनेक्ट करने के मामलों में भेद-भाव–बीकानेर ।

बिजली घर निर्माण-कार्य राजेन्द्रपुर व गंगधार ।

आयुर्वेद कॉलिज, जयपुर ।

अलवर की फर्मों को रसकट गुड़ लाने के परमिट ।

स्कम्भ

बनों में उत्पन्न वस्तुओं से होने वाली आमदनी में पंचायत समितियों का हिस्सा ।

उदयपुर-कपासन सड़क ।

सदस्या, पंचायत समिति, गिरवां ।

प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों का तबादला ।

राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल द्वारा बिजली के सामान की खरीद ।

सहायता के रूप में प्रदत्त धन–राशि, पंचायत समिति नीम–का–थाना ।

अजमेर स्थित सहायक बिजली इन्सपेक्टर के कार्यालय के कर्मचारियों के वेतन का गबन

स्वर्ण-नियंत्रण आदेश से प्रभावित लोगों को पुनर्वास होने तक गुजारा भत्ता ।

सुमेरगंज मन्डी से ढीपरी तक पक्की सड़क का निर्माण ।

निर्माण-कार्य हेतु प्रदत्त धनराशि ।

सरकारी सांडों के लिए चारे की खरीद ।

स्कम्भ

कोर्ट फी स्टाम्प्स की बिक्री से आय।

खेतों की बाड़-बन्दी की व्यवस्था-रेन्ज मन्डाना।

वूलन फैक्ट्रीज, बीकानेर।

रावतभाटा-चेचट सड़क का ठेका।

भादरा-साहवा सड़क निर्माण कार्य।

वाटर वर्क्स निम्बाहेड़ा को बिजली।

स्नायुक शिविर।

पट्टेदार व पुरुषार्थी की जमीन की कीमत में भिन्नता।

बुहाना पंचायत समिति में निलम्बित अध्यापक।

स्थगित प्रश्न

(१-४-६४)

एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स के मुकदमे।

ग्राम पंचायत, चान्डी।

(२-४-६४)

कलेक्शन चार्ज की वसूली-जिला चूरू।

(२) अतारांकित प्रश्नों के शीर्षक ७५

राजन रेडियो, जयपुर द्वारा रेडियो सैट्स की सप्लाई।

स्कम्भ

गंगानगर की पंचायत समितियों का वार्षिक बजट।

असिस्टेन्ट इन्जीनियर्स, कम्युनिटी प्रोजेक्ट के पद।

गंगानगर जिले में विलेज लेबोरेटरी स्कीम के तहत चुने गये गांव।

पंचायत समिति रायसिंहनगर के अधूरे कार्य।

सोजत पंचायत समिति क्षेत्र।

पंचायत समिति अलीगढ़ द्वारा दी गई तकाबी व सहायता कार्य।

ग्राम सेवकों को ट्रेनिंग।

कामां पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा लिया गया कर्ज।

पंचायत समिति भादरा के प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का तबादला।

गोबिन्दगढ़ पंचायत समिति के विकास कार्य।

कस्बा सांगानेर में नये मकान बनाने की स्वीकृति।

कुचामन पंचायत समिति के सरपंचों के विरुद्ध शिकायतों पर हुई कार्यवाही।

पंचायत समिति सपोटरा द्वारा हरिजनों को निर्माण-कार्य हेतु दी गई धनराशि।

स्कम्भ

जिला सवाई माधोपुर की पंचायत समितियोंमें शिड्यूल्ड कास्ट के बच्चों को दी गई छात्रवृत्ति ।

पांच हजार से अधिक आबादी वाले गांवों को बिजली दिये जाने की सुविधा ।

उद्योग संघ चित्तौड़गढ़ ।

परियोजना समिति का स्वीकृत बजट ।

(३) जनलेखा समिति, १६६४-६५ तथा प्राक्कलन समिति १६६४-६५ के नामजद उम्मीदवारों की नामावली ६१

जनलेखा समिति तथा प्रकलन समिति, १६६४-६५ के लिये उम्मीदवार सदस्यों के नाम अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषित किये गये। कुछ सदस्यों ने उपरोक्त समितियों के चुनाव से नाम वापस लेने की घोषणा भी की

(४) मन्त्री द्वारा वक्तव्य ६६

श्री नाथूराम मिर्धा, खाद्य मन्त्री ने राज्य की खाद्यान्न स्थिति पर एक वक्तव्य दिया ।

(५) विधायी कार्य

(क) पुरः स्थापित विधेयक

निम्नांकित विधेयक, सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात्, पुरःस्थापित किये गयेः—

(१) राजस्थान भूमि एवं जल (संरक्षण) विधेयक, १६६४ १२५

स्कम्भ

(२) राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, १६६४ ।

(ख) विचारार्थ लिये गये विधेयक

राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, १६६४ १२६

दिनांक ७ अप्रेल, १६६४ को वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त विधेयक को विचार्थ लिये जाने के प्रस्ताव पर आज भी बहस की गई । वित्त मन्त्री के उतर के पश्चात्, संशोधन-प्रस्ताव अस्वीकृत हुए तथा विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकार किया गया ।

तत्पश्चात्, विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ ।

खण्ड २, ३ एवं खण्ड ५ संशोधित रूप में स्वीकृत हुए ।

खण्ड ४, ६ से १० बिना किसी संशोधन के स्वीकार किये गये ।

गुरुवार, दिनांक ६ अप्रेल, १६६४ की कार्य-सूची

(१) राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, १६६४ (अग्रेत्तर खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारित)

(२) राजस्थान भू-राजस्व अधिभार (संशोधन) विधेयक, १६६४ (खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारित)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६४३ का उत्तर देखिये)

कार्यालय पंचायत समिति बुहाना (झुन्झुनूं)

क्रमांक ३६६ | दिनांक ७–८–६३

चार्ज शीट

श्री भगवानसिंह प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला बुहाना को पत्र संख्या १०६०६–१०६१४ दिनांक ३१–७–६३ को निम्नलिखित आरोपों के कारण निलम्बित किया गया है।

१. कांग्रेस सरकार को खून चूसने वाली सरकार बताना और चीन सरकार को गरीबों का भला करने वाली सरकार बताते हुए और लोगों को चीन के पक्ष में रहने की सलाह देना।

२. सुरक्षा कोष में चन्दा देने के लिए जनता को मना करना।

३. प्रधान मन्त्री व राजस्थान के मुख्य मन्त्री को गुण्डा व डाकू बताना।

४. विकास कार्यों की निन्दा करते हुए राज्य सरकार को बेवकूफ बतला कर वेतन लेना।

५, अपने साथी अध्यापकों को भड़काते हुए अनुशासन भंग करना व राष्ट्र विरोधी कार्य करना।

उपरोक्त लगाये गये आरोपों का जबाव एक हफ्ते के अन्दर अन्दर कार्यालय पंचायत समिति बुहाना को दें।

ह०
विकास अधिकारी
पंचायत समिति, बुहाना (झुन्झुनूं)

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६४४ का उत्तर देखिये)

सरकार को केन्द्रीय सरकार से गत तीन वर्षों में निम्न प्रकार से तांबा, जस्ता तथा दूसरी अलौह धातुओं का कोटा मिला है

	तांबा	जस्ता	कापरस्क्रैप	ब्रासस्क्रैप	जर्मनसिलवर	सीसा	अल्युम्यूनियम	स्टेनलेस स्टील
अक्टूबर ६० से मार्च, ६१ तक	३०५.००	३२०.००	६०.००	६०.००	२०.००	—	—	—
अप्रेल ६१ से सितम्बर ६१ तक	५००.००	६००.००	—	—	—	—	३४.००	१७.००
अक्टूबर ६१ से मार्च, ६२ तक	५००.००	६००.००	—	—	—	५.००	३४.००	१६.००
अप्रेल ६२ से सितम्बर ६२ तक	४३५.००	४३५.००	—	—	—	५.००	३७.००	—
अक्टूबर ६२ से मार्च ६३ तक	५०२.००	४२१.००	—	—	—	४.५०	—	—
अप्रेल ६३ से सितम्बर ६३ तक	५०२.००	४२१.००	—	—	—	४.५०	—	—

औद्योगिक सहकारी समितियों की सूची जिनको कि कोटा अलॉट किया गया

सहकारी समिति का नाम	अक्टूबर ६० से मार्च ६१	अप्रेल ६१ से सित.६१	अक्टूबर ६१ से मार्च ६२	अप्रेल ६२ से सित.६२	अक्टूबर ६२ से मार्च ६३	अप्रेल ६३ से सित.६३
बर्तन निर्माण उत्पादक सहकारी समिति, भीलवाड़ा						
कापर	५.८०	७.३१	७.३०	५.००	६.००	६.००
कापर स्क्रेप	१.१७	—	—	—	—	—
जिंक	५.७५	५.००	५.००	३.००	३.७६	३.७६
ब्रास स्क्रेप	०.७६	—	—	—	—	—
ठुकसेरा इण्डस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी, गोविन्दगढ़, अजमेर						
कापर	६.६८	८.४३	८.४३	६.७०	६.७०	६.७०
कापर स्क्रेप	२.८४	—	—	—	—	—
जिंक	६.७०	६.७०	६.७०	४.४३	४.१६	४.४३
ब्रास स्क्रेप	१.८१	—	—	—	—	—
ठठेरा, कांसी, पीतल, तांबा उत्पादक सहकारी समिति, पाली						
कापर	०.७३	१.२५	२.००	१.३०	—	—
कापर स्क्रेप	०.२५	—	—	—	—	—
जिंक	०.७३	०.७५	सीट्स व सर्किल्स दिये		—	—
ब्रास स्क्रेप	—	—	—	—	—	—
जोधपुर ठठेरा सहकारी समिति, घास मण्डी, जोधपुर						
कापर	—	१.२८	२.००	१.३०	—	—
कापर स्क्रेप	०.२५	—	शीट्स व सर्किल्स दिये		—	—

१	२	३	४	५	६	७
जिंक	०.७५	०·७५			—	—
ब्रास स्क्रेप	०.८८	—			—	—
गुरुनानक निर्माण बर्तन उत्पादक सहकारी समिति, जयपुर						
कापर	४.३६	६.५०	१०.७५	७.१६	—	—
कापर स्क्रेप	१.८२	—		—	—	—
जिंक	४.८६	४.२५	सीट्स व सर्किल्स		—	—
ब्रास स्क्रेप	२.१६	—			—	—
बर्तन उत्पादक सहकारी समिति, नागौर						
कापर	१.००	२.३०	३ ७०	१.४०	—	—
कापर स्क्रेप	०·५०	—	सीट्स एवं सर्किल्स		—	—
जिंक	१.२३	१.४०			—	—
ब्रास स्क्रेप	१.४०	—			—	—
बांसवाड़ा बर्तन उत्पादक सहकारी समिति, सवाई माधोपुर						
कापर	—	—	उपरोक्त पीरियड की रीजनल		—	—
कापर स्क्रेप	१.११	—	उप–संचालक से सिफारिश		—	—
जिंक	०.७४	—	प्राप्त न होने से कोटा		—	—
ब्रास स्क्रेप	०.७४	—	मंजूर नहीं किया।		—	—
कसेरा बर्तन उत्पादक सहकारी समिति, उदयपुर						
कापर	—	—	—	—	—	—
कापर स्क्रेप	—	—	—	—	—	—
जिंक	०·४८	—	—	—	—	—
ब्रास स्क्रेप	०.७३	—	—	—	—	—

१	२	३	४	५	३	७
			बर्तन उत्पादक सहकारी समिति, श्री माधोपुर			
कापर	२.३३	रीजनल उप-संचालक की सिफारिश प्राप्त			—	—
कापर स्क्रेप	—	न होने से कोटा नहीं दिया गया है।			—	—
जिंक	२.१५				—	—
ब्रास स्क्रेप	१.००				—	—
			बर्तन उत्पादक सहकारी समिति, सवाई माधोपुर			
कापर	१.००	—	१.६६	१.६६	—	—
कापर स्क्रेप	०.२५	—	—	—	—	—
जिंक	०.८३	—	सीट्स एवं सर्किल्स		—	—
ब्रास स्क्रेप	१.१३	—	—	—	—	—
			इण्डस्ट्रियल मैटल प्रोडक्शन कोआपरेटिव सोसाइटी, जोधपुर			
कापर	१.६५	२.५२	२.५०	१.५२	—	—
कापर स्क्रेप	१.१६	१.५२	१.५२	१.०१	—	—
जिंक	—	—	—	—	—	—
ब्रास स्क्रेप	—	—	—	—	—	—
			बर्तन उत्पादक सहकारी समिति, उदयपुर			
कापर	रीजनल उप-संचालक उदयपुर की सिफारिश प्राप्त न होने					
कापर स्क्रेप	से कोटा नहीं दिया गया।					
जिंक						
ब्रास स्क्रेप	....	....	..			

१	२	३	४	५	६	७
मारवाड़ एग्रीकल्चर टूल्स तथा इम्पलीमेंट मैन्यूफैक्चर कोआपरेटिव सोसाइटी, जयपुर						
कापर	—	—	—	—	—	—
जिंक	—	—	१.००	१.००	—	—
लैड	—	—	०.३३	०.४५	—	—
एल्यूमिनियम	—	—	२.००	—	—	—
मजदूर कोटा उत्पादक सहकारी समिति, अजमेर						
कापर	—	—	—	—	—	३.००
जिंक	—	—	—	—	—	—
राजस्थान इण्डस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, जोधपुर						
कापर	—	—	—	—	—	२.५०
जिंक	—	—	—	—	—	१.४८

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६५७ का उत्तर देखिये)

पंचायत समिति नीम का थाना द्वारा गत दो वर्षों में विकास कार्य के लिए दी गई सहायता की सूची :--

क्रमांक	नाम कार्य	कुल कार्य	रकम जो दी गई	पूर्ण
१.	सार्वजनिक कूप निर्माण सुधार	१०३	७२५६५)	६४
२.	स्कूल भवन निर्माण	४४	३२६५०)	४२
३.	खुर्रा निर्माण	५०	१६३२५)	३०
४.	औषधालय भवन मिडवाईफ सेन्टर	७	४६५०)	७
५.	पक्की सड़क निर्माण	२।। मील	२१०५०)	१।। मील
६.	अध्यापिका भवन निर्माण	६	१२५००)	६
७.	आवास भवन निर्माण	२०	१३७५०)	१०

परिशिष्ट ४

(समयाभाव के कारण प्रश्न समय में न लिए जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

स्वर्ण नियंत्रण आदेश से प्रभावित लोगों को पुनर्वास होने तक गुजारा भत्ता

६५६. श्री मानिकचंद सुराणा (कोलायत): क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार ने स्वर्ण नियंत्रण आदेश के कारण बेरोजगार हुए परिवारों के पुनर्वास की पूर्ण व्यवस्था के पूर्व कुछ राहत हेतु सीमित धन राशि के वितरण की व्यवस्था की है ?

(२) क्या सरकार स्वर्ण नियंत्रण आदेश के कारण बेकार हुए लोगों को पुनर्वास होने तक बेकारी भत्ता अथवा गुजारा भत्ता नियत करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) राजस्थान-सरकार ने गाय बैल खरीदने के लिये स्वर्णकारों को तकाबी ऋण के रूप में देने के लिए एक लाख रुपये निर्धारित कर दिए हैं सरकार ने यह भी आदेश जारी किए हैं कि सिलाई प्रशिक्षण पास कर लेने के पश्चात् स्वर्णकारों को सिलाई मशीनें खरीदने के लिए ऋण दिया जावेगा। यदि स्वर्णकार आटो रिक्शा चलाने के सहकारी समितियाँ बनायें तो १० व्यक्तियों की सहकारी समितियों को दो ओटो रिक्शा के लिए ऋण दिया जा सकेगा।

(२) जी नहीं।

सुमेरगंज मंडी से ढीपरी तक पक्की सड़क का-निर्माण

६६०. श्री लक्ष्मीचन्द (पीपलदा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सच है कि कोटा जिले में सुमेरगंज मंडी से ढीपरी तक बसें चलती हैं ?

(२) क्या यह भी सच है कि यह सड़क कच्ची है तथा इसे पक्की बनाने की स्वीकृति हो चुकी है ?

(३) क्या यह सच है कि इस सड़क का कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ ? यदि हाँ, तो क्यों ?

(४) इस सड़क की स्वीकृति कब हुई है और कितनी रकम की और अब कब तक इसका कार्य प्रारम्भ किया जावेगा ?

उत्तर

(१) इस विभाग को ऐसी जानकारी नहीं है।

(२) जी हां। यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

निर्माण कार्य हेतु प्रदत्त धन-राशि

६६१. श्री हनुमानसिंह चौधरी (नावां) : क्या पंचायत एवं विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) पंचायत घर श्यामगढ़ के निर्माण हेतु सरकार द्वारा कितनी राशि कब किस व्यक्ति को दी गई ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त धनराशि का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है व संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध वसूली की कोई कार्यवाही नहीं की गई है ?

उत्तर

(१) २०००) रु० दिनांक १८-२-५८ व दिनांक २७-३-५८ को दो किश्तों में भूतपूर्व सरपंच श्री पृथ्वीसिंह व नेमीचन्द सचिव पंचायत को दिये गये।

(२) दी गई राशि का पूर्ण उपयोग नहीं हुआ है। वसूली की कार्यवाही की गई है।

सरकारी सांडों के लिए चारे की खरीद

६६२. श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि सरकारी सांडों के चारे के लिए पंचायत समिति किशनगढ़ में कड़बी जनवरी, सन् १९६४ में खरीदी गई है ? यदि हां, तो कितनी ?

(२) क्या कड़बी खरीदने से पहिले संबंधित टेक्निकल ऑफिसर की राय ली गई थी ? यदि हां, तो उसने क्या राय दी ?

उत्तर

(१) जी हां, २८ क्विन्टल ५८ किलो कड़बी खरीदी गई थी।

(२) जी नहीं।

कोर्ट फी स्टाम्पस की बिक्री से आय

६६३. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : Will the Finance Minister be pleased to reply:—

(1) What was the actual revenue recovered from the sale of Court Fee Stamps during the years 1958--59, 1959-60 1960-61 ? Place a list treasurywise on the Table of the House

(2) What was the actual revenue recovered from the sale of court fee stamps during the period 1-11-61 to 31-3-62 and the year 1962-63 ? Place the treasurywise list on the table of the House.

(3) Is it a fact that there has been considerable increase in the revenues from this source after the enforcement of the Rajasthan Court Fees and Suits Valuation Act, 1961 ? If so, how much ?

(4) How much increase in revenues from this source was anticipated by the Government ?

(5) Is it not a fact that the revenue form this source is more than the expenditure on the "Administration of Law" ? If so, why this profiteering business in the field of Justice ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(३) जी नहीं । सन् १९६१–६२ में आमदनी केवल १८, २५, ००७) रु० थी जिसमें ८, ८६, २९३) रु० की कमी हुई । सन् ६२–६३ में आमदनी ३२, ६१, १०३) रु० हुई जिससे पता चलता है कि आमदनी की वृद्धि केस वर्क की वृद्धि पर निर्भर है ।

(४) १३, ६४, ९९३)रु० की वृद्धि को प्रत्याशा की गई थी ।

(५) बजट को सुविधा की अनुसार विधि के प्रचलन (एडमिनिस्ट्रेशन आफ ला) पर होने वाला खर्च विभिन्न शीर्षकों में दिखलाया जाता है यदि व्यय की सर्व मद्दों को विधि के प्रचलन पर वास्तविक खर्च मालूम करने के लिये एकत्रित किया जाय तो कुल खर्च कोर्ट फीस की आय से बहुत ज्यादा होगा । ऐसी सूरत में न्याय क्षेत्र में अनुचित लाभ उठाने का प्रश्न नहीं उठता ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

खेतों की बाड़-बन्दी की व्यवस्था-रेन्ज मन्डना

६६४. कु० श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि कोटा जिला, रेन्ज मण्डाना, लाडपुरा द्वारा ग्राम वालों को खेत में बाड़ करने के लिये झाड धुंवाली की इजाजत समय पर नहीं दी जाती ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या यह भी सही है कि खेतों पर समय पर बाड़ न होने के कारण जंगली जानवर अधिकतर फसलों को खराब कर देते हैं ? यदि हां तो इसके लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

(३) क्या यह भी सही है कि खेत की मेर से रेवेन्यू क्षेत्र से काट कर लाये गये झाड धुंवाली पर भी जंगलात वालों ने जुर्माने किये हैं ?

(४) क्या बहुत से ऐसे भी ग्राम हैं जिनके खेतों की बाउण्डरी चारों ओर से जंगलात एरिया से घिरी हुई है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

(३) जी नहीं।

(४) जी हां, कुछ ग्राम ऐसे हैं। सूची संलग्न है।

ग्रामों की सूची जिनके खेतों की बाउन्डरी चारों ओर से जंगलात एरिये से घिरी हुई है।

नं० शु०,	नाम रेन्ज	नाम गांव
१.	लाड़पुरा	नया गांव, रथकांकरा, आवली, रोझड़ी, रंगवाड़ी, आनन्दपुरा, लाखवा, रानपुरा, बावडीखेड़ा, जयपुर, बोरकीकुई, प्रलादपुरा, उम्मेदगंज. चांद बावड़ी, खोराबास, कोलीपुरा, गिरधरपुरा।
२.	मण्डाना	शकरपुरियां, खानपुरिया, रानथयाखेड़ी, लकमीपरिया, कोलाणा, डोल्या, किशनपुरा, खण्डीबावड़ी, दामोदरपुरा, मोनपुरा, मन्दरगढ़,।

३.	मोडक	करबावरा, घाटी, मानपुरा, भलारा, बडोदिया, नयागांव गुजरान :
४.	कनवास	ऊरना, जूरना, कोटबावड़ी, थूलेट, मशालपुरा, नारायणपुरा, नोलाव, खुरा।
५.	इन्द्रगढ़	मोहनपुरा ।

वूलन फैक्ट्रीज़, बीकानेर

६६५. श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बीकानेर शहर में ऊन के कितने कारखाने फैक्ट्रीज़ एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं ?

(२) क्या सरकार ने फैक्ट्रीज़ एक्ट, १९४८ की धारा ८५ के तहत नोटिफिकेशन जारी करके प्रत्येक ऊन संस्थान के लिये फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्टर्ड कराना जरूरी कर दिया था ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या सरकार ने उक्त नोटिफिकेशन को विथड्रा कर लिया है ? यदि हां तो किस तारीख को ?

(४) वर्ष १९६३ में फैक्ट्रीज़ इन्सपेक्टर व लेबर इन्सपेक्टर ने उक्त ऊन संस्थानों में से कितनों का निरीक्षण किया ?

उत्तर

(१) ३५

(२) (क) जी हां,

(ख) कर्मचारियों के काम के घण्टे, छुट्टियां इत्यादि में सुधार करने हेतु फैक्ट्रीज़ एक्ट लागू किया गया था।

(३) (क) जी हां।

(ख) ५-१-६१ (सरकार की विज्ञप्ति की प्रकाशन की तिथि से)

(४) सन् १९६३ में फैक्ट्रीज़ इन्सपेक्टर ने २७ फैक्ट्रीज का निरीक्षण किया—लेबर इन्सपेक्टर फैक्ट्रियों का निरीक्षण नहीं करते।

रावतभाटा--चेचट सड़क का ठेका

६६६. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) रावत भाटा से चेचट तक सड़क निर्माण का ठेका किस ठेकेदार को दिया गया ?

(२) क्या यह सही है कि इस सड़क का निर्माण नहीं हो सका किन्तु ठेकेदार को पेमेन्ट हो गया है ? यदि हां, तो कितनी रकम का ?

(३) क्या इस कार्य के लिये टेन्डर आमंत्रित किये गये थे ? यदि हां, तो विभिन्न टेण्डरों में दिये गये दरों का जो तुलनात्मक विवरण विभाग द्वारा तैयार किया गया था उसे सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(१) ठेका नहीं दिया गया है ।

(२) यह सही नहीं है ।

(३) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता ।

भादरा-साहवा सड़क निर्माण कार्य

६६७. श्री हरदत्तसिंह, (नोहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) भादरा-साहवा सड़क का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया गया था और अब तक इसके निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

(२) उपरोक्त सड़क का निर्माण कार्य सम्पूर्ण किये जाने की निर्धारित अवधि क्या है ?

उत्तर

मील ०।० से ४।० तक कार्य वर्ष १९५४-५५ में तथा बाकी कार्य मार्च १९५८ से आरंभ कराया गया था । मील ०।० से ४।० तक तथा १९ से २५० तक का पूर्ण हो चुका है । यह कार्य तृतीय योजना में पूर्ण होने को था किन्तु कार्य ठेकेदारों से पुन: वापिस ले लिया है अत: कार्य कब तक पूर्ण होगा निश्चित नहीं कहा जा सकता ।

वाटर वर्क्स निम्बाहेड़ा को बिजली

६६८. श्री सम्पत्तिलाल बोहरा, (मावली) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या वाटर वर्क्स निम्बाहेड़ा को बिजली दे दी गई है ?

(२) यदि नहीं, तो क्यों और कब तक मिलने की आशा है ?

उत्तर

(१) जी नहीं ।

(२) वाटर वर्क्स का अपना (इन्स्टालेशन) कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है ।

स्नायुक शिविर

९६९. श्री हरिप्रसाद शर्मा, (पाटन) : क्या आयुर्वेदिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या आयुर्वेदिक विभाग के द्वारा स्नायुक शिविरों की व्यवस्था की जाती रही है ?

(२) यदि हां, तो अब तक कितने शिविर कहां कहां पर लगाये गये हैं ? इन शिविरों में कुल कितने रोगियों की संख्या रही और शिविरों का कुल खर्चा कितना कितना हुआ ?

(३) क्या यह सही है कि शिविर में जनता की ओर से भी चन्दा एकत्रित किया गया था ? यदि हां, तो जनता के द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई ?

(४) क्या यह सही है कि परामर्श दात्री मण्डल ने चलते फिरते औषधालय की आवश्यकता महसूस करते हुए सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है ?

उत्तर

(१) जी हां

(२) विभाग द्वारा लगाये गये शिविरों की सूची संलग्न है। शिविरों में जो रोगी संख्या रही, वह प्रत्येक के आगे अंकित है । टी. ए. डी. ए, व मेडिसिन का कुल आनमानिका १००००) रुपया सरकार का व्यय हुआ है ।

(३) जी हां, भोजन व आवास निवास व्यवस्था स्थानीय जनता द्वारा की गई, जिसका व्यय-विवरण सरकार को ज्ञात नहीं ।

(४) जी हां,

पट्टेदार व पुरुषार्थी की जमीन की कीमत में भिन्नता

९७०. श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : क्या पुन-संस्थापन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि अलवर और भरतपुर में जो जमीन पट्टेदार व पुरुषार्थियों को को दी गई है, उसकी पट्टेदार व पुरुषार्थी की जमीन की प्रति एकड़ कीमत में भिन्नता है ? अगर हां, तो क्या क्या रेट है ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

(२) इनकी जमीन की कीमत की दरों में इतनी भिन्नता क्यों है ?

उत्तर

(१) जी हां, पट्टेदार की रेट ४५०) रु० और गैर दावेदार विस्थापित व्यक्ति की रेट १५८) रु० प्रति स्टेन्डर्ड एकड़ है।

(२) गैर दावेदार विस्थापित व्यक्तियों की जो भूमि हैं वह भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को एक निर्धारित राशि पर हस्तान्तरित की जा चुकी है और राज्य सरकार द्वारा इस भूमि का मूल्य १५०) रु० प्रति स्टेन्डर्ड एकड़ की दर से वसूल किया जा रहा है। पट्टेदारों की भूमि भारत सरकार के कम्पेन्सेशन पूल की हैं और डिस्पलेस्ड पर्सन्स (कम्पेन्सेशन एण्ड रिहबिलीटेशन) एक्ट के अनुसार पट्टेदारों से ४५०) रु० प्रति स्टेन्डर्ड एकड़ की दर से मूल्य वसूल किया जा रहा है।

बुहाना पंचायत समिति में निलम्बित अध्यापक

६७१. श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनूं) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बुहाना पंचायत समिति जिला झुंझुनू में कुल कितने अध्यापक निलंबित अवस्था में हैं और कब से ?

(२) साधारणतया कितने समय में जांच की कार्यवाही हो जानी चाहिये ? अधिक से अधिक कितने समय तक बिना जांच किये अध्यापक को निलम्बित रखा जा सकता है ?

उत्तर

(१) कोई भी अध्यापक निलम्बित अवस्था में नहीं है।

(२) साधारणतया लगभग एक ' में विभागीय जांच की कार्यवाही पूरी हो जानी चाहिए। किसी कर्मचारी को बिना जांच के कितने समय तक निलंबित रखा जा सकता है इसके लिये कोई अवधि निश्चित की हुई नहीं है।

परिशिष्ट ५

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या २६० का उत्तर देखिये)

जिला गंगानगर की विभिन्न पंचायत समितियों का वर्ष वार स्वीकृत बजट व खर्चे की सूची

क्रमांक १	पंचायत समिति २	वर्ष ३	स्वीकृत बजट ४	खर्चा ५
१.	श्रीकरणपुर	१९५९–६०	५६६०६९)	६७५६१५)
		१९६०–६१	५४८५५५)	६६४२२७)
		१९६१–६२	६९१०५०)	६६६४५८)
		१९६२–६३	६७९७३७)	७०६१६९)
२.	सादुलशहर	१९५९–६०	१३७३८०)	१२२४२९)
		१९६०–६१	३२६२३७)	१४५१०६)
		१९६१–६२	४१५१४७)	३०७५५५)
		१९६२–६३	२५९६०९)	३८४९५४)
३.	मिर्जेवाला	१९५९–६०	१८६५९४)	१०१४६३)
		१९६०–६१	४७५५०८)	२७८४५९)
		१९६१–६२	३३५४४५)	३२१४७१)
		१९६२–६३	५८३६६६)	५००२४०)
४.	भादरा	१९५९–६०	१४८७६१)	८२०३२)
		१९६०–६१	२४१२८२)	२६६४२३)
		१९६१–६२	२८५५०२)	२४९७५७)
		१९६२–६३	२१६६००)	२४३८८३)

५.	हनुमानगढ़	१९५९-६०	२११९८९)	१२२९८५)
		१९६०-६१	७१२४३०)	५१४८६५)
		१९६१-६२	६१११२९)	६२४६७२)
		१९६२-६३	६६२५१६)	४७८९२६)
६.	सूरतगढ़	१९५९-६०	१५९४१५)	१५६८३६)
		१९६०-६१	४८२६९५)	३२२७९८)
		१९६१-६२	८१५९७३)	७४६६३८)
		१९६२-६३	३७२९६७)	५६६३७८)
७.	रायसिंहनगर	१९५९-६०	२८५४९३)	१५७५२७)
		१९६०-६१	४३६४३१)	५०६५२३)
		१९६१-६२	९२११३१)	१०८०३७८)
		१९६२-६३	५०८५६६)	४४१२६१)

नोटः—पंचायत समिति के पी० डी० अकाउन्ट में रकम हस्तान्तरित होने के बाद लेप्स नहीं होती । एडजस्ट की जाती है ।

परिशिष्ट ६

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या २६७ का उत्तर देखिये)

पंचायत समिति कामां के सदस्यों द्वारा लिये हुए ऋण की सूची

क्रमांक	नाम सदस्य	ऋण की राशि	कार्य	ऋण लेने की तारीख	ऋण की अवधि	विशेष
१—	श्री बाबूलाल सरपंच, गुरहरा	१–१०००) रु० २–१०००) रु०	कूप निर्माण	१४–२–६२ २४–८–६२	१० वर्ष	वसूली की जा रही है।
२—	श्री फौगासिंह सरपंच, वमनबाडी	१०००) रु०	,, ,,	२३–२–६०	,, ,,	,, ,,
३—	श्री गिर्राजसिंह सरपंच, मंडारा	१– ८५०) रु० २–११५०) रु०	कूप मरम्मत पक्की नाली	१४–३–६३ २६-११-६३	,, ,,	आखिरी किश्त अब दी है।
४—	श्री विशनलाल सरपंच, सोनोतर	१०००) रु०	कूप निर्माण	२८–१–६४	,, ,,	अभी एक किश्त ही दी है।

———

परिशिष्ट ७

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ३०१ का उत्तर देखिये)

पंचायत समिति कुचामन में सरपंचों के विरुद्ध शिकायत के मामलों की सूची

क्रमांक	सरपंच का नाम	शिकायत का विवरण	जांच अधिकारी	जांच कब से चालू हैं
१.	श्री घीसालाल, पूर्व सरपंच, पाटवा	सरकारी रकम का गबन व अनियमिततायें	एच. डी. बी. परबतसर	२६–६–६१
२.	सरपंच मलाडा	सरकारी रकम का दुरुपयोग	बी० अ० कुचामन	३१–५–६०
३.	श्री मंगतराम, सरपंच, सम्भुपुरा	सरकारी रकम का दुरुपयोग	तहसीलदार, नावां	२३–६–६२
४.	श्री रामसिंह, सरपंच, मण्डावरा	सरकारी रकम का दुरुपयोग	एस.० डी० ओ० परबतसर	२०–५–६२
५.	श्री प्रहलादसिंह, सरपंच, राजलिया	शिकायत बाबत लेने रिश्वत	डि० डी० डी० ओ०, नागौर	१४–११–६३
६.	श्री घासीलाल, पूर्व सरपंच, घाटवा	सरकारी रकम का गबन	तहसीलदार, नावां	८–१–६२
७.	श्री समन्दरसिंह, सरपंच, रुमपुरा	सरकारी रकम का दुरुपयोग	डि० डी० डी० ओ०, नागौर	६–१–६४
८.	श्री हनुमान बक्श, सरपंच, पलाड़ा	अनियमितायें करना	तहसीलदार, नावां	१३–३–६३
९.	श्री मांगीलाल, सरपंच, श्यामगढ़	भूमि विक्रय में अवैधानिकता व पक्षपात	तहसीलदार, नावां	३–१–६४
१०.	सरपच, मांवता	२०००) रु० का दुरुपयोग	तहसीलदार, नावां	३–९–६३
११.	श्री गुलाबचन्द, सरपंच, चितावा	सरकारी रकम का दुरुपयोग व अनियमिततायें	तहसीलदार, नावां	१३–८–६३

१२.	श्री जगन्नाथ, सरपंच, घाटवा	रकम का दुरुपयोग व अनियमिततायें करना	तहसीलदार, नावां	६-६-६३
१३.	श्री गंगाराम, पूर्व सरपंच, मावता	अनुदान की रकमों का गबन	एस० डी० ओ०, परवतसर	११-६-६३
१४.	श्री प्रहलादसिंह सरपंच, राजलिया	अधिकार क्षेत्र के बाहर दावे सुनना व जुर्माना करना	एस० डी० ओ०, परवतसर	११-६-६३
१५.	श्री रामसिंह, सरपंच, मण्डावरा	नाला रोका उस बाबत सुनवाई नहीं की	तहसीलदार, नावां	२४-६-६३
१६.	श्री समन्दरसिंह, सरपंच, रुपपुरा, टोटड़ा	धोका देकर तकावी उठाना	तहसीलदार, नावां	३१-१०-६३
१७.	श्री शक्तिदानसिंह सरपंच, मीठली	सरकारी रकम का दुरुपयोग व अनियमिततायें करना	तहसीलदार, नावां	२७-१२-६३
१८.	श्री बालूराम, सरपंच, भगवानपुरा	सरकारी रकम का दुरुपयोग	डी० डी० डी० ओ०, नागौर	१७-१२-६३
१९.	श्री प्रहलादसिंह, सरपंच, रावतिया	नकलें न देने के बाबत शिकायत	तहसीलदार, नावां	८-२-६४
२०.	सरपंच, किचाना	६७२) रु० का गबन	तहसीलदार, नावां	१६-३-६४
२१.	सरपंच, खारडिया	अनियमितायें व गबन	तहसीलदार, नावां	१६-३-६४

*शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक ८ अप्रेल, १९६४)

स्कम्भ सं.	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
१	प्रथम	का ९ वां	का ४९ वां
९	६	श्री भवानीशकर	श्री भवानीशंकर
१६	शीर्षक	प्रश्नत्तोर	प्रश्नोत्तर
२३	२३	ताराकित	तारांकित
२६	५	श्री नाथूराम	श्री नाथूराम
३३	शीर्ष	चन्दनमल वैद)	(श्री चन्दनमल वैद)
३५	१५-१५	सुझाव है । जानकारी करना	सुझाव है जानकारी करना
३७	३	श्री भैंरोंसिह	श्री भैंरोंसिह
४१	शीर्ष	(वैद्य गोविन्दसहाय)	(वैद्य श्री गोविन्दसहाय)
४५	प्रथम	मिर्घा	मर्धा
४६	अन्तिम से ७	श्री मुकटबिहारीलाल	श्री मुकुटबिहारीलाल
४७	प्रथम	श्री मुटबिहारीलाल	श्री मुकुटबिहारीलाल
,,	५	श्री मुकटबिहारीलाल	श्री मुकुटबिहारीलाल
५३	अन्तिम से ३	श्री कृष्णकुमार	श्री कृष्णकुमार
५७	१७	पंचायत, (श्री	पंचायंत (श्री
५८	१३	(रायसिंहनगर)	(रायसिंहनगर)

(२)

१	२	३	४
५६	अन्तिम से ४	श्री भैरोंसिर	श्री भैरोंसिह
६१	शीर्षक	प्रश्कोत्तर	प्रश्नोत्तर
६३	,,	अप्रेल, ६३–	अप्रल, ६४
६६	अन्तिम से ८	श्री अध्वत्त	श्री अध्यक्ष
६९–७०	शीर्षक	–८ अप्रेला....प्रश्नोत्त	–८ अप्रेल........प्रश्नोत्तर
७७	शीर्ष	(पंचायत मंत्री)	(श्री पंचायत मन्त्री)
८१	शीर्षक	–८ अप्रेले	–८ अप्रेल
८४	४	परिशिपृ	परिशिष्ट
९१	९	चुनावो हतु	चुनावों हेतु
९२	शीर्षक	अतारांकित प्रश्नोत्तर	वित्तीय समितियां
९३–९४	शीर्षक	अतारांकित........प्रम्नोत्तर	वित्तीय समितियों के –८ अप्रेल, ६४–चुनावों सम्बन्धी
९७–१२४		नोट : इन स्कम्भों में "स्थगन–प्रस्ताव" के स्थान पर कृपया यह पढ़ें : "राज्य की खाद्यान्न स्थिति पर –८ अप्रेल, ६४–शासकीय वक्तव्य"	
१२५	शीर्षक	विधेयक	भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक
१४१	,,	(श्री रामकिशन वैद्य)	(श्री रामकिशन)
१४५, १४७, १५१, १५३, १५५, १५७, १५९, १६३	,,	कारोपण	करारोपण
१४८, १५०	,,	(संशोधन विधेयक	(संशोधन) विधेयक

१	२	३	४
१५६	,,	वियधेक	विधेयक
१६३	,,	वधेयक	विधेयक
१६६	शीर्ष	(सम्पत्तिलाल बोहरा)	(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)
१७२	२०	श्री बलकृष्ण	श्री बालकृष्ण
१७३, २४५, २६३	शीर्षक	–८ अप्रल	–८ अप्रेल
१८१	१६	श्री सतीसचन्द	श्री सतीशचन्द्र
१८५	अन्तिम से २	श्री हरिराम चौधरी	श्री हरिराम चौहान
२०७	शीर्षक	–८ अप्रेल, ६१–	–८ अप्रेल, ६४–
२०६	शीर्ष	(श्री मानिकचन्द सुराणा)	(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)
२११	शीर्षक	राजस्थान करारोपण विधियां	समितियों से नाम-वापसी
२११	११	करारोपण विधेयक	करारोपण विधियां
२१२	शीर्षक	(संशोधन) विधेयक, ६४	करारोपण विधियां
२१७–२१८	,,	–८ अप्रल	–८ अप्रेल
२१७	६	श्री सम्त्तिलाल	श्री सम्पत्तिलाल
२२०	१२	के नाम	से नाम
२२३	प्रथम	श्री मानिकचन्द्र	श्री मानिकचन्द्
२२४, २३४, २३८	शीर्षक	(संशोधन विधेयक	(संशोधन) विधेयक
,,	प्रथम	याज्ञिनिक	याज्ञनिक
२३०	८	श्री कृष्णलाल	श्री बालकृष्ण

१	२	३	४
२३६	१२	श्री बालकष्ण	श्री बालकृष्ण
२४०	शीर्षक	विधियां, ६४	विधेयक, ६४
२४१	८	सूराणा	सुराणा
२४८	शीर्षक	विधेयक, ६३	विधेयक ६४
२५०	,,	विनेयक, ६४	विधेयक, ६४
२५२	,,	(संसोधन)	(संशोधन)
२५६	अन्तिम से ४	सुराना	सुराणा
२५७	११	श्री संपतिलाल	श्री सम्पत्तिलाल
२५६	१७	विश्नोई	बिश्नोई
२६१–२६२	शीर्षक	८ अप्रेल, ६१	८ अप्रेल, ६४
२६३–२६६	३	स्कम्भ	—
२७०	३	रस्कम्भ	स्कम्भ
२८४	२	जबपुर)	जयपुर)

❀नोट : विस्तृत शुद्धि-पत्र बाद में पृथक से मुद्रित होगा।